Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] सप्तम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 5वां दिवस [संख्या 5

शुक्रवार,

दिनांक 18 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य।

ग्राम पंचायत पीपल्दा कलां में निर्मित पुलिया

114. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा की ग्राम पंचायत पीपल्दा कलां में ग्रामीण गृह विकास योजना के अन्तर्गत पुलिया निर्माण हुआ है? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी रकम व्यय हुई?

(2) इस पुलिया के निर्माण की स्वीकृति क्या सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी? यदि हां, तो कृपया तकमीने सहित स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस पुलिया का कार्य बिना स्वीकृति के कराया गया, जो गलत है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि इस पुलिया के निर्माण में भारी गबन एवं घोटाला हुआ है?

(5) क्या यह भी सही है कि इस पुलिया की तकनीकी जांच के पूर्व ही फाइनल पेमेन्ट कर दिया गया है?

(6) क्या सरकार इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी?

राज्य मंत्री, पंचायत एवं सामुदायिक विकास (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां। पंचायत समिति इटावा के ग्राम पीपल्दा कलां में ग्रामीण गृह विकास योजना के अन्तर्गत पुलिया का निर्माण हुआ है इस निर्माण पर कुल 67,655 रु. व्यय हुए।

(2) जी हां। इस निर्माण कार्य की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी। समय अभाव के कारण स्वीकृति की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हो सकी है, जो सदन के पटल पर बाद में रख दी जावेगी।

Page No 2

(2)

(श्री शीशराम ओला)

(3) जी नहीं।

(4) इस संबंध में जिलाधीश, कोटा को कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर मामले की जांच सहायक अभियन्ता (सामुदायिक विकास) के माध्यम से कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप कुछ तकनीकी खामियां पाई गई।

(5) जी नहीं।

(6) इस निर्माण कार्य में केवल तकनीकी अनियमितताएं पाई गई, जिसके लिये तत्कालीन वरिष्ठ अभियन्ता दोषी हैं, परन्तु वे राज्य सेवा छोड़ चुके हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया कि पुलिया के निर्माण की पूर्व में स्वीकृति ली गई थी, लेकिन उसकी प्रति समयाभाव के कारण नहीं रख सके, यह इस बात को छुपाने के लिये है। वास्तव में कोई स्वीकृति नहीं ली गई है, अन्यथा प्रति प्राप्त करने में कितना सा समय लगता है। वास्तव में इसकी पहले से स्वीकृति नहीं ली गई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, क्या कल तक स्वीकृति-पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त हो जायेगी? कल तक यह प्रश्न स्थगित करवा दें।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्थगित करने की बात नहीं है। प्रतिलिपि आ जायगी और सदन के पटल पर रख दी जायेगी तथा जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा इस लिये निवेदन करना था कि उस स्वीकृति में जो आइटम होंगे उनके अनुसार काम हुआ या उनसे अलग काम हुआ उसकी जानकारी मांगी गई थी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल तक के लिये प्रश्न स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मंत्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया कि स्वीकृति ली गई थी, लेकिन उसकी प्रति अभी नहीं है। जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा है कि स्वीकृति नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रश्न को स्थगित करने का कोई कारण नहीं है एवं जो टेक्नीकल सवाल है घोटाले से संबंधित, तो यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो और प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्वीकृति नहीं ली गई, यह मेरा आरोप है। दूसरे, विकास अधिकारी जब भी कोई काम शुरू करते हैं, तो पहले उनके द्वारा तकमीना बनता है, पहले स्वीकृति ली जाती है, लेकिन इसमें न तो तकमीना बना और न स्वीकृति ली गई है। पहले 15 हजार फिर 40 हजार का काम करवाया, बाद में फिर राशि बढ़ाई। इससे पहले 2, 3, 4 बार काम करवाये गये और बाद में ग्राम पंचायत में शिकायत की, तब रातों रात जाकर विकास अधिकारी और जे. ईएन. ने गैस के उजाले में नींव में पत्थर भरे हैं। क्या यह सही है कि रात को नींव में पत्थर डाले गये?

श्री शीशराम ओला : जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर मैंने उत्तर प्रस्तुत किया है। फिर भी कहीं कोई गलती पाई गई, कोई भी दोषी है, तो उसके खिलाफ सख्तसेसख्तकार्यवाहीहोगी,उसेछोड़ा नहीं जायेगा।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले तकमीना बनाया जाता है, इसमें एस्टीमेट बना था क्या? वह बना नहीं है।

श्री शीशराम ओला : इस पुलिया के निर्माण में 67,655 रुपये व्यय हुए हैं, जिनमें 26,500 रुपये काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत व्यय किये गये हैं। इस कार्य की सर्वप्रथम स्वीकृति 15 हजार की 11-10-78 को जिलाधीश, कोटा द्वारा जारी की गई। उसके पश्चात् 66,500 की स्वीकृति 17-4-79 को जारी की गई। चूंकि व्यय स्वीकृत राशि से अधिक हुआ इसलिये अधिक रुपये की स्वीकृति पंचायत समिति की निजी आय से करने के आदेश 14-4-80 को जारी हुए।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इस पुलिया पर कुल कितनी रकम खर्च की गई और क्या कोई पहले एस्टीमेट बनाया गया था?

श्री शीशराम ओला : इसकी स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी गई है, इसलिये यह कहना गलत है कि स्वीकृति नहीं दी गई। एस्टीमेट भी है, फिर भी मेरा निवेदन है कि इसमें कहीं भी अनियमितता पाई गई, तो दोषी अधिकारी को सजा मिलेगी, चाहे वह विकास अधिकारी हो या कोई अन्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, दो सवाल किये हैं, एक तो प्रति नहीं रखी। इन्होंने कहा दे देंगे। दूसरा एस्टीमेट के बारे में पूछा गया, उस पर मंत्री महोदय कहने के लिये तैयार नहीं है।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसकी प्रतिलिपि नहीं है, मगर मैं मानता हूं कि कलेक्टर ने जब स्वीकृति दी है, तो निश्चित रूप से एस्टीमेट भी आया होगा। फिर भी जो कमियां आपने बताईं, वह पत्र मंगवा कर सदन के पटल पर प्रस्तुत कर देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : कोई कमी नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर ने जो तकमीना लगाया है, उसमें 5-5 हजार का खर्चा कर भारी गबन हुआ है। हजारों रुपये का गबन हुआ है। जो काम हुआ है, वह नहीं के बराबर है। इसलिये विकास अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करवायें।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न। श्री देवीसिंह

राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में अवस्थित ईंटों के भट्टे

115. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में कितने निजी लोगों को ईंटों के भट्टे की जमीनें आवंटित की गई है?

(2) उपनिवेशन क्षेत्र में भट्टों की जमीन आवंटित करने के क्या नियम हैं? क्या उपरोक्त आवंटनशुदा जमीन नियमानुसार है?

(3) राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में कितने गैर कानूनी भट्टे सरकारी रिकार्ड में चल रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है? कृपया पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में 9 व्यक्तियों को ईंटों के भट्टों की भूमि आवंटित की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में ईंट भट्टों के लिये भूमि आवंटन के नियम राजस्थान उपनिवेशन परियोजना क्षेत्र में ईंट भट्टा लीज शर्त, 1966 है। इन्हीं नियमों के अधीन भूमि का आवंटन किया गया है।

(3) राजस्थान नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी रिकार्ड के अनुसार 9 गैर कानूनी ईंट भट्टे चल रहे हैं। इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है जिसका भट्टेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार बीकानेर शहर में दो किलोमीटर के दायरे में 36 नाजायज भट्टे हैं। इसलिये माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना दी है, वह गलत है।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जब हल्का पटवारी वहां पर रहता है, तो जब नाजायज भट्टों का निर्माण होता है, उस वक्त क्यों नहीं रोका जाता है? वहां पर अधिकारी बैठे हैं, इसके उपरान्त भी भट्टों का निर्माण हो जाता है और विभाग द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बिलकुल नहीं। जैसा अभी माननीय सदस्यों को बताया गया है 9 बगैर परमीशन के भट्टे हैं। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। एक जगमालसिंह है। उसका जब हमारे नोटिस में आया तो मालूम हुआ कि इसे पहले मोहम्मद अली के नाम से जमीन अलाट की हुई थी। इस पर डिपार्टमेंट ने कार्यवाही की। जब पटवारी मौके पर गया, तो पता लगा कि वहां पर उसका कब्जा नहीं था। पता लगा कि यह जगमालसिंह के कब्जे में थी। जगमालसिंह को माईनिंग डिपार्टमेंट ने इस जमीन को लीज पर दिया था और हमको इसकी परमीशन नहीं थी। चूंकि यह इन्टर-डिपार्टमेंट मामला था, इसलिये उसके खिलाफ एक्शन लिया और अभी एक्शन जारी है। आप जो फर्मा रहे हैं कि कैनाल बढ़ रही है जगह जगह ब्रिक्स की आवश्यकता है। कुछ प्राइवेट लोग भी बना रहे हैं। हम नहीं कहते कि नहीं बना रहे हैं, परन्तु जब पता चलता है, तो कोलोनाइजेशन रूल्स के तहत अगर बगैर एन. ओ. सी. के भट्टा लगा लिया है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं। हमारे ध्यान में 9 जने अभी तक हैं, जिनकी सूची हमने सदस्य महोदय को दे दी है।

श्री रामसहि बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये 9 आदमी, जिनका नाम आपने बताया है, गैर कानूनी तौर से कितने वर्षों से वहां पर कार्य कर रहे हैं। आज तक उनके खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की है? कितना अर्सा हो गया है?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामसिंहजी से अर्ज करना

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

चाहता हूं कि यह जो 9 जने हैं, 75-76 में पांच-पांच साल की लीज उनको दी गई थी। एक्ट में प्रावधान है कि रूल्स के मुताबिक मेंग्जीमम दस साल तक लीज दे सकते हैं। anything less than tenyears इस हिसाब से 76-77 में आये थे और जनता राज जब राज समाप्त हो रहा था, उसके तीन, चार रोज पहले एक प्रोविजो इसमें इन्क्लूड करवाया था, जिसके तहत यह तय किया गया था कि एप्लीकेशन वापस देकर पांच साल का और एक्सटेन्शन दे सकते हैं। इसमें से कुछ लोगों ने दरख्वास्तें दीं, एप्लीकेशन दे चुके थे। चूंकि रेट कम थी, करीब 47|- रुपये, 53|- रुपये, 50|- रुपये बीघा प्रति वर्ष, तो उस हिसाब से हमारे कमिश्नर ने उनको एन. ओ. सी. नहीं दी। कुछ लोगों ने कम से कम सात लोगों ने रेवेन्यू अथॉरिटी और हाई कोर्ट से स्टे लिया। अभी भी यह जमीनें उनके कब्जे में हैं। हम कार्यवाही कर रहे हैं और जैसे-जैसे स्टे वेकेट होता जाएगा इनको वापस लेंगे। यह सिर्फ वहीं हैं। माननीय देवीसिंहजी ने यह पूछा था कि प्राइवेट भट्टे कितने हैं? तो यह सूची प्राइवेट भट्टों की है।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी): एक भट्टे के निर्माण में कितना टाइम लगता है?

श्री राजबहादुर (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि बिना लीज की मन्जूरी के क्या कोई भट्टा लगा सकता है? नियम क्या है? नियमों का हवाला दिया है कि बिना लीज के नहीं लगा सकते हैं। इसमें वेक्यूम जरूर है। लोग भट्टा लगा लेते हैं, चालू हो जाते हैं। सरकार को मालूम नहीं होता है। जब आब्जेक्शन होता है then the action begins. इसलिये मैं आपसे विनती करूंगा कि पहले मंत्री महोदय बतावें कि बिना लीज के ही भट्टे लगा सकते हैं क्या? नियमों का उल्लंघन होता है। उनकी रिपोर्ट करने का किसका दायित्व है? कोई कर्तव्यच्युत हो जाता है, तो उसको क्या सजा दी जाती है?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, लीगली बगैर लीज के कोई भट्टा नहीं चला सकता है। नियम राजस्थान कोलोनाइजेशन प्रोजेक्ट एरियाज ब्रिक्स कोल लीज कन्डीशन 1966, यह डिस्क्रीप्शन है जिसमें......

श्री राजबहादुर: अगर उल्लंघन होता है, तो क्या होता है?

श्री अध्यक्ष: यह तो आप कानूनी प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री राजबहादुर: What is the arrangement for detecting defaulters?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): पहली बार बोल रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: लीगली मैंने अर्ज कर दिया है यह रूल 10 है.....

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। नियम विरुद्ध हुआ है, तो आप इसको बता दें। अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल,जयपुर): भट्टों की जो लीज दी जाती है, क्या वह एग्रीकल्चर लेंड पर नहीं दे सकते हैं? यह जानकारी है आपको?

श्री अध्यक्ष : यह राजस्थान कैनाल का प्रश्न है। जहां उपयुक्त मिट्टी मिलेगी, वहीं पर भट्टा लगाया जा सकता है।

श्री मेघराज तावड़ : प्रश्न संख्या 116

वन विभाग की भूमि पर काबिज व्यक्तियों के प्रकरणों का नियमन

116. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1978 से पूर्व जिन काश्तकारों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा था, ऐसे कब्जेधारियों के मामले नियमन करने का निर्णय लिया था? यदि हां, तो जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कितने मामलों का नियमन किया गया एवं कितने कब से विचाराधीनहैं ? कृपया सूची तहसीलवार सदन के पटल पर रखें।

(2) ऐसे कितने मामले उपयोजना क्षेत्र के वन बन्दोबस्त अधिकारी के पास विचाराधीन हैं? विचाराधीन मामलों में कितने कृषकों को बेदखल किया गया ? कृपया सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले ऐसे कितने काश्तकारों ने वन बन्दोबस्त अधिकारी से असन्तुष्ट होकर जिलाधीशों के समक्ष अपील की? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जहां ग्रामीण और आदिवासी लोग बसे हुए हैं, उनके मकान से हजार-पांच सौ गज की दूरी पर वन विभाग ने अपनी बाउण्डरी बनाई है? यदि हां, तो वहां के रहने वाले नागरिकों को क्या छूट दी गई है?

(5) क्या वन विभाग एवं राजस्व विभाग के बीच भी भूमि संबंधी विवाद है? यदि हां, तो कहां कहां? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना नहीं आ पायी है, इसलिये निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया। नेक्स्ट। श्री सुजानसिंह!

काठूवास से परतापुर सड़क निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा

117. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि काठूवास से परतापुर सड़क निर्माण में काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो किन-किन की? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क का निर्माण किसी ठेठ द्वारा कराया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त सड़क को अधिगृहीत कर लिया गया है? यदि हां, तो काश्तकारों को कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा?

Page No 7

(7)

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (श्री चेतराम मीणा) : (1) जी हां। सड़क निर्माण में 64 काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई। उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। सड़क निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सरकार द्वारा किया गया है। काश्तकारों को मुआवजा देने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष, महोदय, सूची 64 आदमियों की माननीय मंत्री महोदय ने मुझे दी है। इस सड़क के लिए सन् 1957-58 में हमारे गांव वालों ने अपनी कृषि भूमि, खासतौर से जो 64 काश्तकार हैं, उन्होंने दी है। उनको मुआवजा नहीं मिला है, जब कि इस जमीन की कीमत करीबन 20 से 15 हजार के दरम्यान आजकल चल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा में ऐसा रूल है कि जब भी कोई भूमि अवाप्त की जाती है सड़क के लिये, भवन निर्माण के लिये, तो काम शुरू होने से पहले ही उनको मुआवजा मिल जाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूल में ऐसा प्रावधान करवा दें, जैसा कि हरियाणा में है। 24 साल से किसान बराबर इसके लिये निवेदन कर रहे हैं। यह अनुनय-विनय जब भी मैं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं वे लोग करते है कि उनको 24 साल से मुआवजा नहीं मिला है। अतः उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं ?

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल का टाइम है, अकाल पड़ रहा है, 200-400 रुपये किसानों को मिल जायें, तो वे उससे खाद और बीज ले सकेंगे। अतः निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी यह कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 29-9-59 को दी गई। बनाने की स्वीकृति 29-11-59 को दी गई और लैंड एक्वीजशन एक्ट के अन्तर्गत सेक्शन 4 के अन्तर्गत भूमि अवाप्त 2-3-60 को की गई। 11-10-60 तक ऑब्जेक्शंन्स मांगे गये। मुआवजा देने की घोषणा 31-3-65 को की गई और उनको मुआवजा की राशि मिल जाये इसके लिये सन् 78 में राशि स्वीकार की गई। उसकी स्वीकृति हो जाने के बाद अधिशासी अभियन्ता, अलवर को 16 अगस्त को राशि आवंटित करने के लिये भेज दी गई, परन्तु वह लैंड एक्जीवेशन के तहत आवश्यक कार्यवाही उस समय नहीं की गयी। वह पैसा लैप्स हो गया और उसके बाद 79-80 में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और 80-81 में कोई राशि नहीं रखी गयी। अब मैं चाहूंगा कि इस साल के बजट में उनको राशि ग्रान्ट की जाये। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको यह राशि शीघ्र मिल जाये और आगे से इसके लिये उसी बजट में व्यवस्था हो जाय।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह आता है⋯

श्री अध्यक्ष : 27-27 साल तक लोगों को मुआवजा नहीं मिले, यह तो ठीक बात नहीं है। अब तो वह भी सोचते होंगे, जमीनों की कीमतें कितनी बढ़ गयी हैं कि ज्यादा मुआवजा मिल जाये।

एक माननीय सदस्य : सन् 57 में जमीन की कीमत क्या थी और आज क्या है ? उनको मुआवजा आज की कीमतों पर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ से यही बात तो मैंने कह दी है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस साल सार्वजनिक निर्माण विभाग में 65 लाख का प्रोविजन किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें इसके लिये भी प्रोविजन किया जाये और राशि को कुछ बढ़ाया जाये।

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि यह सड़क एक दानवीर सेठ ने बनायी है और मंत्री महोदय फर्माते हैं कि यह तो गवर्नमेंट ने बनायी है।

श्री अध्यक्ष : यह विवाद का विषय नहीं है

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जिन लोगों की जमीन ली गयी है, उन लोगों के मुआवजे का कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुजानसिंह यादव : यह बिलकुल सही बात है कि सड़क का निर्माण, जो अर्थ वर्क हुआ है और राम लिखपाल सिंह द्वारा हुआ था। यह बिलकुल सत्य है। ये बातें न कहकर मेरा मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलावें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : क्या आप भूमि का मुआवजा दिलाने की तुरन्त व्यवस्था करेंगे ? 27 वर्ष तक मुआवजा नहीं मिलता है ...

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया है। यही मैंने निवेदन किया है।

अगला प्रश्न।

श्री मोहनलाल बंशीवाल, श्री कैलाश मेघवाल !

चम्पाबाग उदयपुर की भूमि का प्रकरण

118. श्री मोहनलाल बंशीवाल (दौसा) व श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद् सीमा में चम्पाबाग भू-खण्ड स्थित है ?.

(2) क्या इस भू-खण्ड की अवाप्ति की कार्यवाही नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा प्रारम्भ की गई थी ? यदि हां, तो कब प्रारम्भ की गई ? उस कार्यवाही के दौरान कब-कब अवाप्ति के नोटिस समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये गये ? अवाप्ति की कार्यवाही किस स्तर पर चल रही है ?

Page No 9

(9)

(श्री सोहनलाल बंशीवाल व श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि इस जमीन को नगर विकास द्वारा न्यास द्वारा अवाप्त करने के बाद भू-खण्ड आवास हेतु आवंटित किये जाते हैं, तो नगर विकास न्यास को एक करोड़ का शुद्ध लाभ मिलने की सम्भावना है ?

(4) यदि हां, तो क्या नगर विकास न्यास को सार्वजनिक हित में यह लाभ मिले और प्राइवेट पार्टीज यह लाभ न ले सकें, इस नीति का राज्य सरकार पालन करेगी ?

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं नगर आयोजन (श्री श्रीराम गोटेवाला) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) इसकी सही स्थिति योजना बनने के बाद ही पता लग सकती है व इस विभाग द्वारा नगर विकास न्यास, उदयपुर को यह भूमि अवाप्त करने एवं योजना बनाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(4) इसका उत्तर भाग (3) में शामिल है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : पिछली विधान सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा था कि इस भूमि को उदयपुर विश्वविद्यालय को दिया गया है। इसकी फाइल एजूकेशन डिपार्टमेंट के पास पड़ी हुई है। नगर विकास न्यास को दे दें। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस जमीन को उदयपुर विश्वविद्यालय के एक्स-टेंशन के लिये देंगे, जैसा कि सदन को आश्वासन दिया गया था, या नहीं देंगे या नगर विकास न्यास को देंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस प्रोसिडिंग को देखा है जिसमें कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था और जिसका उत्तर माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने दिया है। उसमें उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया था।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जब वक्तव्य दिया गया था, उसमें यह आश्वासन दिया गया था। मैं उस वक्तव्य का पैरा तीन पढ़ता हूं, उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

"उदयपुर विश्वविद्यालय से दिनांक 6-3-1981 को विभाग में उपरोक्त भूमि को विश्वविद्यालय के लिये राजस्थान अवाप्ति अधिनियम, 1953 के तहत अवाप्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर जिलाधीश, उदयपुर की टिप्पणी मांगी गई है। टिप्पणी प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।"

यह स्पष्ट आया था। सवाल करने का उद्देश्य यह है कि उस वक्तव्य में माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने एक बात कही, वे आज भी शिक्षा मंत्रीजी हैं। जो चर्चा हुई, उसमें वह यू. आई. टी. और लोकल सैल्फ दोनों के लिये उपयोगी है। इसलिये इस विषय पर कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरा प्रश्न मंत्री महोदय से यह है कि जिलाधीश उदयपुर, जो कि यू. आई. टी. के अध्यक्ष भी थे, ने यू. आई. टी. के तहत इस जमीन को लेने की, अवाप्त करने की कार्यवाही चालू की थी या नहीं और की थी, तो कब की थी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : कौन अध्यक्ष थे?

श्री कैलाश मेघवाल : जिलाधीश, उदयपुर थे। क्या जिलाधीश द्वारा इसकी अवाप्ति की कार्यवाही होने के बाद टैक्नीकल समिति में यह मामला आया था या नहीं ? उसमें यह कहा गया था कि यह आगे की जमीन है, यह कृषि की जमीन है या अर्द्ध कृषि की जमीन है, किस तरह से उपयोग हो सकता है? क्या कोई ट्रस्ट है? उसको बेचने का अधिकार है या नहीं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में माननीय सदस्य ने आपत्ति उठायी है, वह सारी साफ हो जायेगी। मैं यह 20-10-79 की यू. आई टी. की मीटिंग की प्रोसिडिंग्स आपके सामने रख रहा हूं,

"विचार विमर्श के दौरान सर्वसम्मति से तय किया गया कि चम्पा बाग की भूमि, जिसका रकबा 68 बीघा 10 बिस्वा आबादी की भूमि है तथा जिसकी जांच न्यास ने की। इस संबंध में न्यास निर्णय दिनांक 20-10-79 के अनुसार गठित जांच समिति, जिसके कन्वीनर श्री जमना लाल दशोरा व मेम्बरान श्री गुलाबचन्द कटारिया, विधायक व श्री अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग थे, ने भी विस्तार से जांच कर अपनी बैठक दिनांक 17-11-1979 व 29-11-1979 में यह तय किया कि चम्पा बाग की भूमि के संबंध में समस्त मूल दस्तावेज देख लिये गये हैं व जिनाइन हैं तथा यह भूमि आबादी की है। फाइनेन्शियल स्टेटमेंट में भी वही तथ्य है। सर्व श्री जमनालाल दशोरा सदस्य, श्री संपतमल जी माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग व श्री सम्पत लाल जी जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने यही निष्कर्ष निकाल कर दिया है कि यदि एक रु. प्रति वर्ग फीट से अधिक किसी भी कीमत पर इस भूमि को अवाप्त किया जाता है, तो 2/- रु० प्रति वर्ग फीट की दशा में 10 लाख 9 हजार का नुकसान होगा।"

मैं निवेदन करूंगा कि यू० आई० टी० की टैक्नीकल कमेटी की प्रोसिडिंग्स हैं। इसमें यह कहा गया है कि एक रु० प्रति वर्ग फीट से ज्यादा किसी भी कीमत पर भूमि को अवाप्त किया जाता है तो वह नुकसान की बात होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में दो प्रश्न पिछली विधान सभा में पेश हुए। एक तो यू. आई टी इसको अवाप्त करना चाहती है। दूसरा, इसके लिए विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक आन्दोलन किया कि यह भूमि, यू० आई० टी० को देना ठीक नहीं है और इसको विश्वविद्यालय के विस्तार के लिये दिया जाये। इसको आर्थिक लाभ के लिये प्लाट काट कर देना ठीक नहीं है। क्या विश्वविद्यालय की आपत्ति पर मंत्री महोदय ने कहा कि अवाप्ति की कार्यवाही कर रहे हैं और केवल कलेक्टर की टिप्पणी बाकी है? अब क्या नगर विकास न्यास इसको अवाप्त करना चाहता है? विश्वविद्यालय के लिये अवाप्त करनी चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरे से प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न को आप देख लें, बहुत खुलकर उत्तर दिया है, खुलकर टू दी पाइन्ट बात कही है। दूसरी बात पूछना चाहते हैं तो दूसरे ढंग से पूछें।

श्री सी० पी० जोशी : भाग चार में साफ पूछा है कि यदि हां, तो क्या

Page No 11

(11)

(श्री सी.पी. जोशी)

नगर विकास न्यास सार्वजनिक हित में लाभ मिले या प्राइवेट पार्टी को लाभ मिले। इसमें एक करोड़ का प्रॉफिट निहित है। किसी विश्वविद्यालय के लिये भूमि अवाप्त करना ज्यादा महत्व का है या एक पार्टी को, एक ट्रस्ट को एक करोड़ का प्रॉफिट देने के लिये प्लाट काटने के लिये भूमि अवाप्त करना चाहते हैं। आप अपनी नीति स्पष्ट करें कि क्या उदयपुर विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन करने के लिए यह उपयुक्त जमीन अवाप्त करेगी या सरकार इसको यू० आई० टी० को देने के लिये अवाप्त करेगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : किसी को एक करोड़ का प्रॉफिट देने का प्रश्न नहीं है। मैंने सही निवेदन किया है कि योजना आयी नहीं है। यू० आई० टी० योजना भेजेगी, उसके बाद ही यह प्रश्न उठेगा। साफ लिख दिया है कि भूमि अवाप्त कर रहे हैं एवं योजना बनाने के निर्देश दे दिये गये हैं...

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार की मन्शा है कि विश्वविद्यालय ने जिस भूमि की मांग की है वह भूमि विश्वविद्यालय को दी जाय और अवाप्ति की कार्यवाही के संबंध में यू० आई० टी० को नहीं दी जाय ?

मुख्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो यह पूछा है कि किसी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलना चाहिये, वह समाप्त हो चुका है। अब सवाल यह है कि यू० आई० टी० को देकर विकास किसी योजना के तहत किया जाय या विश्वविद्यालय को दी जाय ? यह इस मामले को देख कर निर्णय लिया जायगा। आज की तारीख में, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना, अगर लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही यू० आई० टी० की स्कीम के आधार पर की जायगी और नगर का विकास करना है, तो विश्वविद्यालय को जमीन नहीं मिलेगी। और एक्वीजिशन विश्वविद्यालय के नाम पर करते हैं तो विश्वविद्यालय को मिल जायेगी। इसलिये गवर्नमेन्ट को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किस परपज के लिये एक्वीजिशन की जानी है ?

श्री शिवचरण माथुर : दोनों की आवश्यकताओं को देखते हुए जो उचित होगा, उस पर निर्णय लिया जायगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उस जमीन पर दो सौ प्लाट्स ऑलरेडी बेचे जा चुके हैं। उनका पैसा ले लिया है, लोगों की रजिस्ट्रियां हो गई हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे ? 16 रु० फीट, 12 रु० फीट के पैसे ले लिये हैं। मेरी जानकारी में 182 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, उस स्थिति में क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया इस संबंध में नगर विकास न्यास की तरफ से 40 विज्ञापन दिये जा चुके हैं कि इस जमीन को अधिग्रहण करने की योजना बन रही है। अगर कोई खरीदेगा तो गैर कानूनी होगा। कोई कन्स्ट्रक्शन नहीं करने दिया जायेगा, केवल जो पुराने मकान बने हुए हैं उनको छोड़ कर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में लैंड एक्वीजिशन के नोटिस दे दिये, सरकार का कब्जा हो गया, उसके बाद लोगों ने अनधिकृत रूप से मकान बना लिये, निर्माण कर लिये, उनका नियमन करने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय नेता मुख्य मंत्री रह चुके हैं। मैं समझता हूं वे जानते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर किस समय दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

चम्पा बाग का प्रश्न है और बात कर रहे हैं, जयपुर की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चम्पा बाग की जमीन में यह बहाना ले लिया कि हमने सात बार अखबारों में बीसों विज्ञापन दे दिये कि एक्वीजिशन की कार्यवाही हो रही है, लोग कान्विज नहीं हों। उसके विपरीत जयपुर में लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही हो चुकी है। जमीन सरकार में वेस्ट है, उसमें अनधिकृत निर्माण हो गया, उसको रेगूलेराइज करने की कार्यवाही की जा रही है, उसको एनक्रोचमेन्ट नहीं मानते। इसलिये मुख्य मंत्रीजी आप इसको डील करें, नहीं तो ये आपको भी डुबोयेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उच्च स्तर के व्यक्ति हैं, उन्हें उसी स्तर की बात करनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उच्च स्तर की बात करता हूं या नहीं, आपने एक महीने में उच्च स्तर की कई बातें की हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुख्य मंत्रीजी ने पहले ही कहा है कि आप जो समस्यायें उलझाकर छोड़ गये हैं, उनको हल करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री सी०पी० जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा चम्पा बाग की जमीन के बारे में प्रश्न स्पष्ट है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें कि जमीन विश्वविद्यालय को दी जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह प्रश्न पहले पूछ लिया और मुख्य मंत्रीजी ने उत्तर भी दे दिया, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमेंट यह चाहूंगा कि जो स्थिति जयपुर में पैदा हुई ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : जब यू० आई० टी० द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है, इसलिये मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार उस जमीन पर जो अवैध निर्माण हो गये हैं, उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

(श्री अध्यक्ष)

श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल केवल जानकारी के नाते, केवल एक····

श्री अध्यक्ष : केवल एक ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इसका एक्वोजिशन हाउसिंग बोर्ड के लिये या शिक्षा विभाग के लिए होगा । एक ओर माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 40 विज्ञापन दिये गये हैं और दूसरी तरफ अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है । इसका मतलब यह होगा कि जमीन विश्वविद्यालय को नहीं दी जायेगी, कौनसी बात सही है ? इन दोनों में विरोधाभास है ।

श्री शिवचरण माथुर : कोई विरोधाभास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री दाऊदयाल जोशी ।

जिला कोटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

119. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कोटा में कहां कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं ? उन स्वास्थ्य केन्द्रों पर किस-किस पद पर कितनी नियुक्तियां हैं ?

(2) क्या जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूरा स्टाफ कार्यरत है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से पद कहां-कहां कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? इन पदों की पूर्ति नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) जिले के इन स्वास्थ्य केन्द्रों में से किन-किन स्वास्थ्य केन्द्रों पर कौन-कौन से वाहन आवंटित किये हुए हैं ? उनमें से कितने वाहन गतिशील हैं और कितने अवरुद्ध हैं व क्यों एवं कब से ? इन वाहनों पर कुल कितना व्यय किन-किन मदों पर स्वीकृत है ? स्वीकृत मदों में से गत एक वर्ष से कितनी-कितनी धनराशि किस कार्य हेतु व्यय की गई ?

(4) प्रत्येक केन्द्र पर कितना व्यय औषधियों पर एवं कितना सम्पूर्ण स्टाफ पर होता है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री सी. एल. कंवरिया) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । रिक्त पदों की सूची संलग्न है । रिक्त पदों की पूर्ति नहीं करने की विवरण तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) वाहनों की संबंधित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) कोटा के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मय उपकेन्द्र के वर्ष 1980-81 में औसतन औषधियों पर 32,000/–रु० तथा स्टाफ पर 1,43,435/–रु० का व्यय हुआ है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा में स्थिति यह है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 18 में से 10 में पिछले चार सालों

Page No 14

(14)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

से डाक्टर नहीं है। मण्डावरा विलेज में दो डाक्टर दो साल से नहीं हैं। मेरा निवेदन है 32 हजार की दवाइयां खरीद लीं। आठ में से चार डाक्टर, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का दम भरने वाले मुख्य मंत्रीजी, चार साल से नहीं हैं।

(व्यवधान)

मण्डावरा में दो साल से दो डाक्टर नहीं है। मण्डावरा में डाक्टर नहीं है, मेल नर्स नहीं है। जब स्वास्थ्य निरीक्षिका नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, तो वहां पर इन 6 महीनों में 6600/- रु० का पैट्रोल किस के उपयोग में आया ?

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : इतने साल आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रहा था क्या, जो आज पूछ रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सी. एल. कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, ये जो रिक्त पद आपने बताये हैं विभिन्न पेरा मेडिकल स्टाफ के, उसके कारण संलग्न सूची में दिये गये हैं। सी० ए० एस० के 10 पद रिक्त हैं। पहले एडहॉक नियुक्तियां पर बैन लगा हुआ था, अब हटा दिया गया है। और एडहॉक नियुक्तियां की जा रही हैं। 300 डाक्टरों की कमी है, उसमें से 34 डाक्टरों की नियुक्ति कर दी गई हैं। बाकी डाक्टरों की नियुक्ति इस माह के अंत तक कर दी जाएगी, ऐसी आशा है। मेल नर्सेज, दूसरी नर्सेज और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण उनकी पूर्ति नहीं हुई है। ज्योंही प्रशिक्षण से ये लोग निकलेंगे स्टाफ नर्स आदि, इनको भी नियुक्ति दे दी जायगी। वाहन चालक...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री दाऊदयाल जोशी : मण्डावरा में 9657 नंबर की जीप चलती है। वहां पर डाक्टर की नियुक्ति नहीं है। मैंने पूछा था कि 1980-81 में कितना रुपया पैट्रोल पर और जीप की मरम्मत पर खर्च हुआ ? आपने जवाब दिया है 4 हजार रुपया पैट्रोल और दो हजार रुपया मरम्मत पर खर्च हुआ। आगे मैंने पूछा है कि अप्रेल, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक कितना खर्च हुआ ? उसका जवाब आया है पैट्रोल पर 4200/- और जो मरम्मत पर 2400/-। जब वहां डाक्टर ही नहीं है, कम्पाउण्डर ही नहीं है, स्वास्थ्य निरीक्षिका नहीं है, किसी प्रकार का स्टाफ नहीं है, तो 1981 में पैट्रोल किसके उपयोग में आया ? गाड़ी कौन चलाता है, किसके लिये है ?

श्री सी. एल. कंवरिया : ये जो स्थान रिक्त बताये हैं, वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हैं। जो पद रिक्त हैं, वे पार्शियल हैं, कुछ स्टाफ है भी, तो टोटल जिले के पद रिक्त बताये हैं, इसका मतलब यह नहीं कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बिलकुल खाली पड़ा है। वहां पी० एच० सी० चलता है और उस पर खर्च होता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं केवल पी० एच० सी० मंडावरा के लिये पूछ रहा हूं। जीप का उपयोग कौन करता है और किसका अधिकार है ?

श्री सी. एल. कंवरिया : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडावरा में जो डाक्टर है उसका ... (व्यवधान) सी० एम० एच० ओ० के अधिकार होते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : डाक्टर है ही नहीं।

श्री सी. एल. कंवरिया : सी० एम० एच० ओ० के अधिकार हैं।

अनेक माननीय सदस्य : वहां कौन डाक्टर है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री सी. एल. कंवरिया : स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई न कोई डाक्टर होता है ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : जीप का उपयोग कौन कर सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ? किसको अधिकार है ?

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय.........

श्री दाऊदयाल जोशी : छोगाराम जी, आप न मंत्री हैं न बनेंगे ही । आप छोगालाल नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अन्य किसी अवसर पर पूछ लेना ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं तो एक ही प्रश्न कर रहा हूं, उसके बाद बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष : शांत रहे तो मंत्री महोदय भी सुन सकें। आप भी अपनी बात अच्छी तरह से कह सकेंगे । केवल एक प्रश्न की इजाजत दूंगा ।

श्री राजबहादुर : 'पाइंट ऑफ ऑर्डर'।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता ।

श्री राजबहादुर : माननीय सदस्य के लिये कुछ शब्द कहे गये ।

श्री अध्यक्ष : माइक के नजदीक होकर बोलें ।

श्री राजबहादुर : मैं वह शब्द दोहराना नहीं चाहता, ऐसे शब्द इस्तेमाल किये गये जो सदन में नहीं कहने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं कार्यवाही देख लूंगा और यदि कोई असंसदीय अथवा अपशब्द कहे गये हैं, तो कार्यवाही से निकाल देंगे । श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तालिका दी गई है, उसमें मंडावर में पी०एच०सी० पर जो जीप है, उस पर 6 हजार का खर्चा 1980-81 में हुआ बताया है, 6600/- का खर्चा 1981-82 में हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : सूची में ये बातें कही हैं कि ये पद रिक्त हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है, कम्पाउन्डर भी नहीं है, मेल नर्स नहीं है, स्टाफ नर्स भी नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि इन सबके नहीं होते हुये भी जीप किसने चलाई, खर्चा किसने किया ? अगर गलत लोगों ने खर्च किया, तो उनके खिलाफ इन्क्वायरी करके दंड देंगे ?

श्री सी. एल. कंवरिया : जिले का सी० एम० एच० ओ० होता है, उसको जीप इस्तेमाल करने का अधिकार होता है । कई

Page No 16

(16)

(श्री सी. एल. कंबरिया)

ऐसे स्थान होते हैं, जहां सी० एम० एच० ग्रो० स्वास्थ्य केन्द्र की गाड़ी को इस्तेमाल करता है। किसी भी सी० एम० एच० ग्रो० को अधिकार है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उनके पास तीन गाड़ियां पहले ही हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : गत दो साल में सी० एम० एच० ग्रो० को तीन गाड़ियां अलॉट की हुई हैं ...

श्री अध्यक्ष : विषयांतर हो रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय उनको बचा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, ऑर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : आज तक किसने वहां गाड़ी चलाई, उसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : मंत्री महोदय छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आश्वासन तो दें कि इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस प्रश्न को आधा घण्टे की चर्चा में लिया जाय, लिखकर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री छोगाराम बकोलिया।

सूकली मध्यम सिंचाई योजना

120. श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सूकली मध्यम सिंचाई योजना सेलवाड़ा जिला सिरोही वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह योजना पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र विचाराधीन योजना है ?

(3) इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(4) राज्य सरकार यह योजना कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री गोविंदसिंह गुर्जर) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) योजना का आंकलन योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। केन्द्र जल आयोग से प्रस्तुत आंकलन पर टिप्पणी हुई थी। उपरोक्त टिप्पणियों के अनुसार आंकलन का संशोधन किया जाकर संशोधित आंकलन पुन: केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(4) सूकली सिंचाई योजना का निर्माण कार्य योजना आयोग द्वारा योजना की तकनीकी एवं राज्य सरकार को वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् प्रारंभ किया जा सकेगा।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सूकली स्कीम जो कि पिछले ३० वर्षों से राज्य सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और अब वह सेन्ट्रल वाटर कमीशन के पास है, तो क्या राज्य सरकार अपने यहां से स्पेशल टीम भेज कर उसकी सेंक्शन तुरन्त लेकर आने की कोई व्यवस्था करेगी ? अध्यक्ष महोदय, इसके चालू हो जाने से करीब दस-हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। यह अनुसूचित जाति के लोगों का एरिया और इसका बहुत अधिक लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को होने वाला है। यह पांच करोड़ की स्कीम है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सूकली सिंचाई योजना एक मध्यम सिंचाई योजना है इससे 1100 लाख घन फीट-भराव का जलाशय बनाया जायेगा। इस जलाशय से लगभग 3398 हैक्टेयर क्षेत्र की नहर द्वारा सिंचाई की जावेगी। इससे करीब 12 गांवों को लाभ होगा। यह योजना छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित की गयी थी, लेकिन योजना आयोग ने विचार विमर्श के दौरान इस योजना की कटौती कर दी और इसको छठी पंचवर्षीय जयोना में सम्मिलित नहीं किया गया है। सूकली सिंचाई योजना अब योजना आयोग की स्वीकृति के पश्चात् छठी योजना के बाद ही लिये जाने की सम्भावना है।

श्री छोगाराम बकोलिया : मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार के पास राजस्थान सरकार के माध्यम से मंत्री महोदय अपने स्तर पर कोशिश करें। यह योजना पहले से ही योजना आयोग के अण्डर कन्सीडरेशन में चल रही है। मेरा निवेदन है कि सिंचाई मंत्री इसके लिये विशेष रूप से पैरवी करें ताकि यह योजना चालू हो सकें।

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, विशेष पैरवी करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इसको पहले छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये लिया गया, पर सेन्ट्रल वाटर कमीशन और प्लानिंग कमीशन के विचार विमर्श के बाद इस सूकली स्कीम को छठी पंचवर्षीय योजना में लिये जाने की असमर्थता प्रकट की गई। इस योजना पर राज्य सरकार का ध्यान है। जब भी कोई योजना ली जाती है, तो उस पर विचार विमर्श होने के बाद स्वीकृति होती है और उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से सेंक्शन होती है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट से सेंक्शन होती है अर्थाभाव के कारण इसको छठी पंचवर्षीय योजना में नहीं लिया जा सका है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भंवर लाल शर्मा।

जौहरी बाजार जयपुर में चोरी की घटनायें

121. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 मार्च, 1980 से 31 अगस्त, 1981 तक जौहरी बाजार, जयपुर में कितनी चोरियां हुई ? जिनमें कितनी धन हानि हुई ? इनमें से कितनी चोरियां बरामद हुई ? शेष की क्या स्थिति है ?

(2) क्या दिनांक 31 अगस्त व 1 सितम्बर, 1981 के बीच बहुत बड़ी राशि की जौहरी बाजार, जयपुर में कोई चोरी हुई थी ? यह स्थान किस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा उस थाने से यह स्थल कितनी दूरी पर है ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) इस चोरी की घटना की सूचना पुलिस को किस दिन व किस समय हुई तथा इन्चार्ज मौके पर किस समय पहुंचे ?

(4) इस चोरी को बरामद करने के लिये पुलिस ने क्या कार्यवाही की तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) 18 माह की अवधि में कुल 44 नकबजनी व चोरी की घटनायें हुईं, जिनमें 5,46,818 रुपये की सम्पत्ति चोरी गयी । इनमें से 3,33,117 रुपये की चोरियों को बरामद कर लिया गया है। शेष अभियोगों में अभियुक्तों का कोई पता नहीं लगा है, तलाश जारी है ।

(2) जी हां । यह स्थान थाना माणक चौक के अधिकार क्षेत्र में आता है । घटना स्थल से थाने की दूरी करीब एक फर्लांग है ।

(3) घटना की सूचना पुलिस थाने में दिनांक 1-9-81 को प्रात: 9-30 बजे मिली । थाना अधिकारी मौके पर तत्काल प्रात: 9 बज कर 45 मिनट पर पहुंच गये ।

(4) इस नकबजनी में लिप्त गिरोह के चार व्यक्तियों को पुलिस द्वारा दिनांक 13-9-81 को गिरफ्तार कर कुछ माल भी बरामद किया गया है । बाकी माल बरामदगी के प्रयत्न जारी हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जौहरी बाजार, जो कि मेन मार्केट है, में इतनी चोरियां हुई हैं, उसमें से कितने माल की बरामदगी हुई । दूसरे क्या यह सही है कि थाना इन्चार्ज माणक चौक को 1-9-81 को जब इत्तला सवा नौ बजे मिल गई, तो साढ़े दस बजे तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचे तो लोगों में असन्तोष फैला और वह बाजार इसके विरोध में बन्द हो गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक दूसरे सवाल का प्रश्न है, मैं पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा । अध्यक्ष महोदय, 9 बजे पुलिस हैडक्वार्टर माणक चौक में रिपोर्ट हुई । दुकान के मालिक के पास वहां पर जो दुकान के पास प्याऊ है, वहां का पानी पिलाने वाला दुकानदार के घर पर गया और इत्तला की कि चोरी हो गई है, तो दुकानदार वहां से 9 बजे थाने में गये और वहां पर एफ० आई० आर० दर्ज करायी । स्वाभाविक है कि रिपोर्ट लिखने में दस पन्द्रह मिनट लगते हैं और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वहां से 9.45 बजे पुलिस मौके पर पहुंची । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सवा दस बजे पुलिस वहां पर पहुंची । इसमें सिर्फ आधे घंटे का फर्क है । मेरे जवाब में और माननीय सदस्य के प्रश्न में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, कोई 5-6 घंटे का फर्क नहीं है । आप कहते हैं, उसके अनुसार आधे घंटे का फर्क है । हां, अलबत्ता यह बात जरूर है कि आप वहां पर जरूर पहुंच गये थे । आप वहां पर शराब बन्दी के जुलूस में भाग ले रहे थे । आपने वहां पर चोरी हुई देखकर उसका राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश की । आपने वहां पर लोगों को शामिल करके दुकानें बंद करा दीं, बाजार बन्द करा दिया । अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 2700

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रुपये की चोरी है। जहां तक दूसरी चोरियों का सवाल है, जौहरी बाजार क्षेत्र में 44 नकबजनी हुई हैं। इसमें जेब कटना, साइकिल चोरी, स्कूटर चोरी तथा और चोरियां हुई हैं। उसकी कीमत कुल दो लाख 74 हजार 679 रुपये है और बरामदगी भी एक लाख 88 हजार रुपये की हुई है। जितनी भी चोरियां हुई हैं चाहे आप उन्हें जेब कटी कह दें, चाहे मोटर साइकिलों की, सुवेगा की और साइकिल की चोरी कहें और भी चोरियां हैं। मैंने शुरू में ही कर दिया था कि 44 नकबजनी हुई।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि आपने बाजार बन्द करवा दिया। क्या उनको जानकारी नहीं है कि जब चोरी हुई और पुलिस नहीं पहुंची तब तक वहां पर व्यापार उद्योग मण्डल के अध्यक्ष और दूसरे लोग पहुंच गये। वहां पर लोगों में बहुत असंतोष हो गया था। उन्होंने वहां पर मीटिंग की और यह निर्णय किया कि बाजार बन्द किया जाय। यह तो आपकी पुलिस की निष्क्रियता पर वहां जो हजारों लोग इकट्ठे हो गये थे, उन्होंने विरोध स्वरूप यह किया। आप बेकार राजनैतिक रूप देने की बात कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, यह बात सही है कि वहां पर उद्योग मण्डल वाले पहुंचे होंगे और पहुंचने का उनका कर्त्तव्य भी था, लेकिन आप जुलूस में थे। मुझे कोई हर्ज नहीं है कि आप वहां पर क्यों पहुंचे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): काहे का जुलूस था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : शराब बन्दी का। मुझे गुरेज नहीं।

श्री अध्यक्ष : इनका यह कहना है कि डाक्टर उजला अरोड़ा का नाम क्यों नहीं लिया कि यह भी जुलूस में थीं ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यों तो वहां पर पुष्पा जैन भी थीं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन खुद इन्होंने ने मुझे निमन्त्रण दिया। इन्होंने कहा कि मैं उस दिन नशाबन्दी के जुलूस में भाग ले रही थी, यह सही नहीं है। मैं तो उस वक्त पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें आ रही थी। लेकिन जब मैं उधर से निकल रही थी, उस वक्त मैंने वहां पर बहुत बड़ा हुजूम देखा, जो वहां पर इकट्ठा हुआ था। उन्होंने मुझे देखा, तो मुझे उन्होंने रोका और मुझे बताया ठीक नौ बजे हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गये। वहां जाने पर बताया गया कि थाना इन्चार्ज तो बीमार है और दूसरा जो थानेदार था उसने कहा कि मैं शेव बना रहा हूं, शेव बनाने के बाद चलूंगा। बड़े शर्म की बात है कि आप अपनी पुलिस की निष्क्रियता को छिपा रहे हैं और हमारे ऊपर पॉलिटिक्स लाने का जामा पहिना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार में चोरियां

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हुई, चोरियां मेरे इलाके में हुई और निरन्तर इस तरह की चोरियां हो रही हैं, तो लोगों में उत्तेजना फैलना स्वाभाविक है। थानेदार की आप चाल देखिये कि हर चोरी से दो घंटे पहले छुट्टी पर चले जाते हैं। चार चोरियों में दो घंटे पहले वह छुट्टी पर जाते हैं और यहां पर मंत्री महोदय राजनीति की बातें करते हैं। एक वफादार पहरेदार की तरह से हम कुत्ते को पालते हैं, उसको रोटी डालते हैं और वह भी कभी चोर आता है, तो भौंकता है। यह थाने फिर किसलिए रखे हुए हैं, जो काम नहीं करते? इनको निलम्बित क्यों नहीं करते...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको कोई न कोई इन्तजाम करना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य.......

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहूंगी कि.....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चाहे कोई किसी को लूट ले, चाहे कोई किसी की मोटर साइकिल उठा ले जाय, कोई किसी की जीप उठाकर ले जायें फिर यह थाने क्या करते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह सब बातें शराब से होती हैं। क्यों नहीं शराब बन्द कर देते, क्यों नहीं थाने खतम कर देते? बैठे हुए हंसते हैं। अपनी अकर्मण्यता पर हंसते हैं।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : शराब बंदी बीच में कहां से आ गयी? आप तो पुलिस को ठीक करना चाहती हैं, फिर शराबबंदी को कैसे बीच में लाते हैं। चोरियों को खतम करना चाहते हैं, गुण्डागर्दी को खत्म करना चाहते हैं, तो फिर शराब बन्दी बीच में कहां से आ गयी?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बताती हूं...

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : हम चाहते हैं कि चोरियां रुकें और गुण्डागर्दी रुके, लेकिन शराब बंदी क्यों रुके?

(व्यवधान)

आप यह चाहते हैं कि हमारे सामने लोग पीकर आयें, आप यह चाहती हैं कि घर-घर शराब में शराब बने। आप चाहते हैं कि शराब पिलाई जाये.......

(व्यवधान)

पुलिस वालों को आपने आगे रखा......

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस थाने के थानेदार ने शराब पी करके....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

Page No 21

(21)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीयवर, मुझे अवसर देने दीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा: यह पुलिस को ठीक ही नहीं करना चाहती हैं। शराब बन्दी करना चाहती हैं, इसलिये यहां शराबबंदी का शोर मचाती हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट की है कि शराब बंदी ठीक तरह से लागू नहीं कर सके इसलिये समाप्त की गयी और इसीलिये शराबबंदी समाप्त करने का अध्यादेश लाये हैं। मैंने यह कहा है कि हम अपनी असमर्थता के कारण अब शराबबंदी जैसी लोकहितकारी बिल ला सकते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि यह थाने क्यों अकर्मण्य बैठे हैं ? क्यों नहीं इनको खत्म कर देते ? मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों नहीं एक कानून बनाते ? क्यों नहीं थानों को खत्म कर देते ? इसके ऊपर हमारा खर्चा होता है, इनकी वर्दी पर खर्चा होता है, इनको पेमेन्ट करने पर खर्चा होता है। थाने आपके सहयोग के लिए हैं और यह हमारे लिए इतना काम नहीं कर सकते....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये

श्रीमती उजला अरोड़ा : थानेदार दो घंटे पहले छुट्टी लेकर चला जाता है और थाने के नाक के नीचे चोरी हुई है। थाने में सरदारों की बारात को पीटा गया है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

(व्यवधान)

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा : जरा आहिस्ता बोलिये, कुछ समझ में नहीं आता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

(व्यवधान)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 125 है, आप एक बार देख लीजिये नजर तो डालिये..

श्री अध्यक्ष : यह मामले कई दफा आते रहते हैं। माननीय सदस्य अन्य तरीके से उठा सकते हैं। जिस प्रश्न को पुकारा नहीं गया है, उसको नहीं ले सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 22

(22)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, 18 मामलों की सूची सरकार ने दी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, चर्चा नहीं होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपसे निवेदन करूंगा ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, आसन पैरों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण मसले अन्य तरीकों से भी उठाये जा सकते हैं। उन पर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान स्टेट टेनेरीज टोंक

79. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान स्टेट टेनेरीज, टोंक में सन् 1980-81, 1981-82 में मासिक उत्पादन कितना-कितना हुआ है तथा कितना कितना माल किस-किस फर्म को किस-किस दर से बेचा गया है एवं कहां कहां से कितना कितना माल किस-किस दर से कब-कब खरीदा गया है? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान स्टेट टेनेरीज लि० टोंक में वर्ष 80-81, 81-82 में हुए मासिक उत्पादन का विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है तथा इन वर्षों में कितना कितना माल किस किस फर्म को किस किस दर पर बेचा गया है का विवरण परिशिष्ट "ब" में दर्शाया गया है। कहां कहां से कितना कितना माल किस किस दर से कब कब खरीदा गया था विवरण परिशिष्ट "स" में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

ग्राम कटराथल–दौलतपुरा (सीकर) के ग्रामों की सम्मिलित योजनायें

81. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला सीकर के कटराथल-दौलतपुरा गांवों की सम्मिलित योजनाएं हैं?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में एक गांव को दो भागों में बांटा गया था?

(3) क्या उक्त ग्रामों में लगभग सरकारी औषधालय, विद्यालय आदि सभी दौलतपुरा के राजस्व के अन्तर्गत आते हैं और इनका नाम कटराथल के नाम से है? यदि हां, तो क्या सरकार कटराथल-दौलतपुरा दोनों गांवों में पृथक् पृथक् सुविधाएं देगी? यदि नहीं, तो क्या दौलतपुरा की राजस्व भूमि में अवस्थित विद्यालय एवं औषधालय भवन को दौलतपुरा के नाम से करेगी?

उत्तर

(1) कटराथल एवं दौलतपुरा भिन्न-भिन्न राजस्व ग्राम होने के उपरान्त भी

(सामुदायिक विकास मंत्री)

एक दूसरे के समीपवर्ती ग्राम हैं तथा एक पूर्व राजस्व ग्राम के दो टुकड़े हैं। इनकी आबादी भी साथ मिली हुई है। फलतः इन दोनों ग्रामों के लिये स्कूल औषधालय की सुविधा भी सम्मिलित की गई है।

(2) गत भू-माप के समय से पूर्व दौलतपुरा कटराथल एक ही राजस्व ग्राम मे था परन्तु 1940-41 में इस राजस्व ग्राम को दो अलग अलग ग्रामों में अर्थात् दौलतपुरा एवं कटराथल के नामों से पुरानी सर्वेशीट में लाल रेखा से विभाजित करना अंकित है। उस समय से ही दोनों अलग-अलग ग्राम राजस्व माने जाते हैं।

(3) जी हां। वर्तमान व्यवस्था में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं किया जा रहा है। अतः वर्तमान व्यवस्था ही कायम रखी जा रही है।

उप-अधीक्षक बीकानेर के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

82. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर के सी० ओ० (दक्षिण) उप-अधीक्षक पुलिस, श्री सुल्तानसिंह के विरुद्ध कितनी शिकायतें विचाराधीन हैं ?

(2) अब तक इन शिकायतों पर जांच करके क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस समय तीन शिकायतें विचाराधीन हैं।

(2) अभी शिकायतों की जांच जारी है, जांच सम्पूर्ण होने से पूर्व कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों पर नियन्त्रण

83. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरिजनों पर दिनोदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं ? इन्हें समाप्त करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

(2) राज्य में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध किस जिले में किस-किस प्रकार के कितने मुकदमें गत एक वर्ष में दर्ज हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस वर्ष की प्रथम छमाही में पूर्व की छमाही की अपेक्षा अपराधों में गिरावट आई है। हरिजनों पर अत्याचार रोकने हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। प्रत्येक उप खंड पर रेवेन्यू कम पुलिस सैल की स्थापना की जा चुकी है। हरिजन अत्याचार संबंधी मामले को स्पेशल रिपोर्ट केस घोषित किया जा चुका है, तथा इनका रिव्यू जिला स्तर, राज्य स्तर पर किया जाता है। पीड़ित हरिजनों को आर्थिक सहायता देना आदि प्रमुख उपाय है।

(2) सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

Page No 24

(24)

कोटा से श्योपुर एवं ग्वालियर वाया खातौली सीधी बस सेवा

84. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा से श्योपुर तथा ग्वालियर वाया खातौली-श्योपुर के लिये सीधी बसेज चलाने की सरकार की योजना है ?

(2) यदि हां, तो उक्त रूट पर अभी तक बसेज नहीं चलाने का क्या कारण है ?

(3) सरकार उक्त रूट पर बसेज चलाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है तथा उक्त रूट पर कब तक बसें चला दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) बसें चलाना दोनों राज्यों के पारस्परिक समझौते पर निर्भर करता है।

प्रतापगढ़ से नई बस सेवायें चालू करना

85. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रतापगढ़ से कहां कहां नई बस सेवा चलाने के प्रस्ताव कब से राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ? विचाराधीन प्रस्तावों को लागू करने में क्या कठिनाई उपस्थित हो रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार अनुबंधित बसों को लगाकर प्रस्ताव का समाधान करना चाहती है ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा प्रतापगढ़ से निम्न मार्गों पर बसें चलाने के लिए राष्ट्रीयकरण की योजनाएं मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68-ग के अन्तर्गत उनके सामने अंकित तिथियों को प्रकाशित की है :-

1.	प्रतापगढ़–धरियावद	13.4.79
2.	बांसवाडा-प्रतापगढ़ वाया धरियावद	13.4.79
3.	प्रतापगढ़–जालन्दरखेडा	13.4.79
4.	प्रतापगढ़–अरनोद	13.4.79
5.	प्रतापगढ़-राजपुरिया	13.4.79
6.	प्रतापगढ़--चितौडगढ़ वाया छोटी सादड़ी	21.1.80
7.	प्रतापगढ़–बांसवाडा वाया सेनवाला	21.1.80

उक्त सभी योजनाओं पर राज्य सरकार के संयुक्त विधि परामर्शी के समक्ष आपत्तियों की सुनवाई की कार्यवाही चल रही है। संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा योजनाओं के अनुमोदन पश्चात् राज्य सरकार द्वारा मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 68-घ (3) के अन्तर्गत इन योजनाओं के राजपत्र में प्रकाशन पश्चात् ही निगम द्वारा वाहन संचालन संभव होगा।

(परिवहन मंत्री)

(2) जी नहीं। निगम द्वारा निजी वाहनों को अनुबंध पर लेकर केवल राष्ट्रीयकृत मार्गों पर ही चलाया जाता है। अतः जब तक इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण (प्रश्न के भाग 1 में वर्णित प्रक्रियानुसार) नहीं हो जाता तब तक अनुबंधित बसों का संचालन भी संभव नहीं है।

नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान राशि

86. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विभाग द्वारा सन् 1980-81 में किन-किन नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान राशि कब-कब व कितनी-कितनी दी गई ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जिन नगरपालिकाओं को वर्ष 1980-81 में विशेष अनुदान दिया गया है उस राशि का विवरण मय तिथि सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

ग्राम कोलीड़ा, सीकर में चिकित्सा सुविधा

88. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील सीकर के ग्राम कोलीड़ा की 1981 की जनगणना के हिसाब से कितनी जनसंख्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जनसंख्या के हिसाब से वहां कोई भी आयुर्वेदिक औषधालय एवं अन्य चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है ?

(3) क्या सरकार इस ग्राम में कोई औषधालय अथवा डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार ग्राम कोलीड़ा तहसील की जनसंख्या 5849 है।

(2) जी हां।

(3) नई डिस्पेन्सरियां खोलते समय अन्य प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

आयुर्वेदिक निदेशालय में विधि सहायक का पद

89. श्री सोहनलाल बंशीवाल (दौसा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के कार्यालय में विधि सहायक का एक नया पद योजना मद में सृजित हुआ है ?

(2) यदि हां, तो यह पद कब किस सेवा वर्ग के अन्तर्गत सृजित हुआ और अब तक खाली क्यों रखा जा रहा है तथा अब कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) यह पद जुलाई, 1981 में, राजस्थान विधि सेवा के अन्तर्गत सृजित हुआ है । इस पद के सृजन में जो वेतन श्रृंखला दिखाई गई थी वह जो साधारणतया होती है उसमें असंगति थी । इस असंगति को दूर किया जा रहा है इसके उपरान्त ही पद को भरना सम्भव होगा ।

जयपुर की विभिन्न डिस्पेन्सरीज में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों का पदस्थापन

91. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या जयपुर की मोती कटला, जाजू, गांधी नगर, सांगानेर व सेठी कालोनी डिस्पेन्सरीज में मेडिसन, गायनाकालोजी, सर्जरी व बाल विशेषज्ञों की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त स्थानों पर रोग निदान लेबोरेटरी तथा एक्सरे की विशेष व्यवस्था करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल व सवाई मानसिंह अस्पताल में उक्त व्यवस्था से वर्कलोड घट सकता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

वित्तीय प्रावधान के अभाव में विचार नहीं रखती है ।

(2) जी हां । सेठी कालोनी को छोड़कर ।

(3) सम्भवतः ।

जनाना अस्पताल जयपुर में रोगी शैयाओं में अभिवृद्धि

92. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर के जनाना अस्पताल में कुल कितने वार्ड हैं और कुल कितने रोगियों के लिये शैयायें उपलब्ध हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस अस्पताल के रोगी रजिस्टर्स के आधार पर गत तीन माह में कितने रोगियों की भर्ती की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जनाना अस्पताल, जयपुर को स्थान की कमी की दिक्कत को समाप्त करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर के जनाना अस्पताल में कुल 35 वार्ड तथा 2 आपरेशन थियेटर एवं कुल 416 शैयाएं हैं। विवरण संलग्न दर्शाया गया है ।

(2) इस अस्पताल में पिछले तीन माह में कुल 7576 रोगियों को भर्ती किया गया । सूची देना सम्भव नहीं है ।

(3) जयपुर की जनसंख्या को देखते हुए यह अनुभव तो किया जा रहा है कि जनाना

(चिकित्सा मंत्री)

अस्पताल जयपुर नगर में और शैयाएं बढ़ानी चाहिए। प्रावधानों की सीमा को देखते हुए अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सरपंच ग्राम पंचायत इटावा (कोटा) के विरुद्ध शिकायतें

93. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा के सरपंच के विरुद्ध वहां के पंचों तथा नागरिकों ने समय समय पर उच्च अधिकारियों को शिकायतें की हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त सरपंच के विरुद्ध जिला स्तर पर प्रारम्भिक जांच की जा रही है और सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरपंच का उत्तर प्राप्त होने पर एवं प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत इटावा (कोटा) की आय

94. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत इटावा, जिला कोटा की वर्ष 1980-81 में कुल कितनी आमदनी किन-किन साधनों से हुई उसे किस प्रकार खर्च किया गया ? कृपया विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मंडी में आने वाले अनाज की आय तथा उसी हिसाब से ग्राम पंचायत को होने वाली चुंगी की आय में भारी अन्तर है, जिससे स्पष्ट है कि चुंगी आय में अनियमितताएं हुई हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी पूर्ण जांच कर, गबन को पकड़कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा को वर्ष 1980-81 में 1,76,636-74 पैसे की आय हुई तथा व्यय 1,50,854-10 पैसे हुआ। आय व्यय का मद वार विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। जिसका कारण कृषि उपज मण्डी व पंचायत द्वारा लगाई गई चुंगी की दरों में भिन्नता व क्षेत्रफल का अलग-अलग होना है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांध

95. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) राज्य में इस वर्ष वर्षा से कितने बांध क्षतिग्रस्त हुए तथा कितना नुकसान हुआ ? इन बांधों से कितनी भूमि सिंचित होती थी ?

(2) इन बांधों से सिंचित होने वाली भूमि की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष अतिवृष्टि से सिंचाई विभाग के 398 कार्य क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिनके पुनः निर्माण में 981.72 लाख रुपये व्यय का अनुमान है। क्षतिग्रस्त कार्यों का कुल कमाण्डेट क्षेत्रफल 222580 हैक्टेयर है। औसतन सिंचाई सघनता के आधार पर 134500 हैक्टेयर क्षेत्र में इन कार्यों से सिंचाई अनुमानित थी।

(2) जो बांध पूर्णतया नहीं टूटे हैं उनकी मरम्मत कर पानी रोकने का प्रयत्न किया गया है, जिनसे उनके कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई हो सके। शेष क्षेत्र के लिए बांधों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के प्रस्ताव बना लिये गये हैं। धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्पन्न हो सकेंगे।

वाणगंगा नदी पर मार्जिन बांध का निर्माण

96. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाणगंगा नदी पर पथैना से मौलोनी तक मार्जिनल बांध न होने की वजह से अभूतपूर्व बाढ़ का सामना नदबई व वैर तहसील के लोगों को करना पड़ता है ? यदि हां, तो बांध के निर्माण में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार बाढ़ की समस्या के समाधान के लिये स्थायी निदान की इच्छुक है ? यदि हां, तो मार्जिनल बान्ध कब तक बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सत्य है कि बाणगंगा नदी पर पथैना से मौलोनी तक तटबन्ध न होने के कारण तहसील नदबई तथा वैर के कुछ गांव अधिक बाढ़ आने पर प्रभावित हो जाते हैं। इस हेतु तट बन्ध बनाना प्रस्तावित भी है। लगभग तीन किलोमीटर की दूरी में सैडल बांध का निर्माण भी किया जा चुका है। परन्तु बृजवारी, गाजीपुर एवं मैसीना के ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण शेष तटबन्ध का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है।

(2) जी हां। क्षेत्र के निवासियों द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किये जाने की स्थिति में प्रस्तावित शेष तटबन्ध का निर्माण इस वर्ष कराने का प्रयत्न किया जावेगा।

तहसील मांगरोल के ग्रामों के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना

97. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल तहसील के अविद्युतीकृत गांवों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रेषित की गई थी ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) यदि हां, तो इस योजना की स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है ?

(3) सरकार उक्त गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) क्षेत्रीय असन्तुलन को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने उक्त योजना मण्डल को वापस लौटा दी है ।

(3) योजना को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को पुन: भिजवाया जा रहा है ।

बानसूर व मालाखेड़ा (अलवर) में विद्युत के खम्भों की खरीद में घोटाला

98. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर की तहसील बानसूर तथा मालाखेड़ा में विद्युत के खंभे खरीदने में भारी गबन एवं घोटाला हुआ है ?

(2) यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के सहायक अभियंता (ग्रा.वि.) बानसूर के कार्यालय के स्टोर के लेखों एवं उपलब्ध खम्भों का सत्यापन करने पर रु. 1,09,938 की लागत के 495 सीमेंट के खम्भों का गबन एवं धोखा देही का मामला पाया गया ।

(2) इस प्रकरण में प्राथमिक जांच के आधार पर मण्डल के अधिकारी कर्मचारी सर्वश्री जी.पी. उपाध्याय, सहायक अभियन्ता, श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल, स्टोरकीपर, श्री प्रहलाद स्वरूप शर्मा, हैल्पर एवं संबंधित फर्म मैसर्स नलवाया उद्योग अलवर व मैसर्स ओबेराय उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, अलवर के विरुद्ध ता. हि. की धारा 409,467,420,468 एवं 120 (बी) के तहत थाना अधिकारी, थाना पुलिस बानसूर में अधिशाषी अभियन्ता (ग्रा. वि.), रा. रा. वि. मं, अलवर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31-5-1981 को दर्ज कराई गई । मंडल ने उपरोक्त कर्मचारियों के साथ साथ श्री रमेश चन्द्र वर्मा, लेखाकार, कार्यालय लेखाधिकारी (अ.वृ.) अलवर को भी निलम्बित कर दिया है । अग्रिम कार्यवाही पुलिस जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए की जावेगी ।

ग्राम देहीखेड़ा पंचायत समिति केशोरायपाटन में बाढ़ से हुई क्षति

99. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम देहीखेड़ा, पंचायत समिति केशोरायपाटन, जिला बूंदी में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र की जन हानि, पशुधन व मकान की क्षति हेतु दिनांक 23-7-1981 को जिलाधीश के निदेशानुसार तहसीलदार द्वारा मौका देखा गया है ? क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन भी तैयार किया है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर कृपया निम्न जानकारी सदन के पटल पर रखें:—

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(क) जन हानि
(ख) पशुधन हानि
(ग) मकान क्षति, मकानों की सूची

(2) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम देहीखेड़ा, पंचायत समिति केशोरायपाटन द्वारा दिनांक 23-7-81 को मौका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ग्राम देहीखेड़ा में अतिवृष्टि के कारण कोई जन एवं पशुधन की हानि नहीं हुई है। 29 व्यक्तियों के मकान अवश्य प्रभावित हुए थे किन्तु एक भी मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) किसी प्रकार की क्षति की सूचना न होने से सहायता स्वीकृत नहीं की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

तहसील कोलायत के ग्राम कोडमदेसर में रिजर्वायर में खराबी

100. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील कोलायत के ग्राम कोडमदेसर के ग्राउंड लेवल रिजर्वायर के निर्माण के तुरन्त बाद उसमें से पानी रिसने लग गया व टंकी एक तरफ झुक गई है ? क्या जी. एल. आर. बनने की तिथि से अब तक इसमें पानी भरा रहता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके निर्माण का ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि किसी भी विभागीय निर्माण के दौरान समय-समय पर तकनीकी अभियन्ताओं द्वारा देख-रेख एवं जांच आवश्यक है ? यदि हां, तो उपरोक्त निर्माण कार्य सही नहीं होने की किस अभियन्ता की जिम्मेदारी है ? क्या सरकार इसकी जांच कर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। जी.एल.आर. की टैस्टिंग के समय पानी के रिसाव से होद के नीचे की मिट्टी का एक हिस्सा धंस जाने से होद कुछ झुक गया था व तत्पश्चात् होद में पानी नहीं भरा गया है। चूंकि ठेकेदार का कार्य खराब पाया गया है, अतः इसके निर्माण कार्य का कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(2) जी हां। निर्माण कार्य की समय-समय पर देख-रेख अभियन्ताओं द्वारा की जानी आवश्यक है। परन्तु यह कार्य ठेकेदार ने बिना विभाग को सूचित किये एवं विभाग के सम्बन्धित अभियन्ताओं की चैकिंग के ही शुरू करके पूर्ण कर दिया। कार्य की प्रथम जांच व टैस्टिंग के दौरान ही निर्माण कार्य अस्वीकार कर दिया गया था। क्योंकि कार्य में त्रुटि के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार है अतः किसी अभियन्ता के विरुद्ध जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जल प्रदाय योजना सीकर की वितरण व्यवस्था

101. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जल प्रदाय योजना, सीकर द्वारा पानी वितरण करते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समय बिजली चले जाने से पेयजल वितरण बन्द हो जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश सीकर ने इस हेतु डीजल जैनरेटर प्रदान करने हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजा है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विद्युत चले जाने से राज्य में सभी जगह जल वितरण में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है जो कि स्वाभाविक ही है।

(2) विभाग की जानकारी के अनुसार जिलाधीश के कार्यालय से ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा गया है।

बिलाड़ा नगर को पेयजल उपलब्ध कराना

102. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बिलाड़ा को दिये जा रहे पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है ? यदि हां, तो कृपया इसका रासायनिक विश्लेषण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या बिलाड़ा नगर को मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार एक ट्यूबवेल लगाने की स्वीकृति देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बिलाड़ा के लिए स्रोत पीचीयाक नलकूप के पानी का रासायनिक विश्लेषण 7-5-81 को करवाया गया था। विश्लेषण की रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

(1) कुल घुलनशील ठोस (टी.डी.एस.) 1630 पी.पी.एम.

(2) क्लोराइड 690 पी.पी.एम.

(3) फ्लोराइड 6.70 पी.पी.एम.

(2) पानी में फ्लोराइड 3.00 पी.पी.एम. से अधिक होने की वजह से पीचीयाक बावड़ी के पास एक नया नलकूप बनाये जाने की योजना 1.25 लाख रु. की बनाई गई है जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है। इस बावड़ी के पानी में फ्लोराइड 0.4 पी.पी.एम.है अतः नए नलकूप में पेयजल की दृष्टि से पीने योग्य क्वालिटी का पानी मिलने की सम्भावना है। धन की उपलब्धि के अनुसार इस योजना की स्वीकृति सम्भव हो सकेगी।

वन्य जीव अभयारण्य

103. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) एवं श्री अनंग कुमार (झालरापाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं ? इनमें रहने वाले पशुओं तथा वहां के जंगलों की सुरक्षा के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(2) क्या इन अभयारण्य के वन्य जीवों की गणना की गई है ? यदि हां, तो कुल कौन कौन से वन्य जीव कितने हैं ? कृपया सभी अभयारण्यों के जीवों की सूची सदन पटल पर रखें।

(3) गत वर्षों में इन जीवों की संख्या में तेजी से हो रही गिरावट व इनकी संतति के प्रजनन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

Page No 32

(32)

उत्तर

(1) राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान, एवं बारह वन्य जीव अभयारण्य हैं । इनमें रहने वाले पशुओं एवं वन सम्पदा की सुरक्षा के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा राजस्थान फारेस्ट एक्ट, 1953 लागू किये गये हैं । इन अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ, क्षेत्रीय वनपाल और वन रक्षक आदि स्टाफ पद स्थापित हैं जो निरन्तर भ्रमण करके वन्य जीवों एवं वन सम्पदा की सुरक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु सात सात गश्ती दल भी कायम किए गए हैं ।

(2) अभयारण्यों में वन्य जीवों की गणना दिनांक मई, जून, 81 में की गई थी। अभयारण्य के वन्य जीवों की संख्या का मानचित्र संलग्न है।

(3) इन वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए इनके भोजन, पानी व सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है। अभयारण्यों में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जा रही है । नये वाटर होल्स बनवाये जा रहे हैं तथा पालतू मवेशियों की चराई पर रोक लगाई जा रही है । जिससे वन्य जीवों के रहने के जंगल सुरक्षित रह सकें तथा वन्य पशुओं को प्रचुर मात्रा में चारा उपलब्ध हो सके । इन क्षेत्रों की आग से भी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अवैध शिकार को रोकने के लिए अभयारण्यों में अतिरिक्त गश्त करवाई जा रही है । उपरोक्त कदमों से वन्य जीवों की संतति के प्रजनन में सहायता होगी ।

(मानचित्र के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला अजमेर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम

104. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम कहां-कहां पर कब-कब से चलाये जा रहे हैं ? उनके लिए वर्ष 1981-82 के बजट में क्या प्रावधान है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) जिला अजमेर में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त कौन-कौन सी संस्थायें हैं ? वे कौन-कौन सी प्रवृत्तियां एवं कार्यक्रम कहां-कहां पर कब-कब से चला रहे हैं ? उनको वर्ष 1980-81 में कितनी राशि अनुदान में दी गई है? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(3) जिला अजमेर में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता देकर कौन-कौन सी प्रवृतियां कब-कब से किस-किस के द्वारा चलायी जा रही है तथा उन्हें वर्ष 1980-81 में कितनी-कितनी राशि कहां-कहां से सहायता के रूप में मिली कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1 व 2) जिला अजमेर में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों की सूचना

(समाज कल्याण मंत्री)

विभागीय परिशिष्ट 'अ' एवं अनुदानित परिशिष्ट ब में दी गई है जो सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) जिला अजमेर में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किसी संस्था को किसी भी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट -12 देखें)

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्त विभाग की सहायता से दी गई बसेज

105. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को राजस्थान वित्त निगम से ऋण उपलब्ध करा कर बसेज दी गई हैं? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को ऋण मिला है? कृपया सूची पते व विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इस सुविधा से अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को भी इसी प्रकार की योजना द्वारा लाभान्वित किये जाने की कोई योजना है? यदि हां तो उसकी क्या रूपरेखा है ? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान वित्त निगम द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संयुक्त प्रयासों से अनुसूचित जाति के तो 166 व्यक्तियों को 83 बसें दिलवाने हेतु ऋण स्वीकृत किये हैं । बसें अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं। जिन व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत हुआ है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(परिशिष्ट "अ")

(2) जी नहीं । अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों से भी प्रार्थना पत्र राजस्थान वित्त निगम द्वारा आमंत्रित किये थे । जिन पर निर्णय होना शेष है ।

(3) जी हां । योजना की रूपरेखा सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(परिशिष्ट "ब")

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

इन्द्रगढ़ सवाई माधोपुर सड़क मार्ग का वर्षा ऋतु में अवरुद्ध रहना

106. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ से सवाई माधोपुर तक सड़क मार्ग पर बसेज चलती हैं जो वर्षा में बन्द हो जाती हैं?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त मार्ग को शीघ्र ठीक कराने के आदेश प्रदान करेंगी ? यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक ठीक हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्षा ऋतु में बनाई नदी के ऊपर पुल न होने की वजह से यातायात अवरुद्ध रहता है। हाल की भीषण वर्षा में उक्त मार्ग पर कुछ पुलियां क्षतिग्रस्त हुई हैं जिनके आगामी वर्षा से पूर्व ठीक किए जाने की संभावना है। बनाई नदी पर पुल का निम्न वरीयता में होने के कारण निकट भविष्य में बनाया जाना संभव नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था]

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री कनकराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांचोर तहसील स्थित सरदारपुरा जोड़ के लाखों हरे व सूखे पेड़ों का वन विभाग के अधिकारियों की साजिश से सफाया कर देने के विषय में।

(2) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सवाई माधोपुर में पंचायत मलारना डूंगर में आई बाढ़ के बाद वहां के निवासियों को रहने के लिये दिये गये प्लाटों का पट्टा पंचायत द्वारा न दिये जाने के विषय में।

(3) सर्व श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर में इस वर्ष लाभ की स्थिति होने के बावजूद कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उत्पादन में निरन्तर बाधा डालने के विषय में।

(4) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर पंचायत समिति के विकास कार्य वहां के विकास अधिकारी के कारण रुके हुए हैं, इस विषय में।

(5) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेड़ता से 30 किलो मीटर दूर जंगलियों की ढाणी में अनुसूचित जाति जंगलिया के लोगों पर सवर्ण सरपंच द्वारा किये गये अत्याचारों के विषय में।

(6) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के थानेदार द्वारा संभ्रान्त नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके आतंक एवं भय की स्थिति पैदा करने के संबंध में।

(7) श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले की सभी फसलों में ईली नामक बीमारी लगने से सभी फसलें नष्ट होने के के विषय में।

(8) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी आगार में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की व्यवस्था में अनियमितताओं के कारण उत्पन्न अव्यवस्था के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री चुन्नीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता व ठेकेदार की लापरवाही के कारण डामर के ड्रमों पर रेलवे को डेढ़ लाख रुपये का डेमरेज देने के विषय में।

(10) श्री यशोलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत वर्ष खरीफ की फसल के लिये राज्य बीज निगम द्वारा घटिया संकर कपास बीज के वितरण के विषय में।

(11) श्री चन्द्रवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर बाड़मेर जिलों के 3000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना के कारण चराई व ईंधन की कमी के विषय में।

(12) सर्वश्री मेघराज तावड़, बहादुरसिंह व फतेसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही परियोजना में डूब जाने वाले 98 गांवों के लोगों को कोई भूमि अलॉट न करने के विषय में।

(13) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुमेरपुर नगरपालिका द्वारा किये गये निर्माण कार्यों एवं सामग्री की खरीद में भारी घोटाले होने के विषय में।

(14) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर में ग्रामीण अंचल से सैंकड़ों टन खेजड़े की लकड़ी काटकर बीकानेर शहर में ले जाने के विषय में।

(15) श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से घना बर्ड सेंक्चुरी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के उपरांत सम्बन्धित वन विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थानीय जनता को उनके मौलिक पुरातन अधिकारों से वंचित किये जाने के विषय में।

(16) सर्वश्री दाऊदयाल जोशी, रघुवीरसिंह कोशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा नगर परिषद् द्वारा हाल ही में चुंगी की दरों में भारी वृद्धि करने के विषय में।

(17) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर स्थित गंगा थियेटर को एक प्राइवेट कम्पनी को लीज पर देने से राज्य कोष में भारी घाटा होने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित माननीय सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं:—

(1) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर में कच्ची बस्तियों में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार से बिजली, पानी व सड़कों का काम नहीं होने के विषय में।

(2) श्री सोहनलाल बंशीवाल व श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा नगर में पीने के पानी की कमी के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है, जिसमें पचपहाड़ कस्बे, जिला झालावाड़ में पुलिस की पिटाई से श्री गोपालसिंह, ग्रामसेवक की मृत्यु हो जाने का उल्लेख है।

उक्त विषय पर पूर्व में स्थगन प्रस्ताव आ चुका है और उस पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी जा रही है। अतः उक्त प्रस्ताव को व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया।

निम्नांकित माननीय सदस्यों ने एक से अधिक स्थगन प्रस्तावों पर या तो सह-हस्ताक्षर किये है या स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी गई है। अतः केवल उन्हीं स्थगन प्रस्तावों को लिया जा रहा है, जिन पर उन्होंने स्वयं स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है :–

1. श्री गुलाब चंद कटारिया
2. श्री अनंगकुमार जैन
3. श्री जीतमल जैन
4. श्री नन्दलाल मीणा
5. श्री महाराम चौधरी
6. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव हैं, उन्हें या तो अस्वीकार कर दिया है अथवा राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अस्वीकार कर दिया है, उनको 2-2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने के लिये दिया जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव था, यह विषय नहीं है ......

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हजारों गायें कटने के लिए पाकिस्तान भेजी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में हमने राज्य सरकार से जानकारी मंगवाई है, आप मुझसे मिल लीजिये, व्यवस्था की जायगी लेकिन रोजाना आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में स्थगन प्रस्ताव आते हैं। मेरे लिये जुबानी याद रखना बड़ा कठिन कार्य है इसलिये आप मुझे क्षमा करेंगे। इस वक्त मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे सकूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने प्रश्न का जवाब पहले ही मिल गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा। आपको 2 मिनट मिलेंगे।

श्री बंशीलाल पटवा भीलवाड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में कुछ प्राथमिक विद्यालय, कुछ मिडल स्कूल खोलने के आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी किये गये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस वक्त जो आदेश जारी किये गये मिडल स्कूलों और प्राथमिक विद्यालयों के बारे में और जो अभी आदेश जारी हुए हैं, वे नीतिगत नहीं हैं। जो मापदण्ड शिक्षा विभाग ने

(श्री बंशीलाल पटवा)

तय कर रखें हैं, वे आदेश उन मापदण्डों के योग्य नहीं हैं। जिला स्तर पर शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा की दृष्टि से जहां- जहां भी शिक्षा सलाहकार समितियां बनी हुई हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार को प्रेषित किया गया उन निर्णयों को, उन प्रस्तावों को राज्य सरकार, स्वीकार करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक कार्य कर रही है। मापदण्डों की अवहेलना की गई है। जहां स्कूल नहीं खोले जाने चाहिये थे, वहां स्कूल खोल दये गये हैं। स्वयं मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है, जहां पर आलरेडी स्कूल चलता है, लेकिन फिर भी उसकी स्वीकृति जारी कर दी गई। हमारे रामपाल उपाध्याय, जो सहकारिता मंत्री हैं, के क्षेत्र में मिडल स्कूल चलता है, फिर भी उसके आदेश जारी कर दिये गये। वहां पर स्कूल खोलने की दृष्टि से अब सोचिये इस सरकार में कितनी बड़ी अंधेरगर्दी है। जहां पर आलरेडी स्कूल खुले हुए हैं, मान लीजिये प्राथमिक स्कूल खुला हुआ है, फिर भी स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिये गये। स्कूल खोलने के लिये जिला स्तर पर बैठकें हुई, सुझाव दिये गये और जो प्रस्ताव भेजे हैं, उनको इग्नोर किया गया है, ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह ध्यान नहीं दिया जाना या नहीं दिया जाता है, तो फिर एक तरह से सलाहकार समितियों की बैठक बुलाना, शिक्षा अधिकारियों को बुलाना, यह सारा व्यर्थ है, निरर्थक और ढकोसला है। मैं कहता हूं फिर इस तरह के प्रपंच क्यों रचे जाते हैं? मेरे पास उदाहरण है-गंगापुर क्षेत्र, जो सहकारिता मंत्री का क्षेत्र है, में मिडल स्कूल आलरेडी चल रहा है, मण्डावा में आलरेडी स्कूल चल रहा है। इसी तरह के तीन स्थान और है जहां प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, फिर भी इस तरह के आदेश जारी कर दिये हैं। यह शिक्षा विभाग की दूरदर्शिता आप देखिये। जिस ढंग से यह सरकार चल रही है, मैं समझता हूं उसमें अनुभवहीनता कूट-कूट कर भरी हुई है, अन्यथा मैं सोचता हूं पुराने रिकार्ड पर स्कूल खोले जाते, तो इस तरह की अनियमितताएं नहीं होतीं। हमारे यहां जिला समिति, भीलवाड़ा ने भी जिन स्थानों पर स्कूल खुलने के सुझाव दिये हैं, वहां नहीं खोले गये।

अध्यक्ष महोदय, माप दण्ड के अनुसार जहां पर 520 घरों की आबादी है, वहां पर स्कूल खुलने चाहियें। इसी तरह हास्या गांव है, वहां पर स्कूल खोलने के शिक्षा विभाग ने प्रपोजल्स भेजे हैं और वे मापदण्ड में आते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खोला गया। इसी तरह नांगलिया का सवाल आता है। वह भी मापदण्ड में आता है, किन्तु वहां भी स्कूल नहीं खोला गया। इसी तरह के अनेक स्थान हैं। भीलवाड़ा में एक नवयुवक प्राइमरी स्कूल है उसको मिडल स्कूल में राइज करने की स्थिति है। वहां पर म्यूनिसिपैलिटी ने बिल्डिंग बना रखी है, घनी आबादी में है लेकिन फिर भी इस दृष्टि से नहीं खोला गया क्योंकि हम दूसरे घर के हैं, दूसरे दल के हैं। काले और गोरे का विचार है, यह एक राजनैतिक द्वेष नहीं तो क्या है? राजनैतिक चश्मे के आधार पर नहीं खोले जाते हैं, यह मेरा आरोप है। यदि यह नहीं है, तो फिर जो प्रपोजल्स शिक्षा विभाग ने भेजे थे उस आधार

(श्री बंशीलाल पटवा)

पर स्कूल खोल दिये जाते । मैं समझता हूं कि इस तरह की अनिमितताएं शिक्षा विभाग में हो रही हैं। शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है भीलवाड़ा में जहां-जहां स्कूल खुले हैं, वहां-वहां पर इस तरह के आदेश जारी किये हैं । मैं समझता हूं राजस्थान में भी इस तरह की अनेक अनियमितताएं शिक्षा विभाग में हो रही हैं। पुराना मापदण्ड, जो सरकार ने तय कर रखा है, को आपने क्रेश किया है। मैं पूछना चाहता हूं यह किस आधार पर किया है ? शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम से कम राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा निवेदन है इस सम्बन्ध में सुधार कीजिये । जो प्रपोजल्स शिक्षा विभाग ने भेजे हैं उन स्थानों पर स्कूल खोले जायें और लोगों को प्राइमरी एजूकेशन दी जाय। हमारे मुख्य मंत्रीजी प्राइमरी एजूकेशन के हिमायती भी रहे हैं और पिछले विधान सभा सत्र में प्राइमरी एजूकेशन पर जोर भी दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं, अनियमितताएं क्यों पैदा हो रही हैं । जो कुछ आदेश दिये गये हैं, उनकी जांच करवाई जाय और जहां जहां प्राइमरी स्कूल खोलने हैं, जो मापदण्ड में आते हैं, वहां-वहां पर स्कूल खोले जाये, यही मेरा अनुनय, निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष: श्री महाराम चौधरी ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इससे सम्बन्धित मेरा भी एक प्रश्न है। इसी मामले में हैं ।

श्री अध्यक्ष No. श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, नागौर यूं तो एक छोटा कस्बा है, तो भी नागौर के पहाड़ी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, सीमान्त कृषक और कम आमदनी वाले अनेक आदमी रहते हैं। उस क्षेत्र में सरकार की तरफ से यह प्रावधान है कि पानी, बिजली, नल आदि के कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर चलाये जायं लेकिन सरकारी अधिकारी गण इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उन कार्यक्रमों के लिये उनकी अभिरुचि नहीं है। इसलिये मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े तबके में जो यह कार्यक्रम चलाया है, यह कार्यक्रम, कार्यक्रम तक ही सीमित न रह जाय । यूं तो पहले अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया था लेकिन योजनाएं सारी कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं और कार्य रूप में परिणत कहीं पर भी नहीं होती हैं। इसलिये जिन कच्ची बस्तियों में आज तक कार्य नहीं हुआ है और इतने समय से भी नहीं हुआ है, वहां की जांच करवाई जाय और अधिकारियों के खिलाफ इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय जिससे दूसरी जगह भी अधिकारियों को नसीहत मिलेगी । कोई भी अधिकारी जो योजना के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय, तो अन्य स्थानों पर भी सतर्कता आयेगी, जनता का काम होगा और कच्ची बस्ती वालों को पानी, सड़क और बिजली आदि की सुविधा मिलेगी ।

Page No 39

(39)

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल बंशीवाल दौसा नगर में पीने के पानी की कमी के विषय में ।

श्री सोहनलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय अध्यक्षजी, मेरे दौसा क्षेत्र में इस समय लगभग 40-45 हजार की आबादी है। आज से 10 साल पहले भी वही पानी, वही टंक हैं। जहां से पानी आ रहा है वहीं से आ रहा है और बाज मौके पर तो दौसा में ऐसा भी हो जाता है कि गन्दगी धोने के लिये और शाम को रोटी पकाने के लिये पानी नहीं मिलता है। वहां से 14 मील ओदावली है, जहां से पानी आ रहा है। वहां पर 6 इन्च की लाइन डली हुई है और वह भी सीमेन्ट की लाइन है। उसका जो जोड़ पड़ता है, वह वसुन्दा के पास पड़ता है। यदि कहीं से यह पाइप लाइन लीक हो जाती है तो दौसा पानी से महरूम हो जाता है। जैसा मैंने कहा, वहां एक टंकी बनाई जाय और उसके जरिये से पानी दिया जाय अभी तक कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। कितनी मुसीबत है दौसा में पानी की। प्राइवेट तोंगा गाड़ियों से, ऊंटगाड़ियों से, ट्रकों से, टैंकरों से पानी लाकर सप्लाई करते हैं, तब जाकर कोई काम चलता है। ब्याह शादी में पानी के लिये लोग तरसते हैं। दौसा नगर में आज से जो 10 साल पहले की स्थिति थी, वही आज भी है। इसलिये सरकार से अनुरोध है कि वहां की जनसंख्या को देखकर समुचित व्यवस्था की जाय। तीन कालोनी और बन गई हैं, एक और बनने वाली है। कुछ प्लाट रीको वाले काटने वाले हैं फैक्ट्रियों के लिये। अतः मैं ज्यादा न कह कर यह समझता हूं कि आप उचित व्यवस्था करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, दौसा, जैसा कि माननीय बंशीवाल जी ने बताया, बहुत बड़ा कस्बा है। वर्तमान में दौसा को जिला बनाने के लिये लगातार प्रयास कर रहे है, सम्भवतः जल्दी हो जिला बन जायेगा। वहां पानी की व्यवस्था जो 10 साल पहले थी, उसी हिसाब से आज भी पानी दिया जा रहा है जबकि आबादी दुगुनी, तिगुनी हो गई है। स्थिति आज यह है कि कभी-कभी तो आधा-आधा घन्टे और कभी-कभी 15-20 मिनट ही पानी आ पाता है। यह सच है कि यदि प्राइवेट संस्थाएं, जैसा अभी माननीय सोहनलालजी ने कहा, पानी सप्लाई नहीं करें, तो बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो जाय। माननीय सदस्य कभी-कभी तो सारे दिन वहां की जनता को टैंकरों से और ट्रकों से पानी ला-ला कर पिलाने की व्यवस्था करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, समय रहते इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाय। वर्तमान में जो ओदावली से पानी आ रहा है, वहां पर बिजली की लगातार सप्लाई नहीं होने की वजह से कभी पानी आता ही नहीं है और यदि आता है, तो बहुत कम आता है। दौसा बहुत बड़ा कस्बा है और दिनोंदिन जो आबादी बढ़ती जा रही है उस अनुपात से यदि और कोई योजना के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाय तो वह अविलम्ब की जानी चाहिये, अन्यथा एक बहुत बड़ी विकट समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना है ।

Page No 40

(40)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। गत 19 अगस्त को असामाजिक तत्वों द्वारा पत्रकार की पिटाई के सम्बन्ध में।

श्रीमती विद्या पाठक (साँगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों की अवमानना केन्द्र में या राजस्थान में जितनी इस सरकार में हुई है, उतनी शायद कभी नहीं हुई और यह कहीं घटती नजर आ रही हो या कोई दृष्टिकोण बदलता नजर आ रहा हो, ऐसा भी नही लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 अगस्त 81 को एक पत्रकार श्री गजानन्द शर्मा की असामाजिक तत्वों ने पिटाई की गई। वे यहां आयुर्वेद संस्थान में आनरेरी सर्विस कर रहे थे। संस्थान में जो अव्यवस्थाए फैल रही हैं, गड़बड़ियां घोटाले होते हैं, उनको वे पत्रों के माध्यम से बारबार उजागर करते रहे। इसके फलस्वरूप कुछ पुलिस तत्वों का भी उन्होंने विरोध मोल लिया क्योंकि उनमें उनको भी उल्लेखित किया गया था, विशेषकर जयपुर थाना इन्चार्ज श्री शिवदत्त शर्मा का नाम उन्होंने बारबार उल्लेखित किया। इसके फलस्वरूप कई बार उन पर हमले किये गये और उनकी जान को खतरा पैदा हो गया।

23-6-81 को और 31-7-81 को उन्होंने दो बार पुलिस विभाग को लिखा कि उनकी जान खतरे में है और उनकी रक्षा की जाय। 19-8-81 को वे उपनिदेशक से मिलने गये और जब वे लौट कर आ रहे थे तब भी किसी ने चाकू से उन पर कातिलाना हमला किया था। उसके बाद वे मेरे पास आये। मैंने उनसे कहा, जब तक आप पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराते, तब तक इस विषय में कोई कार्यवाही आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। उसके बाद उसी दिन जब वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये गये तो, वहां जो ड्यूटी आफिसर हैं,श्री भैरोंसिंह, उन्होंने कहा की थाना इन्चार्ज के आने के बाद ही उनकी रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। दुबारा दो घण्टे के बाद जब वे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गये तो, थाना इंचार्ज समेत दूसरे लोगों ने उनको मारा। उनको उनकी एफ.आई.आर. दर्ज करने से भी मना किया। रात को 10 बजे उनकी एफ.आई.आर.दर्ज हो सकी। इस बीच में उनको और उनके साथ गये हुये श्री सैन को बड़ा टार्चर किया गया, मारा गया। उनको मुर्गा बनाया गया, परेशान किया गया एफ.आई.आर. जो दर्ज की गई उसमें उनका वह स्टेटमेन्ट नहीं लिखा गया जो श्री गजानन्द खुद लिखकर ले गये थे, बल्कि वह लिखा गया जो इन्चार्ज खुद लिखना चाहते थे। उस पर जबरन डरा धमकाकर दस्तखत करवाये गये। उसके बाद उन्होंने प्राइवेट रूप से अपनी मेडिकल जांच करवाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सब में उनका कसूर क्या रहा ? यही कि वे संस्थान की कुछ अव्यवस्थाए पिछले ढाई तीन साल से एक्स रे को मशीन खराब पड़ी है, एक इकलौती एम्बुलेन्स, जिस पर काफी पैसा खर्च हो चुका है, खराब पड़ी है, फिनाइल जो खरीदी हुई है, वह सब-स्टैण्डर्ड है और अन्य इस तरह की वहां की आन्तरिक स्थिति को अखबारों में उजागर करते रहे। इस तरह अधिकारियों का और पुलिस का विरोध बढ़ता गया। बार-बार पुलिस की शिकायत करने पर

(श्रीमती विद्या पाठक)

भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 19 सितम्बर के बाद वे डी.आई.जी. श्री पिलानिया साहब से मिले। उन्होंने आगे की जांच के आदेश भी दिये लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा। उनकी शिकायतों या उनके प्रति जो दुर्व्यवहार किया जा रहा उसकी कहीं कार्यवाही नहीं की जा रही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए, पत्रकार महोदय कहीं किसी गलती पर भी होते, तो उसके नियम हैं। अगर एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने पर पिटाई होती है तो कोई भी सम्भ्रान्त नागरिक कैसे हिम्मत कर सकेगा कि किसी अन्याय को जाकर एफ.आई.आर.दर्ज करवा सके। अन्याय के प्रति विरोध और एक निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर इन्टीमिटेट करने के लिए इस तरह से दबाने का प्रयास पुलिस के माध्यम से होगा, जो लोगों के हितों की रक्षक होनी चाहिए और प्रजातन्त्र की रक्षा में उसका भी नाम आता है, अगर स्वयं वह पुलिस ही इसके विरोध में काम करे, तो यह एक बहुत खतरनाक ट्रेन्ड है, जो बढ़ता चला जा रहा है। ये बिलकुल ओबवियस है कि पुलिस को सरकारी स्तर से, नागरिक स्तर से किसी न किसी स्थिति में रोका जाना नितान्त आवश्यक है और इस तरह की कार्यवाहियों की निष्पक्ष जांच का भी होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: डा. उजला अरोड़ा। राजस्थान नहर में पानी छोड़ने के सम्बन्ध में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के बारे में या अन्य राज्य समझौतों के बारे में, पिछले विधान सभा सत्र में चर्चा होती रही और हमें उधर से मुख्य मंत्री की ओर से आश्वस्त किया जाता रहा कि कोई व्यवस्था करेंगे। इसी बीच में गंगानगर जिले में काफी लोग एक-एक दो-दो करके मेरे पास आते रहे कि हमारे यहां पानी नहीं आ रहा और हमें परेशानी हो रही है। पिछली 11-12 तारीख को वहां से काफी लोग आये. तब तक विधान सभा का सत्र आहूत नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं तो बड़ी परेशानी में हूं। इसी बीच में उनके तार आये और मुझे परसों शाम वहां से जाना पड़ा। मैं स्वयं यह महसूस करने के लिए गयी थी कि एक ओर तो राज्य सरकार की ओर से कहा जाता है कि राजस्थान नहर के बारे में हम बड़ी-जोर से दिल्ली में बात करके आये हैं और हमने दोनों मुख्य मन्त्री महोदयों, पंजाब के मुख्य मंत्री महोदय और हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय से बातचीत की है। हमें पानी पूरा मिलेगा। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, यह देखने के लिए मैं खुद वहां पहुंची थी। मैंने जो देखा, वह मैं आपको बताना चाहूंगी। बड़ी दयनीय स्थिति है वहां पर जो भाखड़ा का पानी जाता है इधर हरियाणा हो करके, और तलवाड़ा में राजस्थान नहर का पानी छोड़ा जाता है, वह पानी हमारे यहां पूरे जायल, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र में 90 माइल को नहर जाती है। लेकिन स्थिति क्या है अब इन दिनों में? पिछले कई महीनों से जो स्थिति चल रही है, वह यह है कि राजस्थान नहर में इस समय जो चार नहरें मैंने देखी हैं, जो छोटी नहरें आती हैं, उनमें से तीन में बिलकुल पानी नहीं था। एक नहर में पानी था, जिसको घुटने से नीचा पानी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कह सकते हैं, उस पानी में नीचे काई दिखती थी। यह लगता है कि काफी दिन तक इसमें पानी नहीं आया। थोड़ा पानी रहने के कारण उसमें काई छा गया थी। मैं कहना चाहूंगी कि 18 सौ 19 सौ क्यूसेक्स पानी जनता पार्टी के समय में इन नहरों में आया करता था। माननीय ललितजी ने एक समय जाकर उसको खोला था और इस समय पानी की स्थिति यह है कि कभी भूले भटके थोड़ा पानी आ जाता है। खेत बिलकुल सूखे हैं। कुछ खेत हैं, जो प्रभावशाली लोगों के दिखायी दे रहे थे, उनमें थोड़ासा पानी आता है। उनका मोगा खोल दिया जाता है, उसका मोगा अगर नहीं खोला जाता है तो, प्रभावशाली लोग जो वहां के हैं, वे पानी को पाइप नीचे को डालकर पता नहीं किस तरह उसको ले जाकर अपने यहां पानी ले लेते हैं। इसकी शिकायतें पुलिस थानों में दर्ज हैं। जो पानी हमारे यहां आना चाहिए था, यह वही पानी है। हमारे यहां पानी की आवक नहीं है लेकिन हरियाणा वाले हमारा पानी तोड़ लेते हैं। इसकी एफ. आई. आर. दर्ज कराई गयी हैं लोगों के द्वारा। पिछले दिनों वहां के जो अधिशासी अभियन्ता हैं, उनको ले जा करके गांव वालों ने दिखाया कि देखिये हमारा पानी हरियाणा की ओर मोड़ा जा रहा है। वे भी मौके पर पहुंचे। 8 दिन पहले की यह घटना है, हरियाणा सरकार को तार दिये, राजस्थान सरकार को तार दिये कि इस तरह से हमारा पानी चोरी जा रहा है उसको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन न तो हरियाणा गवर्नमेन्ट ने इस पर कुछ ध्यान दिया और न राजस्थान के उच्च अधिकारियों और मंत्री महोदय के द्वारा कोई निर्णय लिया गया। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, स्थिति इतनी भयावह है कि जो सात नालियां चलने वाली हैं, उन नालियों में कभी एक दो दिन बहुत मामूली पानी आता है। मैं यह कहना चाहूंगी, वहां से 11 विधायक चुनकर आये हैं। 11 विधायकों के मुंह से यहां विभिन्न विषयों पर मैंने राजस्थान सरकार को धन्यवाद देते हुए सुना। एक बार मुझे फिर यह लगा कि जब ये खुश हैं तो वहां की जनता क्यों दुखी होनी चाहिए, इसलिए भी मैं वहां पर पहुंची थी। मान्यवर, कल कम से कम दो ढाई हजार किसान वहां इकट्ठे थे। विभिन्न गांवों के डबली के, मकासर के और आसपास के लोग थे, उन्होंने मुझे आकर यह विभिन्न पत्रावलियां इसके सम्बन्ध में दी हैं। एक भाई ने तो अपनी एफ. आई. आर. भी मुझे दी है जो वहां दर्ज करायी थी कि झंडाराम के पानी लग रहा है, पानी मेरे यहां आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी यह स्थिति बड़ी भयानक है। मैं प्रतिलिपि दिखाना चाहती हूं, सिचाई विभाग का एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर मोडिया वितरिका लिखा हुआ था....

श्री अध्यक्ष: इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्या। दो मिनट आप ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, आपने कर लिया, बहुत ही सफलता से।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपकी आज्ञानुसार यह कहना चाहूंगी कि आप सरकार को बाध्य करें कि भाखरा व राजस्थान नहर का पूरा पानी दिया जावे और नहरों की जो बंदियां हैं, बार बार बन्द कर कर देते हैं, उसको बन्द किया जावे। पानी जितना जिसको चाहिए उसका समुचित वितरण हो। पानी हैड तक तो आ जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय; हैड पर प्रभावशाली लोगों के खेत हैं उन्होंने मोगे लगा रखे हैं इससे जो टेल तक पानी पहुंचना चाहिए वह अंतिम सिरे तक नहीं पहुंचता। वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जावे। मैं कहना चाहती हूं कि पानी को जो चोरियां होती हैं उसके लिए राजस्थान सरकार तत्काल एक्शन क्यों नहीं लेती? इसके लिए उन्हें बाध्य किया जावे। जो लोहागढ़ लिंक भादरा में है, साहू घग्घर में उसका पानी छोड़ा जाना चाहिए। जब इतना भी नहीं करते तो आबयाना किस बात का लेते हैं? जब तक पानी नहीं देंगे...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी समाप्त करती हूं। जिनकी फसलें सरकार ने नष्ट की हैं, बिना पानी के, उनको मुआवजा दिया जावे। मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहती हूं कि इसकी जांच की जावे। किसी टीम को भेजा जावे, चाहे विधायकों की टीम को ही भेजा जावे। मैं वहां से यह सूखी कपास लाई हूं। आप देखेंगे कि कपास में एक भी फूल नहीं है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रक्रिया के नियम 289 के अन्तर्गत हनुमानगढ़ तहसील के खेतों के नमूने के रूप में सूखी, बिना भरी कपास के पौधे, सूखी ग्वार...

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप बाहर रख दीजिए, सदस्यगण जब बाहर जायेंगे देख लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी दया आती है उन लोगों पर, जिन्होंने बीज बो दिया, जिनके पास बाकी धान नहीं है। खेत में थोड़ा भी पानी नहीं है। आप देखेंगे कि धान और कपास पर गंगानगर जिला आधारित हैं जिसे सरसब्ज कहा जाता है, वहां धान नहीं है और इस बार कपास की यह स्थिति है। मैं कहना चाहती हूं; आप इसका सर्वेक्षण करायें कि स्थिति कितनी भयावह है। आपकी अनुमति से मैं प्रक्रिया के नियम...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं प्रक्रिया के नियम के अन्तर्गत आपसे अनुमति चाहती हूं,.. मुझे आप अनुमति दें, मान्यवर और यह व्यवस्था जो भी...

श्री अध्यक्ष : इसमें नियम काफी कठोर हैं माननीय सदस्या इसलिए यह इजाजत नहीं दे सकता। आपने प्रदर्शित कर दी, यही बहुत है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि यह जो स्थिति है, जो अन्य राज्य से समझौतों के अन्तर्गत पानी आना चाहिए था, राजस्थान सरकार क्यों इतनी अकर्मण्य बनती जा रही है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, वहां के लोग क्या खायेंगे, क्या पीयेंगे, किस तरह से जीवन निर्वाह करेंगे ? वहां लोग उनकी बात सुनते नहीं और जो वहां के 11 विधायक हैं, वह भी बात यहां पर कहते नहीं हैं । मेरा नम्बर 11 है विभाजन संख्या इसलिए चाहे संयोग कह लीजिए, मैं यह बात प्रस्तुत कर रही हूं। मैं आग्रह करना चाहूंगी कि हनुमानगढ़ तहसील और गंगानगर जिले के पूरे पानी की व्यवस्था अविलम्ब करायें। मैं इसी बात के साथ यदि आप अनुमति दें तो, जो उन्होंने पत्र दिये हैं मुझे, जो शिकायतें लिखी हैं, ये मैं प्रस्तुत कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप तो इस सदन की पुरानी सदस्या हैं । पत्र कैसे रखे जाते हैं सदन की मेज पर अथवा अन्य किसी वस्तु को किन परिस्थितियों में रखा जा सकता है, आप नियमों से अच्छी तरह से परिचित हैं । इस तरह के पत्र और जो इस तरह कि चीजें आप लाई हैं उनको सदन पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती । आपने काफी समय ले लिया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, इससे अधिक भयानक स्थिति और क्या होगी, मैं किसी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैंने भयानक स्थिति के लिए ही आपको निमंत्रण दिया था कि आप कह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बिलकुल सूखी ग्वार है, बिलकुल सूखी ग्वार है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्या, समय जा रहा है । आज कार्य सूची बहुत लम्बी है, माननीय सदस्या इसलिए, मुझे आप क्षमा करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारा जीवन इन्हीं चीजों पर, खेती पर निर्भर है । मान्यवर, सरकार से आप निश्चित रूप से व्यवस्था करायें, जिससे परिस्थिति ठीक हो सके, अन्यथा ऐसा नहीं हो कि···

श्री अध्यक्ष : कोई चारा नहीं है, माननीय सदस्या, प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां के किसान को, मान्यवर, ऐसा न हो कि जयपुर में रामगढ़ का पानी जयपुर मेंटल को नहीं पौधों में पानी उनको नहीं···

श्री अध्यक्ष : अकाल, बाढ़ नहरों में पानी की कमी, इस पर विचार हो चुका है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जोधपुर के लिए एक अखबार में निकला है कि शायद पानी का राशनिंग हो सकता है । यह सरकार कर क्या रही है? पानी की व्यवस्था तक नहीं कर सकती है । न पीने को, न खेतों को पानी है। मान्यवर, यह व्यवस्था करें । सदन सर्वोपरि है, मैं आपसे आग्रह करूंगी, आप आज्ञा दें···

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आज उत्तर देंगे अकाल के बारे में, पानी की कमी के बारे में । अभी उत्तर देने जा रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण कीजिये। श्री दाऊ दयाल जोशी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे इतना तो आश्वासन दें कि सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार इस स्थिति को ठीक करे। आपके यहां पर भी तो जोधपुर में, पाली में इससे ज्यादा भयानक स्थिति है। उसके लिये और इसके लिये, दोनों के लिये आप इजाजत दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : पाली के लिये हम देख लेंगे, आपको जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया। माननीय सदस्या। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर के दुर्भाग्य से प्रशासक द्वारा अभी 28-5-81 को कोटा नगर में चुंगी की दरों में संशोधन किया गया है। जो संशोधन किया है, वह अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बार कोटा नगर में सब्जी पर, सब्जी की एक टोकरी पर दो रुपया चुंगी लगी। यह आज तक कभी नहीं हुआ। हर चीज पर चुंगी लगती थी सेव पर, अनाज पर, अंगूर पर लेकिन कोटा नगर परिषद में पहली बार खरबूजे पर, तरबूज पर, ककड़ी पर पचास पैसे...

श्री अध्यक्ष : लम्बा नहीं करें, माननीय सदस्य, आज कार्य सूची बहुत लंबी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : नये सिरे से चुंगी लगाई है। जला हुआ तेल जो गरीब व्यक्ति का ईंधन है रोटी बनाने का, उस पर मात्र पचास पैसे चुंगी थी। अब पचास पैसे से बढ़ा कर दो रुपया चुंगी कर दी गई। नागरबेल के पान की टोकरी पर जो केवल 19 पैसा प्रति टोकरी चुंगी थी, वह 19 पैसे से बढ़ा कर 3) रु. कर दी गई। इसी प्रकार से मिश्री, पताशा, खाण्ड पर 75 पैसे चुंगी थी उसको बढ़ा कर दो रुपया कर दिया गया है। इसीप्र कार से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वस्तुओं के नाम गिनायेंगे तो बहुत लम्बा हो जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना है कि एक तरफ तो इस प्रकार से चुंगी की दरों में बढ़ोतरी की है जब कि नियम यह है कि चुनी हुई नगरपालिकायें ही किसी प्रकार से चुंगी की दरों में परिवर्तन, परिवर्द्धन कर सकती हैं। लेकिन प्रशासक ने अपने मनमाने तरीके से, जब कि कोटा नगरपरिषद राजस्थान की सभी नगर परिषदों में समृद्ध है, जिसका बजट 4 करोड़ 88 लाख रुपयों का है, दो करोड़ का टैक्स बढ़ा कर कोटा की जनता पर अन्याय किया है। मेरा निवेदन करना यह है कि एक तरफ तो चुंगी बढ़ा दी, दूसरी ओर हमारे राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का उत्तर यह आया है। राजस्थान के सर्राफ उनसे मिले हैं, उन्होंने कहा है कि इस विषय पर स्वायत्त शासन मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके एक रुपया प्रति किलो राज्य में चांदी पर चुंगी लगाने का तय किया है। एक रुपया प्रति सैंकड़ा के बजाय एक रुपया किलो चान्दी पर चुंगी लगी है। सब्जी पर पहले चुंगी नहीं लगती थी, उस पर पहली बार चुंगी लगाई है। यह आश्चर्य की बात है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं केवल इस बात को कह कर अपनी बात को विराम

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि कोटा नगर के देहात जिला कांग्रेस के महामंत्री, श्री शांतिलाल का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने चुंगी वापस ले ली और आज तक चुंगी का आदेश दिया नहीं है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से मैंने अभी पूछा तो, उन्होंने कहा कि मैं आज ही वक्तव्य दे दूंगा चुंगी हमने वापस ले ली है। अगर वापस ले ली हो तो, राज्य सरकार तुरन्त इस प्रकार की बढ़ी हुई चुंगी, जिससे कोटा की जनता के साथ अन्याय हुआ है, के लिए यह घोषणा कर दे। जैसा कि माननीय गोटेवालाजी ने कहा था, वह घोषणा कर दें जिससे कोटा की जनता के साथ जो अन्याय रहा है, वह समाप्त हो जावे। यही मैं इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। दो ही मिनट में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, चुनी हुई नगरपालिका जिसका 44 करोड़ 88 लाख का बजट है, किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं, क्या पता शायद वहां कांग्रेस के जो संसद सदस्य चुन कर गये हैं मौलाना साहब, उनके घर पर दो-दो गाड़ियां हरदम खड़ी रहती हैं उनके घर के सामने पार्क बनाया जा रहा है, इस प्रकार की अव्यवस्था में पैसा खर्च होता है, इसलिए वहां के प्रशासक ने कोटा की जनता पर यह कर भार लगाया है। केवल एक आइटम की चर्चा करूंगा। आप आइटम नम्बर 20 पर देखें, इसमें लिखा है, चुंगी दर अनुसूची में जिस सामान का उल्लेख न हो उस पर एक रुपया प्रति सैंकड़ा। यानी कोई दूध लेकर दूध बेचने वाला आएगा बेचारा वह एक रुपया प्रति सैंकड़ा के हिसाब से चुंगी देगा। सिर पर लकड़ी रख कर लकड़ी बेचने वाला आएगा उससे चुंगी देने के लिए कहा जाएगा। यह कौनसा कानून है? आपने एक कानून क्या बना दिया कोटा में प्रत्येक परिवार के खर्च में चालीस से पचास रुपयों की वृद्धि हो गई है। कोटा में आन्दोलन चल रहा है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना दिये हुए हैं। लगातार कोर्नर मीटिंग हुई हैं। सरकार पर दबाव पड़ा, प्रतिनिधि मण्डल मिलने यहां आया। आज से 15 दिन पहले स्वायत्त शासन मंत्री ने कह दिया की मैं स्टे कर रहा हूं। अखबार में छप गया। पता नहीं कौनसा कारण हो गया था? उनके भी ध्यान में आ गया। इस आन्दोलन के कारण उपभोक्ताओं, कोटा की जनता को परेशान करने वाली यह लगाई हुई चुंगी उनको वापस लेनी पड़ी। 15 दिन के बाद यह स्टेटमेंट दे दिया। स्वायत्त शासन मंत्री से प्रतिनिधि मण्डल मिला उसको कह दिया, लेकिन आज तक चुंगी नहीं हटाई। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, मैं कहना चाहता हूं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी के मन में आया है बहुत अच्छा है। कोटा के आन्दोलन को देख कर आपके मन में आया बहुत अच्छा है। अभी फिर आन्दोलन चल रहा है। 21 तारीख को हम गिरफ्तारी देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की घोषणा नहीं आयेगी तो मैं गिरफ्तारी दूंगा। हम प्रदर्शन करेंगे इनके सामने। किसी को जाने नहीं देंगे अन्दर...

श्री अध्यक्ष : सत्र चल रहा है, तब तक गिरफ्तारी मत देना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 21 तारीख का हमने निश्चय कर लिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने घोषणा की है, माननीय सदस्य ने उसकी चर्चा की है। प्रतिनिधि मण्डल से कहा है और आज जो आन्दोलन करने की स्थिति हुई है, उसमें उन्होंने जो घोषणा की है, तो उनको आर्डर कोटा भेजना चाहिये, यही मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : पाइन्ट आफ आर्डर।

माननीय अध्यक्ष महोदय 17 अगस्त को माननीय मेघराज जी तावड़ उदयपुर में गिरफ्तार हुए थे। रूल नम्बर 164, 65,66 के अनुसार तक जब कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए तो उसका...

श्री अध्यक्ष : कृपा करके आप जब मैं चेम्बर में पधारें तब स्थिति की जानकारी लेंगे...

श्री गोपाल पचेरवाल : जब तक आपको सूचना न हो...

श्री अध्यक्ष : होगी सूचना तो, मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपको सूचना मिल गई तो तत्काल माननीय सदस्य को जब सत्र चल रहा हो....

श्री अध्यक्ष : आप बस पन्द्रह मिनट पश्चात् चेम्बर में मिले लें। जो स्थिति है, उसमें नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था। इटावा थाने में लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं मौखिक रूप से अभी आपके प्रस्ताव के बारे में क्या हुआ, यह कहने में असमर्थ हूं। यदि आपको कोई कठिनाई है, व्यवस्था दे दी है, वह आपने सुन ली होगी। व्यवस्था नहीं दी, तो सरकार से जानकारी चाही है। उसके बारे में मुझ से मिल लें।

श्री हीरालाल आर्य : दो मिनट का मौका दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि सूची बहुत लम्बी है। फरमाइये।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा माननीय अध्यक्ष को जानकारी देने में विलम्ब

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, 18 तारीख को मैंने एक एड्जोर्नमेन्ट मोशन दिया था। कांग्रेस आई द्वारा आयोजित रैली का रोडवेज का 43 लाख रुपये का...

श्री अध्यक्ष : इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं।

(48)

सुश्री पुष्पा जैन : उसको सरकार की जानकारी के लिये भेजा था। मेरा जो 135 नम्बर का सवाल था, उसका जवाब आज ही मुझे मिला। इससे जाहिर है कि सरकार के पास सारी जानकारी उपलब्ध है कि मेरे सवाल का जवाब दे सके। लेकिन इस प्रकार...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या इस पर विचार कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, विचार करने का सवाल नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर आ गया। अध्यक्ष महोदय ने जो जानकारी चाही उसका उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का दायरा क्या था और स्थगन प्रस्ताव का...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दायरा प्रश्न का था कि कितना रुपया बकाया था उसका भुगतान किया या नहीं। स्थगन प्रस्ताव का दायरा यह था भुगतान नहीं किया। इसलिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये। वह दोनों का है। लेकिन यह कैसे चलेगा ? मैंने परसों इसलिये निवेदन किया था—

श्री अध्यक्ष : इसमें जल्दी सूचना मंगवा देंगे। आज या कल में मंगवा लेंगे। आज ही मंगवा लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट ऑफ आर्डर यह नहीं है। प्रश्न यह है कि आपके पास सूचना आई क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, विचारणीय विषय है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर आ गया। 43 लाख और कुछ रुपया बकाया है और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने बकाया का भुगतान नहीं किया। लेकिन जो स्थगन प्रस्ताव था, भुगतान नहीं किया इस कारण से जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस पर विचार किया जाये। उस चीज को पोस्टपोन क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : इसमें यही निवेदन कर रहा हूं जल्दी उत्तर मंगवा देंगे। आज ही।

एक माननीय सदस्य : उत्तर तो आ गया।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर उत्तर नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सरकार को ताड़ना देंगे ?

श्री अध्यक्ष : ताड़ना तो देंगे ही साहब। मैं मालूम तो कर लूं। आज-आज का मुझे अवसर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, जैसे ताड़ना नहीं दे रहे हैं। यह ताड़ना नहीं है उनके साथ स्नेह हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे बात कर रहा हूं, सरकार से नहीं कर रहा था। उधर जब होगी तब देख लेना कैसे होगी ?

(व्यवधान)

आज सूची लम्बी है। आज हम उसका दिन फिक्स कर देंगे।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : 14 तारीख को मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था इसी संबंध में ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कितनी प्रायोरिटी के मोशन होते हैं, आप अच्छी तरह से परिचित हैं ।

श्री नाथूसिंह : 14 तारीख को दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । समय जा रहा है। कार्य सूची लम्बी है। आप मेरे से मिल लीजिये ।

श्री नाथूसिंह : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण होता है उसका उत्तर नहीं आये सरकार से और प्रश्न का उत्तर आ जाता है, तब यह...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक दिन में एक आ सकता है। 21 तक के हमने फिक्स कर दिये । उसके बाद अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है तो उसकी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे ।

श्री नाथूसिंह : सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज का मामला भी बनता है आपकी तरफ से, क्या सरकार से...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि सिट्रिक्टली लेते हैं तो, जो विषय पहले चर्चा में आ जाते हैं उन पर चर्चा नहीं होती । इस पर कई दफा चर्चा हो चुकी है । लेकिन चूंकि माननीय सदस्यों का आग्रह था इसलिये मैं जानकारी ले रहा हूं ।

श्री नाथूसिंह : उस पर चर्चा नहीं, चर्चा और बात पर है। जो दिया है, उसका कर दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष : आप समय ले रहे हैं । बाद में बात कर लें मेरे से ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का कहा था।

श्री अध्यक्ष : हां ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा तहसील का जो इटावा थाना है वह भ्रष्टाचार और आतंक का केन्द्र बन रहा है । मेरा इलाका गरीब इलाका है, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग, गरीब लोग रहते हैं। इन लोगों के साथ जब कोई घटनाएं होती हैं तो वह थाने में पहुंचते हैं। थाने के अधिकारियों में वहां ए. एस आई. रतनसिंह है और थानेदार है अब्दुल वहीद"

श्री अध्यक्ष : कृपया नाम नहीं लें। पद से उनको सम्बोधित कर सकते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : वह बिना पैसे लिये लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। नाजायज तरीके से किसी भी व्यक्ति को जो एजेन्ट होता है, उसके द्वारा बुला लेते हैं और बिना पैसे लिये छोड़ते नहीं हैं। गलत और झूठी रिपोर्ट लोगों के खिलाफ दर्ज करते हैं। इस तरह की स्थिति से इलाके में भयंकर आतंक है । मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा । बाबूलाल सन ऑफ गोपाल बैरवा अनुसूचित जाति का है और बिनायका का रहने वाला है । उसके साथ मारपीट हुई । 18 तारीख को उसने रिपोर्ट दर्ज करायी लेकिन उसकी कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि रिपोर्ट दर्ज कराने

(श्री हीरालाल आर्य)

के इस व्यक्ति से 130 रुपये लिये। 130 रुपये लेने के बाद रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद भी कार्यवाही नहीं की। यह व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति बाबूलाल, पन्नालाल मीणा की वजह से बड़ा परेशान है। दूसरा व्यक्ति नन्द बिहारी रामपुरा का रहने वाला है। इसके मकान को यह दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है। वह सामान नहीं ले पाता। दूसरा व्यक्ति थाने के प्रभाव की वजह से सामान लेने नहीं देता और नाजायज परेशान कर रहा है। एक विजयपाल सन आफ रामचन्द्र, जाति जाटव अनुसूचित जो जाति का है। इसने थाने में छुआछूत पर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करायी…

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव तक अपने आपको सीमित रखें।

श्री हीरालाल आर्य : उसके खिलाफ तो कार्यवाही नहीं की उलटे उसके प्रभाव में आकर उसको बुलाया और तीन चार दिन तक थाने में बैठाये रखा। वह एक मजदूर है, गरीब है। उसने कहा, मैंने तो रिपोर्ट दर्ज करायी, उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ? उलटे मेरे को बिठाये रखते हो। इस तरह से आतंक व्याप्त है। एक रामनाथ गुर्जर इटावा का है और रामरतन इटावा का है। ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इनको बुला लिया और पैसे लेकर छोड़ा। पांचू सन आफ धन्नालाल कोली है, इसका पुराना पीढ़ियों से इटावा में मकान है, किन्हीं प्रभावशाली व्यक्ति ने चबूतरे पर एक दुकान लगायी…

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल : इसने जब थाने में शिकायत की तो पुलिस के लोग डण्डा लेकर पहुंचे, उस कोली को डांटने लगे कि इसने यहां पर दुकान लगायी है यहीं पर रहेगी इस तरह से यह थाने वाले करते हैं। वे यदि किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनको डांटते हैं, तुम सरपंच के पास या विधायक के पास क्यों गये थे ? जो दूसरे लोग उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, कोई बोलता है सरपंच या प्रभावशाली व्यक्ति तो उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इस तरह से बाबूलाल पी. डब्ल्यू. डी. में यू. डी. सी. है। उसके खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि यह हमारे सरकारी काम में बाधा डालता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। यह सूची थाने वाली समाप्त नहीं होती। भाषण समाप्त हुआ।

श्री हीरालाल आर्य: पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। इस तरह प्रभावशाली व्यक्तियों के कहने पर लोगों को थाने वाले परेशान करते हैं। थानेदार ने इसके अलावा लुहावद के सरपंच श्री मांगीलाल दाधीच के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की है कि वह शान्ति भंग करते हैं झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उन्होंने मांगी बाई तथा उसके देवर व पति को नाजायज परेशान करने से रोका था। मांगी बाई थाने में उसके साथ श्री बृजमोहन चेयरमैन द्वारा बलात्कार किये जाने की शिकायत करने उसके देवर व पति के साथ गई थी। थानेदार ने श्री बृजमोहन के प्रभाव में आकर उलटे उसके देवर को डांटा व उसे 107, 151 में बन्द कर दिया। थाने की इस कारगुजारी से सारे क्षेत्र में आतंक व्याप्त है तथा पुलिस की साख गिर रही

(श्री हीरालाल आर्य)

है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जो इस तरह से थानेदार और ए.एस.आई. ने आतंक फैला रखा है, उनको निलम्बित करो और हटाओ की मांग करता हूं ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री यदुनाथसिंह ।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने बंधुआ मजदूरों के ऊपर एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, जो बंधुआ मजदूर पकड़े गये, जिनकी आपने सरकार से जानकारी चाही थी लेकिन इस बीच में जो घटनाएं हुई हैं, वह यह है कि उस बैंक को बन्द कर दिया गया है। डायरेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया था, उसमें ताले लगा दिये गये थे। अब उस बात को भुलाने की कोशिश की जा रही है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार से जल्दी जवाब मांगा जाय और आज या कल मुझे मौका दिया जाय ताकि सारे रहस्य का उद्घाटन कर सकूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत लम्बी सूची है । आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं या स्थगन प्रस्तावों की बात कर रहे हैं । स्थगन प्रस्ताव के बारे में क्या स्थिति है यह अगर आप जानना चाहें तो, माननीय सदस्य, मेरे चैम्बर में आये…

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में पानी की समस्या के बारे में स्थगन प्रस्ताव और एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन है । पिछले विधान सभा सत्र में जिस प्रकार दुर्व्यवहार माननीय सदस्यों के साथ किया गया, जिससे सदस्यों का अपमान हुआ उसके संबंध में मेरे प्रस्ताव हैं ।

श्री अध्यक्ष : यहां जो कार्यवाही होती है…?

श्री भंवरलाल शर्मा : उसका कोई निर्णय आपकी तरफ से नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : उसका भी निर्णय दे देंगे । अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री यदुनाथ सिंह । भरतपुर जनरल अस्पताल में आंखों के आपरेशन से ज्योति समाप्त होने के संबंध में। संक्षेप में ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : किसका ध्यान आकर्षित करें ?

श्री अध्यक्ष : आप शुरू कीजिये, आ जायेंगे । दो हैं ध्यानाकर्षण करने वाले माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसका करें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुपचाप बैठे मौन धारण करके । आप बुलायेंगे, तभी बोलेंगे । यह क्या तमाशा है ?

श्री राजबहादुर : सदन को बहुत लाइटली लिया जा रहा है। ऐसे टेक्नीकल सब्जेक्ट में माननीय राज्य मंत्री कभी कोई जवाब नहीं दे सकते न आगे कह सकते हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, डिप्टी मिनिस्टर, मेडिकल विभाग यहां पर बैठे हुए हैं।

Page No 52

(52)

एक माननीय सदस्य : इनको क्या मालूम है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, संयम बरतें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये डिप्टी मिनिस्टर हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो····

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी यहां हों, तो जल्दी बुला लीजिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट के लिये विधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी देर के लिये इन्तजार कर लीजिये, नहीं तो ऐसा ही कर लेंगे प्रारंभ कीजिये, श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर जनरल अस्पताल में 12 व्यक्तियों की आंखों के गलत ऑपरेशन

श्री सी. एल. कंवरिया (चिकित्सा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जनरल अस्पताल में···

श्री अध्यक्ष : पहले जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, वे आपका ध्यानाकर्षण करेंगे । घनश्याम तिवाड़ी और यदुनाथ सिंह तत्पश्चात् मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जनरल अस्पताल, जिसका एक हिस्सा रामकटोरी अस्पताल है, में पिछले 7 मार्च से 16 मार्च तक आंखों के ऑपरेशन किये गये, उनमें 12 लोगों की आंखों की ज्योति समाप्त हो गई हमारे यहां यह दूसरा काण्ड हुआ । पहला काण्ड भागलपुर में पुलिस द्वारा किया गया।।

श्री अध्यक्ष : वहां भी आपरेशन था क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह पुलिस का आपरेशन था, यह डाक्टरों का आपरेशन है। आपरेशन किये गये, सबसे पहले 8 तारीख को भगवतनाथ नाम के आदमी का आपरेशन किया गया । उसका दूसरे दिन रिएक्शन हो गया और वह अन्धा हो गया। डाक्टरों को पता लग चुका था कि आपरेशन थियेटर में या एनस्थेसिया देने में कहीं न कहीं गलती है और इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण रिएक्शन हुआ और आंखों की ज्योति खराब हो गयी । इसके बावजूद, अध्यक्ष महोदय, आपरेशन थियेटर को बन्द नहीं किया गया, आपरेशन चालू रहे । जब 10 तारीख को वहां सी.एम.एच.ओ. को लिख कर, मेडिकल आफिसर की लोगों ने शिकायत की कि आपरेशन थियेटर के कारण इन्फेक्शन हो रहे हैं फिर भी···

(1.5 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

आपरेशन होते रहे और 12 लोगों की ज्योति सदा सर्वदा के लिये समाप्त कर दी गई । अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा, जिनका सरकार जवाब दे। यह आपरेशन थियेटर 7 तारीख से पहले कब कार्बोलाइज किया गया ? मंत्री महोदय नोट कर लें, 7 से 16 तारीख तक कितनी बार कार्बोलाइज किया गया ? एक दिन आपरेशन करने के बाद जब दूसरे दिन आपरेशन किया जाता है तो आपरेशन थियेटर को कार्बोलाइज करने की क्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

स्टेण्डर्ड पद्धति है ? यंत्रों को आपरेशन थियेटर के अन्दर जो स्टरलाइजेशन बाक्स बना हुआ है, उसके अन्दर स्टरलाइज करते हैं या ये यंत्र कहां से स्टरलाइज करके लाये जाते हैं ? तीसरा, आप जवाब देंगे, वहां पर जो बाथरूम लेबोरेटरी बनी हुई थी उसका दरवाजा क्या आपरेशन थियेटर के अन्दर खुल रहा था? एक जवाब दें कि अस्पताल के यंत्रों को डाक्टर घर पर ले जाकर आपरेशन करते थे, जहां पर स्टरलाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी? दो आदमी परमानन्द और वृन्दावन, जो दोनों भाई थे, की आंखों का एक घर में प्राइवेट क्लिनिक के डाक्टर ने आपरेशन किया और आपरेशन को 700 रुपये फीस उन्होंने ली ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्या इसकी एन्ट्री अस्पताल के रजिस्टर में की गई कि यह सामान डाक्टर के घर पर जा रहा है ? जो बीमार मौजूद थे, जिसके 700 रु. लिये गये, उनकी इन्डोर पेशेन्ट के नाते अस्पताल में एन्ट्री हुई थी ? माननीय मंत्री महोदय, परमानन्द और वृन्दावन, इन दोनों का 700 रु. लेकर 12 तारीख को आपरेशन किया गया। अस्पताल में इनकी एन्ट्री हुई थी। उसके बाद अस्पताल से यंत्र ले जाकर घर पर आपरेशन किया गया। इसके बाद 15, 16 तारीख को आपरेशन बन्द किये गये। 7 से 16 तारीख तक लगातार केसेज होते रहे। डाक्टरों ने क्यों नहीं रिपोर्ट की ? रिपोर्ट की, तो क्या कार्यवाही हुई ? उन 12 व्यक्तियों की ज्योति समाप्त करने के लिये कौन जिम्मेदार है ? सरकार ने उन लोगों की क्षति पूर्ति के लिये क्या किया है ? सरकार ने एक कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उससे प्रमाणित होता है कि वहां पर सारी गलती के लिये प्रशासनिक मशीनरी दोषी है। मैं किसी डाक्टर को दोषी नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को इस एक उदाहरण ने खोखला सिद्ध कर दिया है। राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं का दिवाला निकल चुका है। आज किसी भी जिला अस्पताल में आपरेशन थियेटर कार्बोलाइज नहीं होता है। यंत्रों को ठीक प्रकार से नहीं रखा जाता है। आपकी सरकार बनने के बाद आपने जवाब दिया है कि राजस्थान में 173 आदमी आंत्रशोथ से मर गये। आप जब से मंत्री बन कर आये हैं, आंत्रशोथ से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह एक नमूना है सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का। आंखों के आपरेशन ने 12 लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया। आप जवाब दीजिये कि अस्पतालों में एनस्थेसीयन कितने हैं और कौन उनकी जांच करता है ? रोजाना आपरेशन थियेटर बन्द होने के बाद कार्बोलाइज करने की क्या व्यवस्था है ? आपरेशन थियेटर कार्बोलाइज किये जाते हैं या नहीं ? ये कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, जो मैंने आपके सामने रख कर ध्यानाकर्षण कर दिया। मैं समझता हूं कि आप जवाब दे सकेंगे ताकि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक प्रकार से काम कर सकें।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।
(अनुपस्थित)
मंत्री महोदय।

श्री सी. एल. कंवरिया (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, भरतपुर जनरल अस्पताल में रामकटोरी चिकित्सालय एक अल

(श्री सी. एल कंवरिया)

विभाग है, जहां केवल आंखों के रोगों का उपचार किया जाता है। माह फरवरी, 1981 एवं मार्च, 1981 में उक्त अस्पताल में 333 आंखों के आपरेशन किये गये। उनमें से सात रोगियों के आंखों के आपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो गया, जिससे आंखों में पस पड़ गया और उनकी नेत्र ज्योति चली गई। इन 333 केसेज में से 80 केसेज दिनांक 7-3-1981 और 14-3-1981 के बीच आपरेट किये गये। इनमें से 6 केसेज में इन्फेक्शन हो गया और एक केस माह फरवरी में हुआ। इनके अतिरिक्त दो केस रोगियों के घर पर दिनांक 9-3-1981 और 11-3-1981 को किये जो सेप्टिक हो गये। यह आपरेशन भिन्न-भिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न डाक्टरों के द्वारा किये गये। 9 केसेज जिनमें पस पड़ गये, उनमें से सात रोगियों के आपरेशन अस्पताल में हुए थे और दो रोगियों के आपरेशन अस्पताल के बाहर रोगियों के घर पर किये गये। जिन सात व्यक्तियों के अस्पताल में आपरेशन किये गये थे, उनका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। एक सप्ताह में जब एक साथ 6 आपरेशन किये गये, रोगियों की आंखों में इन्फेक्शन हुआ। डाक्टर एम. जी. सक्सेना, वरिष्ठ विशेषज्ञ, नेत्र ने तुरन्त थियेटर बन्द करके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचना दी। उन्होंने डाक्टर ए. एल. परमार कनिष्ठ विशेषज्ञ को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया, जिसने आपरेशन थियेटर का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद पुनः स्टरलाइजेशन कराया। 7 दिन तक इस थियेटर में आपरेशन नहीं किये गये, परन्तु डाक्टर परमार इस निर्णय पर नहीं पहुंच सके कि यह इन्फेक्शन कैसे हुआ और कहां से आया? इन नौ रोगियों का जिन भिन्न-भिन्न डाक्टरों ने आपरेशन किया उनका ब्यौरा इस प्रकार है—

डा. एन. जी. शर्मा वरिष्ठ विशेषज्ञ, नेत्र, इन्होंने एक आपरेशन अस्पताल में किया और दो रोगियों के घर पर आपरेशन किये।

पांच रोगियों के आपरेशन डाक्टर जी. आर. सिंघल के द्वारा किये गये थे। एक रोगी का आपरेशन डाक्टर एम. बी. बंसल के द्वारा अस्पताल में किया गया। जनवरी, 1981 से अप्रैल, 1981 तक नेत्र चिकित्सालय से सम्बन्धित चार डाक्टरों ने 630 आपरेशन किये थे। इनमें से सब से अधिक आपरेशन डाक्टर जी. आर. सिंघल द्वारा किये गये। आंखों के खराब होने के के केसेज इतने कम थे कि डाक्टर परमार और किसी दूसरे डाक्टर को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इसलिये इन परिस्थितियों को विशेष परिस्थितियां मानते हुए निदेशालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी गयी और जो आवश्यक कार्यवाही उनके स्तर पर करना अनिवार्य थी, वह कर ली गई। दैनिक नवज्योति में आंखों के खराब होने का समाचार दिनांक 17-1-1981 को छपा। दिनांक 29-4-1981 को श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने इस के बारे में निदेशालय को अवगत कराया। दिनांक 30-4-1981 को तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भरतपुर द्वारा जांच होने के बावजूद अलग से जांच करना आवश्यक समझा गया। कमेटी के निम्न सदस्य थे :

(श्री सी. एल. कंवरिया)

डा. आर. जी. शर्मा, नेत्र विशेषज्ञ एवं प्रोफेसर आफ आपथोमोलोजी,

डा. एन. एल. शर्मा, प्रोफेसर आफ आपथोमोलोजी,

डा. सज्जनसिंह, निदेशक, ई.सी. डी.

इन्होंने रिपोर्ट अलग से दी है। इस कमेटी के निर्णयानुसार निम्न बातें पाई गई हैं। कमेटी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मार्च, 1981 में जो आपरेशन किये गये थे, रोगियों के इन्फेक्शन रेट में वृद्धि हुई है। यह इन्फेक्शन जिन रोगियों को हुआ, उनमें विभिन्न डाक्टरों द्वारा आपरेशन किया गया, जो विभिन्न जिलों में हुए। कमेटी इन्फेक्शन रेट के बढ़ने के कारणों का पता नहीं लगा सकी। कमेटी के विचार में यह इन्फेक्शन शायद आपरेशन थियेटर में बने हुए टट्टी, पेशाब घर से लगाया जा सकता था। कमेटी का यह भी सुझाव था कि औजारों के स्टरलाइजेशन अस्पताल के थियेटर में न करा कर आंखों के अस्पताल में कराने की व्यवस्था होनी चाहिये। उनकी सिफारिश, जांच रिपोर्ट दी गयी है। प्रत्येक आपरेशन के पहले डाक्टर इस बात का प्रयत्न करता है कि उसके द्वारा जो आपरेशन किये जा रहे हैं, रोगियों को न तो कोई इन्फेक्शन हो और न कोई दूसरा कम्पलीकेशन हो, क्योंकि कोई भी केस खराब होने पर डाक्टर की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता है। अतः सभी प्रयत्नशील रहते हैं कि सभी प्रकार के तरीके अपना कर बिना किसी हानि के रोगियों का आपरेशन हो जाय। फिर भी किसी प्रकार इन्फेक्शन अनायास यदा कदा भिन्न भिन्न अस्पतालों में बिना किसी कारण के हो जाते हैं, जिसमें किसी भी डाक्टर एवं अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। रोगियों के रिश्तेदारों के आदान प्रदान से भी अस्पतालों में इन्फेक्शन होता रहता है और विशेष प्रयत्न करने के बावजूद भी इस प्रकार के इन्फेक्शन, इंसीडेंस हो जाते हैं। इस घटना से राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं का कोई निकम्मापन प्रमाणित नहीं होता है बल्कि इस दुखद घटना के स्वयं डाक्टरों के ध्यान में आते ही बचाव के सारे उपाय शीघ्र कर दिये गये। यदि एक विशेष डाक्टर से ऐसी घटना घटी होती, तो यह विचारणीय प्रश्न होता। चूंकि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं को न तो निकम्मेपन के लिये न किसी डाक्टर को दुखद घटना के लिये दोषी ठहराया जा सकता है, इसलिये इसमें मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद यहां से तीन एक्सपर्ट की एक कमेटी बना कर भरतपुर भेजी गयी। उसने सारे प्रकरण की जांच की जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसमें किसी व्यक्ति या किसी डाक्टर विशेष की लापरवाही नहीं है। इतने जो आपरेशन किये गये हैं, उसमें से कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि वे किसी के जानकारी में नहीं आ सके हों। हर डाक्टर जो आपरेशन करता है, वह अपनी जिम्मेदारी के साथ करता है, क्योंकि इसमें उसकी प्रतिष्ठा लगी रहती है। अगर वह आपरेशन खराब हो जाता है तो उसके खराब होने के कारण से उसकी प्रतिष्ठा पर आघात आता है। एक्सपर्ट्स की जांच कमेटी तीन सदस्यों की बनाई गई है।

(श्री सी. एल. कंवरिया)

उसने जांच की और जांच के बाद उन्होंने यह जो रिपोर्ट दी है, उसमें किसी डाक्टर की लापरवाही नहीं मालूम पड़ी है। अनायास किसी प्रकार का इन्फेक्शन आ गया और उसके कारण यह घटना हो गई। राज्य सरकार खुद इस बात के लिये अफसोस जाहिर करती है कि इस प्रकार के केसेज हो गये, लेकिन जांच से अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि किसी डाक्टर की कोई लापरवाही ऐसी नहीं रही है उस कारण से किसी डाक्टर के ऊपर, किसी तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने जानबूझकर यह कार्य किया है। इतने सारे आपरेशन में यह अनायास हो गया। सात केस बिगड़ गये, जिनका आभास उनको पहले नहीं हुआ। मेरा नम्र निवेदन है कि इसमें किसी प्रकार से डाक्टरों की कोई लापरवाही नहीं पाई गई है। इसमें पूरी तरह से सरकार ने ध्यान रखा है और डाक्टरों की कोई लापरवाही नहीं है। इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सभापति महोदया, मैंने मंत्री महोदय से जो बातें पूछी थी उनका तो उन्होंने जवाब दिया नहीं है और निकम्मापन नहीं है और न जाने क्या क्या कह दिया है। मैंने प्रश्न पूछा था कि सात मार्च को आपरेशन थियेटर को कार्बोलाइज किया गया था या नहीं? उससे पहले किस दिन कार्बोलाइज किया गया था और कार्बोलाइजेशन कब हुआ था?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): यह भी बताइये कि कार्बोलाइज का मतलब क्या है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: इस प्रश्न का यही तो खास भाग है।

श्री सी. एल. कंवरिया: माननीय सभापति महोदया, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि सात मार्च से लेकर 14-3 तक फरवरी में प्रत्येक दिन आपरेशन थियेटर को कार्बोलाइज किया जाता रहा है। यानी कि आपरेशन के पूरे स्टेप लिये गये इसके बावजूद अनायास इन्फेक्शन हो गया और ये आपरेशन बिगड़ गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: कार्बोलाइजेशन कहते किसे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा: व्हाइट वाश को कहते हैं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: ये कह रहे हैं कि प्रतिदिन कार्बोलाइज किया जाता था। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि कहते किसे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: कार्बोलाइजेशन प्रतिदिन हुआ, ऐसा कहा है क्या आपने?

श्री सी. एल. कंवरिया: यह डेली किया जाता रहा है। कार्बोलाइजेशन किया जाता रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: किया जाता है ना? सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री को यह चुनौती देता हूं कि भरतपुर के हास्पिटल में कार्बोलाइजेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जहां आपको हमने दो मिनट तक प्रतीक्षा की है, और कर लेंगे, जाइये विभाग से पूछ आइये कि कार्बोलाइजेशन की व्यवस्था नहीं है।

एक माननीय सदस्य: उस पर्ची में क्या लिखा है?

Page No 57

(57)

श्री सी.एल. कंवरिया : मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं, माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य जो बात उठा रहे हैं कि कार्बोलाइजेशन किया गया या नहीं किया गया, तो विभाग को यह सूचना है कि कार्बोलाइजेशन किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मेरी समझ में नहीं आता कि डाक्टरों की, 3 स्पेशलिस्टो डाक्टर आर.पी.शर्मा, सज्जन सिंह और तीसरे एम.डी.शर्मा की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि कार्बोलाइजेशन नहीं किया गया है ?

श्री सी.एल. कंवरिया : वहां पर कार्बोलाइजेशन की व्यवस्था है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा हूं कि आप व्यवस्था को जाने दीजिये ये जो सात दिन तक आपरेशन हुआ, सात से लेकर 16 तारीख तक, इन दिनों में कार्बोलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ? यह बेसिक चीज बता दीजिये।

श्री सी. एल. कंवरिया : यह तो नियमानुसार रोजाना किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह रोजाना होता है या नहीं होता है, इससे मतलब नहीं है, पर पर्टीकूलर पीरियड में यह कार्बोलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ ?

श्री सी.एल. कंवरिया : हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किया है। सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट में क्या है ? जानकारी नहीं है, इसलिये ही यह बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : गलत कह कह रहे हैं।

श्री रामनारायण हूंडी (बिलाड़ा) : मंत्री महोदय को सब जानकारी है। आपकी जो इन्फार्मेशन है वह गलत हो सकती है।

श्री सी. एल. कंवरिया : मेरे पास जो सूचना आयी है, उसी के आधार पर कह रहा हूं...

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, अभी तो चुनौती दे रहे हैं। पर जब वह व्यवस्था वहां पर नहीं थी तो इन्होंने ढाई साल तक क्या किया ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : कुछ नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये माननीय सदस्य आये कहां से हैं ? आये कहां से हैं ?

एक माननीय सदस्य : चौमूं से आये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : xxxकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। हमारे वश की बात नहीं है xxx की व्यवस्था करना।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें। आपस में बातें न करें।

श्री तेजपाल यादव : सभापति महोदया, ये तो यों ही xxx करते हैं, जब कोई सुनता नहीं है, तो ये यहां कहकर के आत्म सन्तोष कर लेते हैं।

---

xxx शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मेरा सीधा चार्ज है, जो रिपोर्ट आयी है वह रिपोर्ट हाउस की मेज पर रखी जाये। जहां तक मुझे पता है, रिपोर्ट में यह है कि पिछले कई दिनों से आपरेशन थियेटर कार्बोलाइज हुआ ही नहीं था। मंत्री महोदय गलत जानकारी दे रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिपोर्ट का अंश पढ़कर सुना दें जिसमें यह लिखा हुआ हो कि कार्बोलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है?

एक माननीय सदस्य : इससे तो विधायक ही अच्छे थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री सी.एल. कंवरिया : सभापति महोदय, मैं 3 एक्सपर्ट्स की कमेटी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुयी है, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह रिपोर्ट अंग्रेजी में है। मैं अंग्रेजी में पढ़कर सुना देता हूं।

"Composition of Committee:-
Dr. R.C. Sharma, Professor, Opthomology, S.M.S. Medical College, Jaipur.

Dr. M.L. Sharma, Professor of Pathology, S. M. S. Medical College, Jaipur.

Dr Sajjan Singh...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, डिस्टर्ब न करें।

एक माननीय सदस्य : इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री सभापति : आप उतना ही पोर्शन पढ़ दीजिये जिसमें यह लिखा हुआ हो कि कार्बोलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभानेत्री महोदया, आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें से वह पोर्शन पढ़कर सुना दूं...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समझ में नहीं आता है कि ये सब मंत्रीजी के पीछे क्यों पड़े हुये हैं? आप जूनियर मंत्री हैं, आप क्या गाइड करेंगे? बोलने दीजिये, जो बोल रहे हैं। क्या × × × बात है? कहने दीजिये जो कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वे समझते नहीं हैं?

एक माननीय सदस्य : राज्य मंत्री जी प्रमोशन चाहते हैं।

"Was the post-operative care adequate?

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय सभापति महोदय, मैं उस रिपोर्ट का आपरेटिव पोर्शन पढ़कर सुना देता हूं...

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No 59

(59)

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर): डिप्टी मिनिस्टर को दे दीजिये।

श्री सभापति : डिस्टर्ब न करें।

श्री दुलाराम : ये अटक- अटक कर बोल रहे हैं, वे धड़ाधड़ पढ़ देंगे।

श्री सभापति : ये मंत्री महोदय का लुकआउट है।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें। बीच में व्यवधान न डालें।

श्री सी. एल. कंवरिया : तो मैं रिपोर्ट का आपरेटिव पोर्शन पढ़कर सुना देता हूं—

"Operations were done methodically after observing all aseptic precautions by senior specialists and other post-Graduate C.A.S. doctors. Post operatively all the cases were attended and dressed under the supervision of senior Eye Specialist himself and the cases ordinarily were discharged after 5–6 days unless there was any complaint pertaining to the eye.

"All the alleged cases developed aseptic complications up to 16th March, 1981, except one case developed sepsis in February and in another case in the last week of March 1981."

श्री सभापति : मंत्री महोदय, दुबारा से जो पोर्शन है, वह पढ़कर सुना दें, अगर जवाब दे सकते हैं, तो दे दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मंत्री महोदय, यह जो रिपोर्ट है वह सदन की मेज पर रख दें। हम भी पढ़ लेंगे आप भी पढ़ लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वाह साहब! वाह साहब ! क्या बात कही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, मैं ऐसा मानता हूं, माननीय राज्य मन्त्रीजी खड़े हुए हैं, उनको नियमों की जानकारी होगी, और नहीं है, तो वे कर लेंगे। आप बिजनेस रूल्स देख लीजिये कि किसी भी डाकूमेन्ट को सरकारी पक्ष पेश करता है सदन की मेज पर रखता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभानेत्री महोदया, मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा he has read only the operative portion of the report.

रिपोर्ट का आपरेटिव पोर्शन स्वास्थ्य मन्त्रीजी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप इजाजत दें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

(1.3. म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पीठासीन)

श्री अध्यक्ष : टेबल पर नहीं है, आलरेडी गवर्नमेन्ट का जवाब आया, उसके साथ नत्थी की गई।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको क्या पता था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप विराज आइये, आपकी काबलियत देख ली।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : हाउस का टाइम वेस्ट हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है,

श्री राजबहादुर : मैं आपसे नहीं कह रहा, इनसे कह रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा था कि आपके पास आई होगी, हमारे पास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह पूछा गया कि क्या आपरेशन के पहले कार्बोलाइजेशन हुआ है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि हुआ है। इसकी जानकारी करनी है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नॉर्मल प्रेक्टिस है कि रोजाना होता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया। है कि आपरेशन थियेटर का कार्बोलाइजेशन हुआ है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप गुमराह कर रहे हैं He has not read the whole of the report to lay on the Table of the House.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौन बीच में बोल रहे हैं ? जूनियर मिनिस्टर, मिनिस्टर की इन्सल्ट करते हैं बार-बार । दिखता नहीं है तो मन्त्रिमण्डल में क्यों लिया ।

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो बिन्दु उठाया कि कार्बोलाइजेशन किया गया या नहीं किया गया, इस पर्टीकूलर केस में ? वैसे तो प्रेक्टिस के अनुसार कार्बोलाइजेशन डेली किया जा रहा था । और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह सदन की मेज पर है, उसमें स्पेसिफिकली तो यह नहीं बताया कि कार्बोलाइजेशन किया गया या नहीं । क्योंकि ऑपरेशन अलग-अलग तारीखों के हैं। उस बिन्दु पर रिपोर्ट में यह कहीं नहीं आया कि कार्बोलाइजेशन किया गया या नहीं किया गया ? लेकिन इन्फेक्शन अवश्य हुआ था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि हॉस्पिटल में कार्बोलाइजेशन की व्यवस्था की जाये ।

श्री सी. एल. कंवरिया : ऑपरेशन थियेटर में कार्बोलाइजेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें आपका दोष नहीं है, माननीय मन्त्री महोदय, जितनी जानकारी आपको दी, वह आपने सदन को दे दी। प्रश्न सीधा सा है ऑपरेशन में इन्फेक्शन हो गया, इसकी जांच की गई। सात तारीख को पहला आपरेशन किया गया । ऑपरेशन के इमिजिएट बाद में जानकारी दी कि इन्फेक्शन हो गया। आखिर आप मन्त्री हैं–It is not supposed to be guided by the officers. हर जगह चिट भेजते हैं- जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। आखिर आप एम.एल.ए. हैं, मिनिस्टर बनाया है शिवचरणजी ने, बार-बार चिट भेजकर पूछते हैं, यह हाउस की इन्सल्ट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने आपके मिनिस्टर भी देखे थे। आपके वक्त में क्या यह नहीं होता था, जब आप यहां पर विराजमान थे?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : मन्त्रीजी ने किसी प्रकार की गलती तो नहीं की, जो जानकारी मिली, उसके आधार पर उत्तर दे दिया। विरोधी पक्ष के नेता महोदय उनको बारबार टोक रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं दो जानकारी चाहूंगा, मेरा कोई गलत इन्टेन्शन मन्त्री महोदय के प्रति नहीं है। आपको रिपोर्ट आई, उसमें दो प्रश्न पर्टिनेन्ट हैं, आप भी बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने नहीं पढ़ी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर जवाब कौन देगा? आपने पढ़ी नहीं, इन्होंने पढ़ी नहीं ...

श्री अध्यक्ष : कार्बोलाइजेशन हुआ या नहीं, इस पर मन्त्री महोदय जानकारी कर लेंगे। जितनी सावधानी बरतनी चाहिये थी, उतनी बरती गई। आपने पोइन्टेड प्रश्न उठाया है कि कार्बोलाइजेशन किया गया या नहीं? इस पर मन्त्री महोदय जानकारी कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दो आदमियों की आंखें खराब हो गईं। उनका जीवन बरबाद हो गया। हमने यह आरोप नहीं लगाया कि मन्त्री महोदय ने उनकी आंखें फोड़ दीं, यह भी नहीं कहा कि जान बूझकर दो आदमियों की आंखें फोड़ दी गईं। दो आदमियों की आंखें चली गईं, इस पर सदन में चर्चा हो रही है। ऑपरेशन से पहले जो व्यवस्था होनी चाहिये, मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी चाही है। उसकी जानकारी नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने यह आपत्ति की होती....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसमें सावधानी शब्द लिखा है।

श्री अध्यक्ष : कार्बोलाइजेशन हुआ या नहीं और उसके अन्दर ये सब कठिनाइयां पैदा हो गईं। जो प्रश्न है इस मुद्दे को आज उठाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो नार्मल प्रेक्टिस है। कार्बोलाइजेशन की व्यवस्था वहां हुई या नहीं?

श्री बी. एल. कंबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि हॉस्पिटल में कार्बोलाइजेशन की व्यवस्था है और वह की जाती रही है। ऑपरेशन विभिन्न तारीखों में किये गये। 333 केसेज ऑपरेशन के हुए। केवल सात हॉस्पिटल में और दो बाहर, जिनमें सेप्टिक हो गया। अगर ऐसा शुरू से ही होता, तो बहुत से केसेज खराब हो सकते थे। यह दैनिक प्रक्रिया है, उसके मुताबिक कार्बोलाइजेशन करते हैं और किया गया है, ऐसा मेरी जानकारी है।

लेकिन अब यह कोई इस प्रकार अनजाने में ऐसी बात हो गई किसी कारण से वहां पर यह इन्फेक्शन आ गया और इन्फेक्शन की वजह से ये केसेज बिगड़े, वरना कार्बोलाइजेशन किया जाता है। 333 केसेज में

(श्री सी. एल. कंवरिया)

आपरेशन हुए और 333 केसेज में कार्बोलाईजेशन नहीं होता तो बहुत से केसेज ज्यादा खराब हो सकते थे। जो आई आपरेशन थियेटर है, वहां हमेशा इस प्रकार के आपरेशन्स किये जाते हैं, तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि आपरेशन थियेटर का कार्बोलाइजेशन नहीं किया गया। वहां कार्बोलाइजेशन की व्यवस्था पूरी है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। एक बिन्दु पर दुबारा मंत्री महोदय सदन को सूचित कर देंगे कि कार्बोलाइजेशन...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मैं प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, आपके आने से पूर्व प्रश्नकर्ता ने तीनों चारों सवाल पहले कर दिये। तीनों को जवाब एक ही साथ दे दें।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह: डा. हरिसिंह, ये एक्सपर्ट हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: एक्सपर्ट ऐसे हैं कि हमारे साथ हैं तो हमारी बोलेंगे, आपके साथ हैं, तो आपकी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: पहले मैं प्रस्ताव करता हूं, माननीय सदस्य को अवसर देता हूं लेकिन यह प्रकरण शीघ्र समाप्त होना चाहिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा): मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: आपको बाद में अवसर दिया जायगा...

श्री हरिसिंह: मैं बोल दूं, वाद विवाद ही खतम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती। मैं आपको बाद में अवसर दे दूंगा, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मेरे दो प्रश्न हैं, कार्बोलाइजेशन का तो बाद में स्पष्टीकरण करेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या इन व्यक्तियों जिनकी आंखें गई हैं, को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जायगा? दूसरे, क्या अस्पताल के यंत्रों को अस्पताल से लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर उनके द्वारा आपरेशन किया जाता रहा है और उन्हीं यंत्रों से परमानन्द और वृन्दावन का आपरेशन करने से उनकी आंखें चली गई?

श्री अध्यक्ष: दो बातों का जवाब दे दीजिये।

श्री सी.एल. कंवरिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मामले में पूर्व में भी निवेदन किया और अब पुनः इस पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कार्बोलाइजेशन की दैनिक व्यवस्था होती है, आपरेशन से पहले कार्बोलाइजेशन किया जाता है और 333....

श्री अध्यक्ष: वह बात तो समाप्त हो गई। मैंने व्यवस्था दे दी कि आप स्पेसिफिकली मालूम करके बतायें कि उन दिनों कार्बोलाइजेशन हुआ या नहीं?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री सी. एल. कंवरिया: उन दिनों में कार्बोलाईजेशन हुआ है, यह रोजाना किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्रियों को ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी का पूछना है कि आगे उनको मुआवजा दिया जायेगा क्या ? क्या ये यंत्र दूसरे प्राइवेट शफाखानों में काम में लिये जाते थे ? इस बारे में क्या फरमाना है ?

श्री सी. एल. कंवरिया : इस संबंध में मेरा निवेदन है कि एक्सपर्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने यह स्पष्ट जाहिर कर दिया है कि इसमें किसी डाक्टर विशेष की या डाक्टरों की कोई लापरवाही नहीं रही है । यह इन्फेक्शन अनजाने में किसी प्रकार से आ गया है । किसी नेग्लीजेंस या केयरलेसनेस से नहीं हुआ है । इसलिये उनको मुआवजा देने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर हरिसिंह ।

(व्यवधान)

अब मैं प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा । आर्डर प्लोज, माननीय सदस्य । सदन में बाधा उपस्थित कर रहे हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह सदन का घोर अपमान है । क्या जवाब दे रहे हैं? रिपोर्ट दे दी, उनको कितना मुआवजा दिया जायगा, यह रिपोर्ट देखी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या उस एक्सपर्ट कमेटी को राज्य सरकार ने जिस काम के लिये नियुक्त किया था, उसकी टर्म्स आफ रेफरेंस में था, उससे यह भी कहा गया था कि वह इस मामले में राज्य सरकार को सुझाव दे कि जिन लोगों की आंखें गई हैं, उन लोगों को कम्पेन्सेशन दिया जाय या नहीं ? अनकाल्ड फार एडवाइस थी ?

श्री सी. एल. कंवरिया : कमेटी की रिपोर्ट में यह फैक्चुअल पोजीशन बताई गई है कि इनकी नेग्लीजेंस रही या नहीं ? लेकिन जहां तक मुआवजे का सवाल है, इस कमेटी के सामने यह टर्म्स आफ रेफरेंस था ही नहीं । अब आपको मैंने स्पष्ट निवेदन किया कि इसमें नेग्लीजेंस नहीं रही है। इसलिये सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, फिर भी मानवीय दृष्टिकोण रखते हुये विचार किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : डा. हरिसिंह ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : औजार ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । डा. हरिसिंह । ध्यान आकर्षित करने वाले माननीय सदस्य कितने प्रश्न कर सकते हैं, यह निर्णय आसन कर सकता है । मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तीन ।

श्री अध्यक्ष: तीन नहीं, एक ही काफी होता है । मैं तीन ज्यादा समझता हूं । डा. हरिसिंह ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इस सारे मामले को शुरू से ही राजनैतिक रूप दिया जा रहा है ।..

(व्यवधान)

शुरू से ही जब प्रश्न उठा ....

श्री अध्यक्ष : हम डाक्टरी राय चाहते हैं । आर्डर, आर्डर ।

श्री हरिसिंह : वही दे रहा हूं। मैंने भी इसकी गलती से थोड़ी छानबीन की। ऑपरेशन्स होते हैं और इन्फेक्शन्स भी होते हैं, लेकिन नेग्लीजेंस का महत्व यहां यही है कि प्रॉपर केयर लिया गया या नहीं ? आपरेशन्स होते हैं, इस मामले में डाक्टरों की गलती नहीं थी, जैसी डाक्टर्स कमेटी की रिपोर्ट है, सारा मामला साफ है। कुछ आपरेशन्स हुये और कुछ आंखें चली गई। लेकिन ये रोजाना जाती हैं औ आउट दी वर्ल्ड, रोजाना जाती हैं आंखें। इस हंगामे में सारी की सारी इस ढंग से व्यक्तिगत व्यवस्था जो भरतपुर में थी, उस समय उसके कारण से यह हुआ है। इसमें अब बारबार कहा गया कि कार्बोलाइजेशन हुआ या नहीं ? माननीय सदस्यों को मैं दावे के साथ कहता हूं कि कार्बोलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेन्स है ? स्टरीलाइजेशन कई तरीके से होता है। अब वह चाहे कार्बोलाइजेशन से हो या और दूसरे तरीके से हो, कई दवाइयां हैं कार्बोलाइजेशन एक घन्टे का होता है। कहने का मतलब है कि सारे का सारा मामला जहां टेक्निकल मामला है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने जांच कर ली है। दुबारा जांच करवा ली जाय, संतोष नहीं है तो। जहां नेग्लीजेंस हुई है, उस पर एक्शन हो जाना चाहिये। मुआवजे का जहां तक सवाल है, एश्योरेन्स का तो प्रश्न नहीं है। एश्योरेंस अगर गवर्नमेन्ट चाहे तो, दिया जा सकता है। लेकिन जो रूप दिया जा रहा है, वह कोई मतलब की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी इन्फेक्शन हो गया।

शासकीय वक्तव्य
जयपुर शहर के रामगंज क्षेत्र में पड़ी सशस्त्र डकैती

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री। गत 16-9-1981 को रात्रि में जयपुर शहर के रामगंज क्षेत्र में पड़ी सशस्त्र डकैती के बारे में एक वक्तव्य देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : आपकी अनुमति से मैं वक्तव्य दे रहा हूं। मान्यवर दिनांक 16-9-1981 को प्रातः 5-30 बजे श्री मकसूद अहमद पटेल, निवासी बालाजी की कोठी का रास्ता ने टेलीफोन पर प्रभारी, पुलिस थाना रामगंज को सूचना दी कि अब्दुल अजीज पटेल के मकान में चोर, डाकू घुस गये हैं और सामान ले गये हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर प्रभारी, पुलिस थाना रामगंज मय पुलिस फोर्स के तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और जांच प्रारंभ की।

श्री अब्दुल अजीज पटेल ने पुलिस थाना अधिकारी को बताया कि रात्रि के लगभग 1 बजे 7 व्यक्ति, जिनमें से तीन नकाबपोश थे, मकान के दरवाजे का ताला तोड़कर मकान के अन्दर दाखिल हुये और मकान की तीसरी मंजिल, जहां पर अब्दुल अजीज अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ सोया हुआ था, उस कमरे में दाखिल हुये। कमरे में प्रवेश करने पर उन्होंने टेलीफोन के तारों को हटा दिया और अब्दुल अजीज से अलमारियों की चाबी मांगी। उसके विरोध करने पर इन बदमाशों ने उसके हाथ पांव बांध दिये और मुंह पर टेप लगा दिया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अब्दुल अजीज के अलमारियों की चाबी न देने पर इन बदमाशों ने उसके सिर पर पिस्तौल के बट की मारी जिससे उसके सिर पर मामूली खून आ गया। इन बदमाशों ने इन दोनों के हाथों से घड़ियां, नाक की लोंग एवं कान की बालियां खींच लीं, जिससे उसकी पत्नी के खून आ गया। बदमाशान 25 तोले सोने के जेवरात, दो किलो चांदी के जेवरात, 15000) रुपये नकद एवं 4700 कैरेट तैयार व कच्ची खरड़ (पन्ना) ले गये।

बदमाशान जाते समय अब्दुल अजीज को यह धमकी भी दे गये कि पुलिस को एक घन्टे तक सूचित न किया जावे।

वारदात करने के पश्चात् जब बदमाशान चले गये, तो अब्दुल अजीज की पत्नी ने उनके चले जाने के आधे घन्टे पश्चात् कमरे से बाहर आकर पड़ोसियों को आवाज दी, जिस पर पड़ोसी मकान के अन्दर गये और श्री मकसूद अहमद ने इसकी सूचना प्रभारी थाना रामगंज को दी। मौके पर पुलिस के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण चान्स प्रिन्ट प्राप्त किये हैं। पुलिस अधीक्षक एवं उपमहानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेन्ज भी सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच गये। अभियोग का अनुसन्धान अपर अधीक्षक, पुलिस, जयपुर नगर कर रहे हैं। इस संबंध में पुलिस द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। बदमाशान की खोज हेतु पुलिस दल रवाना कर दिये गये हैं एवं अपराधियों का पता लगाने के पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): चर्चा तो नहीं होगी, अध्यक्ष महोदय, पर एकाध प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जिसके घर में डकैती पड़ी, उन्होंने यह जानकारी दी है कि जिस समय वे बदमाशान, जिनको आप कह रहे हैं, कमरे में चले गये, तब उनके दो बच्चे, एक तो दो साल का, दूसरा 11 महीने का, रोने लग गये। तब इस डर से कि उनकी आवाज से लोगों को यह पता न लग जाय, उनमें से एक ने कहा कि इन बच्चों को दूध पिलाओ बावर्ची खाने से दूध ले आओ। फिर बावर्ची खाने में दूध लेने चले गये। उनमें से ही एक और दूध लेकर जब वापस आया, उस दूध में शक्कर नहीं थी, तो पत्नी ने कहा कि बिना शक्कर के दूध नहीं पीयेंगे, तो फिर उनमें से एक आदमी जाकर बावर्ची खाने से शक्कर ले आया। शक्कर मिला कर के दूध पिलाया गया। इससे क्या यह पता नहीं लगता कि यह कोई गिरोह है जो बाहर का नहीं है? यह उसी एरिया में या उनमें से उसकी जानकारी रखने वाला सदस्य है। यह तथ्य आपकी जानकारी में आये या नहीं? यह बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने दूध पिलाने की बात कही, वह सही है। लेकिन मैं इस अवसर पर उस पर जाना मुनासिब नहीं समझता हूं। इसलिये कि इससे इन्वेस्टीगेशन में एडवर्सइफैक्ट पड़ सकने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एडीशनल एस. पी., सिटी को इसका इन्वेस्टीगेशन सौंपा गया है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से इसकी कार्यवाही कर रही है। अगर मैंने बहुत सारी बातें

Page No 66

(६८)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

बतायें जो कि मुझे जानकारी है, उन्हें मैं, यहां बताना इस अवसर पर उचित नहीं समझता। जो आपने कहा, वह बात सही है।

उदयपुर विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं आदि के कारण कुलपति डा. राजनाथसिंह का निलम्बन

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

शिक्षा मन्त्री, श्री चन्दनमल वैद निम्नांकित विषयों पर वक्तव्य देंगे:- (क) उदयपुर विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं आदि के कारण कुलपति, डाक्टर राजनाथसिंह का निलम्बन ।

(ख) राज्य में इन्जीनियरिंग कालेजों तथा पोलीटेक्निक संस्थानों में सीटें कम होने के कारण भीलवाड़ा व भरतपुर में दो पोलीटेक्निक संस्थान खोलने की घोषणा के बावजूद ये संस्थान न खोलने व सभी पोलीटेक्निक संस्थानों में 30-30 सीटें नहीं बढ़ाने के कारण छात्रों को प्रवेश नहीं मिलना ।

श्री चन्दनमल वैद (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, दोनों वक्तव्य साथ ही दूं ?

श्री अध्यक्ष: एक-एक दें।

श्री चन्दनमल वैद : उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय ने डाक्टर राजनाथसिंह को उदयपुर विश्वविद्यालय का कुलपति जून, 1979 में नियुक्त किया और उन्होंने 1 जुलाई, 1979 को पदभार ग्रहण किया ।

राज्य सरकार के पास समय-समय पर विभिन्न सूत्रों से डा. राजनाथसिंह के कार्यों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें कुलाधिपति महोदय की जानकारी में लाया गया। कुलाधिपति महोदय ने डा. राजनाथसिंह को उनके आदेश दिनांक 29-8-81 के द्वारा निलिम्बत किया है । आदेश निम्न प्रकार से है :-

"Whereas it is proposed to hold a detailed enquiry in the acts of omission and commission of Dr. Raj Nath Singh Vice Chancellor of University of Udaipur, he is placed under suspension with immediate effect pending enquiry."

जैसा कि इस आदेश से विदित है, कुलाधिपति महोदय द्वारा डाक्टर राजनाथसिंह को चार्ज शीट दिया जाना अपेक्षित है, जिस पर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। उनका पक्ष प्रस्तुत करने के बाद कुलाधिपति ही निर्णय लेने के लिये सक्षम हैं।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों का नियम 53 इस प्रकार से है:-

"53. न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा के लिये प्रस्ताव :- साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो, जो किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसन्धान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो :

(श्री चन्दनमल वैद)

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रकरण से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष को समाधान हो जावे कि इससे संविहित न्यायाधिकरण संविहित प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार यह वक्तव्य प्रस्तुत है, परन्तु इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का विचार प्रकट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यदि कुछ भी कहा जाता है तो उससे जांच प्रभावित हो सकती है और निलंबित कुलपति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाये हैं, जिनके बारे में कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं। एक बात तो उन्होंने यह कही कि ऐसे मुद्दे विधान सभा में उठाये नहीं जा सकते हैं, जिससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जांच कहां हो, जांच अधिकारी कौन हो, जांच करने के लिये जो प्रक्रिया उसके पहले होती, क्या सारे मुद्दे तय कर लिये गये हैं कि नहीं? यह विषय है, जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि आप देखेंगे, तो पेज नम्बर 6 पर—

"The State Government may cause an inspection to be made ... ..."

माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि राज्य सरकार इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब है कि नम्बर 8 के अन्तर्गत जो पावर राज्य सरकार को है, वह उन्होंने करने का तय नहीं किया। उन्होंने जो बात कही, चान्सलर महोदय जो नम्बर 10 Visitation के powers हैं और नम्बर 8, जो स्वयं ने डिनाई कर दिया, उसकी आवश्यकता ही नहीं समझते। राजस्थान सरकार को पावर है, यह कहा है, उन्होंने नम्बर का जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें

(1) "The Governor of State of Rajasthan shall be the Chancellor of the University He shall, by virtue of his office, be the head of the University and shall preside over convocations thereof.

(2) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes thereunder."

मुझे मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करें कि चान्सलर के बारे में यह डेफिनेशन में दिया गया है। यह चर्चा की गयी है, उसमें इसके सिवाय जांच के बारे में चर्चा हुई हो, तो मन्त्री महोदय मुझे बताने का कष्ट करें। चान्सलर महोदय ने किस आधार पर इस प्रकार की जानकारी, इन्क्वायरी करने की बात कही है? राज्य सरकार को तो उन्होंने अलग कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह तो बहुत अच्छा है। राज्य सरकार इसमें अलग रहे। वैसे राज्य सरकार अलग नहीं है। पालिटिकली मोटिव है,

Page No 68

(68)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इसके पीछे चर्चा में जाना नहीं चाहता, पर एक बात कहना चाहता हूं, सब क्लाजेज की बात है, वह इसके बाद करूंगा। लेकिन जो इन्क्वायरी का प्रोसिजर है, जो कि राजस्थान सरकार से संबंधित है, क्या राजस्थान गवर्नमेन्ट जांच कर सकती है ? उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। उसके बारे में मन्त्री महोदय यही कहेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस एक्ट के तहत किस प्रकार इन्क्वायरी करने की प्रक्रिया शुरू हुई ?

श्री अध्यक्ष : इसमें स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय में यदि कोई गलती हो या कोई खामी नजर आये, तो उसकी इन्क्वायरी करने का अधिकार चान्सलर साहब को है या सरकार को, यही प्रश्न है ?

श्री चन्दनमल वैद : कानून यह नहीं कहता है कि राज्य सरकार को डाइरेक्शन्स देने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार अगर कोई गलती देखे, तो डाइरेक्शन दे सकती है। समय समय पर उदयपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर को डाइरेक्शन्स दिये गये, लेकिन मान लें, मैं सपोजीशन की बात कर रहा हूं कि वाइस चान्सलर डाइरेक्शन्स देने के बावजूद भी उस बात को नहीं मानता है, तो फिर उसका उपाय क्या है ? जो अपाइन्टिंग अथारिटी है, वही तो जांच कर सकती है, दूसरा कौन कर सकता है ?

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल्स की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है। यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर एक्ट 1980 के पेज 8 में लिखा है- Definition of officer-......

और उसमें जो प्रोविजो है ....

श्री अध्यक्ष : कौनसा है ?

श्री सी. पी. जोशी : एक्ट 1980. उसमें दे रखा है-

Officer means Vice Chancellor.

और पेज 170 पर स्टेट्यूट बना रखे हैं, उसमें Rules, of Conduct Penalty and Review.

उसमें लिख रखा है पेज 170 में-

"Suspension :-The appointing authority or any other authority empowered by the Committee in that behalf may place any officer under suspension ..."

और डिफाइन कर रखा है कि आफिसर का मतलब यहां वाइस चान्सलर है। जो सैक्शन 11 कोट किया है, उसमें लिख रखा है:-

"Provided that the first Vice Chancellor may be appointed by the Chancellor on the recommendations of the State Government."

वाइस चान्सलर का अपाइन्टमेन्ट चान्सलर महोदय करते हैं और स्टेट्यूट में प्रोविजन दे रखा है। वाइस चान्सलर एक आफिसर है उस आफिसर का कन्डक्ट डिफाइन कर रखा है। इसलिए

(श्री सी.पी. जोशी)

जहां सेक्शन 8 की बात हम करते हैं, वहाँ यदि हम एक क्षण के लिए मान भी लें कि राज्य सरकार ने सेक्शन 8 के अन्दर कार्यवाही करने का कोई प्रोविजन नहीं रखा, तब भी इस विश्वविद्यालय के स्टेट्यूट के अन्तर्गत जो रूल्स बनाये हुए हैं, उनमें क्योंकि वाइस चान्सलर एक ग्राफिसर है ग्रौर उसके कन्डक्ट पर रूल्स ग्राफ कन्डक्ट पेनल्टी एण्ड रिव्यू के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए मेरा पहला मौलिक प्रश्न बहस शुरू करने से पूर्व यह है कि सरकार दोनों तरह से काम्पीटेन्ट है, चाहे सेक्शन 8 में कार्यवाही करे या चान्सलर महोदय जो पेनल्टी रूल्स हैं, उसके अन्तर्गत कार्यवाही करें। यानी अपाइन्टिंग अथारिटी चान्सलर हैं इसलिए उनके पास पावर्स नहीं है कि वह किसी एम्पलाई को टर्मिनेट कर सकें या नहीं कर सकें? उन तीनों के अन्तर्गत भी चान्सलर काम्पीटेन्ट है ग्रौर सरकार भी काम्पीटेन्ट है। क्योंकि चान्सलर अपाइन्टिंग अथारिटी हैं, वह काम्पीटेन्ट हैं, इसलिए पहला प्रश्न उठाया है कार्यवाही तो की जा सकती है। अब की गयी या नहीं की गयी, इसकी बात बाद में करूंगा। आप साथ ही साथ इसका भी रूल देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदय एक स्पष्टीकरण कर दें कि सरकार ने कार्यवाही की है या चान्सलर ने की है? सरकार ने की है, तो एक्ट की कौन सी धारा के अन्तर्गत ? ग्रौर चान्सलर ने की है, तो कानून की कौनसी धारा के ग्रन्तर्गत की है ? इससे बहुत कुछ प्राब्लम सोल्व हो सकती है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने एक स्टेटमेन्ट दिया। मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को जो कुछ कहना है, वह कहें। उसके बाद जो मुझे जवाब देना होगा वह दूंगा ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत: लेकिन, अध्यक्ष महोदय,....

श्री चन्दनमल वैद : मैंने आपको आब्सट्रक्ट नहीं किया। आप इस सदन के नेता रहे हैं। मेहरबानी करके मेरी बात सुन लें। मैं आपका प्रोटेक्शन इस बात के लिए चाहता हूं कि यह क्वेश्चन एण्ड आन्सर ग्रावर नहीं है। आपको जो कहना था, वह आपने कह दिया। मुझे जो बाद में कहना होगा मैं कह दूंगा। यह नहीं की एक-एक पाइन्ट पर जवाब लें। इस तरह से तो यह बहस नहीं चल सकती। इसका कोई प्रावधान भी रूल्स में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह आपकी व्यवस्था के आधार पर पूछे जा रहे हैं। ग्रापने काल अटेन्शन मोशन के संम्बन्ध में यह व्यवस्था दी है, वक्तव्य के संबंध में व्यवस्था दी है कि वक्तव्य के ऊपर चर्चा नहीं होगी, जानकारी की जा सकती है। आपके वक्तव्य में जो कमी थी, उस कमी की ग्रोर आपका ध्यान आकर्षित किया। मैं यह जानना चाहता था कि सस्पेन्शन या इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने की यह कार्यवाही गवर्नमेन्ट की तरफ से हुई है या चान्सलर महोदय की तरफ से हुई है, ग्रौर हुई है, तो किस धारा के अन्तर्गत? अब आप अगर चाहें कि इस पर डिबेट हो, तो मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसके लिए भी तैयार हूं। हम तैयार हैं, माननीय मंत्री महोदय को आपत्ति नहीं है, यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हम प्रश्न पूछें या चर्चा करें, आप रिप्लाई दें।

श्री अध्यक्ष : हमारे यहां पर स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के संबंध में यह व्यवस्था रही है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में जिन माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, वह थोड़े में अपनी बात कह कर ध्यान आकर्षित कर देते हैं, और उसके बाद में मंत्री महोदय जवाब देते हैं। फिर स्टेटमेन्ट के आधार पर एक दो प्रश्न पूछना चाहें तो, पूछ सकते हैं। जब स्थगन प्रस्ताव पर मंत्री महोदय वक्तव्य देते तो हैं, पहले माननीय सदस्य बोलते नहीं हैं। यदि स्पष्टीकरण चाहिए, तो प्रक्रिया यह रही है कि दो, चार सवाल पूछ सकते हैं। प्रश्न के हिसाब से हमारी परम्परा सदैव यही रही है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके आदेश मानने हैं। दो प्रश्न आ चुके हैं। दो चार प्रश्न पूछना चाहें, पूछ लें मैं स्पष्टीकरण दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर के बाद में किसी को प्रश्न ही पूछने की आवश्यकता नहीं है....

श्री चन्दनमल बैद: वह प्रश्न पर प्रश्न पूछना चाहते हैं...

श्री सी.पी. जोशी: पाइन्ट आफ आर्डर सर। सदन के नियमों में दे रखा है कि यहां जिसने काल अटेन्शन मोशन दिया है, उसको पहले बोलने का मौका दिया जावे। तो यह मोशन मैंने दिया है, इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: इस पर दो प्रश्न पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: केवल स्टेटमेन्ट है। आपका हुकुम तो वह नहीं मान रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप गलत बात क्यों कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: गलत बात का प्रश्न नहीं है। आप उत्तर दे दीजिए इनके प्रश्न का। एक-एक करके जवाब दे दीजिए और जब मैं समझूंगा कि पर्याप्त चर्चा हो गयी है, उस वक्त मैं क्लोज कर दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न इस समय मेरे समक्ष में आये हैं। एक तो इस बात पर एतराज हुआ है कि जब मैंने कहा, इससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो यह कहा गया कि जांच कहां है? मैंने जो आदेश चान्सलर महोदय का पढ़कर सुनाया, उसमें यही लिखा है-...."placed under suspension with immediate effect pending enquiry."

अब इन्क्वायरी जो चान्सलर इन्स्टीट्यूट करें, कोई चार्ज शीट देनी है या इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करनी है, तो चान्सलर करेगा। तो अपाइन्टिंग अथारिटी द्वारा सस्पेन्शन किया गया। इन्क्वायरी तो कन्टेम्पलेटेड है। सोचा गया है कि इन्क्वायरी की जायगी। इन्क्वायरी तो है और आज आप कहेंगे या मैं कहूंगा, तो आपके कहने

(श्री चन्दनमल वैद)

का असर उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कहूंगा तो सरकार का कहना माना जायेगा और निश्चित रूप से जांच पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ना है, वह तो पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बहुत मुमकिन है कि जिन अधिकारी का सस्पेन्शन किया गया, उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसलिए उनके इन्ट्रेस्ट को भी सेफगार्ड करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को ज्यादा कहने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात जो सदन के विपक्ष के नेता ने कही है, वह यह है कि उनको सस्पेन्ड किस ने किया? चान्सलर ने या गवर्नमेन्ट ने? मैंने पढ़ कर सुनाया, यह चान्सलर का आदेश है गवर्नमेंट का आदेश नहीं है। चान्सलर ने किया है, वह मैंने पढ़कर सुनाया। उसके बाद कौन सी गलतफहमी रह गयी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा है कि यह आर्डर एक्ट की किस धारा के तहत दिया गया है? बिल्कुल सिम्पल सा क्वेश्चन है। बता दीजिए आप।

श्री चन्दनमल वैद : चान्सलर अपाइन्टिंग अथारिटी है। इसलिए जो अपाइन्टिंग अथारिटी है, वह कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी कानून की धारा बता दें। आप तो विद्वान हैं, बता दें।

श्री चन्दनमल वैद : इसमें कौन सी कानून की धारा है? अपाइन्टिंग अथारिटी कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब कोई कानून नहीं है? कानून की धारा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

श्री चन्दनमल वैद : आप जनरलाइज मत कीजिए इस चीज को। आप कह रहे हैं कि कानून की धारा नहीं बताई। कानून की धारा नहीं है, यह सही नहीं है। पहले तो मैं इस बात के लिए सक्षम नहीं हूं कि मैं यह बताऊं कि कौन सी धारा के तहत कार्यवाही की है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, फिर इस चेप्टर को बन्द कर दीजिए।

श्री चन्दनमल वैद : ...दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है appointing authority can suspend an officer.

श्री भैरोंसिंह खावत : विवाद यह नहीं है। विवाद केवल इतना सा है...

श्री सी. पी. जोशी : चान्सलर के आर्डर को सदन में डिस्कस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? पहला प्रश्न यह है। विरोधी माननीय दल के नेता प्रश्न उठा रहे हैं कि मंत्री महोदय बतायें कि किस एक्ट की धारा के अन्तर्गत यह किया गया? तो जो आर्डर बताया गया, वह चान्सलर का आर्डर बताया गया। लेकिन क्या सदन चान्सलर के किसी आर्डर को डिस्कस कर सकता है या नहीं कर सकता है?

श्री अध्यक्ष : चान्सलर के आर्डर को तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर के आर्डर को नहीं कर सकते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : जो वह शब्द गवर्नर से सम्बन्धित हो जाता है, उसे एक्ट में लेने की जरूरत ही है ।

श्री सी.पी. जोशी : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी में चांसलर ही गवर्नर होता है। वहां गवर्नर का आर्डर नहीं चल सकता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक काम करिये, जोशी जी, मंत्रीजी से कह दीजिये कि यह काम गवर्नर का नहीं चांसलर का है ।

श्री सी.पी. जोशी: यह काम मेरा नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कानून का हवाला दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यह बात कह कहा हूं कि आप बैदजी से कहलवा दीजिये । मेरा बड़ा सिम्पल सा प्रश्न है 'अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि यह बात किस कानून की धारा में लिखी है? इतना बता देने से आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती है ।

श्री अध्यक्ष : यह कौन सी धारा के अन्तर्गत आती है, यह ध्यान में नहीं रखा जा सकता क्योंकि कानून की बहुत सी धारायें हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर यह इनके ध्यान में नहीं है, तो हमें सरकार से कुछ नहीं पूछना है ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, वह यह है कि जहां तक चांसलर को अपाइन्टमेंट करने की पावर का प्रश्न है, जो अभी पढ़कर सुनाया गया, उसमें वह नहीं है, फिर वाइस चांसलर के सस्पेंशन के आर्डर कैसे दे सकता है ? उसमें एक बात यह भी है कि जो पावर्स को इस्तेमाल में लाता है, वह पावर्स या तो उस एक्ट में दी जायेंगी या उस एक्ट के बाहर अन्यत्र प्रोवाइड की जायेंगी । यह फैक्ट है। अगर वह पावर इस एक्ट में होती, तो वह हमें भी मालूम होतीं और इनको भी मालूम होतीं । इससे यह वैक्यूम सामने आया है । उस लॉ में वैक्यूम लगता है । मुझे ऐसी पावर या कोई सैक्शन ध्यान में नहीं आता है, जिसमें वर्णन किया गया हो, डेस्क्राइब किया गया हो कि चांसलर की क्या पावर है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या बिना प्रावधान के कोई चांसलर पावर का प्रयोग कर सकता है? और यह भी जानना चाहूंगा कि उस एक्ट द्वारा, या किसी अन्य एक्ट के द्वारा चांसलर कोई अपाइन्टमेन्ट कर सकता है ?

श्री चन्दनमल बैद : वह जो एक्ट है, उसमें धारा 11 का वर्णन है जो "The Vice Chancellor shall be whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor." अधिकारी किसी का अपाइन्टमेन्ट करता है यह सर्वविदित है । यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब उसको मानते हैं, जानते हैं कि जो अथारिटी अपाइन्ट करती है ।

(श्री चन्दनमल बैद)

वह सस्पेंड कर सकती है। अब यह कहना कि कौन सी धारा है? हर चीज में धारा नहीं होती। और धारा यह है कि जो अपाइंट कर सकता है, वह सस्पेंड भी कर सकता है। मैं समझता हूं यदि आप सुप्रीम कोर्ट गये हों, तो आपने देखा होगा...

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया।

श्री चन्दनमल बैद : फिर भी उनको जान लेना चाहिये...

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। लेकिन जब इन्क्वायरी होती है, तब ही एक्शन लिये जाते हैं या उस आधार पर रिमूवल किया जाता है, सस्पेंशन किया जाता है, डिसमिसल किया जाता है, डिमोशन किया जाता है। हरएक प्रकार के दण्ड दिये जाने के लिये चार्ज देते हैं और फिर चार्ज शीट बनती है उसके बाद इन्क्वायरी होती है। यह सब यह कानून कर सकता है यह मैं नहीं कहूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इन सब की डिटेल है, उसमें लिखा है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह तो आप रूल पढ़ रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मैं रूल नहीं पढ़ रहा हूं:-

"Impose any penalty or set aside, reduce or enhance the penalty imposed by the authority, remit the case to the authority which made the order, or to any other authority directing such further action or enquiry as may be required by the circumstances of the case."

इस के अन्दर प्रावधान है कि चांसलर वाइस चांसलर को हटा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है, यह भी आप देख लीजिए। यह रूल में लिखा है और कंडक्ट आफ रूल दे रखा है, इसके अनुसार वाइस चांसलर को गवर्नमेंट की सलाह लिये बिना अपाइंट किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जोशीजी, यह जवाब नहीं है, आपने जो उत्तर दिया है और जो आर्ग्यूमेंट दिये हैं उससे सदन को संतुष्टि नहीं होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार द्वारा ठीक उत्तर नहीं दिया गया। जो आपने धारा दी है, वही धारा शिक्षा मंत्रीजी ने भी दी है। आपकी धारायें हम स्वीकार नहीं करते। मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा, उनकी बातों के अनुसार उस एक्ट में सस्पेंशन और इन्क्वायरी के लिये कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है, यह मानकर चलते हैं और यह प्रावधान नहीं है, इसलिए आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है कि जो अपाइंटिंग अथारिटी है, वह अपाइन्टमेंट कर सकती है, उसी व्यवस्था के अनुसार वह सस्पेंशन कर सकती है। इसी व्यवस्था के अनुसार इनके खिलाफ इन्क्वायरी हो सकती है। मैं समझता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जो धारा का हवाला हमने दिया है और जो कुछ कहा है, उसको स्वीकार कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं इस बात का कि सेक्शन 88 में यह प्रावधान

Page No 74

(74)

(श्री चन्दनमल बैद)

है कि वाइस चांसलर का अपाइन्टमेंट अपाइंटिंग अथोरिटी कर सकती है। वह अथारिटी सस्पेंड भी कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप इस धारा 10 को पढ़ें:—

"The Governor of the State of Rajasthan shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the head of the University and shall, when present, preside at the Convocations thereof.

(2) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by this act or the statutes thereunder."

अध्यक्ष महोदय, लॉ डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिये कि जनरल क्लाजेज एक्ट उसमें अप्लाई करेगा, जो एक्ट पावर्स को इस्त्राइज करने के मामले पर साइलेंट हो ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो लॉ है, जो हर लॉ के अन्दर होता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, वह कोई नयी बात नहीं कह रहे हैं। इसमें लिखा है-

"The Vice-Chancellor shall be whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor."

श्री चन्दनमल बैद : So the Chancellor can also suspend him.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चान्सलर ने अपाइन्ट किया है, यह फैक्ट है..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन बिलकुल सिम्पल है। चान्सलर ने अपाइन्ट किया है, उनको अपाइन्ट करने के अधिकार हैं कानून में व्यवस्था है और धारा में उल्लेख है, सस्पेन्शन और इन्क्वायरी इन्स्टीट्यट करने का। अगर इसमें पार्ट (2) नहीं होता, जिसमें चान्सलर को पावर्स डिराइव करती है, चान्सलर को वाइस चान्सलर की नियुक्ति करने की जो व्यवस्था है, उसी प्रकार सस्पेन्शन या उनके खिलाफ इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने या चार्ज शीट देने की पावर्स है नहीं....

(व्यवधान)

"The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by the act or the statutes made thereunder.

न तो स्टेट्यूट में है और न एक्ट में प्रावधान है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : सेक्शन 11 में पावर्स दी हुई है।

श्री राजबहादुर : मैं यह मानता हूं कि जिसमें अपाइन्ट करने की ताकत है, उसमें सस्पेंशन और डिसमिसल करने

(श्री राजबहादुर)

को भी ताकत है, यह क्लियर है लेकिन यह आर्बीट्रेरी नहीं है। डिसमिसल और सस्पेन्शन का फाइनल एक्ट तब होगा, जब प्रक्रिया पूरी हो जायगी। अब चार्ज कौन लगायेगा, चार्ज शीट कौन फ्रेम करेगा? यह तभी होगा जब यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जायगी तभी चान्सलर साहब चार्ज फ्रेम कर सकते हैं, इन्स्टीट्यूट कर सकते हैं। Of course the appointing authority is the suspending authority and of the dismissing authority, but it cannot all be done in a vaccum. There should be some procedure which is to be followed under this Act. The General Clauses Act will not apply to that procedure. That procedure must be provided for in this enactment. Otherwise it would be in total violation of the basic-principles of natural justice.

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब चान्सलर को पावर्स डिराइव करने के दे रखे हैं और वह स्टेट्यूट में है ··

(व्यवधान)

चान्सलर के पास पावर्स हैं ···

(व्यवधान)

जिस बात को कोट करना चाहते हैं, उसी बात को मैं कोट कर रहा हूं। चांसलर को जिस बात को पावर डिराइव करने की पावर्स हैं, अब चूंकि वाइस चान्सलर आफिसियल आथोरिटी है वह कम्पीटेन्ट हैं, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट्यूट में प्रोविजन कर रखा है। चान्सलर सस्पेन्शन करेगा, वह प्रोसीजर एक्ट में उल्लिखित है।

श्री राजबहादुर : अगर है, तो है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : The statutes and the Act are silent about it.

एक दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं, एक बात स्पष्ट हो जायगी। अभी तक जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा और जैसा इन्टरप्रिटेशन करेंगे क्योंकि पावर्स के बारे में क्लाज (2) दे दिया। एक्ट का है और स्टेट्यूट में जो वर्णित है, उसी के अनुसार कार्यवाही कर सकेंगे। अब जो यह बात कही गई है कि अपाइन्टिग अथारिटी को डिसमिसल करने की, सस्पेंशन करने की ओथरिटी भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आर. ए. एस. आफिसर्स की नियुक्ति होती है लेकिन उसका सस्पेंशन करने से पहले, डिसमिसल करने से पहले पी. एस. सी. से पूछा जाता है ··

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : सस्पेंशन करने से पहले पूछा नहीं जाता है पी. एस. सी. से। आपको पता नहीं है तो, आपके नेता बैठे हैं, उनसे पूछ लें, पी. एस. सी. से नहीं पूछा जाता है। आपको मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह क्या है? अपाइन्टिग अथारिटी वाइस चान्सलर के लिये कहा गया, वह उस अपाइन्टिग अथारिटी की हैसियत में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं है । एक कमेटी बैठाते हैं और उसमें चार एक्सपर्ट्स बैठते हैं । एक प्रतिनिधि होता है बोर्ड आफ कन्ट्रोल का, एक प्रतिनिधि होता है आइ. सी. आर. का, एक प्रतिनिधि होता है चान्सलर महोदय का और एक प्रतिनिधि होता है यू. जी. सी. का- ये चारों मिलकर नाम प्रस्तावित करते हैं । जिसको अपाइन्ट करने का अधिकार है⋯

"Board of control shall be the supreme authority."

यह बात कह देना कि अपाइन्ट करने का जिसको अधिकार है, उसको सस्पेन्शन और डिसमिसल करने का भी अधिकार है, आप अपने लॉ सैक्रेटरी की राय ले आयें । जो चान्सलर को पावर्स दी गई हैं, उनमें यह नहीं है । स्टेट्यूट में यह बात जरूर है कि राजस्थान सरकार को पावर्स हैं । माननीय मंत्री महोदय, आज कोई हिन्दुस्तान के इतिहास में बता दें कि आज तक वाइस चान्सलर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, सस्पेंन्ड किया गया हो⋯

(व्यवधान)

उसका कारण है, यह उदाहरण है और इसको पोलिटिकली मोटिवेटेड बनाया गया है⋯

(व्यवधान)

इसकी चर्चा है⋯

एक माननीय सदस्य : यह दिवालियेपन का एक नमूना है⋯ ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये कहना चाहता हूं, इसके बारे में रूलिंग दें । जनरल लॉ में स्पेसिफिक कहा गया है कि अपाइन्टिंग आथोरिटी के जो रूल्स हैं, वे इसमें दिये हुए हैं । जो स्टेट्यूट हैं, उसके आधार पर वाइस चान्सलर को इस प्रकार सस्पेन्ड करने और डिसमिसल करने का अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आखिरी क्वेरी है । कानून का इन्टरप्रिटेशन क्या है, किस सैक्शन का क्या है, इस बारे में यहां लम्बी चर्चा नहीं हो सकती है । इसलिये जो मंत्री महोदय ने स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया, वह ठीक है । मैंने पर्याप्त अवसर दे दिया । श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने कुछ मुद्दे उठाये हैं, अब मंत्री महोदय उन मुद्दों का जवाब देकर चर्चा को समाप्त करेंगे⋯

(व्यवधान)

कानूनी मुद्दों के बारें में यहां पर बहस नहीं होती, यहां तथ्यों पर बहस होती है । कानून का हवाला चर्चा में दिया जा सकता है, पर कानून के अन्तर्गत क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, है इस पर यहां बहस नहीं हो सकती है⋯

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई परम्परा नहीं है ।

श्री नाथू सिंह : यह साधारण घटना नहीं है, यह ऐसी घटना है⋯ ।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में कानून क्या है, इसके बारे में लम्बी चर्चा नहीं हो सकती है, सिर्फ तथ्यों के बारे में चर्चा हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो सवाल निवेदन करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष : अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण मसला है कि एक उप-कुलपति को निलम्बित किया गया है। यह कोई साधारण मसला नहीं है, क्योंकि हम विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता की बात करते है, विश्वविद्यालयों में अच्छी शिक्षा देने की बात करते हैं। आज सरकार का विश्वविद्यालयों के प्रति क्या रुख है, यह एक मुद्दा आया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस उद्देश्य से स्टेट्यूट बनाये हैं, विश्वविद्यालयों की किस प्रकार स्वायत्तता कायम रहेगी, इनके प्राध्यापकों, कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार हो पायेगी ? अगर इस तरह सरकार के कहने पर चान्सलर निलम्बित कर देगा, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हनन होगा। मैं इस पर दो या तीन सवाल करना चाहता हूं। कानून के मसले में नहीं जाना चाहूंगा और तथ्यों पर ही सवाल करना चाहूंगा। इसलिये मुझे अवसर दें। मैं तीन सवाल करना चाहता हूं।

श्री सी. सी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पहले चान्स मुझे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : लम्बी चर्चा करने की अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : तीन सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : तीन सवाल छोटे होने चाहिये, पाइन्टेड तीन सवाल हों।

श्री कैलाश मेघवाल : पाइन्टेड तीन सवाल करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय हो, जोधपुर विश्वविद्यालय हो या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय हो ... ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जो कानून बना है, उस कानून का मुख्य उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता कायम रहे। क्या आज राजस्थान की सरकार का और चान्सलर का जो एक्शन है, उससे इस कानून की मंशा प्रकट होती है। मेरा निवेदन है, इस सारे एक्ट की स्थिति में गवर्नर, जिसको चान्सलर बनाया जाता है, केवल मात्र... ।

श्री अध्यक्ष : एक बात ही माननीय सदस्य आपकी इतनी लम्बी ...

श्री कैलाश मेघवाल : क्षमा करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, नम्बर-2 ...।

(व्यवधान)

(श्री कैलाश मेघवाल)

नम्बर दो माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय को इस चर्चा में नहीं लायेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : क्षमा चाहता हूं। नहीं लाऊंगा।

पहले तो सारे एक्ट में चान्सलर केवल मात्र एक सेरेमोनियल हैड होता है। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस नाइन्टीन को देखने से तो वह स्पष्ट बोलता है, मैं पढ़ कर सुना देता हूं, एक्शन किसको लेने का अधिकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा तथ्य रखो। तथ्य यह है कि सारे विश्वविद्यालय की सारी गतिविधियों को चलाने के लिए सुप्रीम आथोरिटी का प्रयोग होता है। तथ्य यह है कि वह सुप्रीम एथोरिटी होती है और सुप्रीम आथोरिटी बोर्ड आफ कन्ट्रोल है। उसके तहत एक स्कीम बनायी गयी थी, विजिटेशन की और विजिटेशन में राज्य सरकार को अधिकार है कि वहां जांच का नोटिस विश्वविद्यालय को दे और एक अधिकारी कायम हो। उसके बाद वह रिपोर्ट हो। उस रिपोर्ट को अपने डायरेक्शन्स के साथ सरकार भेजे उसके बाद अगर सफीशियेन्ट टाइम में बोर्ड आफ कन्ट्रोल निर्णय नहीं लेता है, तो चान्सलर की सहमति से कोई एक्शन लिया जा सकता है। यह बहुत बड़ा मसला है, वाइस चान्सलर को निलम्बित कर दिया। उसको आप बचाना चाहते हो, या तो कह दिया जाय हम स्वीकार करेंगे, इस बात को। क्या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में स्वायत्तता को स्वीकार करने को तैयार है? यदि सरकार कहती है, तो हम भी इस डिबेट को बढ़ाना नहीं चाहते। अगर सरकार यह कहती है कि एक्ट, स्टेट्यूट है और शिक्षा स्वायत्तता में और उच्च शिक्षा में राजनीतिक अधिकार भी है। उनको अभी प्रोफेसर सी. पी. जोशी, प्रोफेसर कल्ला, प्रोफेसर आशु लड़े थे, ये क्या विश्वविद्यालय के ही हैं, जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार है? यह अधिकार स्वायत्तता के प्रति कायम रहेगा, जब तक कि सरकार की ऐसी निरंकुश कार्यवाही, तानाशाही की कार्यवाही, जो इन्स्टीट्यूट के खिलाफ हो रही है, उन पर प्रतिबन्धन लगे। तो मैं यह निवेदन कर रहा था आपसे कि मेरा पहला सवाल तो सुप्रीम अथोरिटी बोर्ड आफ कन्ट्रोल...

श्री अध्यक्ष: आप लम्बा समय ले रहे हैं, अब मैं चर्चा समाप्त करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष: आप तीन प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : वाइस चांसलर को निलम्बित करने का किसी को अधिकार नहीं है जो एक्ट स्टेट्यूट हैं उनके अन्तर्गत यह निलम्बन, जैसा माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा, सरकार ने निवेदन किया, कुछ शिकायतें आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सरकार के पास शिकायत आयी, तो इनको सस्पेण्ड कर दो। तो इतना आसान

(श्री कैलाश मेघवाल)

मगर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के पद को बनाया जाय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जायेगा। यह शिक्षा का स्तर सुधारने की क्या हमारे कर्त्तव्यों से भावना आपके द्वारा प्रकट होती है, वहां पर हमको इन बातों पर तो गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। जिस तरह से आज चल रहा है (अश्रव्य) लागू नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के केसेज में मैंने भी देखा है, आपने देखा है, उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता। आपने कहा (व्यवधान) नहीं देना है··

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

माननीय श्री कटारिया। कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : मैं केवल दो प्रश्न करूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ भी कार्यवाही हुई, बिलकुल 100 परसेन्ट पालीटिकली मोटिवेटेड होकर हुई। उसका प्रारम्भ प्रवेश को लेकर हुआ। सबसे पहले टकराव पैदा हुआ, उन लोगों के करीब पाइन्ट टू पाइन्ट फाइव फैलो थे और उनको एम. एस-सी. में एडमिशन दिलाना चाहते थे। उनको प्रभाकर जी ने और के.के. भटनागर ने उनके चैम्बर में बुलाकर कहा कि उनका प्रवेश होना चाहिए, उन्होंने कहा कि कानून में कोई प्रावधान नहीं···

श्री अध्यक्ष। आर्डर प्लीज। यह आपके उसमें आया हुआ नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसमें?

श्री अध्यक्ष : ध्यान प्रस्ताव में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने लिखा है राजनीतिक द्वेष के कारण और इस तरह··

श्री अध्यक्ष : आप नियमों के अन्तर्गत सूचना दे देते, तो मैं नेम की इजाजत दे देता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं नाम नहीं बोलूंगा। मैं एक भी नाम नहीं बोलूंगा और····

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में कहना है यह भी ध्यान रखियेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनका प्रवेश होने के कारण। दूसरी बात डा. टी. सुन्दरम् के केस को लेकर थी कि उसको डीन बनाया जाय, जब कि उनकी वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर पर जो नियुक्ति हुई, रिक्त पद न होते हुए भी गलत ढंग से हुई। इसको सिंह कमीशन की रिपोर्ट में मेन्शन किया है कि उसका अपाइन्टमेन्ट गलत हुआ है। उस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक दबाव डालकर मजबूर किया, आर्डर निकला, डीन 24 तारीख को आर्डर से बनाया गया और उस पर एक एक्शन किया डी. सी. ने चार्ज दे दिया...

श्री सुरेन्द्र व्यास (भालपुरा)। आप डिबेट अलाऊ कर रहे हैं क्या, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछने दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 26 तारीख के दिन चन्द्रशेखर ने हाई कोर्ट में अपनी रिट दी, उसके कारण जो फैसला हुआ, उसमें स्पष्ट लिखा कि जो डीन बनाया गया है, उसको हटाया जाय और चन्द्रशेखर को ड्यूटी जोइन करायी जाय। इस पर एक्शन कर 26 तारीख को वाइस चांसलर ने सुन्दरम् को हटाकर चन्द्रशेखर को ड्यूटी जोइन करायी, उससे प्रिजुयूडिस होते हैं और 29 तारीख को··

श्री अध्यक्ष : कौन से महीने की बात है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया: पिछले अगस्त में 26 को एक्शन हुआ, 27 को ड्यूटी जोइन की और 29 तारीख को राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार होकर उन्होंने चान्सलर से कहा। चान्सलर से यह आर्डर निकलवाया। दूसरा जो शिकायत पत्र जिन लोगों ने पेश किया, ये कांग्रेस के लोग हैं, एक तो हमारे वहां के माननीय सदस्य हैं, कांग्रेस के हैं श्रीमान्, और दूसरे जो वहां के लेक्चरार हैं, जो सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी शिकायत के आधार पर गलत ढंग से प्रेरित होकर, बिना कसूर के, बिना सूचना दिये, बिना जानकारी दिये, बिना पूछे केवल षड्यन्त्र बनाकर वाइस चांसलर को हटाया गया। इन से पूछिये, ये दो मुख्य प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट। अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : इस पर दो मिनट मैं बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट की अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने पहले मुझे इजाजत दी।

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बी कार्य सूची है।

श्री सी. पी. जोशी : मेरे बड़े पाइन्टेड क्वेश्चन हैं। शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि वाइस चांसलर को पावर सैक्शन 11 के अन्तर्गत दिये गये हैं। वाइस चांसलर पावर के अन्तर्गत किसी आदमी को अपाइन्ट कर सकता है। उसके लिए मैरिट का प्रोवीजन कर रखा है ? उन नियमों को ताक पर रखकर 475 आदमी काम कर रहे हैं, वहां उन का अपाइन्टमैन्ट डा. राजनाथसिंह ने किया है बिना मैरिट को दूसरे कानून का सोशल एक्टीविटीज का ध्यान में नहीं रख कर सरकार के सामने जो कम्पलेन्ट लायी जाय, उसको राजनीतिक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिम्पल निवेदन करता हूं, माननीय मन्त्री महोदय केवल यह बात कि सैक्शन 11 के अन्तर्गत बात कही गयी है, जिसके अन्दर साफ है:--

" The Vice Chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of the Act and the statutes made thereunder ."

वाइस चांसलर को इस नियम के अन्तर्गत सात सौ रुपये के ऊपर अपोइन्टमेन्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। वाइस चांसलर मैरिट के अलावा किस एक्ट के अन्तर्गत अधिकार नहीं है तत्कालीन

(श्री सी. पी. जोशी)

वाइस चांसलर ने सीनियोरिटी कम मैरिट के नाम पर 475 आदमियों को प्रमोशन दिये हैं...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैरिट पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय को ताड़ना दें।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा सिम्पल क्वेश्चन है, वाइस चांसलर का जो इस एक्ट, स्टेट्यूट के अन्दर पावर है, उसके कन्ट्रोवेन्शन के अन्दर वाइस चांसलर महोदय ने कितने एपाइन्टमेन्ट किये, कितने आदमियों को रिट्रोस्पेक्टिव डेट में बुलाया ? इनका जवाब दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये आपने कहा था, आप सवाल कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : सवाल आपने दो कर लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लीगल क्वेश्चन पर किये थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह विषय ऐसा है कि...

श्री अध्यक्ष : इसमें लम्बी चर्चा नहीं होगी। यदि आप मन्त्री जी का उत्तर चाहते हैं, तो मैं उत्तर दिला देता हूं, नहीं तो इस प्रकार चर्चा नहीं होगी, बहुत लम्बी सूची है। माननीय सदस्य। बहुत महत्वपूर्ण विषय अभी पहले ले लेने हैं, अपने को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी...

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है, मैं अभी बोली नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत समय ले लिया, इस पर। यदि माननीय सदस्यगण मन्त्री जी का उत्तर सुनना...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह सारी घटना ऐसी नहीं, जिसको समय के फ्रेम में पैक कर, रख दिया जाय। यह राजस्थान के इतिहास में अनहोनी घटना है।

श्री अध्यक्ष : काफी सवाल हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त करने से काम चलने वाला नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आखिर मैं क्या करूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सदन का अपमान हो रहा है आपके सामने, इस सदन का कानून बनाया हुआ है उदयपुर यूनिवर्सिटी एक्ट।

श्री अध्यक्ष : अपन जब कानून बना देते हैं, तो उसके बाद में दोबारा उस पर चर्चा यहां पर नहीं करते। यहां अदालतों का काम है कि क्या कानून हमने बनाया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आपने भी सुना सदन ने भी सुना,, इसमें कुछ कानूनी मुद्दा है; मैं ऐसा समझता हूं कि ईमानदारी से शायद आप भी संतुष्ट नहीं होंगे, मंत्री महोदय कह रहे हैं, मन में वे भी संतुष्ट नहीं हैं…

श्री चन्दनमल बैद: मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं और आपको भी संतुष्ट कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी आदत बहुत है संतुष्ट करने की, यह भी सही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसी विधान सभा की प्रक्रिया में और इसी विधान सभा के व्यवहार में एक व्यवस्था है कि किसी कानूनी मुद्दे जिसके ऊपर निर्णय नहीं हो सके, स्पष्टीकरण नहीं हो सके, तो सदन को यह अधिकार है कि एडवोकेट जनरल की ओपीनियन ले सकता है। हम चाहते हैं कि इस सारे मसले पर एडवोकेट जनरल, जो इस सीमा तक इस सदन के सदस्य हैं, को इन्वाइट किया जावे और वे इस पर ओपीनियन दें। अध्यक्ष महोदय, पहले भी कई बार एडवोकेट जनरल को इस प्रकार के उलझनपूर्ण मामलों में अपनी ओपीनियन देने के लिए बुलाया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। एडवोकेट जनरल को इस सदन में बुलाया जावे और उनकी ओपीनियन इस सम्बन्ध में ली जावे।

श्री अध्यक्ष : पहले उनका पूरा उत्तर सुन लें, उसके बाद में व्यवस्था दे दूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय,…

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य। दो-दो तीन-तीन बार इस तरह से …

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): एक मिनट के लिए आप विराज जावें। केवल एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा। एक मिनट में कह दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 24 तारीख का आर्डर है, यहां पर मैं पहले कहना चाहता हूं कि यह सारा काण्ड पोलिटिकली मोटीवेटेड है। माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 24 अगस्त का यह आर्डर है, जिसमें माननीय चांसलर महोदय ने यहां से सीधे- सीधे वी. सुन्दरम् को पोस्टिंग का आर्डर देकर वहां भेज दिया और वहां इसी प्रकार का आर्डर रजिस्ट्रार ने निकाल दिया। वह चैलेंज हो गया और चैलेंज होने के बाद में उनको स्वीकृति नहीं मिली। माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, इस एक्ट में सब प्रकार की परेशानी पैदा होती है, जिसके कारण पीछे वाले तत्कालीन शिक्षा मंत्री उसमें इंट्रेस्टेड थे। जब यह स्थिति बन गई 27 तारीख तक, 28 तारीख तक; जिस टाइम यह काण्ड किया गया पोलिटिकली मोटीवेटेड था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं दूसरा सवाल, लगातार जिस प्रकार की प्रक्रिया है, कोई प्रक्रिया है, किसी भी इंक्वायरी की, उस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया गया। आज सरकार केवल दूर हट कर चांसलर साहब को बदनाम

Page No 83

(83)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करने की कोशिश कर रही है। लगातार उन पर दबाव डाला जा रहा है, लगातार आर्डर करवाये जा रहे हैं, उनको हाई कोर्ट सेट असाइड कर रहा है और उनकी सारी स्थिति इस प्रकार की बनती जा रही है। इस प्रकार की स्थिति श्री. सुंदरम् के केस में हुई है। आपने रेडियो सुना होगा जिस दिन उनका सस्पेंशन हुआ एक व्यक्ति का नाम आया उसमें, मैं जानता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : मेरा रेडियो आज कल खराब है माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह प्रफुल्ल राय पढ़ रहा है, यह रेडियो भी सरकार का है। कौन है प्रफुल्लराय अग्रवाल जिसको 2.55 नम्बर कम मिले । पर्सेन्टेज के आधार पर जिसका एडमिशन नहीं हो सकता था । जिसकी चर्चा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां करी कि मंत्री महोदय ने एजूकेशन सेक्रेटरी के सामने चर्चा की , उन्होंने मना कर दिया। माननीय मंत्री जी को इस प्रकार का जवाब दिया कि जिसकी वजह से इस प्रकार की पालिटिकली मोटीवेटेड स्थिति बनी है जिसके कारण...

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह स्थिति बनी है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया थी, सामंजस्य होता है , आखिर कोई बात करते हैं तो पूछा जाता है । आप कहते हैं कि कई प्रकार की शिकायतें थी, उन शिकायतों के बारे में मैं जानता हूं कि शिकायतें उनके पास भेजी गई । शिकायतों का उत्तर उन्होंने दिया । उन शिकायतों पर सरकारी तौर पर कोई शो-काज नोटिस देने वाली बात होनी चाहिए । इस तरह से...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय शिक्षा मंत्री जी, राजस्थान सरकार को बचाना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार आज कठघरे में खड़ी है। इसीलिए मैंने कहा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली घटना हुई है...

श्री अध्यक्ष : यह आप पहले कह चुके हैं ।

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसी भी विश्वविद्यालय में किसी कुलपति को इस प्रकार से सस्पेंड किया हो ?-यह खाली अज्ञानता है, कानून का ज्ञान नहीं, राजनीति से प्रभावित है, निलम्बन के लिए कोई कारण नहीं है...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रस्ताव पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मैं पांच मिनट कहना चाहती हूं। मैं केवल यह कहना चाहूंगी मंत्री महोदय को आपकी अनुमति से, एक बात कही है....

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जनरल क्लस का हवाला दूंगी, मंत्री महोदय ....

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ...जब किसी के खिलाफ कार्यवाही होती है, तो उसको शो- काज नोटिस देते हैं। कारण बताओ नोटिस देने के बाद उसका सस्पेंशन होता है। एक चपरासी को भी शो-काज नोटिस देते हैं। शो- काज नोटिस के बाद ही उसका सस्पेंशन होता है। यहां तो इतनी बड़ी...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है।

शिक्षा मंत्री जी।

श्री चन्दनमल वैद (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुछ जोश में कई बातें कह दी गई हैं। एडवोकेट जनरल को बुला लिया जावे, बड़ा कानूनी मुद्दा है। चांसलर को तो केवल सेरेमोनियल बना दिया है, वाईस चांसलर को सस्पेंड कर ही नहीं सकते। ऐसा अगर हम कानून बना दें, तो मैं, अध्यक्ष महोदय, पूछूंगा, यह आखिर चलेगा कैसे ? जो अथोरिटि अपोइन्ट करती है, वह सस्पेंड कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। जनरल क्लाजेज एक्ट यही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलें यह कह रहे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि कानूनी मुद्दा है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि किस जोश में यह बात कही जा रही है? कहते हैं कि पोलिटि-कली मोटीवेटेड हुआ है। जो कि बिलकुल निरर्थक बात है, जिसका सर्विसेज से सम्बन्ध नहीं है, जिसका पोलिटिक्स से सम्बन्ध नहीं है। जान-बूझ कर मैरिट को डिस्कस करना चाहते हैं, जिसको कहने का मतलब क्या है ? मैं नहीं चाहता था कि किसी के हितों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े। हम इस समय मैरिट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी इंक्वायरी हो रही है। हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, जो मिनिस्टर रह चुके हैं, वे कहते हैं कि पैनल बना हुआ था चार आदमियों का और पैनल के द्वारा जो आदमी अपोइन्टेड है, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक एल.डी.सी. की नियुक्ति करता है। क्या उसका सस्पेंशन पब्लिक सर्विस कमीशन ही करेगा? उसका सस्पेंशन तो आप करेंगे, आप करते हैं, बल्कि आपके नीचे मातहत रहने वाला एक अधिकारी करता है। फिर इस तरह की बातें कह कर के किस को गुमराह करना चाहते हैं? हम तो गुमराह होने वाले नहीं और आप अपने मन को गुमराह करना चाहते हो, तो आपकी मर्जी है। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें कुछ बात नहीं है, सिवाय इस बात के कि सरकार के पास शिकायतें आईं।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री चन्दनमल वैद)

उन शिकायतों को चांसलर के सामने पेश किया गया। चांसलर साहब ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि वे अपोईन्टिंग आथोरिटी हैं। साथ ही यह कह रहे हैं कि हनुमान प्रभाकर जी ने जो मेरे से पहले शिक्षा मंत्री जो थे, कुछ काम उनको बताया, वह काम नहीं किया। काम तो उन्होंने नहीं किया, सस्पेंड मैंने कर दिया। वे तो फरवरी में ही शिक्षा मंत्री नहीं रहे थे। फरवरी 81 में ही शिक्षा मंत्री नहीं रहे थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने डॉ. सुन्दरम् को फिर से डीन लगाने के लिए प्रेशराईज किया। चांसलर नहीं चाहते थे...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं, तो मैं चर्चा समाप्त करता हूं। ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह साधारण घटना नहीं है..

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर...चर्चा समाप्त हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को एल. डी. सी. की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला विषय ले लिया गया है।

(व्यवधान)

...आर्डर प्लीज अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : xxx

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप यहां पर माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हैं। आपके सामने बैठ करके कानून बनते हैं। जो एल. डी. सी. आर्डर बताया, किसी सर्विस रूल्स से गवर्न नहीं होता है। इसी कारण से...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो...

श्री गुलाबचन्द कटारिया :xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो...आर्डर आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये

(व्यवधान)

अंकित न हो ... कृपया स्थान ग्रहण करें, महत्वपूर्ण विषय रह जाते हैं। ...

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री गुलाबचन्द कटारियाxxx

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य मैं नाम से सम्बोधित करूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारियाxxx

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य अब मैं नाम से सम्बोधित करूंगा।

---

xxxमाननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्य कटारिया (व्यवधान) को नाम से सम्बोधित करूंगा।

(व्यवधान)

मैं नाम से सम्बोधित ..आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

इस तरह चर्चा नहीं होगी।

श्री कैलाश मेघवाल : सारे राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में भय का वातावरण व्याप्त है। आप हमको इस तरह धमकी देकर, इस तरह का सलूक करके दबाना चाहते हैं, । अंकित हो या नहीं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसकी इजाजत नहीं दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इच्छा है कि सदस्यों को नामजद करके या नाम से पुकार करके ...

श्री अध्यक्ष : और मैं क्या करूं ? आप स्वयं देख रहे हैं, आखिरी इलाज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं देख रहा हूं। मैं उकसा रहा हूं या उकसा रहे हैं....?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके काले कृत्य उकसा रहे हैं। विश्वविद्यालय के संबंध में ..

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : आपके काले कारनामें उकसा रहे है, काले कारनामें।

श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान के भविष्य की स्थिति, राजस्थान का युवक शिक्षा लेकर आये और उसको कहीं दुत्कार नहीं पड़े यह बात हमको उकसा रही है। हम नहीं उकसा रहे हैं। आपकी गतिविधियां उकसा रही है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को कह दें कि तीनों विश्व-विद्यालय में कांग्रेस के अध्यक्षों को बैठाया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने इस विषय पर ...(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ऊपर बैठी बैठी इंदिरा गांधी राजस्थान के गवर्नर को हटा रही है। यह नीचे बैठे बैठे ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य-गण।

(व्यवधान)

(भाजपा के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह है XXX

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उप...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, कोटा इंजीनियरिंग कालेज का। अध्यक्ष महोदय, मैं चुपचाप बैठा था।

श्री अध्यक्ष : सदन में अव्यवस्था की स्थिति को देखकर उस विषय को मैंने आपके

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

लिये छोड़ दिया। आप शांत थे, आज, इसलिये आपको इजाजत दी।

श्री देवीसिंह भाटी: Thank you. राज्य में इंजीनियरिंग कालेजों तथा पोलीटेक्निक संस्थानों में सीटें कम होने के कारण भीलवाड़ा व भरतपुर में पोलीटेक्निक संस्थान खोलने व सभी पोलीटेक्निक संस्थानों में 30-30 सीटें बढ़ाने की घोषणा.....

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य देंगे।

आपने आपके दल का साथ नहीं दिया क्या ?

श्री चन्दनमल वैद (शिक्षा मंत्री): राज्य में तकनीकी शिक्षा के अभाव को देखते हुए इस वर्ष एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर में 60 सीटें एवं मालवीया इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर में 60 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके अतिरिक्त कोटा में इंजीनियरिंग कालेज नया खोला गया है, जिसके लिये 90 सीटें स्वीकृत की गई हैं।

वर्तमान में इंजीनियरिंग कालेज के छात्रों की प्रवेश संख्या निम्न प्रकार हो गई है :—

एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर पहले से 250, इस वर्ष बढ़ाई गई 60, कुल 310।

मालवीया इंजीनियरिंग कालेज जयपुर पहले 180, इस वर्ष 60 सीटें बढाई गई, कुल 240।

कोटा इंजीनियरिंग कालेज इस वर्ष बढ़ाई कुल 90।

उपरोक्त सीटों के विरुद्ध आवश्यक प्रवेश आदि की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। इस वर्ष इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के न्यूनतम अंक निम्न प्रकार हैं :– जोधपुर 88.66 प्रतिशत, जयपुर 89 प्रतिशत, कोटा 90 प्रतिशत। कोटा में नये इंजीनियरिंग कालेज खुल जाने तथा जयपुर एवं जोधपुर में प्रवेश संख्या बढ़ाने के कारण यह अनुमान लगाया गया कि 87 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इन इंजीनियरिंग कालेजों तथा राजस्थान की सुरक्षित सीटों पर प्रवेश सम्भव हो सकेगा। समय कम होने के कारण वास्तविक स्थिति का सही अनुमान लगाना कठिन था, एवं छात्र प्रवेश से वंचित न रह जावें, इस कारण अधिक से अधिक छात्रों को साक्षात्कार हेतु अवसर प्रदान किया। प्रवेश के लिये आने वाले छात्रों की संख्या एवं रिक्त सीटों को वास्तविक स्थिति को देखते हुये यह अनुभव हुआ कि 89 प्रतिशत से कम अंक वाले छात्रों का प्रवेश संभव नहीं होगा।

जहां तक पोलीटेक्निक का संबंध है, स्थिति निम्न प्रकार है :- वर्ष 68-69 से पूर्व राजस्थान में नौ पोलीटेक्निक थे जिनकी प्रवेश संख्या 1320 थी। वर्ष 68-79 में इंजीनियरों के नियोजन में कमी के कारण जयपुर और भरतपुर पोलीटेक्निक बन्द कर दिये गये थे तथा प्रवेश संख्या घटाकर कर 650 दी गई थी। जयपुर में पोलीटेक्निक पुनः वर्ष 78-79 से शुरू कर दिया गया। वर्तमान में पोलीटेक्निक में छात्रों की प्रवेश संख्या 1000 है। इस वर्ष पोलीटेक्निक में प्रवेश पाने वाले

Page No 88

(श्री चन्दन मल वैद)

विद्यार्थियों का न्यूनतम प्रवेशांक 82.4 प्रतिशत रहा। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 81-82 में जयपुर में एक महिला पोलीटेक्निक खोल दिया गया है, जहां प्रवेश संख्या 60 है। जहां तक भीलवाड़ा, भरतपुर में नये पोलीटेक्निक खोलने व अन्य वर्तमान पोलीटेक्निक में तीस-तीस सीटें बढ़ाने का प्रश्न है, राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना में भरतपुर में नया पोलीटेक्निक खोलने हेतु बीस लाख रुपये का प्रावधान किया हुआ है। यह पोलीटेक्निक योजना के अनुसार 82-83 में प्रारम्भ किया जा आयेगा। भीलवाड़ा में पोलीटेक्निक खोलने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान पोलीटेक्निक छात्रों की प्रवेश संख्या बढ़ाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें क्या भाषण देना? जो स्थगन प्रस्ताव आपने दिया, उसकी सब बातें बता दीं।

श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कोटा इंजीनियरिंग कालेज के लिये 60 सीटें बढ़ायी इसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है.....

श्री चन्दनमल वैद : 90 बढ़ायी हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जब एडमिशन के लिये विद्यार्थियों को पत्र दिया गया 24 अगस्त, 81 को कि जिन के 87 प्रतिशत अंक हैं, वे कृपया साक्षात्कार के लिय यहां जयपुर इंजीनियरिंग कालेज पहुंच जायें। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ बताया कि अपने अभिभावकों के साथ 400 रुपये की राशि लेकर पहुंचें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री ने बताया कि हमें यह ज्ञान नहीं था कि कितने विद्यार्थियों के 85 या 89 प्रतिशत अंक हैं या इससे ज्यादा प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में ज्ञान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग ने रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया तो यह किस प्रकार कहा कि कितने अंक प्राप्त करके विद्यार्थी आये? इसके बारे में मैं शिक्षा मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। मुख्य मुद्दे का मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है जो सीटें बढ़ाई गई हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि साक्षात्कार के लिये जिन छात्रों को बुलाया गया, उनके साथ अभिभावकों को भी वहां बुलाया गया। ऐसी हालत में हमें महसूस होता है कि कुछ विद्यार्थियों को फायदा देने के लिये दुबारा आदेश निकाल कर 89 प्र.श. तक अंक प्राप्त करने वाले या उसके ऊपर अंक प्राप्त करने वाले यहां रहें बाकी अपने घर चले जायं। तो, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मेधावी छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, जो एक-एक साल में अलग-अलग सबजेक्ट लेकर अपनी पोजीशन सुधारते हैं, डिवीजन सुधारते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह उनके साथ बड़ा अन्याय है, आपको पुनः अपनी नीति के बारे में विचार करना चाहिये। इस प्रकार मेधावी छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। रिपोर्ट्स

Page No 89

89

(श्री देवीसिंह भाटी)

को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको यहां बुलाया गया और बाद में कहा गया कि अपने घर चले जाओ ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसे जो छात्र रह गये हैं उनको दुबारा मौका दिया जाय और दुबारा एडमिशन देने की व्यवस्था की जाय ।

श्री अध्यक्ष : कैलाश जी, आपका जितना स्थगन प्रस्ताव था, उसका पूरा जवाब आ गया ।

श्री कैलाश मेघवाल : जो मैंने मुद्दे उठाये थे, मैंने प्रतिशत बताया है कि इंजीनियरिंग कालेज में किस सीमा तक प्रवेश मिले और पोलीटेक्निक कालेज में किस सीमा तक छात्रों को प्रवेश मिले ? इससे मेरा मंतव्य यह है, अध्यक्ष महोदय, आज तकनीकी शिक्षा की राजस्थान में ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, तकनीकी शिक्षा में क्या होना चाहिये यह नई बात है ।

आर्डर आर्डर ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, आपने कहा कि सारे मुद्दे आ जायं ।

श्री अध्यक्ष : आपकी सहूलियत के लिये आपको स्थगन प्रस्ताव पढ़ कर सुना देता हूं :

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं तकनीकी शिक्षा के प्रति जो भूख है छात्रों में, उसको देखते हुये छठी योजना में बेकारी की दृष्टि से संख्या बढ़ायेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह नया पाइंट है । जो आपने कहा है । उससे ज्यादा संख्या बढ़ दी ।

श्री कैलाश मेघवाल : पोलीटेक्निक इस साल खोलना चाहिये था । भरतपुर में, यह जो घोषणा है, आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : कोटा में इंजीनियरिंग कालेज कब से खोला जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा में पोलीटेक्निक कालेज खोलने की आम चर्चा है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ।

प्रवर समिति को प्रतिवेदन ।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : भरतपुर में पोलीटेक्निक के बारे में कहा है, मैं आभारी हूं इस घोषणा के लिये, भरतपुर में 82-83 में पोलीटेक्निक कालेज खोलने की बात कही गई है। उन्हें स्मरण होगा कि पोलीटेक्निक भरतपुर में सबसे पहले खोला गया था, किन्तु बाद में बन्द कर दिया गया।

(श्री राजबहादुर)

मैं जानना चाहता हूं कि इस साल को छोड़ कर यह अगले साल रखा गया है, इसका क्या कारण है ? यह अगले बजट में है या इस बजट में है ? अब मैं एक बात और जनरल पूछना चाहता हूं कि आज को बेरोजगारी को देखते हुए ऐसी प्रौद्योगिक संस्थाओं, जिनके द्वारा हम बेरोजगारी को मीट सकते हैं, के खोलने के लिये कोई प्राथमिकता दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो वर्तमान विषय है, यह उसकी परिधि के बाहर है, इसलिये आप 1-2 मिनट में फर्माना चाहें...

श्री चन्दनमल बैद : 1982-83 में भरतपुर में कालेज खोलने का प्रावधान प्लान में है। पहले बन्द कर दिया गया, यह भी मैं कह चुका हूं क्योंकि उस समय डिप्लोमा होल्डर्स को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ा था। उस समय सारी स्टेट्स ने और हमने भी यह डिसीजन लिया कि ये पोलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कालेजेज बन्द किये जायें। इसके बाद मांग बढ़ गई, तो धीरे-धीरे हम भी बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है, इसलिये अब श्री शिवचरण माथुर......

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान सिविल सेवा मामलों के लिए अपील अभिकरण [संशोधन] विधेयक, 1981

श्री माणकमल मेहता (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान सिविल सेवा मामलों के लिये अपील अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 1981 को प्रवर समिति के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल सेवा के लिये अपील अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 1981 पर प्रवर समिति के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया गया।

अब अकाल राहत मंत्री जी उत्तर देंगे जो भी चर्चा हुई उसका।

राज्य में अकाल एवं बाढ़ की स्थिति

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत-मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल और परसों दो दिन इस सदन में जो बाढ़ और अकाल के संबंध में चर्चा चल रही थी, कुल मिला कर सदन के 50 माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और इस प्राकृतिक विपदा से निपटने के लिये और आने वाले समय में जो अकाल की स्थिति खड़ी हो गई है, उसके चेलेन्ज को, चुनौती को मीट आउट करने के लिये कई सुझाव दिये। जैसा कि सदन जानता है कि इस राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से लगातार हम दैवी प्रकोप के शिकार होते जा रहे हैं।

Page No 91

(९०)

(श्री परसराम मदेरणा)

77-78 के बाद, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 20 जिलों में करीबन 12,251 गांव अकाल से प्रभावित थे। इसी प्रकार 78-79 में 133 तहसीलों के करीबन 5609 गांव प्रभावित थे। इसी प्रकार 79 के अन्दर जोधपुर संभाग के 5 जिलों में भयंकर बाढ़ का ताण्डव हुआ। उससे वहां जन, धन की अपार क्षति हुई थी। उससे जब हम राहत पाने की सोच रहे थे, तो 79-80 के साल के अन्दर सूखे ने राजस्थान के 31095

(3.9 म.प.)

(श्रीमती विद्यापाठक, सभापति, पदासीन)

गांवों को प्रभावित किया। उसके बाद उसके अगले वर्ष लगातार 80-81 में जिस अकाल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें 26 जिलों की 160 तहसीलों के 21,395 गांव थे और कुल प्रभावित आबादी 1,57,91,000 थी। हम ऐसा सोच रहे थे, सभापति महोदया, हम हम अकाल की विभीषिका से छुटकारा पायेंगे हमारे सामने वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन थी, राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हमें निश्चितरूप से राहत मिलेगी और हम विकास गति को ज्यादा आगे ले जा सकेंगे। इस राजस्थान के पूर्वी संभाग में एक बहुत बड़े प्राकृतिक प्रकोप से जन धन की अपार क्षति हुई है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो विवरण मैंने प्रस्तुत किया है, आप सब जानते हैं; राजस्थान के 10 जिलों, जिनमें ज्यादातर पूर्वी जिले हैं, पश्चिमी जिलों में केवल बीकानेर और आबू को छोड़ कर बाकी जिले जो पूर्वी जिले हैं। इन जिलों में शहरों के अलावा 1576 गांव प्रभावित हुए हैं। 84794 परिवार प्रभावित हुए हैं। उसी के साथ-साथ जो जन की हानि हुई है, जैसा कि मैंने अपने विवरण में आपको सूचित किया है, 367 व्यक्तियों की जानें गई हैं। इसी प्रकार पशुधन की क्षति 33,000 के ऊपर हुई है, कुल मिला कर करीबन 67000 के आस पास कच्चे और करीबन 6000 के आसपास पक्के मकान ध्वस्त हुए हैं। उसी के साथ-साथ गांवों के अन्दर किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनकी जो खड़ी फसल थी, वह करीब 2 लाख 38 हजार हैक्टेयर में नष्ट हुई है। वह तो नष्ट हुई, लेकिन क्योंकि जहां पर नदियों में बहुत उफान था, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और उसका परिणाम यह हुआ, सभापति महोदया, एक लाख 37 हजार हैक्टेयर के अन्दर मिट्टी आ गई। भूमि का कटाव हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि वह भूमि कृषि लायक नहीं रही। इसी प्रकार से सिंचाई के 398 बंधे टूटे। पंचायतों के 308 के आसपास बंधे टूटे। कुल मिला कर 400 करोड़ के धन की क्षति हुई है। राज्य सरकार को, जैसा कि बाढ़ के सम्बन्ध में कहा गया है, तत्परता से और सजगता से काम लेना चाहिए था, यह खास तौर से यहां पर आरोप लगाया गया था। सभापति महोदया, मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है कि यह बाढ़ 17 तारीख की रात को प्रारंभ हुई। इसमें जो पहला नुकसान हुआ, वह बाड़ी नदी के ऊपर एक बस के बह जाने का था। 15 तारीख को जयपुर के अन्दर शाम को करीबन 6½ बजे

(श्री परसराम मदेरणा)

अमानीशाह के नाले ने काफी क्षति पहुंचाई और उसके बाद में ओ. टी. एस. बह गया। 19 तारीख को यहां पर मुख्य मंत्री पहुंच गये थे। यहां पर विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने यह कहा टाइम्स आफ इंडिया या किसी अखबार का का हवाला दिया था:

Total absence of decision taking authority between 18 th to 21st July.

इस प्रकार का उद्धरण उन्होंने अखबार का प्रस्तुत किया था। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं यहां पर कि जैसी की परिस्थिति उस समय की थी और उसे विपक्ष के नेता महोदय जानते हैं, मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये हुए थे दिल्ली में उनको सूचना मिली। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, 18 तारीख की दोपहर तक उनको दोपहर के पहले, 12 बजे और 1 बजे के आस पास दुर्घटना की सूचना मिल गई। 18 तारीख की रात को जो कुछ हमारे अमानीशाह के नाले ने विध्वंस किया था, उसकी सूचना मुख्य मंत्री जी को थी। मुझे इस बात की जानकारी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से 9 बजे आये थे। 18 तारीख को करीबन पौने ग्यारह बजे तक मैं मुख्य मंत्रीजी के पास में बैठा था। लगातार अनेक दफा और बराबर वे मुख्य सचिव से टेलिफोन पर सम्पर्क में थे। यहां पर यह कहना गलत है कि प्रशासन बिलकुल सो गया था, मुख्यमंत्री अकेले मंत्रिमण्डल में थे, फिर पीछे मुख्य सचिव थे उन्होंने यहां पर कार्यवाही नहीं की। यहां पर उन्होंने बहुत बड़ी लापरवाही रखी, नेगलीजेन्सी रखी। अगर पूर्व में सूचना दी जाती, तो निश्चित तौर से इतना नुकसान सांगानेर क्षेत्र में नहीं होता, इस प्रकार की बात कही है। मैं आपको नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य सचिव ने 19 तारीख को ही नहीं, 18 तारीख को चीफ इन्जीनियर, कलेक्टर और दूसरे लोगों को आगाह कर दिया था और शाम तक अपने घर पर मीटिंग बुला ली थी। वायरलेस भेज कर उनको बुलाया था। सीधे अपने घर पर बुला कर वे अपने दफ्तर गये। दफ्तर में जाने के बाद अमानीशाह के नाले के कम्पलीटली टूटने के पहले दो टेक्निकल चीफ इन्जीनियर के साथ वह अमानीशाह के नाले पर स्वयं मुख्य सचिव गये थे। यह बात आज की नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन्फार्मेशन, जो इस वक्त मेरे पास में है, कलक्टर जयपुर ने जो मुझे प्रस्तुत की है, उसके आधार पर कह रहा हूं। कल जब यहां पर आरोप लगाये गये, तो मैंने मुख्य सचिव से भी इसकी जानकारी ली और इन दोनों ने जो अपने कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत किये हैं, वह एक दूसरे से कोलोबोरेट करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुख्य सचिव ने ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 18 तारीख का कह रहे हैं...

श्री परसराम मदेरणा : फिर 19 तारीख और उसके बाद 20 पर भी आऊंगा क्योंकि चार्ज यह लगाया गया है ज्यादा बरसात हुई। हेवी पोर डाउन की वजह से नुकसान संभावित था, लेकिन क्योंकि जयपुर की स्थापना हुई 1927 ईसवी में, जयपुर बसने के बाद में पिछले करीबन 200

(श्री परसराम मदेरणा)

वर्षों में इस प्रकार की बरसात जयपुर शहर मे नहीं हुई। यह जो एक असाधारण वर्षा हुई है...

(3.17 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

उसके फलस्वरूप जो स्थिति बनी, उसमें सरकार ने कोई नेग्लीजेन्सी नहीं रखी, डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली यह सरकार बराबर, लगातार सतर्क रही है। मुख्य सचिव यहां पर मुख्य मंत्री जी की अनुपस्थिति में मोजूद थे, उन्होंने यह स्टेप लिया या नहीं लिया, उनको इस बात का अहसास था या नहीं था, उनको इस बात की जानकारी थी या नहीं थी, यह सदन में निवेदन कर रहा था विपक्ष के नेता महोदय स्वयं जानते है कि तारीख 18 के बाद में 7 बजे के आस पास उनको इस बात की इत्तला मिल गई। वह नाले पर गये। उस नाले को क्रास करने की कोशिश की आर्मी एरिया में जाने के लिये, परन्तु आर्मी एरिया से सम्बन्ध 18 तारीख की शाम को टूट चुका था। जब नहीं जा सके और नहीं जा कर के अपने साथ जिन इन्जीनियर्स को लेकर गये थे, थोड़ी देर बाद सूचना आ गई थी, चीफ इन्जीनियर उनको छोड़ कर आये थे, आस पास से ही उन्होंने टेलीफोन किया कि नाला बह गया है और इससे बड़ा भारी नुकसान होगा। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह आर्मी से का कान्टेक्ट किया जाये, लेकिन कान्टेक्ट नहीं हुआ। शाम के वक्त 19 तारीख को 9 बजे के आस पास गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के डिफेन्स सैक्रेटरी को बताया कि यहां का सारा एरिया, पूरी की पूरी आर्मी का ही एरिया सम्पर्क से महरूम हो गया है, काम्युनिकेशन के सभी साधन टूट गये हैं, हमारा उन से कोई सम्पर्क नहीं रहा है। डिफेन्स सैक्रेटरी ने सदर्न कमाण्ड मे बात करने की कोशिश की। सी.एम. की सदर्न कमाण्ड से बात नहीं हुई। मिलिटरी के लेफ्टिनेन्ट जनरल आर्मी हेड क्वार्टर को रात के दस, ग्यारह बजे के आस पास चीफ सैक्रेटरी ने यह बात बताई। यह सब रिकार्ड की बात है, डिफेन्स सैक्रेटरी ने आर्मी हेड क्वार्टर के लेफ्टिनेन्ट जनरल हजारी सिंह को इस बात का आदेश दिया और सदर्न कमाण्ड के चीफ इन्जीनियर को इत्तिला कर दी। सदर्न कमाण्ड के चीफ इन्जीनियर को इत्तिला की जोधपुर से मेजर जनरल ने आर्मी से कान्टेक्ट करने के लिये, क्योंकि एरिया सब कमाण्ड सदर्न कमाण्ड के अन्तर्गत हैं। इसलिये वहां से मेजर जनरल रणवीर सिंह यहां पर आये। मैं आपको जो बातें कह रहा हूं इसमें कोई बात गलत हो, तो आप आर्मी वालों से पूछ लेना। आर्मी के मेजर जनरल रणवीर सिंह का करीबन दस, नवा दस बजे के आस पास हेलीकोप्टर जयपुर शहर के ऊपर उड़ता हुआ सांगानेर हवाई अड्डे पर आया। सांगानेर हवाई अड्डे पर से मेजर जनरल चीफ सैक्रेटरी से बात नहीं कर सके क्योंकि वहां पर काम्युनिकेशन टूटे हुये थे। ग्यारह, साढ़े ग्यारह के आस पास वह एयरपोर्ट गये। एयरपोर्ट पर जाकर मेजर जनरल रणवीर सिंह से बहुत विस्तृत चर्चा की। इस प्रकार आर्मी बोट, आर्मी इन्जीनियर्स की आवश्यकता है। जयपुर के सभी संचार टूट गये है, छिन्न भिन्न हो गये हैं, दूसरे शहरों से, राजस्थान के दूसरे शहरों, हिस्सों से और हमारे राष्ट्र की राजधानी से भी

(श्री परसराम मदेरणा)

इस तरह की जो बात कही गयी है, वह नहीं है। वहां पर बराबर लगे रहे। उस वक्त जब हम एयरपोर्ट पर उतरे ढाई फीट पानी बह रहा था। करीबन दो बजने में 8-10 मिनट पहले मुख्य मंत्री और दूसरे लोगों ने एयरपोर्ट पर लैण्ड किया था और लैण्ड करके वहां पर गये। जब एयरपोर्ट पर लैण्ड करने के बाद में वहां पर गये ता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने बजे लैण्ड किया...

श्री परसराम मदेरणा : 2 बजने में पांच दस मिनट कम थे 19 तारीख को। जब हमने लैण्ड किया, तो मेजर रणवीर सिंह जी वहां पर मौजूद थे और दूसरे लोग हमारे साथ थे। उन लोगों को तो वापस जयपुर भेज दिया गया। मुख्य मंत्री जी, मैं और मेजर रणवीर सिंह जी उसी वक्त देखने के लिये गये कि जयपुर में कितना नुकसान हुआ है, और जयपुर और आस पास के 10-15 किलोमीटर की दो बार हायर करके हमने देखा कि बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी क्षति जयपुर के आसपास के इलाके को हुयी। यह जायजा लेने के बाद करीब चार बजे के आस पास हमने स्टेडियम में लैण्ड किया स्टेडियम में लैण्ड करने के बाद मेजर रणवीर सिंह को इस बात के इन्स्ट्रक्शन दिये कि आप एरिया कमाण्डर से तो कान्टेक्ट कर नहीं सकते हैं। जो इंडियन एयर फोर्स का हेलीकोप्टर हम लेकर आये हैं और आपका भी हेलीकोप्टर सांगानेर पड़ा हुआ है, आप जाकर लिफ्ट करके लाये, तभी हम बात कर सकते हैं। उसके बाद वे वहां से गये और वहां से उनको लाये। उसके बाद में व्यवस्था के लिये आपस में बातचीत हुयी। तो यह कहना गलत है कि वहां पर 19 तारीख के पहले जब चीफ सेक्रेटरी इस मामले को देख रहे थे, उन्होंने किसी प्रकार की नेग्लीजेंसी रखी किसी एक माननीय सदस्य ने कहा था, मुझे याद नहीं पड़ता है कि किसने कहा था। शायद विरोधी पक्ष के नेता ने कहा था या दूसरे किसी माननीय सदस्य ने यह बात कही कि पूरा का पूरा प्रशासन ये मंत्री उनने वाले थे इनके इन्तजार में 19 तारीख को सांगानेर एयरपोर्ट पर पड़ा रहा। नतीजा यह हुआ कि रिलीफ एक्शन को देखने को लिये, राहत पहुंचाने के लिये किसी प्रकार की किसी को चिन्ता नहीं थी मैं आपको यह बताऊं कि 3-4 आफिसर्स के अलावा कोई नहीं था, कलेक्टर वहां नहीं थे। डी.आई.जी. एम.पी. और चीफ सेक्रेटरी वहां पर थे और एक शायद मेरे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जिस समय एयरपोर्ट पर थे, उस समय रामगढ़ जी का बंधा टूट गया था क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : टूट गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसकी जानकारी आपको चीफ सैक्रेटरी ने दे दी थी या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : आप जो बात कह रहे हैं उस पर भी आ रहा हूं। आप रामगढ़ जी के बंधे की बात कह रहे हैं, तो मुझे भी कुछ पुराने चैप्टरों को खोलना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: वह भी कह दें।

श्री परसराम मदेरणा: यह सदन जानता है और विशेष रूप से जोधपुर सम्भाग से आये हुए माननीय सदस्य जानते हैं कि सन् 1979 में वहां बाढ़ आयी थी, 16 तारीख को 12 बजे और पानी आया 18 तारीख को और लोगों को बहा ले गया, 48 घंटे तक ....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: उस समय आप विपक्ष के नेता थे। अगर उस समय सरकार ने कोई गलती की होती, तो जैसे आज मैं बोल रहा हूं, उस समय आप भी बोले होते !

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बोले थे।

एक माननीय सदस्य : कुछ नहीं किया आप लोगों ने।

एक माननीय सदस्य : उसी का परिणाम भुगत रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप तो दिल्ली में बैठे थे, आपको क्या पता....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं उस वक्त बोला नहीं ?

(व्यवधान)

बीच में आप इन्ट्रप्शन नहीं करें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस स्थान पर विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, यह मेरे पर आक्षेप है कि जब मैं उनके स्थान पर बैठा था, तो बोला क्यों नहीं, चुप्पी क्यों साध ली थी? उस समय आप मुख्य मंत्री थे राजस्थान के, शायद आपको याद होगा कि आपसे 18 तारीख की रात को आपकी और मेरी बात हुयी थी दिल्ली में। आपसे पहले मैंने आपके पी. ए. से बात की, आप किसी मिनिस्टर से मिलने गये हुए थे। मैंने उनसे यह कहा कि मुख्य मंत्री जी से यह कह देना कि "जोधपुर के अन्दर, टेलीप्रिन्टर पर मेरे पास यह खबर आयी है, बिलाड़ा में बहुत जानें गयी हैं।" रिलीफ कमिश्नर कौन थे, यह पता नहीं। मैंने उनसे पूछा आप से बात करने से पहले। उन्होंने कहा कि हमको कोई जानकारी नहीं है। रात को जब आप आये, तो मुझे टेलीफोन किया, उसके लिये तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और उसके लिये मैंने आपको धन्यवाद भी दे दिया था। 19 तारीख को जब सुबह आपके चैम्बर में सेक्रेटेरियट में आप से मिला था जुलाई 79 को, तब हमारी बात हुयी। उसके बाद आपने भी महसूस किया था कि बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ। मैं बोला नहीं, यह कौन कह रहा है ? मैं 20 तारीख को गया उस वक्त मेरे साथ 4-5 विधायक भी थे। उनमें से और एम. एल. ए. तो यहां पर नहीं है, लेकिन सोजत से आने वाले माननीय सदस्य, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय सदस्य लूणी से आने वाले मेरे साथ कार में गये थे, अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने कितनी दफा कहा, अखबारों में और दूसरी जगहों पर इस बात को कहा,

(श्री परसराम मदेरणा)

तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाया था कि जोधपुर राज्य के अन्दर जब वर्षा होती है, लूणी में बाढ़ आती है। नदी के किनारे किनारे रात दिन पहरा घूमता रहता था 48 घन्टे पहले, लेकिन यह सरकार कुम्भकरणी नींद में सोयी हुयी थी सोती ही रही। उसका नतीजा यह हुआ कि करीबन 450 लोग बाढ़ में डूब गये। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि आज यह कहा गया कि टाइमली वार्निंग नहीं दी गयी। टाईमली वार्निंग नहीं देने के कारण खवास जी का बांध टूट गया। अगर टाईमली वार्निंग दे देते, तो जैसा मैंने मुख्य सचिव से पूछा उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का कोई टेलीफोन मुझे नहीं मिला, एक कागज जरूर आया था कि यह बांध टूट गया है और दूसरे दिन लैटर जरूर मिला। उसमें यह लिखा था कि बांध टूटने वाला है। उससे पहले सूचना किसी प्रकार से, किसी व्यक्ति ने टेलीफोन से नहीं दी। यह बात चीफ सेक्रेटरी ने हमको दी है। इसको कतई नहीं मानने का कोई कारण मुझे प्रतीत नहीं होता है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि बाढ़ की जैसी स्थिति बनी, वह बनने के बाद में यह कहने में कोई एतराज नहीं था कि जिस वक्त हम आये थे, ओथ तो शाम को साढ़े सात बजे, उससे तो पहले हमने हैलीकोप्टर से पूरा क्षेत्र देख लिया था। शाम को साढ़े सात बजे ओथ लेने के बाद मैं मैं सदन की जानकारी के लिये बता दूं कि 10-20 मिनट ओथ के बाद में गवर्नर महोदय के पास बैठने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक वहीं राज्यपाल महोदय के गेस्ट हाउस में हुयी थी। वहां पर फ्लड्स से बचाव के स्टेप लेने के लिये किस-किस को इन्चार्ज बनाना चाहिए था, सुपर टाइम स्केल आफिसर्स की एक टीम को तैयार करके अलग अलग वह बनायें काम बताने थे और फ्लड से राहत के काम शुरू किये गये। इसलिये यह कहना गलत है कि कोई आथोरिटी नहीं थी। 20 तारीख को लगातार मैं और मुख्य मंत्री जी ने हिंडोनिया और सब क्षेत्रों को देखा। 21 तारीख को टौंक में लैण्ड किया और 21 तारीख को हम भरतपुर आये। वहां पर मीटिंग ली क्योंकि हमको यह जानकारी मिली थी कि भरतपुर का क्षेत्र घिर रहा है। सन् 72 में जो भरतपुर शहर को खतरा पैदा हो गया था, इस बार फिर खतरा पैदा होने की पूरी सम्भावना थी। इसलिये हमने समझा कि यह बड़ा शहर है, कस्बा है निश्चित तौर पर मौके पर जाकर कुछ कदम उठाने चाहिए। 21 को आये और फिर 22 को, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि बराबर सुचारु रूप से, व्यवस्थित ढंग से जहां कमी थी, वहां पर सुपर टाइम स्केल आफिसर्स लगा कर बाढ़ से पीड़ित लोगों को जल्दी से जल्दी राहत उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की कोशिश की गयी। यहां पर यह कहा गया कि...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बोलें तब तक एक जानकारी करना चाहता हूं। अभी इन्होंने भूतपूर्व सरकार के विषय में कुछ कहा...

श्री सभापति : ये बोल रहे हैं। फिर बोल लेना।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिये। उसके बाद कुछ भी कह देना।

श्री परसराम मदेरणा : मैं भूतपूर्व सरकार के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन अभी जब यह बात कही कि कुछ हमारी तरफ से लेप्सेज रहे, कुछ लेप्सेज को तो सब महसूस कर रहे थे, कुछ कमियां जान-बूझकर, इन्टेन्सली रही, कुछ काइनली नेग्लीजेंसी रही, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन इन परिस्थितियों में जो कुछ किया जा रहा था उसमें कुछ लोगों की जानबूझकर गलती रही। मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 20 से लेकर के 28 तारीख तक आपने कुछ नहीं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानबूझकर गलती की है। सारा रिकार्ड आपके पास है। यह कहने की स्थिति में हैं क्या कि पिछली बाढ़ के समय कुछ आफिसर्स ने जानबूझ-कर गलती की है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह तो प्रोसिडिंग रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी में है क्या ? आप अब तो मंत्री हैं। जिस अधिकारी के खिलाफ चाहें, एक्शन ले सकते हैं। मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि पिछली बाढ़ के समय किसी अधिकारी ने जानबूझकर कोई गलती की, इस प्रकार की रिलीफ एडवाइजरी कमेटी ने कहा है ? वहां के अधिकारियों ने कुछ काम नहीं किया।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): अध्यक्ष महोदय, शिकायत भी की गई, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वाली बात हो मैं कह रहा हूं रामसिंह जी !

(व्यवधान)

मैं कहता हूं, आपने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया...

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : बालोतरा आप नहीं आये, आप जोधपुर के एयरोड्रम से वापस पधार गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान लीजिये हमारी गलती हुई, आप एक्शन लीजिये। कोई अधिकारी ने जानबूझकर गलती की और आपके नोटिस में आये, तो क्या आप एक्शन लेंगे, या लेने की स्थिति में हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): यह जिम्मेदारी उस वक्त आपकी थी, आप लेते। दुर्भाग्य है कि आप उस वक्त गाउन में आ गये, वैसे आप अपोजीशन में जोरदार जमते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माथुर साहब ने अच्छी तरह से यह परीक्षा कर ली कि सदन में × × × करने में यदि कोई मास्टर माइण्ड है तो उसको चीफ व्हिप बनाया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वही बात कहें, सो उसको आप × × × कहते हो।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था उस वक्त, मैं नहीं कह रहा हूं कि उस वक्त पूरी सरकार बनी हुई थी, भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे,

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री परसराम मदेरणा)

बन चेन कमान उनके पास थी। बन चेन कमान होने के बाद सौ आदमी पानी में बह गये। आपने कहा कि सरकार अपने काम में लगी हुई थी, कोई आथोरिटी नहीं थी। मैंने यह समझा कि उसको आप यहां पर कोट नहीं करेंगे। अगर वह यह समझें कि अखबारों में जो बात कही गई वह बात सही है, तो उसका मतलब यही है कि अपोजमेन्ट की सही स्थिति यहां पर उन्होंने दी है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं, 19 तारीख को शाम के बाद में जब मुख्य मंत्री जी यहां पहुंच गये, उसी दिन मुख्य सचिव जी यहां पर थे। जो कदम उठाये जाने चाहिये थे, जो विभाग के लोगों को इन्स्ट्रक्शन्स देने चाहिये थे राहत के लिये, वह बराबर 18 और 19 तारीख से शुरू हुए। मैं आपसे उत्तर चाहूंगी, आप मुझसे उत्तर यह चाह रहे थे, तो आप ही बताइये कि आपने उस वक्त खर्च कितना किया ? 19-20 से लेकर खर्च कितना हुआ ? एक लाख से ज्यादा नहीं हुआ होगा। आपने जानकारी की, मुझे उत्तर तो देना ही पड़ेगा 20-7-81 को 8925, 21 तारीख को 44660 स्वीकृत किये गये, 22 तारीख को 44516 का खर्चा करके खाद्यान्न दिया गया, 23 और 28 के बीच में 4 लाख स्वीकृत किये गये, 1671 का दूध वितरित किया गया 28 तारीख को। जिलाधीश कार्यालय से 494758 का एक्सपेण्डीचर हुआ। इसी प्रकार दूसरे जिलों को 19 से बांटना शुरू हुआ। इसलिए यह कहना गलत है कि खर्चा नहीं हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को राहत नहीं मिल सकी। सभी लोग जानते हैं, मैं यह तो नहीं कहता कि सब लोगों को खाना और दूसरी व्यवस्था करने के लिए उनको ऊंचे मकानों में ले गये, कच्ची बस्तियों में रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के लिए जो भी आवश्यक था, वह 19 को शाम को और 20 तारीख को सहायता उपलब्ध करा दी गई थी तथा जलमहल और दूसरे एरिया में उनको लेकर आये थे। हमने यह भी इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे, हेलिकोप्टर भी रेस्क्यू करने के लिए वहां गये थे लेकिन लोग आये नहीं। उसके बाद में हमने सेक्टर बनाये, और सेक्टरवाइज सीनियर आफिसर्स लगाये। बराबर राहत कार्य युद्ध स्तर पर आरम्भ किया।

यहां पर यह बात कही गई कि आपने जो मृतकों की संख्या बताई थी उनके परिवार को राहत मिलनी चाहिये थी। उनको लापता बताया गया, इसलिए उनको राहत नहीं मिली। जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय स्वयं इस बात को जानते हैं कि 1979 में जोधपुर डिविजन के अन्दर जो फ्लड आया था उस वक्त अक्टूबर में सदन में हम लोग मिले थे और जो विवरण दिया था, उस विवरण के आधार पर कहा गया कि 371 डेड थे और 118 लापता थे। प्रोसीडिंग मेरे पास है और हर एक माननीय सदस्य को दी थी, कुल 482 डेड और मिसिंग व्यक्तियों की सूचना माननीय सदस्यों को दी थी, लेकिन सदन को सुन कर बड़ा आश्चर्य होगा कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर 110 डेड और 119 मिसिंग बताकर उसमें केवल 168 रु. और 600 रुपये दिये हैं। 60 लोगों को आज दिन तक एक पैसा नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन को सुन कर बड़ा आश्चर्य होगा कि जोधपुर में जो पैसा दिया गया वह पैसा मई 80

(श्री परसराम मदेरणा)

तक मिला है। यह बात जरूर है कि हमने 18 लाख 30 हजार रुपये का जो बाढ़ के सम्बन्ध में वितरण किया, उसमें जो आवंटन की बात थी, अलोकेशन की बात है, वितरण नहीं किया, यह सही है। यह गलत बात है हमने कुल मिला कर जितने लोग आये यदर देन माइनर, दोनों का भेद नहीं करके मुख्यमंत्री सहायता कोष से, सीधा डाइरेक्ट नहीं दिया 367 का जितना भी पैसा बनता था, कलेक्टर को भेज दिया। उनको डाइरेक्शन दे दी कि 500 वयस्क को और माइनर को 2500..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने आदमियों को बांटा ? यह बताओ।

श्री परसराम मदेरणा : सभी जिलों ने मेरे पास सूचना नहीं आई है।

(व्यवधान)

ज्यादातर बांट दिया गया, 75 पर्सेन्ट को बांट दिया गया। मैं तो 8 माह पहले की जो हालत थी, उसकी चर्चा कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा, कुछ लोग तो तैयार नहीं थे। लोग तो तैयार बैठे हैं। उनको पैसा दिया नहीं जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सदन में झूठे आंकड़े दिये जा रहे हैं। 18 लाख का वितरण कर दिया। माननीय मन्त्री महोदय बतावें कितने लोगों को दिया ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): जोधपुर में बाढ़ आई, तब आप कौन कौन से कस्बों में गये थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके कस्बे में गया था।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, यह डिस्कशन कौनसी बात का हो रहा है ? पुरानी बात थी, वह निकल गई, उसका कम्पेरिजन करने से क्या वर्तमान भविष्य की बात बन सकेगी ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो डूब कर मर गये, उनके लिए एफ. आई. आर. दर्ज कराना जरूरी है। बीकानेर में यह जरूरी किया गया कि उन्हीं को कम्पेन्सेशन दिया जायगा जिनकी एफ. आई. आर. दर्ज हो।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार के उत्तर के वक्त अध्यक्ष महोदय, ऐसी परम्परा रही है कि सदन में सरकार का उत्तर आये उसके बाद में जो भी माननीय सदस्य क्लेरिफिकेशन या एडीशनल इन्फार्मेशन चाहें, तो ठीक है बीच में इन्ट्रप्शन करना उचित नहीं होगा। मैं यह निवेदन कर रहा था, यहां पर यह बात भी कही गई, जब बाढ़ आई तब कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। यह भी कहा गया कि भकराना में एक महिला बह गई। उसके हाथ पैर काट दिये गये, असामाजिक तत्वों द्वारा। इस तरह से सरकार ने लॉ एण्ड आर्डर की ओर ध्यान नहीं दिया। यह सदन जानता है, जोधपुर संभाग में जब बाढ़ आई उस समय भी वहां पर कुछ केसेज रजिस्टर हुए थे, बालोतरा के आस पास हाथ पैर कटे हुए पाये गये। वहां पर 7-8 महिलाओं के हाथ पैर काट लिए गये। हम इस चीज को उठाना नहीं चाहते थे। यह बात भी निश्चित रूप से हमारे सामने आई थी। एक स्थान

(श्री परसराम मदेरणा)

पर महिलाओं के पैर कटे हुए थे, लेकिन उनको हमने ज्यादा चर्चा नहीं की कि इस प्रकार असामाजिक तत्व जाकर कहीं डेड बोडी के गहने उतार सकते हैं। लेकिन यह बात निश्चित है वहां पर उनके परिवार जनों से पूछ लीजिये कि केस रजिस्टर हुये हैं। बालोतरा वाला भी केस है लेकिन जो केस आप बता रहे हैं, वह केस रजिस्टर्ड हैं, वहां पर हाथ पैर काटे गये थे, कम से कम 10 महिलाओं के साथ वारदातें हुई हैं। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के जो भी एन्टी सोशल एलीमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं उसका कम्पेरीजन नहीं कर रहा हूं। एक भी करता हो, तो मैं समझता हूं कि एन्टी-सोशल एलीमेंट्स सक्रिय हैं और निश्चित तौर से उनको दबाया जाना चाहिए।

यहां पर इस संबंध में एक बात और भी कही गई, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं बाढ़ के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर यह भी प्रश्न आया, विरोधी पक्ष के माननीय नेता के किसी हेलीकोप्टर का जिक्र मुख्यमंत्री ने कर दिया, जबकि एक दिन वह किसी उड़ान में गये थे। मुख्य मंत्री ने स्वयं अपनी तरफ से इनीशिएटिव लेकर यह बात नहीं कही लेकिन आपका जब स्टेटमेंट आया, राजस्थान में जयपुर और आस-पास के इलाके में जिस समय आप घूमकर आये, दौसा क्षेत्र में दो दिन रहे, उसके बाद में आपने स्टेटमेंट दिया। सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सोई हुई है और केवल हेलीकोप्टरों में घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम भी गये थे और माननीय विपक्ष के नेता भी गये हैं। इस प्रकार की चर्चा की थी। मैं यह निश्चित-तौर से जानता हूं यहां पर मैं उस बात को कहना नहीं चाहता। आपने इस बात के आदेश दिये थे कि मैं कार में जाऊंगा और आपने मुझे कार दी थी। जब तक वह 4 तारीख शाम को वापस नहीं आयी उस समय इरिगेशन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनके स्पेशल प्लेन के पीछे कार आई, उसी रात को मैंने भेज दी। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक बिल 2390) रु. का मेरे पास आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हेलीकोप्टर का बिल नहीं भेज दें, मेरे लिये मुश्किल हो जायेगी यह तो वहन कर लेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : आप मेरे लिये कह दीजिये, मैं नहीं चाहता..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं 2300) वसूल नहीं करें..

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : वह वसूल करना चाहते हैं, मेरा यह आरोप नहीं है। मेरा आरोप यह है कि जी.ए.डी. ने आदेश निकाले थे और आपके सचिव थे मीठालाल। मीठालाल से मेरे पास बिल आया। मैंने कहा मुख्य मंत्री ने मुझे आदेश दिया था, उसके बाद में जी. ए. डी. से आदेश नहीं निकले हैं शायद इसलिए उन्होंने असेम्बली को बिल भेज दिया। असेम्बली वालों ने तनख्वाह रोक दी। मैंने कहा भेज देना। मैंने असेम्बली वालों को अंडरटेकिंग दे दी कि हम निर्णय ले रहे हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

लेकिन वह निर्णय नहीं हो सका अभी आने के बाद में जी. ए. डी. वालों को बुलाया कि यह बिल मेरे खिलाफ चल रहा है, निश्चित रूप से इसका कोई न कोई समाधान होना चाहिये। तत्कालीन मुख्य मंत्री के आदेश से मैं गया था, मुझसे वसूल नहीं होना चाहिये"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर सरकार समाधान नहीं करती"

श्री परसराम मदेरणा : अभी 6 सितम्बर को जी. ए. डी. ने आदेश दिया है कि वेरीफिकेशन कराया जाय कि पर्चेज जो था वह पब्लिक पर्चेज था। इस प्रकार के आदेश वर्तमान सरकार से लें, लेकिन मैं इसको पोलिटिकल इश्यू बनाना भी नहीं चाहता। प्रकृति के संबंध में जो कुछ भी मामला है, उसमें सभी पार्टियां नान-पोलिटिकल इश्यू लेकर चलना चाहती हैं। सरकार की भी पूर्व में यही नीति रही है और सरकार का इरादा यही रहा है।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने परसों प्राकृतिक प्रकोप के संबंध में बहुत-सी बातें कहीं। मैं अब डिटेल्स के अंदर नहीं जाना चाहता। बाढ़ के संबंध में कुछ बातें और कही हैं। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कुछ मुद्दे की बातें कही हैं, कहीं डिस्क्रिमिनेशन रखा है सर्वे ठीक नहीं हुआ है, बाढ़ से प्रभावित गांवों के अंदर आपने फ्लो-रेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया है। इस प्रकार की बहुत सी बातें आईं। जैसा आप जानते हैं, सभी जानते हैं, भारत सरकार ने यूनीफार्म पैटर्न निर्धारित कर रखा है। उसमें जो ग्रांट दी जाती है, केवल उन्हीं क्षतिग्रस्त मकानों को दी जायगी, जहां पर पानी के फ्लो से नुकसान हुआ है, रेन से नुकसान होता है, तो उसके लिये हकदार नहीं बनते हैं। तो मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि नदी से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक्सेस रेन्स जहां थे, नाले बन कर आये और रेन्स की वजह से थोड़ा बहुत पानी फ्लो हुआ है, तो हमने इस बात की कोशिश की है कि मान लिया जाय, नदी भी आई है, नाला भी आया है, इसका मतलब पानी एक्सेस रेन्स से भी फ्लो हुआ है, तो निश्चित तौर से उनको बनाया जाना चाहिये। लेकिन आप देखेंगे, पहले जो कुछ ग्रांट मिलती थी, भारत सरकार उन पूरे ध्वस्त मकान, कम्पलीटली डैमेज्ड हाउसेज के 200) देती है। 1979 के फ्लड में जनता सरकार ने अपने एक्सचेकर से 100) रु. एड करके 300) रुपये कम्पलीटली डैमेज्ड हाउसेज के और पार्टली डैमेज्ड के वही 100) रखे। हमने इस बात को देखा कि आज के महंगाई के समय में जब रुपये की वैल्यू इतनी गिर गई है कोई भी आदमी एक छप्पर एक हजार, 1500) में बनाये, तो नहीं बना सकता। जिसका मकान कम्पलीटली वाश्ड अवे हो गया, तो हमने देखा, मुख्य मंत्री के कोष से हमें निश्चित राशि देनी चाहिये। मृतकों के नेक्सट परिजनों को पहले केवल एक हजार मुख्य मंत्री फंड से मिलते थे, उस राशि को देखते हुये कि उनको नेक्सट परिजन चला गया है और उससे जो घाटा हुआ है, उसको हम मूल्यों और पैसों में नहीं आंक सकते, लेकिन कम से कम ऐसी मदद की जानी चाहिये, ताकि परिवार के दूसरे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने हजार

(श्री परसराम मदेरणा)

500) रुपये की बात रखी, वहां हमने 5 हजार और 2500 की लिमिट रखी। इसी प्रकार हमने देखा जहां कम्पलीटली मकान ध्वस्त हो गये हैं गांव में 600), शहरों में क्योंकि आज चीजें इतनी महंगी हैं, वहां किसी प्रकार की लकड़ी और साधन उपलब्ध नहीं हो सकते, शहरों में जो कम्पलीटली डैमेज्ड हो गये, हमने उनको एक हजार रुपये दे दिया। जयपुर में इसलिये रखा था, 20 लाख रुपये। जयपुर में कच्ची बस्तियों में बैठे हुये हैं उनको परमानेन्ट रूप से बसाना हैं, सुपरवाइजरी आफिसर लगाया वह अलग है, लेकिन 20 लाख रुपये इस बात के लिये रखे कि जिनकी कच्ची झोंपड़ियां परमानेन्ट रूप से बह गई हैं, या परमानेन्ट आवास देना है, वहां पर टिन के बना दिये जायं क्वार्टर्स। आप देखेंगे, बने भी हैं। इसलिये हमने यहां पर भी वही रखा। मैं निवेदन कर रहा था, फ्लड के संबंध में अभी तक जो मुख्य मंत्री ने भेजा है, जैसे कल विरोधी दल के नेता कह रहे थे, अकाल के संबंध में 50 प्रतिशत लोन और 50 प्रतिशत ग्रांट यहां पर किया जाय क्योंकि राज्य सरकार के साधन सीमित हैं लेकिन फ्लड के मामले में जो 75 प्रतिशत ग्रांट है और 30 पर्सेंट, कुल मिलाकर हमें जो पे करना है, उसके लिये भी हमने मेमोरेंडम में दिया कि वेज एण्ड मीन्स की पोजीशन टाइट है। हम पर ओवर ड्राफ्ट है। हम पर बाद में भी ओवरड्यू काफी हो गया, इसलिये सेंट पर्सेंट हमें ग्रांट दें।

जहां तक राहत का प्रश्न है, सेंट्रल स्टडी टीम के आने के बाद में भारत सरकार क्या सीलिंग मुकर्रर करती है? हमने जो एस्टीमेट्स दिये हैं, उनको ध्यान में रखकर हमने इस बात का निवेदन किया है कि यहां कहीं पर जो नुकसान हुआ है, कुओं पर रेत आ गई है, ढह गये हैं, मिट्टी में खराब हो गये हैं जमीन खराब हो गई है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिये, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनके पुनर्वास के लिये हमें निश्चित रूप से काफी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक केंद्रीय सरकार ने हमको इंडीकेट नहीं किया है। शुरू में 5 करोड़ रुपये अनाज के लिये जरूर दिये हैं, लेकिन जैसा कि विरोधी दल के नेता जानते हैं, भारत सरकार ने उस समय भी जो अपनी सीलिंग फिक्स की थी, वह जाकर अक्टूबर माह में दी थी इसलिये हमने बाद में वितरण किया था विधान सभा खतम होने के बाद में। वह अमाउन्ट भी हमको इंडीकेट नहीं हुआ है।

इन शब्दों के साथ, बाढ़ के संबंध में राज्य सरकार ने मुस्तैदी से, तत्परता से और कान्शन्सली सभी का सहयोग लेकर ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने की कोशिश की है। इस बाढ़ के दौरान स्वयं सेवी संस्थाओं ने जो प्रशंसनीय कार्य किया है, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों की बहुत मदद की है इस मुसीबत के समय ..

(3.51 म.प)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

इन शब्दों के साथ में जहां तक बाढ़ का प्रश्न है, उसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री परसराम मदेरणा)

अकाल के संबंध में जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को पता है कि 16 सितम्बर को जो बरसात हुई उसके आंकड़े हमारे पास में हैं। उसके आधार पर 17 डिस्ट्रिक्ट में डेफिसिट रेन्स है। 9 डिस्ट्रिक्ट में एबव एवरेज रेन्स या एवरेज रेन्स हुई है। 9 डिस्ट्रिक्ट में एबव एवरेज रेन्स हुई है, उनमें अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, नागौर, सीकर, टौंक, और उदयपुर हैं। लेकिन यहां पर यह भी बात कही कि जहां तक हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही कि यह फ्लड इस शताब्दी का सबसे बड़ा प्रलय है। यहां पर सरकार को अहसास कराने की कोशिश की गयी कि इस साल अकाल और बाढ़ के कारण जो स्थिति होने वाली है, वह पिछले चार साल से लगातार अकाल पड़ते आ रहे हैं, उससे ज्यादा भीषण और गम्भीर प्रलय होने की सी स्थिति है। इसलिये इसका असेसमेन्ट भी होना चाहिये। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले साल 21 हजार गांव अकाल में थे। उसके पहले 12 हजार गांव और रहने सात हजार गांव प्रभावित थे। हम यह भी जानते हैं कि पिछले चार साल से लगातार अकाल है। अकाल में चारे का स्रोत नहीं रहा। उनके पास में चारे का कोई स्टाक नहीं रहा। उनके पास में पीने के पानी की बहुत किल्लत है। तालाब खाली पड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ ईस्टर्न राजस्थान के अलावा सदर्न राजस्थान में भी जहां पर हिली एरिया है वहां भी तालाब खाली पड़े हैं। लोग वहां का इलाका खाली कर रहे हैं, जिससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि जबरपात की क्या स्थिति है?

उनके तालाबों का जो भराव है और जो साइज स्टाफ है, उनको देखने से पता चलता है कि मीडियम साइज के जो बन्धे हैं और स्माल साइज के जो बन्धे हैं, उनमें भी काफी बड़े बन्धे हैं जिनमें एम. सी. फीट से ज्यादा पानी स्टोर होता है उनकी स्थिति ज्यादा विचित्र है। जवाई बान्ध की केपेसिटी साढ़े हजार एम. सी. फीट है। इसी प्रकार हेमावास की 1427 एम. सी. फीट केपेसिटी है। उसमें अब केवल 270.80 एम. सी. फीट पानी है। जसवन्त सागर बान्ध में पानी जरूर आया है, पर उसकी केपेसिटी तो है 1475 एम. सी. फीट, लेकिन उसमें पानी आया है 103 फीट ही। इसी तरह मेजा बान्ध की स्थिति है। कल जैसा कि यहां पर माननीय सदस्य ने कहा कि मेजा की स्थिति अच्छी नहीं है। मेजा की केपेसिटी है 3217 एम. सी. फीट की पर उसमें पानी केवल 460 एम. सी. फीट ही आया है। इसी तरह दूसरे बन्धे हैं सवाई माधोपुर और टौंक के बन्धों में करीब-करीब इस प्रकार की स्थिति है। इसलिये राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि जिन बान्धों का पानी पीने के लिए आवश्यक हो, वहां पर पानी पीने के लिये रिजर्व कर दिया जाये, चाहे वह जवाई का पानी हो, हेमावास का पानी हो, साही का हो, सरदार समन्द का पानी हो और चाहे वह मेजा बान्ध का पानी हो। जहां पीने के पानी की आवश्यकता हो, वह इरिगेशन के काम में नहीं लिया जाकर पीने के काम में लिया जाये। यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि बरसात कम होने की वजह से सरकार को एहसास है कि बीकानेर जिले में शहर में कुछ बरसात हो गयी, लेकिन बीकानेर के चारों तरफ की जो

(102)

(श्री परसराम मदेरणा)

तहसीलें हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। काफी गम्भीर स्थिति है। सरकार इस बात को भी जानती है कि जैसलमेर जिले में जैसी कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर की रेनगेज की जो सूचना है, उसमें एवरेज से ज्यादा बरसात हो गयी है, लेकिन उसके इलाके ऐसे पड़े हुए हैं, जहां बिलकुल ही बरसात नहीं हुई है। जैसलमेर की स्थिति बड़ी विषम है। इन सब बातों का अहसास करते हुए, उनका असेसमेन्ट करते हुए हमने यह निर्णय लिया था। हमारे मुख्य मंत्री जी और मैं अभी कुछ दिन पहले जब जोधपुर गये थे, वहां पश्चिमी राजस्थान के जिलाधीशों की मीटिंग बुलाई। वहां अधिकारियों की मीटिंग में कुछ फैसले लिये थे। हम 8 और 9 को वहां थे। हमने 10-11 को कान्फ्रेंस कलेक्टर्स की यहां रखी। कलेक्टर्स कान्फ्रेंस हमने खास तौर से इसलिये रखी थी कि हमको उनका असेसमेन्ट लेना चाहिये। पहले हमने इनको इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे कि आपकी अपनी तहसीलों की फसल की क्या स्थिति है और आने वाले 8-10 दिनों बरसात नहीं होती है, तो कितनी फीसदी फसल बच सकेगी या नहीं बच सकेगी? अलग-अलग तहसीलों के पीने के पानी की व्यवस्था और चारे की क्या स्थिति है? सभी स्थिति का आप जायजा लेकर, असेसमेन्ट करके इस कांफ्रेंस में आवें। हमने एक-एक कलेक्टर से पूछा वहां पर पीने के पानी का और राहत के संबंध में लोगों की माली हालत की स्थिति का और उसके साथ साथ ही मवेशी के लिये चारे की स्थिति का क्या आपने असेसमेन्ट किया है? और आने वाले समय के अन्दर इस सबको मीट करने के अन्दर जो चित्रण, जो पिक्चर वहां इवोल्व हुई वह काफी दिल दहलाने वाली पिक्चर थी। कलेक्टर्स ने वार्निंग दी कि जहां फसल नष्ट नहीं हुई, वहां की 60-70 फीसदी फसल एक-एक तहसील में आने वाले दस दिनों के अन्दर अगर बरसात नहीं हुई, तो बिलकुल जल कर राख हो जायेगी। इसके बाद भी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। वहां 15-20 मिलीमीटर बरसात इधर उधर कुछ दिन पहले हुई हो। जोधपुर में भी अभी दो तीन दिन पहले 15-16 मिली मीटर बरसात हुई, उससे स्थिति में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है इसलिये सरकार इस बात का अहसास कर अपने जिलाधीशों और अन्य एजेन्सीज, जो बाढ़ में राहत पहुंचाने या अकाल में राहत पहुंचाने का काम करती हैं, को इस बात के इन्स्ट्रक्शन दिये हैं। प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर आप लोगों को इस प्रकार से काम लेने चाहियें। आने आने वाले 8-9 महीने तक लोगों को हमें राहत देनी पड़ेगी। इस प्रकार पीने के पानी के लिये जहां पर पानी की आज व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को करने की आवश्यकता है, अपग्रेड करने जहां पानी नहीं पहुंचा है या पहुंचता है वहां किस तरह से रीजनल पाइप लाइन को ठीक किया जा सकता है। हैण्ड पम्प की आवश्यकता हो, तो उनको बोर किया जावे। अगर आवश्यकता हो, और जहां पर पानी को ट्रान्सपोर्ट करने की आवश्यकता हो, तो कितने ट्रान्सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी? कितने गांवों को कितने टैंकर्स की आवश्यकता पड़ेगी? यह हमने जिलाधीशों को कहा, किस प्रकार फेज प्रोग्राम, मास्टर प्लान उनको बनायें। कन्टीन्जेन्सी और इमर्जेन्सी प्लान तैयार

(श्री परसराम मदेरणा).

कर लें अपने डिस्ट्रिक्ट का। हम सोते नहीं पकड़े जाने चाहिये क्योंकि आगे चार साल से लगातार अकाल की स्थिति बनी हुई है। उन इलाकों में राहत कार्यवाही की जानी चाहिये। जो फसल की स्थिति है और जो हमारे समुचित प्रयत्न रहे उनसे हमने भारत सरकार को एप्राइज कर दिया है। स्थिति बहुत ही विषम होने वाली है, यहां पर राहत पहुंचाने की अत्यन्त आवश्यकता है। यह एक बहुत बड़ा प्रकृति का प्राकृतिक प्रकोप है हमारे यहां, यह मैं यह मानता हूं। जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे थे कि इस शताब्दी का यह सबसे बड़ा प्रलय है, इस शताब्दी का सबसे बड़ा अकाल का ग्रहण है, यह तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 56 का काल था, उसमें हालत इससे भी बहुत अधिक खराब थी। लोगों ने अपने जिन्दा बेटों को मार कर खाया था। यह बात मान लो जब पोकरराम जिन्दा थे, तब गांव में बताया करते थे। वह स्थिति तो आज के युग में नहीं आ सकती है, लेकिन स्थिति जरूर खतरनाक और विषम है। राज्य सरकार को इस बात का अहसास है और राज्य सरकार इस बात को महसूस करती है। यहां पर पिछले तीस चौबीस साल तक अकाल पड़ने के बाद भी हम कोई स्थायी काम नहीं करवा सके इसलिए फेमिन का निवारण नहीं हो सका। यहां पर यह बात भी कही गयी, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसा काम हाथ में लेना चाहिये था, कोई प्लान या प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिये था। राजस्थान नहर के ऊपर यहां से लेबर माइग्रेट करे, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा, कुछ माननीय सदस्यों ने तो यहां यह भी सुझाव दिया कि लिफ्ट इरिगेशन के काम हाथ में ले लें, ताकि किसी उपयोगी काम के लिये पानी उपलब्ध किया जा सके। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य उठ कर चले गये हैं, वह तो यहां तक कह गये कि कि आप लिफ्ट इरिगेशन की योजना ले आईये हम मजदूरी भी नहीं लेंगे। आप सिर्फ लोगों के लिये पानी व भोजन की व्यवस्था कर देना। पानी के लिये हम पूरी लेबर वहां लगा देंगे। कौन कितनी बढ़ कर बात करता है और राहत देने के वक्त उनकी क्या मांग रहती है इस बात का मुझे भी अनुभव है और यह बात सदन को भी मालूम है। लेकिन यह बात निश्चित है कि रेगिस्तानी इलाके में, हमेशा अकाल पड़ता रहता है, यह इलाका अपने आप में समस्या है। जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि यहां पर नेशनल कोष की आवश्यकता है, ताकि रेगिस्तानी इलाके के लिए कार्यवाही कर सकें। इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे फेमिन हो, चाहे फ्लड हो, इस तरह का प्रोटेक्शन देकर राहत कार्य किये जायें क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है। हम भी जानते हैं कि राष्ट्रीय समस्या है। इस बात को हमने बराबर कहा है। सेवंथ फाइनेन्स कमीशन आया तब तत्कालीन मुख्य मन्त्री और विपक्ष के नेता महोदय ने उसको मेमोरेन्डम प्रस्तुत किया उस वक्त इस बात को रखा था। मेमोरेन्डम में यह कहा कि यहां पर पानी की समस्या ऐसी है, हमारे हिन्दुस्तान का थार का डेजर्ट है, इसकी वजह से हमारी समस्यायें दूसरे राज्यों की समस्याओं से बहुत भिन्न हैं। हमारे यहां ट्राइब्स और अनुसूचित जाति के लोगों की बहुत बड़ी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। इसके

(श्री परसराम मदेरणा

अलावा अन्य प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको मीट आउट करने के लिये कुछ किया जाना चाहिये।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम विजन और रियलिज्म से काम तो लेना चाहते हैं, लेकिन इमीजियेटली इस फेमिन के वक्त में कितना काम कर सकेंगे। क्योंकि आपने एक बात कही कि गंगा और यमुना का पानी यहां लाया जाना चाहिये। आज मैं परिवर्तित स्थिति महसूस करता हूं, मुझे सिचाई का काम संभाले हुए करीब दो महीने से ऊपर का समय हुआ है। मैं गंगा के फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में गया था। वहां पर यमुना और गंगा की बात आई, तो यू. पी. के और दूसरे लोग बराबर इस बात को कह रहे थे कि हमारे यहां सरप्लस पानी नहीं है। उसी तरह से यमुना के लिये भी वह यही बात कह रहे हैं कन्ट्रोल बोर्ड में। हालांकि पानी के संबंध में कोई बंटवारे का प्रश्न नहीं था। एक अलग कमेटी बनी हुई है, लेकिन चर्चा आई थी। वह बार-बार कह रहे थे क्योंकि हरियाणा ने यह बात उठाई थी कि हमने जवाहर नहर बना दी है और आपके सरप्लस को हमने केलकुलेट किया है। यू. पी. के लोगों ने सख्त एतराज किया था कि हमारे यहां पर कोई सरप्लस पानी यमुना का नहीं है।

आज पानी के लिये लोग इतने कॉन्शिस हो गये हैं। आज से पन्द्रह बीस साल पहले जो पोंग डैम के संबंध में हमारा समझौता हुआ, जहां हमारा शेयर 58 परसन्ट के आसपास है, वहीं आज प्राइमरी स्टेज कहें या बेसिक स्टेज कहें, बराबर पानी को एक्सप्लाइट करके पानी से सिंचाई वहां के इलाके का विकास करना चाहते हैं। हमारे इलाके में सिवाय एक नदी बनास के कोई दूसरी नदी नहीं है जो कि जाकर दूसरी जगह मिलती हो जिससे हम कह सकें कि हम भी आपके पानी में भागीदार हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, हाथ में ली जानी चाहिए, चाहे जिस स्तर पर और जिस फोरम के ऊपर राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को वाच करने की और उसकी पहरेदारी करने की बात करें, तो निश्चिततौर पर यह सरकार कभी राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को इस तरह नहीं देखकर चलेगी। बराबर जो इस सदन की भावना रही है, जो राजस्थान के लोगों के विकास के लिए और यहां परमानेन्ट अकाल पड़ते रहते हैं उसके हल, समाधान के लिए हमेशा सदन में सुझाव आते रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार का पहला कर्तव्य होगा कि राजस्थान के इन्ट्रेस्ट को गार्ड किया जाये।

जो स्थिति बनती जा रही है इस सन्दर्भ में आज बात करते हैं रेलवे के प्राजेक्ट के बारे में। रेलवे ने एक प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है। जब तक भारत सरकार उस प्रोजेक्ट को सेंक्शन नहीं करे, तब तक रेलवे का कोई काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हम केवल लाइन बिछाने के अन्दर लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा खर्चा रेल बिछाने के लिए भारत सरकार को करना होगा। कोटा और चित्तौड़ के बीच में रेलवे लाइन की सेंक्शन हुई और उसका काम चल रहा है। कितने लेबर को वहां लगाया जायेगा इस संबंध में हम

(श्री परसराम मदेरणा)

कार्यवाही करने जा रहे हैं ? वहां दोनों ही जिलों के जिलाधीशों को आदेश दिये हैं।

इसी प्रकार से जहां तक आर.एम.ई.बी. और लिफ्ट इरिगेशन का संबंध है, हम थोड़े ही दिनों में निर्णय लेने वाले हैं कि लिफ्ट इरिगेशन की योजना को हाथ में लिया जाये या नहीं। तब भारत सरकार से और प्लानिंग कमीशन से अनुमति लेने की बात की जा सकती है। इस संबंध में हम व्यवस्था करने जा रहे हैं।

यहां पर यह भी बात कही गयी कि इरिगेशन के साधन जैसे कि 1975-76 में सीकर और झुंझुनूं जिले में किये गये थे, चौहटन और नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि इस तरह के रिलीफ के कामों में सिंचाई के कुओं को लिया जाना चाहिए, जो कि पूर्व के वर्षों में लिए गये थे। वह अकाल का एक स्थाई हल है। 1975-76 में कुएं लिए गए। जो कन्टीजेन्सी प्लान बना रहे हैं, उसमें हम निश्चित रूप से ऐसे कामों को हाथ में लेंगे।

इसी के साथ सबसे बड़ी जो बात कही गयी सरकार भी इस बात को महसूस करती है कि इस समय भीषण अकाल है। भीषण अकाल में राजस्थान की इतनी बड़ी संख्या पशुधन की है जो कि करीब 4 करोड़ से ऊपर है, उसको बचाने के लिए सरकार पूरी कोशिश करे। हरा चारा उगाने का सुझाव दिया गया। सूरतगढ़ फार्म में और कुओं के लिए सब्सिडी की बात कही गयी। लेकिन सरकार कितनी भी कोशिश करे, पूरे मवेशियों के लिए जितने चारे की आवश्यकता है, हरा और सूखा दोनों मिलाकर प्रभावित सभी मवेशियों को उपलब्ध करा सकें, यह मुझे सम्भव प्रतीत नहीं होता। मैंने माननीय विधान सभा के सदस्यों, जो जोधपुर में इकट्ठे हुए थे, को उस समय भी निवेदन किया था कि जितनी जल्दी केटल का माइग्रेशन हम आरम्भ कर दें और जितना जल्दी उनको दूसरे स्थानों पर पहुंचा सकें, उतना अच्छा है। क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत पानी भी मिल रहा है, चारा भी है लेकिन बाद में उनको भी दिक्कत आने वाली है और हम उन्हें गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचा सकेंगे। यह सही है कि मध्य प्रदेश आनाकानी कर रहा है मवेशियों को लेने के लिए। गुजरात भी इतना रिसेप्टिव नहीं है। उत्तर प्रदेश के तराई की बात भी कही गयी। बाकी हम और मुख्य मंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के पास गये थे और उनसे बात की थी कि केमिना को देखते हुए इस वर्ष आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इस संबंध में हम बात कर रहे हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी से रात को भी बात कर रहा था कि जल्दी हो सके, तो इनसे बात करके और हो सके, तो वहां जाकर मवेशियों के निष्क्रमण के संबंध में कुछ क्षेत्र उपलब्ध करायें, ताकि हम पशुधन को बचा सकें।

ग्रीन फॉडर के संबंध में इतना ही निवेदन करूंगा कि सूरतगढ़ के फार्म को भारत सरकार लेगी या नहीं, जैसा मैं जानता हूं, सूरतगढ़ फार्म नाली के बेड में आया हुआ है। आज नाली के बेड में एक्सेस पानी नहीं छोड़ रहे हैं और न उनको मिल रहा है। वहां खड़ी फसल खराब नहीं हो रही है। अन्य कोई भी व्यवस्था करें।

(108)

(श्री परसराम मदेरणा)

पूर्व के अकालों में सरकार की तरफ से यह व्यवस्था रही है कि जो कोई भी किसान अपने सिंचाई के कुओं के ऊपर आधा हेक्टेयर हरा चारा उगायेगा, तो उसको 265 रुपये की सब्सिडी दी जायेगी। यह 265 रु. की सब्सिडी है, यह कोई आधा हेक्टेयर का स्केल हो, ऐसा नहीं है। वह बराबर जितने भी हेक्टेयर उगा सकते हैं, लेकिन ऐसे कुए सरकार को ले ली पड़ें और सरकार खुद हरा चारा उगाये। यह सम्भव नहीं है जैसा कि मुझे याद है 1968-69 और 69-70 में 30 लाख क्विंटल के आस-पास सूखा चारा मंगाया था। इस संबंध में भी हमने हरियाणा के मुख्य मंत्री जी से बातचीत की है और वहां से भी जितना चारा हम प्रोक्योर कर सकते हैं, उस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं। माइग्रेशन के आफिसर, इन्सपेक्टर लगा रहे हैं। 132 माइग्रेशन के डिपो खोलने जा रहे हैं। जो कार्यवाही पशुधन को बचाने के लिए करनी चाहिए, उसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कैटल फोडर का एक्सपोर्ट तो बन्द कर दो।

श्री राजबहादुर : फेमिन डिक्लेयर हो गया है क्या?

श्री परसराम मदेरणा : कैटल फोडर का एक्सपोर्ट तो बन्द है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चल रहा है।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : हमारे यहां से खूब जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परमिट ले रहे हैं। आप जानकारी चाहें तो नाम बता दूं। राजस्थान के बाहर जा रहा है और परमिट ले जा रहा है। आप राजस्थान के कैटल को बचाना चाहते हैं? यहां से फोडर का एक्सपोर्ट करके कैटल को मरवाने की बात कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक फोडर का प्रश्न है उसके एक्सपोर्ट पर तो रोक नहीं लगी हुई है। ग्वार से जो चूरी वगैरह निकलती है, उसके ऊपर रोक लगी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिछले 2 महीनों में 80 हजार क्विंटल के एक्सपोर्ट के परमिट आपने दिये हैं। सभापति महोदय, सारे राजस्थान के अन्दर पशु मर रहे हैं, यह माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं और मरने की स्थिति में आ रहे हैं। हम उसको क्यों नहीं बचा सकते? इस स्थिति में 80 हजार क्विंटल का एक्सपोर्ट हो, राजस्थान सरकार के लिये यह शर्म की चीज है। मैं कह रहा था, माथुर साहब, आप बैठे हैं और आपकी कुर्सी के नीचे करप्शन हो रहा है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। जितने भी परमिट दिये हैं, उसमें पैसा खाया है। जिन अधिकारियों का, जिन लोगों का इसमें हाथ है, उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐसा धक्का लगाइये कि भविष्य में कोई हिम्मत न कर सके। आप यदि कोई जानकारी चाहें, तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। हाउस में जानकारी चाहें, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी, अब अकाल और राहत मंत्री जी ऐसे हो रहे हैं, जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे यह मालूम नहीं है। मुझे यह मालूम है, शायद 26-27 तारीख अगस्त महीने की बात होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 26 तारीख को।

श्री परसराम मदेरणा : कि यहां पर कुछ परमिट इश्यू हुए हैं। मेरे पास फाइल भी आई थी। उसमें मैंने देखा था कि राजस्थान में इतनी चूरी है, जो पर्याप्त है। उस चूरी के क्या भाव हैं? उस चूरी के भाव बढ़े हुए हैं। जिन्होंने एप्लीकेशन दी हैं और जिन लोगों की उस गम फैक्ट्री में जितनी केपिटल ब्लाक हुई है, उस केपिटल को देखते हुए सरकार निर्णय लेगी। अब कोई परमिट इश्यू किये जायेंगे, तो वह मेरी अनुमति के बिना नहीं किये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख का जो माननीय मंत्री महोदय क्रेडिट लेना चाहते हैं, वह यह बात नहीं है कि वहां काफी फोडर था। उसके परमिट मिले। जब कि उस पर रोक लगी हुई थी। जोधपुर में आम चर्चा हुई कि इतने पैसे लेकर परमिट दिये गये। उन परमिटों के बाद कार्यवाही की गई। उसके पहले 80,000 क्विंटल का एक्सपोर्ट हो चुका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके होते हुए घोटाला हो कैसे गया?

श्री परसराम मदेरणा : इसकी कोई अफवाह नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। पैसा खा गये और आप ईमानदारी की बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक ओर सारे जानवर मर रहे हैं और एक तरफ लोग करप्शन की दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती।

श्री परसराम मदेरणा : ये बातें आप आवेश में आकर कह रहे हैं। आप करप्शन का नाम लेकर यह समझ रहे हैं कि यहां बड़ा भारी करप्शन हो रहा है। पहले क्या व्यवस्था थी, यह मुझे पता नहीं है। पूर्व में अकाल के समय जो परमिट दिये जाने का सिस्टम था, उसका चार्ज मंत्री के पास था। वह देखते थे कि जब मांग होती है, तो गम का एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्जित कर सकें। वह होती थी। चूरी के संबंध में निश्चित तौर पर यह समझा जाता था कि चूरी का परमिट नहीं दिया जायेगा, जब अकाल पड़ेगा। पिछले कुछ अरसे से यहां पर चूरी के भी परमिट नहीं दिये गये। गम का जहां तक सवाल है, भारत सरकार ने अपने आर्डर में साफ लिखा है कि गम देने की आवश्यकता नहीं है। 1969 में जब मैं मिनिस्टर था, तो उस समय भी गम फैक्ट्री में ग्वार का उत्पादन होता था, मैंने उस समय भारत सरकार के अधिकारियों को लिखा था कि यह जो ग्वार है, उस ग्वार की अगर चूरी रहती है और गम निकलता है, तो उस चूरी को एक्सपोर्ट नहीं किया जाये। उन्होंने मुझे इन्फार्म किया था, मुझे सूचना दी थी कि गम मवेशियों के लिये हानिकारक है, उनके हित में नहीं है। उस वक्त हमने जो परमिट दिये थे उनके लिए अण्डरस्टेंडिंग नहीं थी। हमने यह एग्रीमेंट किया था जो भी चूरी होगी, उसका

(श्री परसराम मदेरणा)

एक्सपोर्ट नहीं किया जायेगा। भारत सरकार ने कहा था कि गम फैक्ट्री बन्द हो रही हैं। मैंने भारत सरकार से कहा था और मेरी हमेशा यह उत्सुकता रही है कि राजस्थान के अन्दर गम फैक्ट्री लगाई जाये, क्योंकि यहां पर ग्वार की कीमत बहुत कम है। यहां पहले क्या व्यवस्था थी, यह मुझे मालूम नहीं। मैं माननीय सदस्य को चूरी की जानकारी के लिए भी बता दूं कि जो कुछ भी यहां ग्वार की चूरी के संबंध में व्यवस्था थी, वह केवल 31 जुलाई तक थी। उसके बाद भारत सरकार का आदेश हुआ था कि जो परमिट वहां पर इश्यू हुए थे, वह परमिट इश्यू नहीं होने चाहिये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिना एक्सपोर्ट बन्द हुए, यहां पर परमिट इश्यू हो रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हो रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। वह फाइल मंगवा ली गयी है। मगर मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कौनसी फाइल मंगवाई है? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय नाराज हो रहे हैं। मैं आपके ही हित के लिए बोल रहा हूं...

श्री परसराम मदेरणा : मेरे नाराज होने का सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि भारत सरकार से अनुमति के लिये कई लोग वहां गये। यह जनता का प्रश्न नहीं है, आम जनता का प्रश्न यह है कि यहां से एक्सपोर्ट क्यों हुआ? और एक्सपोर्ट के लिये भी परमिट दिये जाते हैं ऐसी स्थिति में जबकि इस सदी का भीषणतम अकाल पड़ा है, यह आपने स्वीकार किया है और आपने एक बात और स्वीकार की है कि बिना एक्सपोर्ट के बन्द हुए, बिना वेरीफाई हुए परमिट इश्यू किये गये। मैं उस गम फैक्ट्री का नाम बता सकता हूं जिसे परमिट दिये गये, महेश गम इण्डस्ट्रीज। मैं उस एक्सपोर्ट होने वाली चूरी के नमूने लाया हूं। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं उन नमूनों को मुख्य मंत्री जी और मंत्री महोदय को दे रहा हूं, ताकि इस प्रकार की गम चूरी के लिये यह न कहा जा सके कि यह किसी काम आने वाली नहीं है, यह यूजलेस है, यह फोडर के काम नहीं आ सकता इसलिए इसको एक्सपोर्ट किया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह चूरी गम की है या ग्वार की है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ग्वार की है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के आदेश होते हैं, गम की चूरी का पाउडर बनता है। इस प्रकार के आदेश दिये हैं और जब 26 या 27 को नोटिस में आई यह बात, तो पूर्व में जो एक या दो दिन पहले परमिट इश्यू किये थे, वे सब कैन्सल कर दिये। उसके बाद में भारत सरकार को जो पीरियड एक्सटेन्शन करने की वाली बात कही गई थी, उनको लिखकर दिया था,

(श्री परसराम मदेरणा)

किन्तु उन्होंने कान्करेन्स नहीं दी। तीन दिन बाद मैंने किसी अधिकारी को भेजकर वह कान्करेन्स भी मंगा ली। आज एक्सपोर्ट पर बेन लगा हुआ है राजस्थान के अन्दर लेकिन वह बेन 31 जुलाई से लेकर सितम्बर की 3 या 4 तारीख तक है। भारत सरकार ने कन्करेन्स दी है, इसके बीच में आफिसियल नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, इस प्रकार की एक डेड लाइन रही, यह भी एक जांच का मामला है। इसकी मैं जांच करना चाहता हूं। जांच में जो दोषी पाया गया, आप निश्चिंत रहिये विरोधी पक्ष के नेता महोदय, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। किसी भी गलत आदमी को सैल्टर या पनाह देने वाली बात हमारे मन में नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ, 80 हजार क्विन्टल, कितना था और कितना नहीं था, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे तो केवल तीन परमिट की इत्तला मिली थी और मिलने के बाद मैंने तीनों ही परमिट केन्सल कर दिये। केन्सल करने में ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि उन्होंने गम को भी रोक दिया। मैंने कहा, भाई, गम को नहीं रोकना है, ग्वार की चूरी रोकना चाहते हैं, ताकि हमारे पशुधन को बचाया जा सके। इसलिये जो कुछ भी हुआ, वह मेरी नोलेज में नहीं था। जो आप दो महीने की बात कर रहे थे, कल तक जितने परमिट इश्यू हुए हैं, उन सब की फाइलें मैं मुख्य मंत्रीजी को भेजूंगा; मैं विपक्ष के नेता महोदय से भी चाहूंगा कि वे इसकी इन्फारमेशन देंगे। यह जानकारी मुझे पहले भी दी जानी चाहिये थी; शायद पिछले दो महीनों में इतना नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले ज्यादा परमिट दिये गये हैं, ऐसी जानकारी मैं और दे सकता हूं। यह बात निश्चित है कि हमारे यहां चारे की विषम स्थिति खड़ी होने वाली है...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चन्दन मल जी बैठे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : गलत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : चन्दनमलजी आपके पीछे बैठे हुए हैं, उन पर हैं...

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : क्या है मेरे पास?

(व्यवधान)

मुझे जो कुछ भेंट किया है, वह आपको भेंट करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब उनको भेंट किया है।

श्री परसराम मदेरणा : इनको क्या भेंट किया गया है, यह सब जानते हैं आप। बान्दीकई से आने वाले माननीय सदस्य, क्योंकि कानून से अनभिज्ञ रहते हैं और कान्स्टीट्यूशनल पाइन्ट ज्यादा उठाते हैं, सिविल सप्लाई का यह मामला है, ऐसा ये बताते हैं, किन्तु जहां तक मैं समझता हूं यह सिविल सप्लाई से सम्बन्ध नहीं रखता है। यह रिलीफ डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखता है।

(व्यवधान)

रिलीफ डिपार्टमेंट से...

(व्यवधान)

(110)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हनुमान प्रसाद प्रभाकर है, आपके भूतपूर्व मंत्री · · ·

श्री नाथूसिंह (बोबोकुई) : जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है ।

श्री परसराम मदेरणा : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें । मैं बात कह दूं, उसके बाद आप बोल लेना । यह थोड़ा बहुत प्रिविलेज अवश्य है, लीडर आफ अपोजीशन का तो है बीच में खड़े होना, लेकिन इस तरह आप सभी खड़े होकर कहें, तो इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है । इसलिये, मैं निवेदन कर रहा था कि यहां पर पशुधन को बचाने के लिये हरा चारा होने से लेकर सूखे चारे का प्रोक्योरमेंट करना, पशुओं का निष्क्रमण करना और निष्क्रमण के मामले में पूर्ण व्यवस्था करना, उसके, बाद साथ ही साथ पशुओं के उपचार के लिये एक समुचित व्यवस्था करना, इस तरह के कदम लिये जा रहे हैं । अगर हम इस पशुधन को नहीं बचा सके, तो जो हमारा बहुत बड़ा आर्थिक आधार है, उससे वंचित हो जायेंगे ।

जहां तक पीने के पानी का सवाल है, इस साल बहुत बड़ा संकट है । पीने के पानी की समस्या हल करने के लिये राज्य सरकार यह सोचती है कि कई जगह इमर्जेन्सी प्लान बना कर हल करेंगे । टैंकर्स की भी ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे सरकार खरीद ले या किराये पर ले, लेकिन यह निश्चित है कि पहले की परिस्थितियों से अब की परिस्थितियां भिन्न हैं । इन परिस्थितियों में हमें हैण्ड पम्प खुदवाने हैं, जगहों पर ट्यूब वैल्स का भी कमीशन करना पड़ेगा और जितनी रिग्स हैं हमारे पास, कुल मिला कर उसकी स्थिति यह है कि जो हमारे पास रिग्स वगैरह हैं, उनमें 21 तो हमारे पास इस प्रकार की रोटेरी डाउन होल रिग्स हैं और 82 व 31 और हैं । इस तरह कुल मिलाकर हमारे पास में 114 के आस-पास में रिग्स है । प्राइवेट कांट्रेक्टर्स जहां पर है, उनके पास डाउन होल वाली 57 रिग्स है । स्लो मूविंग वाली उनके पास 87 रिग्स है । अब हम इस पूरे आर्गेनाइजेशन को पी. एच. ई. डी., अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड और वाटर बोर्ड को करना चाहते हैं, ताकि पानी की समस्या की कम से कम किल्लत हो लोगों को । यह बात निश्चित है कि आज आपके तालाबों में पानी होता और आज अगर कुओं का वाटर लेवल ऊंचा होता, तो कम-से-कम यह समस्या और तरह से हल की जा सकती थी ।

जैसे मुख्य मंत्री जी ने जोधपुर के अन्दर प्रेस कान्फ्रेन्स में यह बात कही कि जोधपुर शहर को जो पानी दे रहे हैं, कुछ कम पानी देंगे । सरकार जो कुछ जोधपुर के लिये व्यवस्था कर रही है, उसमें दो ढाई करोड़ की व्यवस्था इस साल में करनी पड़ेगी । उसमें हैण्ड पम्प है, ट्यूब वैल्स हैं, दूसरे साधन हैं, कुल मिला कर और सोर्सेज हैं, उनको भी टेप करना चाहते हैं। जोधपुर के लिये आज हम 160 लाख गैलन के आस-पास पानी नहीं दे सकेंगे, उसमें कुछ कटौती करनी पड़ेगी । यहां की स्थिति को देखते हुए जिस चीज को हम नहीं कर सकते हैं, उसमें ख्वाहमख्वाह आश्वासन दें, कि पूरा पानी मुहय्या करायेंगे, यह ठीक नहीं होगा । थोड़ी बहुत पानी की राशनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी की

(श्री परसराम मदेरणा)

बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। हम सब जानते हैं कि सरकार और प्राइवेट एजेन्सियां, स्वयंसेवी संस्थाएं और साथ ही साथ पोलिटिकल पार्टीज सबको मिलकर इस मामले, जो राहत का प्रश्न है, को हल करने का प्रयास करना चाहिये। आज इन्सानों को राहत पहुंचाने का प्रश्न है, जो लोग अकाल की चपेट में आ रहे हैं, उनको बचाने का प्रश्न है। इसके साथ पशुधन के संरक्षण के लिये और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जो कुछ हमारा उत्तरदायित्व है और सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कमेटी, जो कल यहां पर बात आई थी कि वहां पर इस प्रकार की कमेटी बनानी चाहिये, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी रिलीफ कमेटीज हैं, उन डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के अलावा भी ब्लॉक लेवल पर और तहसील स्तर पर भी उनका गठन करना पड़ेगा। राज्य सरकार यह सोच रही है कि इसको डिसेन्ट्रेलाइज किया जाय, ताकि व्यापक रूप से अकाल का मुकाबला कर सकें। इन शब्दों के साथ में, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को अहसास है, असेसमेंट है और सरकार महसूस करती है कि भीषणतम अकाल है। आज यहां विरोधी पक्ष के नेता ने जिस प्रस्ताव की एक बात कही है, उसमें भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने फेमिन का मेमोरेन्डम पहले भी दिया था, उसमें भी इस बात की रिकमन्डेशन सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन ने की है। 1-4-81 से 31-7-81 तक जो मेमोरेन्डम प्रस्तुत किया था, उस वक्त भी उसका उल्लेख किया था, जिसका आज कर रहे हैं..

"The severity and calamity of draught also justify Central Government assistance to State for extra expenditure of Rs. 131 Crores-half as grant and half as loan."

लेकिन भारत सरकार ने इस बात को नहीं माना। उसके बाद यहां की स्थितियां बदल गई। जब दूसरी नेचरल केलेमिटी बाढ़ की रही और बाढ़ के बाद लगातार जो फेमिन की दूसरी स्थिति बनी है, उसमें हम निश्चित रूप से इस बात की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी भारत सरकार ने यह सीवियरिटी की बात रखी है अर्थात जहां रेयर सीवयोरिटी है, वहां भारत सरकार 50 पर्सेन्ट लोन और 50 पर्सेन्ट सब्सिडी दे। यह भावना व्यक्त की गई है, वह निश्चित रूप से ठीक है। उसके साथ ही राजस्थान के संसाधन और साधनों को देखते हुए सरकार पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। यदि इस प्रकार की हम राहत देना चाहते हैं, तो भारत सरकार हमें इसी फार्मूले से राहत पहुंचा सकती है। इसलिये हम उस पक्ष में भी कार्यवाही करेंगे और विरोध पक्ष के नेता को कान्फीडेन्स में लेकर जो कुछ कर सकते हैं, वे सब कदम उठाये जायेंगे।

माननीय सदस्यों ने और भी बहुत-सी बातें कही हैं, मैं उन सबका उल्लेख तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कई बातें कही गई हैं। अगर एक-एक बात का उत्तर मैं दूं, तो एक घंटे से भी ज्यादा समय लग

(श्री परसराम मदेरणा)

सकता है। उसमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो कन्स्ट्रक्टिव सजेशन दिये हैं और जो अन्य सुझाव आये हैं, इसके साथ ही काम लेने के सम्बन्ध में भी सुझाव आये हैं, इरिगेशन के कामों के लिये और दूसरे तालाबों आदि के लिये जो भी माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं, हमने इस बात के आदेश दिये हैं कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है या सर्वे किया जाना है, उसमें जो उनका इंजीनियरिंग स्टाफ है, उससे ही कार्यवाही प्रारम्भ करा ली जाय। कार्यवाही प्रारम्भ कर ली गई है इस सम्बन्ध में भी सरकार दो तीन दिन के अन्दर आर्गेनाइजेशन का गठन करके कार्यवाही करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में जो कुछ भी आपने सुझाव दिये हैं, समय-समय पर हम आपसे परामर्श करते रहेंगे। आपके सुझावों के अनुसार बहुत बड़ी विपदा राजस्थान के ऊपर गिर रही है। इस घिरती हुई चुनौती, जो कि हमारे सामने है, मैं आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से, कोआर्डिनेशन से हमें राजस्थान के प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में सभी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये, जो एक संसदीय लोक पद्धति के अन्दर एक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है, उसकी ड्यूटी है, उन ड्यूटीज को वहन करने में सरकार किसी तरह से पीछे नहीं रहेगी, यही कुछ बातें मैं अर्ज करना चाहता था।

श्री राजबहादुर : एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो प्राकृतिक विपदा और बाढ़ आयी हुई है, उसकी स्थिति को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। पहले वे बोल लें फिर आपको कुछ कहना हो, तो बोलें।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, इस माननीय सदन में पिछले दो दिन और आज तीसरा दिन हो गया, मैं बाढ़ और अकाल पर जो लगातार डिबेट हुई, उसका विस्तृत उत्तर माननीय राहत मन्त्री जी ने बहुत विद्वतापूर्ण तरीके से और तथ्यात्मक आधार पर सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे उनके वक्तव्य के पश्चात और कुछ अधिक बात यहां पर निवेदन नहीं करनी है। विरोधी दल के माननीय नेता ने अपने भाषण के दौरान जहां बाढ़ और अकाल के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की आलोचना की, उनका हक है आलोचना करने का, लेकिन कितनी नकारात्मक, कितनी सकारात्मक थी यह तो वे स्वयं सोचें। मैं इसमें यह बात उनके विवेक पर छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे याद आती है वह बात जब हम 77 से 80 तक सरकार में नहीं थे, और विरोधियों में बैठते थे। तो लोग यह कहा करते थे कि आपको विरोध करना नहीं आया और उनको सरकार चलाना नहीं आया ....

(4.32 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अब भी आप साबित कर देंगे कि आपको सरकार चलाना नहीं आया।

श्री शिवचरण माथुर : यह दुनिया कहती थी और सब लोग मानते थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात पहाड़िया जो भी कहते थे, वे गये, आप भी यही कहते-कहते चले जाएंगे ।

एक माननीय सदस्य : यह तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये ढाई साल भी पूरा करने वाले नहीं, चिन्ता मत करो ।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आप को उपयुक्त स्थान दे दिया है, आप यहां बिराजा करें।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह बात इसलिए निवेदन की कि हमने ढाई तीन साल विरोध में रहकर के कुछ रचनात्मक विरोध की परम्पराएं कायम करने की कोशिश की थी । हम बहुत दूर केन्द्र स्तर पर और राज्य में भी यह बात भारत की जनता को बता सकते थे कि अब बदले हुए सन्दर्भ में विरोध का क्या रुख होना चाहिये था । लेकिन मुझे खेद है कि इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन हमारे विरोध पक्ष के नेता का और इतना पुराना उनका अनुभव होने के बाद भी आज जो रचनात्मक दृष्टिकोण सरकार के काम के प्रति होना चाहिए, वह उनका नहीं बना है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जिन हालात में और जिन परिस्थितियों में इस नयी सरकार ने अपना काम संभाला, वह न केवल इस सदन के माननीय सदस्यों को बल्कि राजस्थान की जनता को और देश की जनता को मालूम है। 19 तारीख को इस सरकार ने पूरी तौर से अपना गठन किया। 14 तारीख को मैंने शपथ ली, उसके बाद में जैसा आप जानते हैं, मन्त्रिमंडल के निर्माण की प्रक्रिया होती है। मैं 15 तारीख को दिल्ली गया और हमारे उच्च कमान से चर्चा करने के बाद दो दिन तक लगातार वहां पर रहा। 18 तारीख के बाद में यह बाढ़ की भयंकर विभीषिका हमारे सामने आयी। मैं निरन्तर इस प्रयत्न में था कि किस प्रकार से जयपुर पहुंचू ? 18 तारीख को संध्या से लगातार हम इस कोशिश में थे कि जयपुर किस प्रकार से जल्दी से जल्दी पहुंचा जाय। मुख्य सचिव जी से पूछा कि कैसे-कैसे पहुंचा जा सकता है? उन्होंने कहा कि अलवर का रास्ता कट गया है, कोट-पूतली के रास्ते से पहुंचना सम्भव नहीं है । आगरे के रास्ते से पहुंचना कठिन है, चारों तरफ से रास्ते बन्द थे । हमारा यहां आना मुश्किल था, अन्तिम रूप से जब मैंने रात को दो बजे उनको पूछा कि क्या स्थिति है ? अलवर के लोगों को बुलाकर अलवर के पास में, कूकस के नाले के पास में अगर कहीं छोटी सी दरार रही हो तो हम दरार पार करके आ जायेंगे । मुख्य सचिव ने बताया कि यहां जबरदस्त करेन्ट है, किसी भी नाले से पार आप नहीं कर सकते। मैं सदन को बताना चाहता हूं रात के दो बजे मैंने एयर हेड क्वार्टर को फोन किया और एयर मार्शल से निवेदन किया कि मुझे बहुत जल्दी से जल्दी जयपुर पहुंचना है, आप हैलीकाप्टर का इंतजाम कीजिए, उन्होंने सुबह 8 बजे सूचना दी कि हैलीकोप्टर तैयार है । जब हम टैक्निकल एरिया में पहुंचे, तो वहां पायलेट ने जयपुर के टावर से सम्पर्क करने की चेष्टा की, टावर से सम्पर्क नहीं हुआ, सम्पर्क गायब था। हमने कहा कि हम-को पहुंचना बहुत जरूरी है। पॉयलेट ने कहा

(श्री शिवचरण माथुर)

कि जब तक टावर से सम्पर्क नहीं है, मैं आपको, खास तौर से वी.आई.पीज. को ले जाने की रिस्क नहीं ले सकता। मैंने कहा, हम लोग वी. आई. पी. हैं इसलिए उसने कहा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, वैसे लड़ाई के वक्त में तो ले जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ में रिस्क नहीं ले सकता, हमने उनको इन्सिस्ट किया। हमको आवश्यक रूप से वहां पहुंचना है। उन्होंने रडार पर जाकर स्थिति को देखकर हमारे निवेदन पर वहां से हैलीकोप्टर रवाना किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी परिस्थिति में जब जयपुर के पास में इतनी भयंकर वर्षा हो रही थी, हैलीकोप्टर से उतरना असम्भव था हैलीकोप्टर के चालक ने कानोता के पास में किसी गांव में फोर्स लैण्ड किया, एक जगह पर हैलीकोप्टर उतरा और वहां करीब एक घन्टे तक रहने के बाद जब थोड़ी सी स्थिति बरसात की कम हुई, फिर से ट्रेस आउट करके उस वक्त भी दिखता नहीं था, सांगानेर रेलवे लाइन के ट्रेक को पकड़ते हुये बड़ी मुश्किल से हम यहां सांगानेर उतरे। 5 मिनट तक हैलीकोप्टर सांगानेर हवाई अड्डे पर घूमता रहा। हैलीकोप्टर उतरने की जगह नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ था, ऐसी स्थिति में हम उतरे। जैसा कि अभी माननीय मन्त्री महोदय जी ने बताया, उतरने के बाद में मुख्य सचिव जी और दो तीन अधिकारी हमें लेने के लिए आये थे, सारी स्थिति बताने के लिए। हमने उसी समय निर्णय किया कि हमको सारे इलाके को देखना चाहिए। देखने के बाद में जो स्थिति बनी, वह माननीय मन्त्री जी ने निवेदन की है। मैं तो यहां इसलिए जिक्र कर रहा था कि हैलीकोप्टर की बात आपने यहां कही और एक बार नहीं, मैं आपका पूरा वक्तव्य पढ़ रहा था, उसमें आपने जिस भावना से उस बात को कहा है, मुझे पीड़ा हुई। खास तौर से इसलिए पीड़ा हुई कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों का एक शिष्टमण्डल मेरे पास मिलने आया था। उन्होंने जब कई बातें कही और यह स्वीकार किया, आज भले ही वे सदन के सामने स्वीकार करें या नहीं करें, आज की परिस्थिति थी, वह किया है, हम प्रशंसा करना चाहते हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं, उन्होंने कहा, कमियों को आप अवश्य सुधारिये। लेकिन उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति में आप जितना कर सकते हैं उसमें इतना और कीजिए। मैंने कहा कि आपके सुझाव के अनुसार मैं और करना चाहता हूं लेकिन मुझे खेद हुआ, इतना करने के बाद भी अखबारों में यह आया कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार तो हैलीकोप्टर में घूम रही है और राहत के काम कोई नहीं कर रही है। मैंने कहा हैलीकोप्टर की बात तो केवल हमने ही नहीं की है। हैलीकोप्टर में खास तौर से इस मौके पर घूमने का शौक भी नहीं है। आपके शर्मा जी ने मुझ से कहा कि हैलीकोप्टर से हमारे नेता जाना चाहते हैं। मैंने कहा ले जाइये। यहां तक कि टौंक के माननीय सदस्य महावीर जी ने मुझे टेलीफोन किया कि मैं कट गया हूं, टौंक में पहुंचना मुश्किल है, टौंक में जो मेरा चुनाव क्षेत्र है, उसमें लोगों पर आपत्ति आयी हुई है। मैंने तुरन्त व्यवस्था करके हमारे जिलाधीश को और अधिकारी को भेजकर उनको वहां से भेजने की चेष्टा की। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हमारे

(श्री शिवचरण माथुर)

दिमाग में कभी यह भावना नहीं रही लेकिन उस अच्छे गुड टर्म को भी आपने जिस भावना से लिया है, इस तरह से निगेटिव एटीट्यूड आपने अपनाया है, मुझे दुःख है······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्या मुझ पर अहसान कर रहे हैं? आप इस तरह कि लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हैलीकोप्टर दे दिया, हैलीकोप्टर मझे नहीं दिया···

श्री शिवचरण माथुर : पता नहीं आपके साथियों ने क्या कहा? मैंने तो बहुत······

(व्यवधान)

आपको, उन्होंने क्या कहा मैं तो···

एक माननीय सदस्य : आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो जो भी कह रहा हूं, मेरी तो आदत ऐसी नहीं है। लेकिन जो आपने बार-बार हैलीकोप्टर की बात की है, मैं समझता हूं कि इतनी गम्भीर बात को आपने इस ढंग से यहां पर कहा, उससे मुझे कम से कम पीड़ा हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप इस बात का आयन्दा से ध्यान रखें

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस तरह से बोलेंगे, तो पीड़ा ही होगी।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है। मैं इस तरह की बात कहने का आदी भी नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी आदी नहीं हूं। मुझे भी दुःख हुआ कि शिवचरण माथुर ऐसा कह रहे हैं। मुझे भी इस बात का दुःख हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं कहा मैंने इस बात को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री शिवचरण माथुर : दूसरी बात जो यहां पर आपने चीफ सेक्रेटरी के बारे में यह कही एक छोटी सी लाइन, केजुअल रेफरेंस किया या क्या किया, मैं नहीं जानता, चीफ सेक्रेटरी के बारे में 17, 18 और 19 के बीच में यहां पर हम नहीं थे फिर जो यहां पर चीफ सेक्रेटरी और उनके साथियों ने काम किया, मैं समझता हूं उसमें कहीं पर भी लैग नहीं था। उस समय में, उन परिस्थितियों में जो कुछ भी सम्भव था, वह उन्होंने काम किया है, हम बिल्कुल उस काम को एन्डोर्स करते हैं। आप कर इस टाइम पर कहते हैं, पता नहीं क्यों आपको उनके प्रति ऐसी भावना है उस भावना के आधार पर आप यहां तक भी कह गए, इस बात कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां तक भी कह गए कि चीफ सेक्रेटरी यह कहते फिरते हैं कि Shiv Charan Mathur is my nominee ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि शिवचरण माथुर तो चीफ सेक्रेटरी का नोमिनी क्या होगा, वह तो इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों का नोमिनी है और साथ ही ····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्दिरा जी के नोमिनी हैं।

श्री शिवचरण माथुर: और इन माननीय सदस्यों के मार्फत राजस्थान''''

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका तो पूछा भी सही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आपस में वार्तालाप नहीं करें, कृपया ।

श्री शिवचरण माथुर: शिवचरण माथुर तो कांग्रेस दल का सीधा-सादा नोमिनी है और उनकी मार्फत राजस्थान की जनता का नोमिनी है। इसलिए अगर''''

श्री भैरोंसिंह शेखावत: टेक्निकली मान लिया।

श्री शिवचरण माथुर : टेक्निकली नहीं, बिल्कुल। मेरे जैसा व्यक्ति अगर किसी अधिकारी का नोमीनी होकर काम करे, शायद मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने दो महीने के कार्यकाल मे देखा होगा कि सरकार हम चलाते हैं, अधिकारी नहीं चलाते हैं। सरकार राजस्थान सरकार का मंत्रिमण्डल चलाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो परमिट दिए वे भी आपने ही दिये होंगे, सरकारी अधिकारियों ने नहीं दिये होंगे ?

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : मोठालाल मेहता का राज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मोठालाल मेहता का राज नहीं। यह परमिट दिये, वह भी आपने ही दिये होंगे, यह भी कह दो।

श्री सूरजपाल सिंह : परमिटों की भी जांच हो जाएगी। बड़े-बड़े स्कैंडल हो गये हैं आपके राज में, वह तो निकाल दो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके राज में तो चार पांच पार्टियां थी, इसलिए आपको कई पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर चीफ मिनिस्टर बने थे। यह तो यूनाइटेड पार्टी है''''

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो पहाड़ियाजी की जय आज तक बोल रहे थे। अब क्या हुआ ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब ये लीडर चुने गये, तब ये हमारे लीडर।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : गंगा गये गंगादास, जमना गये जमुनादास।

श्री सूरजपाल सिंह : लीडर के प्रति वफादार हैं।

श्री गंगाबहादुर : खेतसिंहजी ने बहुत माकूल जवाब दिया है।

श्री शिवचरण माथुर: अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय विरोधी दल के नेता ने कई बार रिपीट किया है कि मैंने जगह-जगह पर यह बात कही है कि यह बाढ़ वरदान सिद्ध हो सकती है, वरदान है। मैंने यह कभी

(श्री शिवचरण माथुर)

नहीं कहा कि बाढ़ वरदान है । मैंने यह कहा कि जो नुकसान हुआ है, उसको अगर व्यवस्थित रूप से, ढंग से और योजनाबद्ध तरीके से ठीक करने की कोशिश की जाय, तो वरदान सिद्ध हो सकती है । मैं अभी भी कहता हूं कि घटाटोप बादलों में भी सिलवर लाईनिंग हुआ करती है। उस दृष्टि से हमने कहा कि अगर जयपुर में नेचरल ड्रेनेज बन गया है, उसको इस प्रकार से सर्वे करा कर मेंटेन करना है. व्यवस्थित ढंग से उसका प्लान किया जा सकता है । जहां पर लोग बह गए हैं, निचले इलाकों में वे रहते थे, अगर उसके लिए सोचा जाय तो अच्छे इलाकों में सही ढंग से अच्छी बस्ती के रूप में इन्फ्रा स्ट्रक्चर डवलप करके उनको आधुनिक ढंग से बसाया जावे, तो मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से वरदान सिद्ध हो सकता है । इस भावना से हमने यह बात कही है । मैंने कभी नहीं कहा कि जो कुछ हो गया वह वरदान है । उसको आपने इस प्रकार से बराबर इसमें रिपीट किया है । मेरी भावना को आपने नहीं समझा । उसके लिए हमने कोशिश की । हमने केवल भाषण नहीं दिए, हमने उसके लिए कोशिश की है । आज हिंगोनिया के गांव को जाकर देखिये । मैं आपको साथ ले जाकर चलना चाहता हूं⋯

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सिरकियां उड़ गई हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, सिरकियां तो लगाई ही नहीं थीं वहां पर ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गाय भैंस बांधने को जगह नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं दावे के साथ कहता हूं⋯

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : जैसा, कि विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा है कि हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं । अगर सही उनकी भावना है, तो मैं उनके सहयोग का स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो हमारी योजना है, एक बहुत ही विवद और व्यापक योजना है हमारी । जयपुर में जितने मकान बने हैं, बल्कि मैं तो मानता हूं कि जो हमेशा के लिए जो निचले इलाकों में बैठे हुए थे, उनको भी हमने पहिचान की है, उनको आइडेंटीफाई किया है । हम चाहते हैं कि न केवल अभी बहे हैं, बल्कि आगे भी की संभावना हो सकती है । निचले इलाकों में बैठने वालों को ठीक ढंग से बसाने वाली बात की कोशिश कर रहे हैं । उसमें अगर आप पोजीटिव एटीट्यूड लेकर, सही तौर से दृष्टिकोण लेकर हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो हम आप के सहयोग का स्वागत करना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कभी मांगा नहीं । हमने ऑफर किया है ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, बीच में बाधा न डालें ।

श्री शिवचरण माथुर : दूसरी बात यहां पर भारत सरकार से अनुदान और सहायता के बारे में कही गई। यह कहा गया कि हमको नए अधार पर भारत सरकार से मांग करनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि हमने तो और भी आगे बढ़ करके भारत सरकार को यह कहा है कि जिस प्रकार के हालात हैं, हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति है उसमें जो लगातार तीन सालों का सूखा पड़ा है, फिर बाढ़ आई है, उसके बाद अकाल की सारी काली छाया नजर आती है, उसको देखते हुए विशेष सहायता के रूप में भारत सरकार दे। यह हमने पहले ही मांग की है। कल दिल्ली में हाई लेवल कमेटी की मीटिंग थी, जो हमारे राजस्थान पर विचार करने वाली थी। मैं उसके पहले कल वहां गया और जाकर के मैंने कल कईयों से बात की मैंने माननीय वीरेन्द्रसिंह जी से निवेदन किया कि आज राजस्थान इस वर्ष विशेष परिस्थिति में है। इस प्रकार की कठिनाई का सामना राजस्थान को करना पड़ रहा रहा है, उसके साथ साधारणतौर पर जो नार्मल नार्म्स हैं, उसके आधार पर अगर सहायता देंगे, तो सम्भव है कि हम इतनी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं कर सकें। इसलिये नार्मल नार्म्स बदल करके राजस्थान को विशेष रूप से सहायता देने वाली बात सोचना चाहिए। मैं यह कह सकता हूं कि उस टीम ने अच्छी रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। भारत सरकार भी बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और इस बात का अहसास भी भारत सरकार को है। जहां राजस्थान की सरकार को पूरी तरह से इस बात का अहसास है कि आने वाले सूखे की स्थिति का हम कैसे मुकाबला करें। माननीय मंत्री महोदय ने आपको बताया कि कंटिंजैंसी प्लान और इमरजेंसी प्लान हर प्रकार से बनाने की तैयारी कर रहे हैं पीने के पानी का, चारे का, माइग्रेशन का। अकाल राहत कार्य किस प्रकार से शुरू किये जावें, अकाल राहत में किस प्रकार की प्राथमिकता दी जावे, इसके सारे डिटेल्स, ब्ल्यू प्रिंट्स बनाने के आदेश जिला कलेक्टरों को दे दिये गये हैं। हमने यह भी कहा है कि अब की बार जो भी अकाल राहत के कार्य खोले जावें, उसका सैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट पहले से तैयार हो जाना चाहिए। इसका ब्ल्यू प्रिंट तैयार हो जाना चाहिए। जहां पर पहले से इरिगेशन पोटेंशियल डवलप हो गये हैं, आज उसको मेंन्टेन नहीं कर पा रहे हैं उसको सस्टेन करने के कार्यक्रम हाथ में लिए जावें, पुराने कामों को रेस्टोर किया जावे। नई पाइप लाइन में इरिगेशन प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, उनको एकदम स्वीकृति देकर राहत कार्यों में काम चालू किये जावें और अफोरेस्टेशन के काम शुरू किये जावें। सोइल कंजरवेशन के काम शुरू किये जावें। यहां तक भी कि पेयजल की समस्या को स्थायी रूप से हल करने की दृष्टि से भी लिफ्ट इरिगेशन वाली स्कीमें भी हमारे दिमाग में हैं। उनको भी इस मौके पर लेने वाली बात हम करना चाहते हैं। यह सारी की सारी बातें जो माननीय सदस्यों ने इस सदन में पेश कीं, प्रस्तुत की हैं मैंने पहले से ही इनके बारे में एडवांस एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए इमर्जेन्सी प्लान तैयार होना शुरू हो गया है। जहां पीने के पानी की कठिनाइयां हैं, वहां पर इंजीनियर्स को कह दिया गया है

(श्री शिवचरण माथुर)

और उसके प्लान बन रहे हैं। मैं केवल कहने की बात में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन हर सप्ताह, हर 15वें दिन में यह जायजा लेता हूं कि उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आज जितने भी, जहां पर भी ट्यूबवेल लगाये गये हैं, हैंड पम्प लगाये गये हैं या दूर से पानी लाकर उसको कंजर्व करना है या कहीं पर खास तौर से जुलाई, 82 तक का हिसाब लगाने के बाद भी जहां पानी की पूरी व्यवस्था जिस ढंग से होने वाली है, उसके लिए कहीं पर भी राशनिंग करने वाली बात है, तो वह हमने कही है। हम चाहे कितना ही प्रयत्न करें, पानी की आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए कहीं राशनिंग करने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए पहले से ही जनता को आगाह किया है। क्या पता बीच में पानी आ जाय। हम उसके भरोसे नहीं बैठना चाहते हैं। हमने निश्चित रूप से इस बात की तैयारी करना शुरू कर दिया है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार हर तरह की इमर्जेंसी के लिए, हर तरह की कठिनाई से निपटने के लिए पूरी तरह से जागरूक है, पूरी तरह से सतर्क है, तैयार है। उसके लिये पूरी तरह से योजना बनाने की चेष्टा की जा रही है। भारत सरकार से भी निवेदन किया जा रहा है। राजस्थान कैनाल पर बड़े पैमाने पर काम शुरू करने की बात हम लोग स्वीकार करते हैं। यह बात अभी कहना चाहता हूं इस मौके पर, अब की बार अकाल के वक्त में बड़ी तादाद में यदि वहां पर लेबर कैम्प लगा कर ज्यादा लोगों के मार्फत राजस्थान कैनाल का काम पूरा किया जा सके, तो वह भी करने की योजना हम बना रहे हैं। मार्गदर्शक रूल्स के बारे में करीब करीब तय कर लिया गया है। यह सारी की सारी बातें जो आपको विस्तार से माननीय मंत्री जी ने कहीं, इसको देखते हुये हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि अकाल में जो भी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने वाली बात की है। अब जो दैवी प्रकोप है, उसको तो रोक नहीं सकते लेकिन सरकार का फर्ज जरूर होता है कि जो मुसीबत आये, कठिनाई आये, मुस्तैदी से, हिम्मत से, निष्ठा से, योजनाबद्ध तरीके से उसका मुकाबला करें और मैं समझता हूं यह सरकार कर सकती है। उस काम को करने के लिये हमारी सरकार पूरी तरह से जागरूक है, सतर्क है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कहीं पर इस मामले में लेप्स का सवाल नहीं उठता।

आपने कैटल फोडर के एक्सपोर्ट वाली बात कही। बहुत साफ तौर से मंत्री जी ने इस बात को बता दिया है। मैं स्वयं इस बात को देखूंगा। अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। आज की परिस्थिति में कैटल फोडर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने वाली जो बात आप कह रहे हैं, उस पर बहुत जल्दी देख कर के कार्यवाही करेंगे। यही मैं इस मौके पर कहना चाहता था। मैं वैसे बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि सारी बहस का उत्तर देने का अधिकार माननीय मंत्री जी का है। उन्होंने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। लेकिन कुछ बातें जो मेरे संबंध में आपने भाषण में कही, मैं समझता हूं उसका

(श्री शिवचरण माथुर)

उत्तर देना बहुत जरूरी था । खास तौर से I take exception to the statement given by the Leader of the Opposition here. Sir, I have knowledge of the Chief Secretary. मैं आज भी उसको बहुत अच्छी तरह से यहां कहना चाहता हूं । मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का वे वक्तव्य नहीं देंगे । यह मैं उनसे अपेक्षा करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री को मैंने अभी जब हिंगोनिया गांव का नाम लिया, तो कहा कि सिरखियां उड़ गई । उन्होंने कहा, वहां सिरखियां हो नहीं हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : वहां टिन शेड हैं । सिरखियां नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सिरखियां, सिरखियां ।

श्री शिवचरण माथुर : टिन शेड है वहां पर, हर मकान टिन शेड के बना हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बात तो सुन लीजिये । आपकी आवाज बड़ी मधुर है, लेकिन मैं भी बोल सकता हूं ।

मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, 31 अगस्त को मुख्य मंत्री जी टोंक गये थे । इनको जो कलेक्टर ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का पैराग्राफ पढ़ कर सुनाता हूं :

"The second immediate problem would be to ensure the safety and protection of the constructed houses, specially in Hingonia village. The problem that is bound to come up relates to the probability and contingency like fire and storms and incessant rains. If at all it rains again, because of the sarkhies, which constitute four walls of the built up houses...."

श्री शिवचरण माथुर : ठीक है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो कह रहे थे, सरखी है हो नहीं ।

श्री शिवचरण माथुर : साइड में हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा साइड में आ गई क्या ? मैंने तो नहीं कहा ऊपर सिरखी है । आपने कहा सिरखी है हो नहीं ।

श्री अध्यक्ष : ऊपर नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऊपर नीचे के झगड़े ये जानें । मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा सिरखियां है हो नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर ! इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

नेता महोदय बोल लिये आपके । उसके बाद राजबहादुर"

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक-एक, दो-दो प्रश्न की तो आप इजाजत देंगे ।

Page No 123

(121)

श्री अध्यक्ष : कोई विचारणीय विषय नहीं था, इसलिये प्रश्नों की इजाजत नहीं दी जायेगी ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार से विशेष रूप से सदन के नेता, राहत मंत्री, तथा सिंचाई मंत्री से मेरा आग्रह है, वह मेरे ख्याल से मेरी बात पूरी तरह से समझे नहीं हैं। मैंने यह कहा था कि आप टैन्कों का इन्तजाम कर दीजिये, ट्यूब वैल का इन्तजाम कर दीजिये, हैण्ड पम्प लगाने का इन्तजाम कर दीजिये लेकिन अगर टेबल जो अन्डर ग्राउंड वाटर की होती है वह ही नहीं मिलेगी, या जमीन के नीचे पानी नहीं होगा तो टैन्कों के लिए पानी कहां से आयेगा। ट्यूब वैल या हैण्ड पम्प पानी कहां से खींचेंगे आपको पानी का बन्दोबस्त कहीं न कहीं से करना होगा तभी आप इन सब में पानी दिला पायेंगे। आपने जो कहा आज, इसलिए मुझे उस चीज को दुबारा कहना पड़ा। मैंने कल कंसट्रक्टिव स्पीच दी थी। मैं जानबूझकर किसी कन्ट्रोवर्सी में नहीं गया था। बल्कि मैंने यह कहा था, जो भी कुछ किया गया है, उसके बारे में कोई भी तरह तरह की बात कही जा सकती है। वह चर्चा का मौका ही नहीं है, आज तो सबको मिलकर सबसे पहले संकट का मुकाबला करना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वह है अप्रोच के बारे में, और एटीट्यूड के बारे में। अब आप देखिये, इसको हंसी में न उड़ायें, मेरे विचार में हमारे प्रदेश के भविष्य का मात्र इसी पर सारा आधार है।

आप जो बोलना चाहें बाद में कहते रहिये, मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके एटीट्यूड और अप्रोच के बारे में कहा क्या? आपने कोई कोशिश की निष्ठापूर्ण गंगा और यमुना के पानी प्राप्त करने के बारे में बातचीत करके? क्या उस मांग को आगे बढ़ाया?

मुख्य मंत्री भी हंस रहे हैं। अगर हंसी से यह चीज हो सकती है, तो ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : हमारी दूसरी बात है।

श्री राजबहादुर : कोई और बात पर हंस रहे होंगे। मैं इसी अप्रोच के बारे में कहना चाहता हूं। कितना नोन सीरियस, हल्केपन का है। यहां होना चाहिये अग्रेसिव, अग्रेसिव नहीं है, इसी पर तो आप देखेंगे कि जो आपका रूखा रवैया है उससे एक बूंद पानी नहीं मिल सकता गंगा का। यमुना के पानी के बंटवारे के बारे में मीटिंग होती है, पर आपको बुलाया तक नहीं जाता। आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, तब आपको खबर पड़ती है। ओखला के बारे में मीटिंग होती है, तो आपको नहीं बुलाया जाता।

श्री अध्यक्ष : आर्गुमेंट नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : मैं इसलिये यह सब कह रहा हूं कि आपने कुछ ऐसे शब्द कहे जो अनुचित थे।

श्री अध्यक्ष : अब एक दिन में तो गंगा का पानी आ नहीं सकता।

श्री राजबहादुर : शब्द कहे । स्थिति बदलती जा रही है । क्या बदलती जा रही है, वह मैं बताना चाहता हूं । एक लेटर आया इरिगेशन मिनिस्टर से ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में रहा ही क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कार्य सूची में रही हैं, यह सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य विषय तो रह ही गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो बिजनेस इस लिस्ट में है, उसमें साढ़े तीन बजे मुख बन्द की बात लिखी है । उस समय चीफ व्हिप कहां गये थे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यहीं हूं । अब वह आ रहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साढ़े तीन बजे, अध्यक्ष महोदय''

श्री अध्यक्ष : वह तो मेरे गाइडेन्स के लिये लिखा है । मैंने मुख बन्द किया हां नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने किया नहीं, वह ठीक है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुख बन्द की बहुत बड़ी सेंक्टिटी है, नहीं किया बिलकुल ठीक है । आप चाहे हाउस आफ कामन्स में देख लें । मुख बन्द का प्रयोग किस तरह से होता है, वह देख लें । राज्य सभा में किस तरह से होता है उसको देख लें । जो एग्जेक्ट टाइम फिक्स किया हुआ होता है उस समय मुख बन्द होता है । अब अगर सप्लीमेंट्री डिमाण्ड लेंगे, तो मुख बन्द करने के अधिकार का प्रयोग कर लें । क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, जो चाहेंगे, वह करेंगे, लेकिन व्यवस्था के नाते, एक बार टाइम निकल गया । उसके बाद जब तक दूसरी बिजनेस लिस्ट नहीं आती, मुख बन्द के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बिजनेस रहा ही नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मुख्य मंत्री थे, उन दिनों की मैं कह रहा हूं । मुख बन्द के लिये आपने स्वयं यह फर्माया कि थोड़ा सा समय और बढ़ा देते हैं । समय उस वक्त भी बढ़ा था। आज भी हम निवेदन कर रहे हैं, समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी तारीख को ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह बजट के वक्त की बात है । कोई तारीख याद है अभी ?

राज्य के अकाल व बाढ़ की स्थिति

श्री राजबहादुर : स्थिति बदलती जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : आपने समाप्त नहीं किया अभी ?

श्री राजबहादुर : मैंने कहा अभी, अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रदेशों के एटीट्यूड हार्डन होते जा रहे हैं। यू.पी. वाले हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ऐसी बात थी। खुद इरिगेशन मिनिस्टर ने जो मेरा लिखा था, जो पत्र मेरे पास 20 जुलाई को आया, उसमें लिखा था "The position regarding the water of Ganga. . . . ."

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं माननीय सदस्य। अन्य किसी तरीके से, किसी अन्य अवसर पर, यह बात उठाई जा सकती है।

श्री राजबहादुर : आखिरी बात कह रहा हूं, इसके बाद नहीं कहूंगा। आपको सुनना हो, तो सुन लीजिये, इस हाउस को सुनना हो तो सुन लीजिये। It is my last appeal. मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का रुख क्या है? केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्री ने पत्र में मुझे लिखा है :—

"The Utter Pradesh Government repeatedly held that there is no surplus water from this river. As such, there will not be much scope for additional supplies to Rajasthan from the Ganga."

यह उनका कथन था। मैंने तथ्य एवं आंकड़े दे कर उस दलील का सारा खण्डन किया। खण्डन के बाद अब जवाब दिया है, राव बीरेन्द्रसिंह ने। मैंने उसकी कापी मुख्य मंत्री को दी है और मैंने टेबल पर भी रखी है। राव बीरेन्द्रसिंह का आखिरी जवाब यह है :

"I am asking the Central Water Commission to examine your suggestion regarding the possibility of transfer of surplus waters of the Ganga in consultation with U. P. Government."

मैं यह कहना चाहता हूं कि असेम्बली जायेंगे और मानेंगे कि हमारा हक है। जमुना और गंगा में चम्बल और बनास दोनों मिलती हैं और हमारा कैचमेन्ट एरिया गंगा बेसिन यमुना बेसिन का सैकिण्ड लार्जेस्ट है सर्कल का। हमारा पूरा हक है गंगा यमुना के जल में। आज भी हमें खयाल आता है कि काश! हम राजस्थान में न होते तो शायद हमारी प्यासी धरती को पानी अवश्य मिल जाता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत लम्बी चर्चा उठा रहे हैं।

श्री राजबहादुर : आज कोई हमारे दर्द को पहचानने वाला नहीं है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर यह हाल रहा, तो आप पूर्वी राजस्थान वालों के साथ न रख पावेंगे। आपको सोचना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मोदी। इस दल के नेता महोदय ने प्रश्न पूछ लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने-वाले माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य ने प्रश्न उठाया, उसके लिये मैं इतना ही निवेदन कर दूं...

सदन की कार्यवाही —
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नेरसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): समय के लिये पहले ...

श्री अध्यक्ष: सदन की अनुमति है समय बढ़ाने की ?

सदन की अनुमति से अनुपूरक अनुदानों की मांग 81-82 के पारण होने तक के लिये एवं विनियोग विधेयक के पारित होने तक के लिये समय बढ़ाया जाता है।

श्री परसराम मदेरणा: मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता था। यह बात सही है कि राजस्थान के सरप्लस वाटर का जो राइट बनता है उसके संबंध में...

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाने की अनुमति तो ली जाय। हां-ना करवा लिया जाय एक बार।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आधे घंटे के लिये तो मैं अपने डिस्क्रिशन से बढ़ाता हूं और अब हां-ना करवा लेता हूं।

प्रश्न यह है कि बैठक का समय...

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, आपका डिस्क्रिशन कहां पर है ?

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष बढ़ा सकता है। मैं हमेशा परम्परा के अनुसार ही बढ़ाता रहा हूं। कल भी मैंने बढ़ाया था।

तो अनुमति है समय बढ़ाने की ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

राज्य के अकाल व बाढ़ की स्थिति

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो सरप्लस वाटर को डिटरमिन करने के लिये भारत सरकार ने जिन कमेटियों का गठन किया हुआ है, उसमें यह बात सही है कि यमुना के सरप्लस वाटर को डिटरमिन करने के लिये जो भारत सरकार ने कमेटी कांस्टीट्यूट की है, उसमें राजस्थान का प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन मैं अभी कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में गया था और मैंने पुरजोर शब्दों में यह बात रखी थी कि हम बेसिन स्टेट है। इन-प्रिंसिपल इस बात को स्वीकार किया था इस कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में कि निश्चित रूप से राजस्थान के मुख्य मंत्री को नोमिनेट कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मोहन लाल मोदी।

आर्डर प्लीज, मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अकाल राहत मंत्री जी से कि इस वक्त की स्थिति आपके सामने है। बारिस न होने से फसलें सूख रही हैं। क्या इस तरफ ध्यान देंगे कि जिन लोगों ने अपने कुओं पर बिजली लगाने के लिये सिक्योरिटी जमा करा दी, एल-फार्म दे दिये, क्या उनको तुरन्त बिजली देकर फसलों को बचाया जा सकेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : जिन लोगों ने डिमाण्ड नोटिस के बाद पैसा जमा करा दिया और एल-फार्म की फीस डिपोजिट करा दी, उनके संबंध में जो भी कहना था बिजली की डिबेट चल रही थी, तब मैं कह चुका हूं। आप सुनिये अब उनको बिजली जल्दी मिलेगी। इस समय क्या किया जा सकता है, मैं ऑफ हैण्ड कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन कुछ न कुछ कार्यवाही की जायेगी, यह निश्चित समझिये।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं एक साथ दो को इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो गलत बात कही है, अध्यक्ष महोदय,..

श्री अध्यक्ष : अगर कोई माननीय सदस्य अथवा मंत्री गलत बात क , तो नियमों में प्रावधान है, उनका उपयोग कीजिये।

श्री देवीसिंह।

आर्डर प्लीज। उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री देवीसिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय सुन लें...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या। आप कार्यवाही थोप रही है।

श्री देवीसिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं सही बात कह रही हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आसन पैरों पर है। आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। अंकित न हो। अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, पश्चिमी राजस्थान के जो दूर-दराज के गांव हैं, जहां खारे पानी की बेल्ट हैं, उसमें आप पिटाई की व्यवस्था कर रहे हैं? उसमें निर्देश है कि 150फीट से कम गहरे कुओं में पिवाई नहीं मिलेगी। वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यह चाहूंगा, मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करवावें कि कैमल कार्ट करके जहां टैंकर नहीं पहुंच सकते उनके लिये व्यवस्था करेंगे? क्या आदेश देंगे कि पानी की व्यवस्था होगी?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने पानी की व्यवस्था करने के संबंध में दो बातें कहीं। एक तो यह कि दूर-दराज गांवों में टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाय, उनकी संख्या बढ़ाई जाय, उनकी संख्या कम है कोलायत तहसील में। दूसरी बात कही थी कि पिवाई की रेट बढ़ाई जाय। इन दोनों के संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया है कि कितनी दरें रखी जाय? इस संबंध में सरकार ने आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय नहीं लिया है। बेहतर इस संबंध में क्या व्यवस्था हो

---

xxxमाननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

सकती है, यह मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैं इजाजत नहीं दूंगा । आसन पैरों पर है ।

श्री रामकंवार ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ सौ फीट से गहरे ···

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया, माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दिया ।

श्री परसराम मदेरणा : यह राज्य सरकार के विचाराधीन है डेढ़ सौ फीट से कम गहरे कुओं पर क्या रेट दी जाय क्या नहीं दी जाय, इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा । आर्डर। माननीय सदस्य, उत्तर नहीं आयेगा

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार का मेम्बर तो नहीं हूं कि आप बोलते रहे और मैं कार्यवाही में बाधा डालता रहूं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र फागी में 100 से अधिक कुए बह गये । मैंने अकाल राहत मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी को अनेकों पत्र लिखे। कलेक्टर को भी लिखा। आप जांच करायेंगे, तो आपको महसूस होगा। कुओं के मालिक किसी भी सूरत में उन्हें ठीक नहीं करा सकते हैं। फागी की पूरी की पूरी जमीन साफ हो गई । मोहब्बत पुरा गांव में लोग पेड़ों के नीचे पड़े हैं । यह अनेक बातें हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने लेवल पर किसी अधिकारी को भेज कर एक दिन का समय दिला दीजिये और रिपोर्ट को देखकर रेनवाल फागी में लोगों को फिर बसाने के लिये व्यवस्था करवावें । जिनके मकान नहीं बचे, उनको कोई सहायता उपलब्ध नहीं है । उनको एक नये पैसे की सहायता उपलब्ध नहीं है । आप हजारों रुपये दे रहे हैं केन्द्र से भी लेंगे, मुख्य मंत्री कोष से भी दे रहे हैं। सरकार, मुझे लगता है, वह पैसा 75 प्रतिशत तो खर्च कर ही देगी और पब्लिक तक कोई मुश्किल से 25 प्र. श पहुंचेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि आपके अधिकारीगण ने किस प्रकार की लापरवाही हो रही है । इसको दुबारा से फागी तहसील में जांच करवायें । एक निवेदन है ···

श्री अध्यक्ष : आप नया भाषण दे रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : नहीं अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मेरा है कि यदि इस प्रकार से फिर बाढ़ आ जायगी, तो वहां करीबन 4–5 हजार लोग बह जायेंगे । दूसरी तरफ वहां नदी झील बन गई है । गवर्नमेंट को 5-5 हजार रुपये प्रति व्यक्ति को देने पड़ जायेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले इन्तजाम किया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : निमोरिया में 25 कुए नष्ट होने के संबंध में ···

श्री रामकंवार बैरवा : 45··· [illegible]

श्री परसराम मदेरणा : हां, हां 45 अब दूसरा गांव, कौनसा गांव है-मोहब्बत पुरा गांव में जो लोग पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, उनके संबंध में मैंने कलेक्टर को आदेश दे दिये हैं। कल शनिवार है। सदन की बैठक नहीं हो रही है, इसलिये मैं किसी अधिकारी को भेज दूंगा कि जो आदमी पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, उनको जमीन दी जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इसलिये निवेदन कर रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। श्री कैलाश मेघवाल, श्री यदुनाथसिंह एक-एक प्रश्न कर लें।''

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इसके बाद चर्चा समाप्त

(व्यवधान)

अनुपूरक अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या. व्यवधान...

(व्यवधान)

अंकित न हो। आप कार्यवाही थोप रही हैं।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न, हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि आप नियमों का ध्यान रखें। जब कभी भी आप को इच्छा हो गई तो आप अपने विचार व्यक्त कर देती हैं बिना आसन के पूछे, बिना यह देखे कि आसन क्या कर रहा है, आसन पैरों पर है। विचारार्थ विषय कौनसा है, यह ध्यान रखें। बगैर अनुमति आप अपने विचार व्यक्त कर देती हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कोई विचार व्यक्त नहीं कर रही हूं।''

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्रीमति उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नियन्त्रण में नहीं रहते हैं। मैं जब कहूं, तब आप अपनी बात कहें। बोलते रहें, उठते रहें तो ठीक है, माननीय सदस्य, सुनते नहीं हैं। इसलिये चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, इसका दंड हमें क्यों? आपने मेरा नाम पुकार लिया था।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी और मुख्य मंत्री महोदय ने महसूस किया है, अकाल की भीषण छाया हमारे राजस्थान पर छाई हुई है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सवाल पूछें।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 130

(128)

श्री यदुनाथ सिंह : .. सवाल यह है कि डीजल, बिजली, एसेन्शियल कमोडिटीज , जैसे खाद्यान्न की विशेष कमी आने वाली है । बिजली की सप्लाई किस प्रकार करेंगे ? डीजल की सप्लाई कम हो रही है , इसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है । क्या विशेष कन्सेशन देकर सप्लाई करने की कोई योजना है ?

श्री परसराम मदेरणा : बिजली, डीजल और सभी आवश्यक जिन्सों के लिये समुचित और समन्वित योजना बना कर कार्यवाही की जाएगी ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये 50 लाख रुपया भेजा है फ्लड रिलीफ एडवान्स देने के लिये, परन्तु इसके साथ दो शर्तें हैं एक तो फ्लड नोटिफाई हो । आपने जयपुर को फ्लड इफेक्टेड एरिया घोषित कर दिया है । दूसरी शर्त यह है कि आप अपने राज्य कर्मचारियों को फ्लड एडवान्स देते हैं, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी दे दिया जायगा । फ्लड इफेक्टेड तीस सितम्बर तक है ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले डिबेट में नहीं आया है । यह नया विषय है । मंत्री महोदय इसको तुरन्त सूचना नहीं दे सकते हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : राजकीय कर्मचारी भी फ्लड एडवान्स मांग रहे हैं । दो-चार कर्मचारियों को आप दे दें, तो केन्द्रीय सरकार का जो 50 लाख रुपया आया है, वह कर्मचारियों को मिल जायेगा । वह आया हुआ है ।

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर शहर को फ्लड इफेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया है । आप कह रहे हैं उस बात का ध्यान रखेंगे । दो-चार कर्मचारियों को देने से केन्द्रीय कर्मचारी इसके लिये इन्टाइटिल बन जाते हैं । अपने कर्मचारियों को दे देंगे, तो केन्द्रीय सरकार देगी । You will have to bring home this point to me. मैं यह निवेदन कर दूं कि तीन, चार को दे देने से इन्टायटिल हो जाते हैं, तो दे देंगे ।

अनुपूरक अनुदान की मांग

मांग संख्या 25 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं मांग संख्या 37 कृषि

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा मंत्री ।

श्री हीरालाल कंवरिया (चिकित्सा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में दिये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20 लाख रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 37 कृषि ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की संख्या 37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 करोड़ 45 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) :

1. कोटा जिले को चेचट पंचायत समिति हेतु फसल एवं लघु सिंचाई योजना दोनों स्वीकृत कर दी गई किन्तु इस योजना को सुचारु रूप से क्रियान्विति हेतु किसी अधिकारी को रामगंज मंडी (चेचट) में नियुक्ति नहीं देने से यह योजना ठप्प हो रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

2. कृषि विभाग द्वारा खाद व बीज वितरण में की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

3. जिला बूंदी में भूमि सुधार योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

4. सी. ए. डी. विभाग की कई मशीनें कोटा में बन्द होने पर चर्चा के लिये ।

5. भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत फसलों का मुआवजा देने पर चर्चा के लिये ।

6. भूमि सुधार योजना के सरलीकरण पर चर्चा के लिये ।

7. केशवरायपाटन में भूमि सुधार योजना में समतल की गई भूमि के आवंटन पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

8. कृषि के लिये सिंचाई के असीमित साधनों पर चर्चा के लिये ।

9. लघु एवं सीमावर्ती कृषकों को खाद तथा बीज की कमी की पूर्ति करने पर सरकार की असफलताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) :

10. कृषि उर्वरक समय पर न दिलाने से होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये ।

11. सिकराय तहसील से गुजरने वाली छोई नदी से हो रहे भारी नुकसान से जमीन के कटाव को रोकने पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू)

12. किसानों के लिये फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

13. किसानों को यथेष्ट उत्पादन मूल्य नहीं मिलने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद),

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग),

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू),

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):

14. राजस्थान बीज निगम में व्याप्त भयंकर घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर):

15. सवाई माधोपुर में व्याप्त काश्तकारों को सरकार द्वारा खादों पर दी जा रही रिबेट में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

16. जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र की तहसील सवाई माधोपुर में भूमि अलोटमेंट करने के बाद भी अभी तक लोगों को कब्जा नहीं दिया गया है, उस पर चर्चा के लिये।

17. जिला सवाई माधोपुर में कृषि योग्य भूमि बाद में खराब हो गई है जिससे लोगों को अपना पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है इस पर चर्चा के लिये।

18. जिला सवाई माधोपुर में हजारों एकड़ जमीन कटाव के कारण खराब होने से काश्तकारों को बहुत नुकसान हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग):

19. कोटा जिले में हो रहे कैचमेंट में हो रही अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. कोटा जिले में चल रहे कैचमेंट का खर्चा कम किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21 तहसील पीपल्दा के सातोली पशु को उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये चिकित्सालय में डाक्टर के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. पीपल्दा क्षेत्र के पीपल्दा कलां, गैता, इटावा, अयाना तथा लुहानद में पशुओं के उपयोग को बढ़ाने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. पीपल्दा क्षेत्र की गनेश खेड़ा द्वितीय कैचमेंट में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

24. कोटा जिले की पीपल्दा तहसील के फतेहपुरा द्वितीय कैचमेंट में जमीनों के अलाटमेंट में बरती गई अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर):

25. भरतपुर जिले में बाढ़ से मिट्टी डालने से 3376 हैक्टेयर भूमि खराब हो गई है उसको कृषि योग्य भूमि बनाये जाने को सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

Page No 133

(131)

श्री मेघराज तावड़-(गोगुन्दा) :

26. लघु और सीमान्त कृषकों को खाद व बीज के लिये दी गई सहायता में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये ।

27. विभाग द्वारा कृषकों को गोबर गैस प्लान्ट लगाने हेतु दिये जाने वाले अनुदान में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा-(भीलवाड़ा),

श्री वालचन्द आर्यवीर (डग) :

28 कृषि दवाइयों के अभाव के बारे में चर्चा के लिये ।

29. कृषि अधिकारियों, ग्राम सेवकों तथा प्रसार अधिकारियों द्वारा प्रचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

30. फलों की पौध वितरण व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

31. कोटन सीड्स (कांकड़े) के बीज हेतु दी जाने वाली सहायता में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

32. सब्सिडी अनुदान में मिलने वाले यूरिया खाद के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री वालचन्द्र आर्यवीर (डग),

श्री हीरालाल आर्य (सवाई माधोपुर),

श्री शीतलाल आर्य (अटरू) :

33. झालावाड़ जिले में कृषि विभाग में व्याप्त निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

34. झालावाड़ जिले में कृषि विभाग में कार्यरत अधिकारियों की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

35. झालावाड़ जिले का कृषि विभाग लघु किसानों को खाद तथा बीज नहीं देकर सघन एवं बड़े किसानों को प्राथमिकता देता है और गरीब किसानों की उपेक्षा की जाती है, इस पर चर्चा के लिये ।

36. झालावाड़ जिले में फसलों में ईली नाम की बीमारियों की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये ।

37. झालावाड़ कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत किस्म के बीज हेतु अपेक्षित अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

38. कृषि विभाग के अन्तर्गत ग्राम सेवकों द्वारा प्रतापगढ़ तहसील के आदिवासी क्षेत्र के गांवों को कृषि विभाग द्वारा लाभ नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

39. कृषि क्षेत्र में उन्नत कृषि के लिये प्रतापगढ़ क्षेत्र में किसानों को प्रशिक्षण बावत चर्चा के लिये ।

40. चित्तौड़गढ़ जिले में कृषकों को बीज निगम द्वारा वर्ष 1980-81 में खरीफ फसलों में कपास का खराब बीज वितरण करने से हुई क्षति की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान-(सोजत) :

41. कृषि विभाग की सेवाओं को जनता के लिये ज्यादा उपयोगी बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मघाराम चौधरी (नागौर):

42. कृषि विभाग पौध संरक्षण में असफल होने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

43. लघु तथा सीमावर्ती कृषकों को बीज खाद आदि के लिये दिये गये अनुदान में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

44. गोबर गैस प्लांट के लिये दिये गये अनुदानों में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

45. बाढ़ से प्रभावित कृषि भूमि हेतु दी जा रहे बीज, खाद की सहायता में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा):

46. पशुओं के उपयोग को बढ़ाने में राज्य सरकार कारगर कदम उठाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

47. राज्य में घटिया संकर बीज, लघु एवं सीमावर्ती कृषकों को वितरण करने में करोड़ों रुपयों का नुकसान होने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

48. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि भूमि जो कि कृषि योग्य नहीं रही है, विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

49. कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. ग्राम संडीला, पंचायत समिति टोंक में चरागाह की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर):

51. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र स्थापित किया जावे, जहां न्यूनतम किराये पर ट्रैक्टर थ्रेसर एवं अन्य उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

52. लघु एवं सीमावर्ती काश्तकार को बीज तथा खाद हेतु सहायता समय पर उपलब्ध नहीं होने से उनको होने वाली कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये।

53. लघु कृषकों को सरकार कृषि हेतु उन्नत किस्म के बीज की सहायता उपलब्ध कराने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर):

54. कृषि उत्पादन पर ध्यान देकर कृषि संयत्रों की कीमत घटाई जाये एवं किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाया जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

55. कृषि उत्पादन पर ध्यान देकर कृषि संयत्रों की कीमत घटाई जाय एवं किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाया जाये इस पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

56. फसल बीमा योजना अति शीघ्र लागू की जाये जिससे राजस्थान के गरीब किसानों को लाभ मिल सके इस पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत):

57. फसल बीमा योजना अतिशीघ्र लागू की जाये जिससे राजस्थान के गरीब किसानों को लाभ मिल सके, इस पर चर्चा के लिये ।

58. नया कृषि विश्व विद्यालय बीकानेर में खोलने व कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना करने हेतु चर्चा के लिये ।

59. कृषि उपज के समर्थन मूल्य अत्यधिक कम होने से कृषकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए ।

60. बीकानेर कृषि उपज मण्डी के निर्माण कार्य में विपणन बोर्ड द्वारा बरती जा रही शिथिलता के संबंध में एवं बोर्ड को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

61. ग्वार की फसल के विकास हेतु काश्तकारों को अनुदान दिया जाये इस पर चर्चा के लिए ।

62. बीकानेर में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र स्थापित किया जाये जहां पर न्यूनतम किराये पर ट्रेक्टर थ्रेसर एवं अन्य उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें इस, हेतु चर्चा के लिए ।

63. रासायनिक खाद व बीज का सीमावर्ती किसानों को विभाग द्वारा समय पर वितरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए ।

64. कृषि उपज के उचित मूल्य निर्धारित कराने के लिए महाराष्ट्र के पेटर्न पर राज्य में एक आयोग बनाने संबंधी चर्चा के लिए ।

65. कृषि महाविद्यालयों में किसानों के पुत्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देने विषयक चर्चा के लिए ।

66. जिला कृषि अधिकारी का एक कार्यालय विक्रमपुर (बीकानेर) में भी स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिए ।

67. रणजीतपुरा (बीकानेर) में कृषि उपज मण्डी समिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

68. कृषि बाहुल्य क्षेत्र में कृषि प्रयोग शाला स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

69. कृषि विभाग द्वारा भूमिहीन मजदूर, सीमान्त कृषक एवं लघु कृषकों को खाद व बीज हेतु अनुदान दिये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):

70. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव देलवाड़ा में रूरल ग्रोथ सेन्टर की योजना की क्रियान्विति करने तथा इस हेतु बनी कमेटी में जन प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

(134)

(श्री सी. पी. जोशी)

71. नाथद्वारा में विश्व बैंक कृषि योजना के कार्यालय हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. नाथद्वारा में अविलम्ब कृषि उपज मण्डी का निर्माण कराने पर चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

73. ग्रामीण क्षेत्र में गोबर गैस संयंत्र, सूर्य चूल्हा, हवा चक्की के प्रसार, प्रचार एवं अनुदान की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

74. अकाल सहायता अग्रिम अनुदान के अन्तर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को बीज आदि की सहायता समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए।

75. विकसित बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी उपलब्ध कराने एवं लदाई के पशुओं की नस्ल सुधार एवं विकास आदि कार्यक्रम के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

76. ऊंट गाड़ियों की खरीद व बोझा ढोने वाले पशुओं के हितों के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

77. गोबर गैस और चूल्हा व ईंधन संबंधी सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों तक न पहुंचाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री यदुनाथसिंह (नदबई),

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

78. पाली व भरतपुर जिले के काश्तकारों को गोबर गैस संयंत्र लगाने में सरकारी सहायता न देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :

79. उदयपुर घाटी में स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. गुढ़ा गोडजी जिला झुंझुनू में गोप मण्डी यार्ड की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा),

81. कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जा रही सेवाओं में सुधार बाबत चर्चा के लिए।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :

82. कृषि विभाग पर किये जा रहे खर्चे में कटौती की चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर),

83. राजस्थान बीज निगम द्वारा बाजरा बीज खरीद के नियमों का उल्लंघन, अधिक मात्रा में बीज खरीदना तथा घटिया किस्म के बीज खरीद कर बीज निगम को घाटे की स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्राज भारद्वाज (जमवा रामगढ़):

84. कृषकों को पैदावार का उचित मूल्य दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 26 पर कटौती
प्रस्ताव

मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी):

1. खोखदा से रामगंज मण्डी को पेयजल हेतु पंचायत समिति की सामुदायिक तालाब हेतु कम राशि देने पर चर्चा के लिये ।

2. तहसील रामगंज मण्डी के ग्राम उण्डवा की एक स्त्री के गर्भ रहने पर रामगंज मण्डी की लेडी डाक्टर द्वारा सफाई करने से स्त्री के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

3. कोटा जिले की पंचायत समिति अंता को ग्राम पंचायत कावरी मुख्यालय पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

4. कोटा जिले के मोडक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया किन्तु सरकार द्वारा कार्य तेजी से प्रारम्भ नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

5. केशवराय पाटन एवं लाखेरी अस्पताल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने हेतु चर्चा के लिये ।

6. रेफरल अस्पताल कापरेन को प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये ।

7. ग्राम-बड़ा खेड़ा अस्पताल, पंचायत केशवराय पाटन में चिकित्सक तैनात करने हेतु चर्चा के लिये ।

8. केशवराय पाटन पंचायत समिति में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

9. जिला बूंदी चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये ।

10. चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

11. भ्रमणशील चल चिकित्सा इकाई राजस्थान जयपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):

12. गांवों में चिकित्सा के साधनों की कमी होने पर चर्चा के लिये ।

13. उदयपुर में टी.बी. हास्पिटल एवं जनरल अस्पताल में भ्रष्टाचार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

14. गोगुन्दा क्षेत्र में डाक्टर एवं दवाई की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय):

15. सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के चिकित्सालयों में लगातार डाक्टरों की कमी से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

16. उप मुख्य चिकित्साधिकारी परिवार नियोजन, जयपुर द्वारा किये गये

Page No 138

(138)

(श्री रामकिशोर मीणा)

गम्भीर गबन एवं घोटालों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

17. सिकराय क्षेत्र में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. सिकराय चिकित्सालय के चिकित्सक की लापरवाही से हरिजन लड़की की मृत्यु व डाक्टर की पिटाई से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री सोहनलाल बंशीवाल (दौसा)

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय):

19. दौसा सब डिविजन के चिकित्सालयों के डाक्टरों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

20. मनोविज्ञान चिकित्सा केन्द्र, जयपुर में हो रही अव्यवस्था से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):

21. प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में नई चिकित्सा सुविधा के उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. चित्तौड़गढ़ जिले के चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

23. प्रतापगढ़ सामान्य चिकित्सालय के कर्मचारियों के विरुद्ध भारी असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये।

24. चित्तौड़गढ़ जिले के चिकित्सा विभाग का सेवा कर सेवामुक्त हुए कंपाउन्डर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लम्बा समय व्यतीत होने पर भी पेंशन केस नहीं निपटाये हैं। इससे भूतपूर्व कर्मचारियों में आर्थिक शोषण हो रहा है। उन्हें पेंशन दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):

25. प्रतापगढ़ के सार्वजनिक जिला चिकित्सालय के स्टोर कीपर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच में विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिये।

26. चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, पाली एवं सीकर जिले में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से आन्त्रशोथ एवं हैजे तथा उल्टी दस्त से मरे लोगों के परिवार को राहत पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):

27. टी.बी. सेनेटोरियम, उदयपुर में बीमारों से भारी धन लेकर इलाज किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये।

28. उदयपुर में कोबाल्ट प्लान्ट अतिशीघ्र लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. पारसोला के डाक्टर द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन):

30. विभाग को राज्य भर में फैली अभिनवन्द (आई फ्लू) के कारण पक्षाघात (लकवे) रोग को रोकने में असमर्थता है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):

31. झालावाड़ जिले के सभी चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग में अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

32. भवानी मंडी चिकित्सालय में लेडी डाक्टर का बहुत समय से पद रिक्त होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर):

33. सवाई माधोपुर में टी.बी. हास्पिटल को आबादी से दूर ले जाने हेतु चर्चा के लिये।

34. सवाई माधोपुर सब डिविजन में स्टाफ लगाने हेतु चर्चा के लिये।

35. जिला सवाई माधोपुर में आयुर्वेद विभाग द्वारा मरीजों की संख्या के आधार पर बजट नहीं दिया जाता है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):

36. इटावा, इन्द्रगढ़, पीपल्दा, मांगरोल, खातौली चिकित्सालयों में पलंग तथा दवाओं की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. पीपल्दा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सालयों स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. मांगरोल चिकित्सालय में डाक्टरों के बार बार स्थानान्तरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

39. इटावा में रेफरल अस्पताल खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. पीपल्दा क्षेत्र के गैंता कस्बे में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(138)

(श्री हीरालाल आर्य, श्री बालचन्द आर्यवीर)

41. इटावा में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. खातोली में चिकित्सालय भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिय।

43. बिनायक, बोरदा, पीपल्दा खुर्द, डूंगरली, रनोदिया, जोरावरपुरा, बागली में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर):

44. भरतपुर जिले और विशेषकर कुम्हेर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की अत्यधिक कमी है, जिस पर चर्चा के लिए।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):

45. भीलवाड़ा तहसील के बड़ा महुआ में डिस्पेन्सरी खोलने पर चर्चा के लिय।

46. पांसल ग्राम (तहसील भीलवाड़ा) में डिस्पेन्सरी खोलने पर चर्चा के लिये।

47. अस्पतालों की सफाई व स्टाफ के संबंध में चर्चा के लिए।

48. डाक्टरों व स्टाफ की नियुक्तियों के संबंध में चर्चा के लिये।

49. टैक्निकल भूलों के आधार पर बनाए गये मिलावट रोक कानून के मुकदमों के संबंध में चर्चा के लिए।

50. भीलवाड़ा नगर के शास्त्री नगर, बापूनगर वकील कालोनी में डिस्पेन्सरी पर चर्चा के लिए।

51. भीलवाड़ा मुख्यालय के गांधी अस्पताल को "ए" श्रेणी का करने बाबत चर्चा के लिए।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग):

52. खाद्य पदार्थों में बढ़ती हुई मिलावट की रोकथाम की चर्चा के लिए।

53. जनरल अस्पताल के प्रांगण में कालूराम इमरती देवी ट्रस्ट द्वारा निर्मित धर्मशाला में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू):

54. जयपुर के एस.एम.एस हास्पिटल में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

55. डग विधान सभा क्षेत्र के भवानी मंडी चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

56. झालावाड़ में जिला केन्द्र पर चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं किये जाने पर चर्चा के लिए।

57. जयपुर ज्योतिनगर डिस्पेन्सरी खोली जाने बाबत चर्चा के लिये।

58. जयपुर विधायक नगर कालोनी में शीघ्र चिकित्सालय की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

59. डग विधान सभा क्षेत्र के भवानी मंडी कस्बे के अस्पताल में एक्स-रे मशीन की अविलम्ब व्यवस्था कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

60. झालावाड़ के रायपुर कस्बे के चिकित्सालय में डाक्टर की स्थायी व्यवस्था करवाने के बारे में चर्चा के लिये ।

61. डग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों के भयंकर अभाव पर चर्चा के लिये ।

62. डग विधान सभा क्षेत्र के कराबन ग्राम में प्रथम श्रेणी की डिस्पेंसरी खोले जाने के बारे में चर्चा के लिये ।

63. डग कस्बे के चिकित्सालय में दवाइयों के अभाव से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

64. डग विधान सभा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं महिला चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की अविलम्ब व्यवस्था कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

65. सोजत अस्पताल में आंखों के विशेषज्ञ का पद स्थापन करने की चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

66. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा सुचारु रूप से नहीं चलने, और चिकित्सालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

67. विकास आयुक्त के अभिकरण से पंचायत समितियों को पेयजल उपल । कराने; तालाब आदि के निर्माण के लिये सहायतार्थ अनुदान देने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये ।

68. पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक तालाब जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (डग) :

69. सहादत अस्पताल में कोटेज वार्ड बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

70. टोंक शहर में सहादत अस्पताल को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. बगड़ी पंचायत समिति टोंक में अस्पताल खुलवाये जाने की चर्चा के लिये।

72. जनाना अस्पताल में समुचित व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) :

73. पंचायत समिति सामुदायिक तालाबों की मरम्मत कई वर्षों से नहीं कराने से पेयजल की उत्पन्न गंभीर समस्या पर चर्चा के लिये ।

74. पंचायत समितियों को पीने के पानी के लिये तालाबों हेतु राशि आवंटन में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) :

75. ग्राम पंचायत बम्बोर पंचायत समिति टोंक में अस्पताल खोलने हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

76. लावा के अस्पताल की अव्यवस्था को सुधारने हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

77. निवाई राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर 50 रोगी शय्याओं का करने के सम्बन्ध में प्रावधान कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

78. जन-संख्या की दृष्टि से राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के और विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

79. जैसलमेर जिले में चिकित्सालयो तथा उप केन्द्रों में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं नर्सिंग स्टाफ के अभाव को दूर करने हेतु कोई राशि नहीं रखे जाने पर चर्चा के लिये ।

80. जिला जैसलमेर में फैल रहे व्यापक क्षय रोग की रोक-थाम व उपचार हेतु कोई प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

81. जिला जैसलमेर में सभी स्वास्थ्य उप केन्द्रों में चिकित्सक स्टाफ के अभाव में बन्द पड़ होने से प्राथमिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

82. जैसलमेर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के लिय मोबाइल यूनिट्स और अधिक बढ़ाने हेतु कोई राशि नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

83. बीकानेर के अस्पतालों में दवा एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

84. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खींदासर, टोकला, गड़ियाला में नर्स की नियुक्ति करने हेतु कोई प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

85. अनाथालय स्थित डिस्पेन्सरी नम्बर 4 बीकानेर को इसी मोहल्ले में 25 हजार लोगों की चिकित्सा सुविधा को देखते हुए नए भवन के निर्माण की आवश्यकता होने पर भी कोई प्रावधान नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

86. सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय, बीकानेर पुनः चालू करने की आवश्यकता हेतु राशि आवंटन कराने हेतु चर्चा के लिये ।

87. बीकानेर में आपात काल में जबरन नसबन्दी करने से आठ बार दुबारा आपरेशन करने व विभाग के पास विचाराधीन मामला शीघ्र तय करने व आर्थिक सहायता देने का चर्चा के लिये ।

88. बीकानेर की तहसील कोलायत में दूरस्थ ग्रामों में अकाल ग्रस्त क्षेत्र व राहत कार्यों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोग निदान उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

89. बीकानेर शहर व कस्बों में मलेरिया प्रकोप व मच्छरों से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

90. सी.एम.एच.ओ. गंगाशहर के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोप सिद्ध होने के कारण निलम्बित नहीं करने पर चर्चा के लिये

(श्री देवीसिंह भाटी)

91. तहसील कोलायत में दूरस्थ गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार मोबाइल यूनिट की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम गड़ियाला के जन सहयोग से तैयार 10 लाख की लागत के भवन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. जिला बीकानेर की तहसील कोलायत व बीकानेर तहसील के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्रों में दूरस्थ गांवों में सर्प-दंश से होने वाली मृत्यु को रोकने हेतु ऐन्टी वेन्यूम्ब टीकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. जिला बीकानेर में ग्राम भलूरी आयुर्वेद औषधालय में डेढ़ वर्ष से वैद्य की अनुपस्थिति से चिकित्सा सेवा उपलब्ध न होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. जिला बीकानेर के ग्राम बरसलपुर प्राथमिक औषधालय में दो वर्ष से डाक्टर न होने से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध न होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

96. जिला बीकानेर तहसील कोलायत के ग्राम खारी चारणान भोलासर, बरसलपुर, सेवड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु राशि नहीं उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):

97. नाथद्वारा में जन-सहयोग से प्रस्तावित अस्पताल के निर्माण हेतु विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने पर चर्चा के लिये ।

98. पंचायत समिति मचीन्द एवं पंचायत समिति समाखमेंड़ में जन-सहयोग से बने भवन में डिस्पेन्सरी या अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

99. जनरल हास्पिटल, उदयपुर में विभिन्न खराब चिकित्सा उपकरणों को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

100. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

101. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव मचीन्द में डिस्पेन्सरी की व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना):

102. विभिन्न पंचायत समितियों को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक तालावों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर):

103. ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय-जल प्राप्त नहीं होने के कारण फैली बीमारियों की रोक-थाम व उपचार में अव्यवस्था को चर्चा के लिये।

104. चिकित्सा विभाग में खरीद व्यवस्था उपयुक्त न होने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)
श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)
श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी):

105. सामुदायिक तालाब के निर्माण हेतु पंचायत समितियों को पेय-जल उपलब्ध कराने हेतु दी जाने वाली राशि में भेदभाव बरतने की चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)
श्री रामनारायण डूंडी (चिड़ावा)
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):

106. पी.एच.सी. चण्डावल (पाली) के परिवार कल्याण विभाग को राजोला में स्थानान्तरित करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा):

107. धमोरा में उपयुक्त भवन उपलब्ध होने के बावजूद डिस्पेन्सरी न खोलने की चर्चा के लिए।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत):

108. सोजत अस्पताल में आंखों के रोगों के विशेषज्ञ की नियुक्ति व अन्य सुधार बाबत चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा):

109. पचलंगी ग्राम तहसील उदयपुर वाटी में भवन उपलब्ध होने के बावजूद नई डिस्पेन्सरी नहीं खोलने की चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़):

110. जमवा रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी के खोलने हेतु कोई राशि आवंटित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 व 26 पर विचार

श्री अध्यक्ष : इन दो मांगों पर बहुत से माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। वे सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए समझे जाएंगे और जिस क्रम में सचेतकों ने लिस्ट दी है, उसके अनुसार मैं नाम पुकारूंगा।

श्री शोभाराम जी।

क्षमा करें, मुख बंद का प्रयोग कितने बजे किया जाये? मैं सदन की राय ले रहा हूं। सात बजे मुख बंद का प्रयोग कर सभी मांगें मतदान हेतु सदन के समक्ष रखी जाएंगी।

श्री चन्दनमल बैद : सरकार का जवाब कब होगा?

श्री अध्यक्ष : इसके पहले मंत्रियों के जवाब सवा छः बजे से लगाकर सात बजे तक होंगे। सात बजे मुख बंद का प्रयोग कर उसके बाद जो मांगें हैं वे मतदान के लिये रखी जायेंगी।

श्री शोभाराम जी।

श्री शोभाराम (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड तो हमें पास करनी है, लेकिन वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो हमारी वसूली का सवाल है, कम से कम हम 100 करोड़ रुपये की वसूली कर सकते हैं...

(5.17 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत सभापति, पदासीन)

आडिटर जनरल की जो 1978-79 की रिपोर्ट आई है, उसके पेज नम्बर 10 पर है कितना पर्सेन्टेज टैक्स वसूल होता है? Under Building Taxation. Public health and command area-arrears as 38 crores of Rupees.

(श्री शोभाराम)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि को-ऑपरेटिव को देखें। वहां के लोग यह मानते हैं कि 25 करोड़ का टैक्स ओवर-ड्यू हो गया है। उसको वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की है। एक तरीके से रिकन्साइलेशन आफ अकाउन्ट बिटवीन Apex Bank, and C. C. Bank State Marketing Board and Marketing Societies at District level. हो उसका फिजीकल और फाइनेन्शियल वेरीफिकेशन किया जाय तो मैं यह कह सकता हूं कि दोनों के बाद 60 करोड़ रुपया बकाया निकालेगा। कितने साल से बकाया है. एक तफतीश करने की बात है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अपने जितने पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं। जब शुरू में राजस्थान बना था, उस समय ये सब डिपार्टमेन्ट के रूप में काम करते थे लेकिन जैसे ही यह नुकसान देने लगे, तो उनको हमने पब्लिक अन्डरटेकिंग्स बना दिया...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): प्वाइन्ट आफ आर्डर। कोरम नहीं है।

(मत पूरक घंटी)

(मत पूर्ति के पश्चात्)

श्री शोभाराम: यह इसलिये बनाये गये क्योंकि इनका बजट विधान सभा में पास नहीं होता है, बस एक स्टेटमेंट पेश किया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में, स्टेट रोडवेज कार्पोरेशन, इत्यादि में...

एक माननीय सदस्य: इनको रोकें, माननीय सभापति महोदया।

श्री सभापति: इससे इनका तारतम्य टूट जायेगा।

श्री शोभाराम: इन सब में नुकसान हुआ है। अन्डरटेकिंग्स चलाने के लिये लोन दिखा देते हैं। अब वे खुद ही घाटे में में चल रही हैं, तो जिस प्रकार से आपका जो लोन दिखाया गया है बैलेंस शीट में, वह किस तरीके से पूरा होगा? यह देखने की बात है। मैं वित्त मंत्रालय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे पास जो फोरेन एड है, विदेशी सहायता जो कि इन्टर-नेशनल मोनोटरी फण्ड से मिली है, उसको हमने देखा कि कम से कम 200 करोड़ रुपये राजस्थान गवर्नमेंट को ग्रान्ट के रूप में मिले। हमने काफी फोरेन एड प्राप्त की यह मैं मानता हूं, उस पर आपका इन्ट्रेस्ट हाई पर्सेन्ट का ही है. लेकिन इसके अलावा यह देखना चाहता हूं कि जो कुछ फोरेन एड मिली उससे क्या पेइंग केपेसिटी बढ़ेगी? कितनी बढ़ी और किस प्रकार से? यह बतायें कि 30 साल के अन्दर ऐसे कार्यों के लिये जो विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुआ है, उसको लौटा सकेंगे? अभी जो कार्यवाही की गयी मैं समझता हूं कि शुरू-शुरू में इन्स्टालमेंट करके हम अपने कर्ज की अदायगी की ओर यह नहीं कर सके और अपने तरीके से न इसको सुधार सके। मुझे यह भी मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट का खाता रिजर्व बैंक के पास रहता है उसमें जो डेफिसिट होता है, उसको हम ओवर ड्राफ्ट की संज्ञा देते हैं। ओवर ड्राफ्ट ऐसा है जो कि मैं समझता हूं इस

(श्री शोभाराम)

साल 175 करोड़ तक बढ़ेगा। अन्त में 31 मार्च को जब कि फाईनेन्शियल ईयर खत्म होगा तब वह शून्य हो जायेगा। लेकिन 175 करोड़ रुपये का घाटा होगा। वह दूसरे अकाउन्ट्स में जाकर इनडायरेक्टली काम करता है। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है। आप 100 करोड़ रु. वसूल कर सकते हैं, अगर मुस्तैदी से काम किया जायें, तो मैं समझता हूं कि एक साल के अन्दर 100 करोड़ रुपये की वसूली हो सकती है। अगर मजबूती के साथ काम हो, तो मैं समझता हूं कि एक साल के अन्दर 100 करोड़ रुपयों की वसूली हो सकती है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि जब वसूली की कार्यवाही शुरू होती है, तो कुछ स्टे आर्डर गवर्नमेंट की ओर से और कुछ नीचे के डिपार्टमेंट हैड आफ दी डिपार्टमेंट जारी कर देते हैं और उसका नतीजा जो होता है, आज तक उसका कुछ पता नहीं है।

मैंने एक दफा देखा था कि को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के एडीशनल रजिस्ट्रार ने स्टे आर्डर दे दिया लेकिन जब उनसे पूछा गया कि स्टे आर्डर कितने दिनों के लिये दिया और जिस पर दिया, वह स्टे वापस वेकेट हुआ या नहीं हुआ? पता चला कि वहां फाइल तक नहीं थी। इस तरह की स्थिति है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि फाईनेन्शियल कन्ट्रोल हमारे यहां पर ज्यादा स्ट्रिक नहीं होगा, तो हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट एक तरह से खतरे में पड़ जायेगी। हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान की परिस्थितियों का मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। जब उसकी इकानोमिक कन्डीशन खराब होती है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान उनके प्रेसीडेंट अयूब खां हो, या याहिया साहब हो, भुट्टो साहब हो, या फिर जिया साहब हो, इसके अन्दर एक बात छुपी हुयी है कि जब देश की इकोनोमिक कंडीशन खराब होती है और एक लेवल के नीचे चली जाती है तो कई प्रकार के खतरे आ जाते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि आजादी को कायम रखना बहुत जरूरी है। उधर हमारे प्रशान्त महासागर में जो सैनिक टैक्नोलोजी देखने को मिल रही है और इधर पाकिस्तान को जो मिलियन्स आफ डालर्स के आर्म्स एम्यूनिशन सैक्शन हो चुके हैं दिये जा चुके हैं इन आंकड़ों हमको कई प्रकार की जो संजोनल निकलती हैं कम्पटीशन सर्वेस, इसी प्रकार से इकानमिक रिव्यू उससे आंकड़ों का पता चलता है कि आखिरकार हम कहां जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि हमें यह बताया जाये कि जो प्रोविजनल ग्रान्ट होती है, जो वोटेड होती है। बजट पास करते वक्त जिन डिमान्ड्स के बारे में टोटल बजट की जो प्रस्तुत राशि हमने उनको दी राज्य सरकार को, उसके मुकाबले में सप्लीमेंट्री ग्रान्ट का क्या प्रतिशत है? हम नहीं चाहते हैं कि वह प्रतिशत 7-8 प्रतिशत से ज्यादा प्रतिशत हो, फिर तो एक मखौल हो जाता है। जो कुछ रुपया मंजूर करते हैं शुरू में और फिर आकर के सप्लीमेंट्री ग्रान्ट 10 पर्सेन्ट, पन्द्रह पर्सेन्ट और 30 पर्सेन्ट तक चली जाती है, तो वह अच्छे बजटिंग के तरीके में नहीं आता है। मैं यह मानता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस खर्च को करने के लिये फिर जनवरी फरवरी में ग्रान्ट लेकर आना पड़ेगा।

(श्री शोभाराम)

क्योंकि हमारी जो हालत है, उसको देखते हुए मुझे ताज्जुब होता है कि 100 करोड़ का कहा है, तो मैं आपसे दर्खास्त करूंगा कि जिन महकमों की तरफ बकाया है जितनी बकाया है, उनकी सूची मैं आपको दूंगा। उस डिपार्टमेंट के हेड को बुलाकर बल्कि सेक्रेटरी को भी बुलाकर आप ताकीद करेंगे। टाइम बाउन्ड प्रोग्राम उसकी रिकवरी का बनायें। जो रिकवरी नहीं हुयी, उसकी तरफ कदम नहीं उठायें, तो हम बेकार हो जायेंगे मुझे कहने में बड़ी तकलीफ होती है कि कई लोन इस प्रकार के हैं, बीस-तीस साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 12 साल गुजरने के बाद वह सिविल कोर्ट के जरिये से भी वसूल नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी यह कहकर किऐसी रूलिंग है कहता है कि इतने लम्बे अर्से के बाद अगर सरकार आती है, तो सरकार की सुस्ती है और सरकार का इनडिफरेंट एटीट्यूट रिकवरी, वसूल करने का है, तो कोई उनके दावे को मंजूर नहीं करता है। हमारा दावा खारिज हो जाता है। मैं समझता हूं कि अभी जो 100 करोड़ की बात कही, वह अभी मियाद के अन्दर है। बहुत सी रूलिंग है, और मैं तो यह समझता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अन्दर एक नया सेल कायम कर दिया जाये, जो कम से कम हर महीने के अन्दर इस बात को देखे कि रिकवरी की पोजिशन कितनी इम्प्रूव हुई या नहीं? जैसा मैंने 100 करोड़ की बात कही, उसकी सूची तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसमें आपका नियन्त्रण कितना जोरदार होना चाहिये? यह हर माह उन आंकड़ों को देखकर पता लगेगा क्यों कि जब स्टेट का अकाउण्ट रिजर्व बैंक के पास जाता है वह हर महीने ओवर ड्राफ्ट की राशि गवर्नमेंट को भेजते हैं और वह एक ही इशारा है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि आपका ओवर ड्राफ्ट किस गति से बढ़ रहा है? वित्त मन्त्री ने 90 करोड़ की बात कही थी, लेकिन मैं समझता हूं कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट आफ इण्डिया से अग्रिम सहायता मिली थी, वह 65 करोड़ को लेकर 90 करोड़ बनी।

श्री रामदयाल भागी (डीगोद): कोरम नहीं है।

(मत-पूरक-घंटी)

(मत पूर्ति के पश्चात्)

श्री शोभाराम: मैं इतना ही कह कर खत्म करना चाहता हूं कि जो सुझाव दिये हैं, आपको इस संबंध में कन्सर्निंग डिपार्टमेन्ट से बात करके बड़ी जोरदारी के साथ वसूली का कार्य करेंगे और निगरानी रखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ सुधार होगा। 90 करोड़ का मतलब एक तरीके से यह है मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी दशा एक ऐसी हो गई कि हमको पिछले साल स्टेट प्लान के लिये अपने रिसोर्सेज से 220 करोड़ रुपये के साधन जुटाने थे लेकिन मुझे तकलीफ होती है 220 करोड़ के मुकाबले 95 करोड़ के ही साधन जुटा सके, इतने का ही प्लान बना सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है।

श्री शोभाराम: जो हमारी ताकत है

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सदस्य।

श्री शोभाराम : इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री गुलाब चन्द कटारिया। (अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर): माननीय सभापति महोदया, सरकार ने मांग संख्या 26 के अन्तर्गत 30 लाख चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिये और मांग संख्या 37 के अन्तर्गत 1 करोड़ 45 लाख रुपया कृषि के लिये सप्लीमेण्टरी ग्रान्ट के रूप में संक्शन हेतु इस सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा है। मैंने दोनों मांगों के लिये कटमोशन्स दिये हैं और दोनों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा सभापति महोदया, राजस्थान में कृषि 80 प्रतिशत जनता का जीवन यापन का साधन है। इस वर्ष राजस्थान के जन जन का जीवन-यापन का यह साधन अत्यधिक खतरे में है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि से, कृषि के ऊपर जो प्रकोप हुए उससे कृषि में लगे हुए समस्त जनों का आर्थिक जीवन जर्जर हो चुका है। भरतपुर जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं वहां पूर्व में तो अतिवृष्टि का प्रकोप हुआ, भीषण बाढ़ आई और उस बाढ़ के अन्तर्गत 292 गांव पीड़ित हुए, 2043 परिवार बरबाद हो गये, 3376 हेक्टेयर भूमि इस तरह बरबाद हो गई जिसमें तीन-तीन, चार-चार फीट मिट्टी जमा हो गई वह कृषि के काम के लिये बरबाद हो गई और 361 कुए बरबाद हो गये। यह सब विपत्तियां हुईं। इतना पानी आया कि यह आशा की जाती थी कि सिंचाई विभाग के अधिकारी उस पानी का सदुपयोग करेंगे लेकिन दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि पानी को सिवाय उत्तर प्रदेश में निकालने के और कोई काम नहीं किया। बहुत ही [illegible] तरीके से उस पानी को जिले के अन्दर जो बांध बने हुए हैं उनमें रोका जा सकता था और रोक कर रबी की फसल के लिए उपलब्ध करा सकते थे लेकिन जिले के बांध खाली रह गये और पानी को यमुना नदी के अन्दर बहा दिया गया। मेरे क्षेत्र के अन्दर धनवाड़ा, भाऊआ आदि बांध खाली रह गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से आपके माध्यम से, सभापति महोदय, जो भूमि बाढ़ के अन्दर बरबाद हो गई 3870 भूमि उसको कृषि के प्रयोग में लाने के लिये अभी तक कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये गये हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन किसानों के लिये नामिनल रेट पर मशीनें दी जाय जिससे वह मिट्टी हटा सकें इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा तीन चार वर्ष तक 75 परसेन्ट बाद सब्सिडी के रूप में दी जाय और इसके साथ ही साथ आगामी तीन चार वर्षों के लिए उनका लगान माफ किया जावे और जो भी सुविधायें अकाल और बाढ़ के लिए एक साल मिलती हैं उन किसानों को दी जाय आगामी तीन चार सालों के के लिए उनको वो सुविधायें मिलनी चाहिये।

बाढ़ के बाद अचानक जिन दिनों कृषि के लिए पानी की आवश्यकता थी, 20-25 दिन वर्षा का अभाव हुआ और उस अभाव से जो फसल बोई थी खरीफ

(श्री हरिसिंह)

को किसानों ने वहां सूखने लगी और आज स्थिति यह है कि अधिकतर फसल 70-80 पर्सेन्ट तक सूख चुकी है। अब प्रश्न यह आता है सदन के सामने कि वहां का जन-जीवन कैसे रहेगा। जिन लोगों ने सिंचाई की सुविधायें अपने ट्यूब वैल्स से बना रखी हैं वह अपनी कृषि भूमि के अन्दर काम करना पसन्द करेंगे। आवश्यकता इस बात की है, खतरा इस बात का है कि जो बीज लगाया उसने पैसा लगाया मेहनत कर डीजल के अभाव में बिजली के अभाव में कहीं वह फसल सूख न जाय। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं जितना बिजली और डीजल है उसको अभी से बता दें कि उस क्षेत्र के अन्दर प्रति बीघा या प्रति घण्टा कितना डीजल दे सकेंगे, कितना डीजल प्रति बीघा दे सकेंगे और किसानों को कितने घंटे बिजली दे सकेंगे, यह अभी से निश्चित कर दिया जाय तो किसान अपने हिसाब से उतनी ही बीघा में फसल बो सकेंगे। आगे चलकर बिजली के अन्दर जो कट प्रत्याशित करते हैं उसमें अधिक करेंगे तो फसल सूखेगी, कम डीजल देंगे तो वे सिंचाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिये अभी से इस सम्बन्ध में नीति स्पष्ट कर दे कि कितना डीजल देंगे और बिजली देंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सरकार का फर्ज है कि वह किसानों के लिए क्रोपिंग पैटर्न बताये कि किस प्रकार की फसल बोना ठीक है, इस प्रकार का बीज उपलब्ध कराये जो कि कम पानी की अवस्था में अच्छी फसल उपलब्ध करा सके।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, एक निवेदन और है वह यह है कि प्रति वर्ष यह देखा जाता है कि बिजली उचित मात्रा में नहीं मिलती, जितने घंटे मिलने चाहिये उतने नहीं मिलती है और उसके बाद में भी उनसे मिनिमम चार्जेज लिये जाते हैं। इस सदन में भी अनेकों सदस्यों ने यह निरंतर मांग की है कि राज्य सरकार बिजली के मिनिमम चार्जेज हटा दे। मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि बिजली का मिनिमम चार्जेज हटा दिये जायं।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में अभी किसानों के जीवन को भरतपुर फीडर में उत्तर प्रदेश से पानी लाकर बचाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश से 45 दिन पानी भरतपुर फीडर में आगरा कैनाल से मिलता है, वह मिलना चाहिये। इस वर्ष यद्यपि उत्तर प्रदेश में पानी अधिक था, बरसात काफी हुई, बाढ़ काफी आई पानी काफी था उसके बावजूद भरतपुर फीडर में पानी जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया। यदि राज्य सरकार भरतपुर फीडर के अंदर पानी दिला देती है तो वहां 18 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है, फसल बोई जा सकती है, अभी इतनी देर नहीं हुई कि फसल बोई नहीं जा सके। भरतपुर फीडर में पानी के लिये उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। गोवर्धन ड्रेन जो कि केवल पानी बाहर निकालने के लिये बनाया गया है में से काफी मात्रा में पानी उत्तर प्रदेश जाता है। उस पानी को यदि सरकार द्वारा भरतपुर फीडर में ले आया जाय तो लिफ्ट कैनाल से सिंचाई हो सकती है।

(श्री हरिसिंह)

एन.एस. लेवल इस प्रकार है कि भरतपुर फीडर में गोवर्धन ड्रेन से नेचरल फ्लो में भी पानी आ सकता है। पूछरी के पास एन.एस. का जो लेवल है वह 182 मीटर है। भरतपुर फीडर का जो एन.एस. लेवल है वह कोंडेर पर 176 मीटर है। 182 मीटर पर गोवर्धन ड्रेन चलता है, 126 पर भरतपुर फीडर चलता है तो इस प्रकार के नेचरल फ्लो में भी पानी उसमें पाया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो इस बात की तो रिजरवायर भी बनाया जा सकता है और उस पानी को रोक कर इसमें लाया जा सकता है। इस प्रकार सिंचाई की सुविधायें बढ़ाकर वहां के जन जीवन में बढ़ोतरी लाई जा सकती है।

सभापति महोदय, किसानों के लिये जितने भी इनपुट्स हैं - खाद या डीजल है या और कोई चीज है उनकी कीमत निरंतर बढ़ती जा रही है। उसके मुकाबले में जो उनकी फसल है उसकी कीमत में जो बढ़ोतरी होनी चाहिये वह नहीं हो पाती। तो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी रबी की फसल के लिये जो उनकी फसल की कीमत, मिनिमम कीमत निर्धारण हो, इन इनपुट्स की कीमत को देखकर करना चाहिये।

किसानों के लिये इंजन उपलब्ध होता है जो चार हजार में मिलता है उस पर भी जितने वर्कशाप्स हैं वहां पर उनकी मरम्मत में उनसे अधिकाधिक पैसे लिये जाते हैं तो राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि जो भी डीजल सेट्स या ट्रैक्टर वगैरह की मशीन किसानों के काम में आती हैं उनकी मरम्मत के लिये सरकार की ओर से भरतपुर जिले में वर्कशॉप खोला जाय जहां पर उनकी मरम्मत की सुविधा हो और कम पैसे में हो सके।

जहां तक जन स्वास्थ्य का प्रश्न है भरतपुर जिले में 750 गांवों में पीने के पानी की किल्लत है। इस वर्ष तो मेरे क्षेत्र में ब्रेकिश वाटर है। वहां पर आने वाले कुछ महीनों में कुओं मे पानी सूख जायगा, कई कुए सूख चुके हैं। मवेशियों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और आने वाले महीनों में इन्सान को भी पानी उपलब्ध नहीं होगा तो शीघ्र ही सुचारु रूप से व्यवस्था करें ताकि मवेशियों और इन्सान दोनों के लिये पानी मिल सके।

जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है, सभापति महोदय, भरतपुर जिले में वहां की आबादी को देखते हुये अभी भी राजस्थान में औसत के हिसाब से बहुत कम है। भरतपुर जिले में जो आबादी 250 प्रति स्क्वायर किलो मीटर है और राजस्थान की औसत आबादी प्रति स्क्वायर किलो मीटर केवल 75 है उसको देखते हुये वहां पर स्वास्थ्य की सुविधायें अत्यधिक कम हैं। राजस्थान के औसत के हिसाब से प्रति 1803 व्यक्तियों पर एक बेड है जब कि भरतपुर जिले में प्रत्येक 2632 व्यक्तियों पर एक बेड की अभी भी व्यवस्था है। तो इस औसत को देखते हुये भरतपुर जिले में कुछ और अधिक डिस्पेन्सरीज और औषधालय खोलने की बहुत ही आवश्यकता है। जो भी स्वास्थ्य केन्द्र बने हुये है उन स्वास्थ्य केन्द्रों पर जैसे

(५१)

(श्री हरिसिंह)

कल भी सदन में चर्चा हुई थी, स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ पहुंचता भी है तो केवल एक ही ए.एन.एम. का प्रोविजन है। ए.एन.एम. को स्वास्थ्य केन्द्र पर जो ड्यूटीज है जो उनसे एक्सपेक्टेड है उस प्रकार की मेडिकल एड नहीं दे सकती। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक सेंटर पर ए.एन.एम कम से कम एक मेल कम्पाउंडर हो जो कि वहां पर दवाइयां इत्यादि का वितरण कर सके।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई): मंत्रिमंडल की तरफ से कोई नोट नहीं कर रहा है।

श्री सभापति: चिंता न करें।

श्री यदुनाथसिंह: मंत्री नहीं है, दूसरा कोई नोट नहीं कर रहा है।

श्री सभापति: अभी गये हैं।

श्री यदुनाथसिंह: दूसरे मंत्री को नोट करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य: जवाब कौन देगा? कोई भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): देखते नहीं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुये हैं?...

श्री दुलाराम: तीन स्टेट मिनिस्टर बैठे हुये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य या तो समाप्त कीजिये या बोलना शुरू कीजिये।

श्री हरिसिंह: मैं निवेदन कर रहा था हमारे यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यधिक कमी है और जो सब-सेन्टर्स है वहां स्टाफ नहीं है। जो प्रावधान है इतना कम है कि उस क्षेत्र की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। मैं खास तौर से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सब-सेन्टर्स हैं उन पर एक ए.एन.एम. व एक कम्पाउडर अधिक लगाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ राज्य सरकार का दो बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं: एक तो अभी जो आने वाली फसल है उसके लिये इंश्योरेंस का प्रावधान करना चाहिये क्योंकि बाढ़ से फसल या अनावृष्टि से फसल को कहीं ऐसा न हो...

श्री सभापति: कई लोगों को बोलना है और 7-15 बजे मुख बंद हो रहा है।

श्री हरिसिंह: मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। जो फसल आ रही है उसके लिये सरकार को चाहिये कि क्रॉप्स का इंश्योरेंश शुरू कर दिया जाय ताकि दोहरी मार न हो। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाबचन्द कटारिया नहीं बोलें तो अच्छी बात है। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें..

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: तीन नाम हैं।

श्री सभापति: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

श्री जगनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दोगोद) : सभापति महोदय, मैं 3-4 बातों की तरफ आपके माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं है, अपने भाषण द्वारा मंत्रि-मंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जहां बाढ़ आई वहां एस.एम.एस. में भी बाढ़ आई। एस.एम.एस. में जो बाढ़ आई उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वह नष्ट हो गई, जो आज तक चालू नहीं हुई वह है कैंसर की मशीन। जिसके तहत कैंसर के रोगियों का सेक होता है, वह कैंसर मशीन आज तक भी चालू नहीं हुई है। आज से महीनों पहले उसके लिये टेंडर्स दिये गये थे लेकिन टेन्डर्स आ जाने के बावजूद मन-चाही पार्टी न आने से आज भी मशीन वहां चालू नहीं हुई है। राजस्थान के सारे के सारे बीमार बीकानेर की तरफ ट्रांसफर किये जा रहे हैं, यह अपने आप में गंभीर चिंता का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उस मशीन को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाय।

जो स्टोर था उसके अंदर 8से9 फीट पानी भर गया था उसमें लाखों रुपये की दवाइयां नष्ट हो गईं। दो दिन तक सारा स्टाफ इस बात में लगा रहा, हिमाचल के राज्यपाल राजस्थान के एस.एम.एस.अस्पताल में आये थे ट्रीटमेंट लेने के लिए उनकी सेवा के लिये सारा स्टाफ लगा रहा लेकिन एस.एम.एस. अस्पताल में जो दवाइयां, गॉज, पट्टियां, जो कुछ भी थे नष्ट होती रहीं, महत्वपूर्ण रिकार्ड भीगता रहा जिसके अंदर एक मशीन का 6 लाख रुपये का घपला था। हो सभी उस रिकार्ड में मौजूद था और उसके साथ डेस्ट्रोय हो गया, समाप्त हो गया। यह अपने आप में, सभापति महोदया, एक बहुत ही गम्भीर मामला है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदया, यह जो निष्पादन आय-व्ययक पुस्तिका हमें मिली है इसके तहत दो बात का वर्णन है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा गया है कि एक योजना चलती है राजस्थान में खाद्य सामग्री में मिलावट के बचाव के लिये। आप तो जानती हैं, साहब, आप सदगृहणी हैं, सदगृहणी होने के नाते आप जानती है कि जीवन की प्रत्येक चीज में आज मिलावट है और परिपूर्ण है। राजस्थान में आज खाने पीने की सभी चीजों में मिलावट रोकने के लिये राजस्थान सरकार ने एक और विभाग में एक अंग बनाया। इसके अन्दर यह लिखा गया है, इस योजना को प्रान्त में फैल रही खाद्य सामग्री में मिलावट की रोक-थाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भ किया गया। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 वर्ष 1980 की समाप्ति तक राज्य के 21 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, जहां की जन-संख्या पांच हजार है, में लागू कर दिया गया है। सभी जिला मुख्यालयों पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को स्थानीय क्षेत्र के लिये खाद्य निरीक्षक के अधिकार दिये गये है तथा उप खाद्य निरीक्षक मुख्यालय एवं जिला पर कार्यरत हैं। तो इतना बड़ा स्टाफ है। हम अगर उसके काम का परीक्षण करें तो यह पता लगेगा कि खाद्य सामग्री नमूनों की परीक्षा की गई वह

(श्री दाऊदयाल जोशी)

346 और लिये गये नमूनों में मिलावटी नमूनों की संख्या 146, मामले न्यायालय में पेश किये गये 301 से जुर्माना वसूल किया गया 152 केसों पर, सजा 105। मेरा निवेदन है कि इतने बड़े स्टाफ के द्वारा सिर्फ 346 नमूने लिये गये हैं। राजस्थान में 26 डिस्ट्रिक्ट है और 34 खाद्य निरीक्षक हैं, इसके अलावा उप निरीक्षक भी है राजस्थान भर में 346 नमूने लिये गये केवल एक साल में। एक खाद्य निरीक्षक ने साल भर में पांच नमूने लिये हैं। यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सारे राजस्थान में आज मिलावट का बोलबाला है खाने को प्रत्येक वस्तु में। कोई भी चीज बाजार में शुद्ध नहीं मिलती है। इतना स्टाफ होने, इतना बड़ा अपव्यय करने के बावजूद राजस्थान की जनता को शुद्ध चीज नहीं मिलती है। केवल खाद्य निरीक्षकों को पावर हैं, और कई जगह तो पावर भी उनको डेलीगेट नहीं है। पावर नहीं तो वह लोग कुछ काम नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि वह काम करने नहीं तो यह अपव्यय सरकार का हो रहा है। इस अपव्यय को रोकने का प्रयास करने की कृपा कीजिये।

दूसरी बात मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि खाद्य सामग्री में मिलावट हो तो समझ में आती है लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन में व्यक्ति बीमार पड़ता है, आप भी बीमार हो सकते हैं लेकिन बीमार को शुद्ध दवा नहीं मिले तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि दवाओं और वह भी नकली दवाओं का एजेन्ट डाक्टरों को एक कार प्रजेन्ट करता है। अगर एक डाक्टर एक साल भर में आठ लाख रुपये की दवायें लिखदेता है। कोई थर्ड क्लास कम्पनी की दवा अगर आठ लाख की लिख दे तो उसको एक फिएट कार सादर समर्पित कर दी जाती है, मिलावट की दवाओं को लिखने के लिये। भेषज नियन्त्रण संगठन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय की एक इकाई है। निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें इस योजना के नियन्त्रक एवं लाइसेंसिंग आथोरिटी है। इस योजना के अन्तर्गत औषधि नियन्त्रण कार्य में सहायता करने हेतु मुख्य में दो सहायक औषधि नियन्त्रक (एक एलोपैथिक एवं एक आयुर्वेद) तथा जिला स्तर पर कुछ 29 औषधि निरीक्षक (तीन आयुर्वेद) कार्यरत हैं जिनका कार्य औषधियों के नमूने जांच करना तथा बाजार में बिकने वाली निम्न स्तर की औषधियों एवं नकली दवाओं की रोकथाम करना है। इस हेतु राज्य में एक प्रयोगशाला कार्यरत है जिसमें औषधियों के लिये गये सम्पल्स का विश्लेषण किया जाता है। पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में औषधियों के नमूने गाजियाबाद, कलकत्ता एवं कर्नाटक राज्य की प्रयोगशालाओं में विश्लेषण हेतु भेजे जाते हैं। एक नहीं; सभापति महोदय, 26 औषधि नियन्त्रक राजस्थान भर की दवाओं का निरीक्षण करते हैं उन्होंने नमूने लिये वह है 79-80 में 300। सभापति महोदय,

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आप अच्छी तरह जानती हैं कि आज टेट्रासाइक्लीन जो बीमारियों में काम आता है, आज वह सरे आम नकली मिलता है। सरेआम नकली 'बी काम्प्लेक्स' मिलते हैं, इन्जेक्शन नकली मिलते हैं और इससे इन्फेक्शन्स होते हैं, लोगों के सेप्टिक हो जाते हैं उसके बावजूद भी यह सारे औषधि के 26 निरीक्षक मुफ्त की तनख्वाह खा रहे हैं। केवल इन लोगों ने 300 सेम्पल लिये हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। इसलिये, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी चिन्ता की बात है दूसरी मांग की गयी है पानी के विषय में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, मैं कोटा जिले के हासिया गांव में अभी 20 दिन पहले गया वह गांव 80 घरों की बस्ती है और 80 घरों के गांव में 64 व्यक्तियों को बाला निकला हुआ है। इन 64 व्यक्तियों में पन्ना रेगर, धन्ना चमार, कालू भंगी, यह सारी की सारी लिस्ट है मेरे पास यह सारे के सारे अनुसूचित जाति के लोग हैं। 64 लोग हैं। 64 लोगों को बाले की बीमारी है। और आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि एक तीन साल के बच्चे के इन्द्री में बाला निकल रहा है। एक 65 साल की महिला के गुप्तांग में बाला निकल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, आज 34 साल हो गये हमारे देश को आजाद हुए, हम लोगों को शुद्ध पीने का पानी भी नहीं दे सकते है। मैंने आकर कलेक्टर साहब को कहा तो उन्होंने स्वयं ने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाया तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने कहा कि कोटा जिले में 200 गांव में बालों की बीमारी पानी के कारण है। आज 200 गांवों में कोटा जिले में पानी खराब है। जब कलेक्टर साहब ने वाटर वर्क्स वालों को कहा कि इन 200 गांवों में पानी के कारण बाले हो गये हैं, इनमें ऐसा पानी क्यों है तो कलेक्टर साहब को वाटर वर्क्स वालों ने कहा हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोटा जिले के लिये वर्ल्ड बैंक की स्कीम आई हुई है वह स्कीम 82 से शुरू होकर सन् 86 तक पूरी होगी वर्ल्ड बैंक ने हमारा टारगेट तय कर दिया है इसके तहत हमें जो इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं उन्हीं गांवों में हम करेंगे। आज 200 गांव क्या 500 गांव वालों को बालों से मर जावें तो भी हम उनको शुद्ध पीने का पानी नहीं देंगे। तो मेरा निवेदन है, सभापति महोदया, यहां शुद्ध पानी के नाम से पैसा मांगा जा रहा है, कृपा करके मेहरबानी करके कोटा जिले में जो बाले का प्रकोप हो रहा है उसको समाप्त करावें और कोटा जिले के लोगों को पीने का पानी शुद्ध दिलाने की कृपा करें। अन्त में मैं एक बात आई फ्लू के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्थान की धरती आई फ्लू की बीमारी, जिनको नेत्र रोग कहते हैं, इस का सरकार ने कोई उपचार नहीं किया है। राजस्थान सरकार के इस दुर्भाग्य के कारण सारे राजस्थान में पक्षाघात रोग चल रहा है। नेत्र रोग से पीड़ित व्यक्तियों को लकवे ने घेर लिया है। मेरे पास नाम है। जयपुर के अन्दर सवाई मानसिंह अस्पताल में दो व्यक्ति लकवे के कारण मर गये। मेरे कोटा के अन्दर 25 व्यक्तियों को इस

(श्री दाऊदयाल जोशी)

रोग के कारण लकवा हो गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि विभाग आज अपेक्षा कर रहा है पैसा मांगने की मैं पूछता हूं कि किस बात के पैसे दिये जाय अगर पैसा दिया जाता है तो उसका सदुपयोग होता है पर यहां तो पैसा बरबाद होता है। आई फ्लू एक महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार ने इसके लिये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जयपुर में। हमने देखा कि स्वयं सेवी संस्थाओं ने संगठनों ने लोगों को आई फ्लू की दवायें दी, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं आपसे पुनः पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि ऐसे नकारात्मक विभाग, जो जनताको शुद्ध दवायें नहीं दे, को पैसा नहीं दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि इनको एक पैसा नहीं दिया जाय और ...

(व्यवधान)

इनसे छुटकारा दिलाया जाय। जो इसका जवाब दिलाया जाय, जो उप मंत्री हैं उनसे भगवान के नाम पर दिलाया जाय, वह जवान हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, इन्हीं से जवाब दिलाया जाय तो कल्याण होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुनील कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदया, मैंने इस बार अपने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। मैं पहले इस पर अपने विचार रखना उचित समझूंगा। सभापति महोदया, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 80 प्रतिशत के यहां लगभग जनता या तो कृषि पर निर्भर करती है या कृषि के काम पर निर्भर करती है। किसान हंसते हुए चेहरे को देश की प्रगति का निशान है और किसान का रोता हुआ और मुरझाया हुआ चेहरा हमारी चुनौती है। दुर्भाग्य से कृषि पर हमारा ध्यान जितना हमें देना चाहिये था उतना ध्यान हम उस पर नहीं दे पाये। किसान का किस तरह से शोषण किया जा रहा है। हमारे देश के आजाद होने के 34 साल बाद भी हमारा कृषि उत्पादन जो है वह शुरू के 9-10 सालों में जरूर तीन प्रतिशत से, सवा तीन प्रतिशत उत्पादन जरूर बढ़ा लेकिन उनके बाद में वह उत्पादन तीन पाइंट पर जाकर स्थिर हो गया यह जो तीन पोईन्ट सात प्रतिशत उत्पादन हमारा है हमारी डिमाण्ड और सप्लाई है उसमें वह 2:7 का हो गया है। हम एक भयंकर अनाज के संकट में पड़ जाते हैं, इसके कई कारण हैं। किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता,

(श्री यदुनाथ सिंह)

उसके इनपुट्स के भाव बढ़ रहे है, जो वह लगता है उसके भाव रोज बढ़ रहे हैं और उसकी पैदावार का जो भाव उसको मिल-जाता है उससे वह बजाय फायदे के नुकसान में जाता है यह बात दूसरे उत्पादक के साथ नहीं है। उत्पादक जो भी चीज पैदा करते हैं वह अपना मूल्य निर्धारित करते हैं। वह देखते हैं कि कितना खर्चा है, कितना मुनाफा लेना है और क्या कमीशन होगा। लेकिन किसान को अपने भगवान के भरोसे और लूटखोरों के भरोसे छोड़ दिया गया है वह हर तरह से शोषण करते हैं। हमारी मूल्य नीति निश्चिततौर पर ऐसी होनी चाहिये कि जिस प्रकार से गैर कृषि उत्पादनों का मूल्य बढ़ता है उसी सूचकांक से कृषि उत्पादनों का भी मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए था। दलील यह दी जाती है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि किसान उस पैसे को कभी लिपिस्टिक और एयर कन्डीशन पर खर्च नहीं करता है। वह पैसा अपने ही उत्पादन में लगाता है उत्पादन बढ़ाने के मुद्दों में वह उस पैसे को लगाता है और जब उत्पादन के काम में लगाता है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने की बात कैसे पैदा होती है। हमने बाहर से इम्पोर्ट कर के गेहूं मंगाया है। 1974-75 और 75–76 में 25 करोड़ रुपये का अनाज इस गवर्नमेन्ट ने और कांग्रेस सरकार ने मंगाया। आप बाहर से गेहूं मंगा सकते हैं लेकिन यहां के किसानों को उचित मूल्य नहीं दे सकते। अभी बाहर से फिर गेहूं मंगाया गया है। 1970–63 मूल्य अमेरिका को और दूसरे देशों को यह सरकार देने के लिए तैयार है लेकिन यहां के किसान को 160 और 150 रुपया देने को तैयार नहीं है। यहां अनाज का भण्डार मौजूद था लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों ने उसको लूट कर इकट्ठा कर लिया।

सभापति महोदया, किसानों का कई तरह से शोषण किया जाता है, उसको बिजली नहीं दी जाती है, उसके लिये बिजली की दर है 29.05 पैसा जब कि उद्योगों के लिये बिजली 9 पैसा की दर से दी जाती है। आज जो किसान उत्पादन करता है उसमें लागत ज्यादा लगी हुई है और मुनाफा कम होता है। उसके लिए बिजली की दरें ज्यादा हैं, फिर किसान अपने उत्पादन को बाजार में बेचने जाता है तो उसकी लूट की जाती है। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले गैर कृषि उत्पादनों के लिए जो मूल्य सूचकांक है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की नीति तय की जानी चाहिए कि अगर गैर कृषि उत्पादनों का मूल्य बढ़ता है तो कृषि उत्पादनों का भी मूल्य उसी आधार पर बढ़ाया जाये। बिजली की रेट में तो फर्क है ही उसको बिजली देते नहीं क्योंकि किसान राजस्थान में और हिन्दुस्तान के स्तर पर भी 21 पर्सेन्ट कृषि कार्यों पर बिजली खर्च करता है। अब फसल सूख रही है। दस दिन फैक्ट्री बन्द कर दें, वह उत्पादन तीन चार चार दिन में करके और ओवर टाइम करके पूरा कर सकते हैं लेकिन कृषि की फसल सूख जाती है, उसको आज पानी चाहिए तो आज ही चाहिये। कल उसको देंगे तो फसल के उत्पादन में निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। इसलिए इसको राष्ट्रीय कार्य मानकर बिजली, डीजल और सिंचाई के साधन उपलब्ध

(श्री यदुनाथ सिंह)

नहीं करा पायेंगे । तो हमारे उत्पादन में गिरावट आती जायेगी जब हमारा कृषि का उत्पादन 6.6 परसेन्ट होगा तब हम उद्योगों का उत्पादन 10 या 12 परसेन्ट के आस पास कर पायेंगे । हमारे उद्योग भी कृषि उत्पादन पर ही आधारित हैं । उद्योगों में भी वही चीज बनाई जाती है जो कि कृषि से पैदा होती हैं। सिवाय हम लिपिस्टक और सिन्थेटिक कपड़ा बनाने के खेती की उपज नहीं बढ़ाते हैं तो वह नहीं बढ़ा पायेंगे । इसलिए जहां तक खेती के लिए इनपुट्स का सवाल है उनकी कीमत कम की जानी चाहिए । लेकिन सरकार की नीति किसान विरोधी है हीं । जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से दो बार तो डीजल के भाव बढ़ाये जा चुके हैं और किसान के खाद के भाव दुगने कर दिये गये हैं । उसके भाव आप बढ़ाते जा रहे हैं। उसका इंजिन महंगा आता है, उसकी सब चीजें महंगी हो चुकी हैं, स्टील के भाव बढ़ते हैं उससे वह प्रभावित होते हैं लेकिन उस को उसके उत्पादन का सही मूल्य आप नहीं देते हैं ।

सिंचाई कृषि के लिए मुख्य आधार है । बिना सिंचाई के कुछ नहीं हो सकता । पंजाब का नजीर देखिये । पंजाब ने अपने बजट का 72 से 80 परसेन्ट पैसा सिंचाई में खर्च किया और आज पंजाब में कितनी उत्पादन कृषि से हो रहा है कृषि उत्पादन बढ़ता है तो आम मजदूर की हालत भी सुधरती है । पंजाब में 15 से 20 रुपये तक मजदूरी दी जाती है। जब किसान का उत्पादन अधिक होगा तो निश्चित रूप से मजदूरों की हालत भी सुधरेगी ।

इसी प्रकार से पंजाब के अन्दर हर 9वां आदमी विदेश जा रहा है, हर 12वां आदमी अपने यहां स्माल स्केल इन्डस्ट्री लगाकर बैठा है । राजस्थान कैनाल जो कि 56 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था वह आज 200 या 300 करोड़ का हो गया और उसका भी भरोसा नहीं है कि कब पूरा होगा । उसको तो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन अय्याशी के लिए एशियाड किया जा रहा है, एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें दिल्ली के और बड़े-बड़े शहरों के कुछ लोग मौज मारेंगे और देखेंगे । आम आदमी उस खेल को देख भी नहीं सकता और खेल को देखना तो दूर रहा उसमें हमारी उपलब्धियां क्या होंगी ? आपकी प्राथमिकतायें क्या हैं ? आप पहले प्राथमिकतायें तय कीजिए । आप रोटी रोजी देना चाहते हैं या करोड़ों रुपया अय्याशी पर खर्च करना चाहते हैं । जब तक आप प्राथमिकतायें तय नहीं करेंगे तब तक देश बरबाद होता रहेगा । यहां 800 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है । यही 800 करोड़ रुपया अगर राजस्थान में दिया जाये 800 करोड़ रुपया खेलों पर सरकार खर्च करना चाहती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च कीजिये । हिन्दुस्तान के अन्दर हर जिले में यह पैसा बांटिये । दो ढाई करोड़ रुपया हर जिले में पड़ता है । खिलाड़ी पैदा कीजिए...

श्री सूरज पाल सिंह : कुल कितने जिले हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : 399 जिले हैं हिन्दुस्तान में ।

(श्री यदुनाथ सिंह)

तो मैं कह रहा था कि किसान की लूट को नहीं रोकेंगे तो यही होगा।

पिछले दिनों पहाड़िया सरकार के कृषि मंत्री जो, जो कि आज भी सौभाग्य से कृषि मंत्री हैं इस सरकार में भी एक गोदाम योजना का प्रावधान रखा। उसके लिये मैंने उनको एक विस्तृत पत्र भी लिखा कि इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। पता नहीं उन्होंने जवाब दिया लेकिन जो गोदाम योजना है उसमें हर पंचायत हैड क्वार्टर पर अगर गोदाम होगा तो किसान उसमें अपना माल रख-कर जब उसकी अच्छी कीमत होगी तो बेच सकेगा। इस योजना को निश्चित रूप से लागू किया जाना चाहिए।

अब मैं चिकित्सा के बारे में थोड़ा अर्ज करना चाहूंगा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : 10 मिनट हो गए।

श्री यदुनाथ सिंह : कहां हो गये, दस मिनट ?

श्री सभापति : आपको 5 मिनट का समय दिया था। अब प्रश्न ही नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : धन्यवाद।

श्री सभापति : मैं माननीय मंत्री महोदया जी से निवेदन करूंगी कि वह उत्तर दें।

श्रीमती कमला (कृषि-मंत्री) : सभापति महोदया, माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंन्ट्री डिमाण्ड्स के बाबत में चर्चा करते हुए कृषि विभाग के कुछ मुद्दों के ऊपर अपनी राय जाहिर की है कुछ उसकी आलोचना के सन्दर्भ में और कुछ सुझावों के संबंध में भी। मैं इसके लिए तो उनकी आभारी हूं लेकिन कुछ मुख्य-मुख्य मुद्दे ही मैं आपके सामने इस बात के लिए प्रस्तुत करना चाहती हूं कि कृषि विभाग ने कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काफी अपनी ओर से प्रयत्न किये हैं और उन प्रयत्नों के कारण से कृषि का उत्पादन कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों के सहयोग से बढ़ा है और इससे अलाइड जितनी एक्टीविटीज है उनमें काफी तरक्की हुई है। उदाहरण के लिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि पिछली खरीफ फसल के अन्दर हमने इस बात की भरपूर चेष्टा की है कि हम जो उत्पादन का क्षेत्रफल है उसको भी बढ़ायें और जो उत्पादन के आइटम्स हैं उनको भी बढ़ायें जिससे कि राजस्थान के काश्तकारों को भी लाभ पड़े और साथ ही साथ में जो देश के अन्दर खाद्यान्नों की, दलहनों एवं तिलहन की कमी है के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका निदान कर हम सकें, उसका निराकरण कर सकें। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारा जो एरिया अण्डर कल्टीवेशन था उसको हमने 7 प्रतिशत अधिक बढ़ाया है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा जो काम किया जाना चाहिए था कृषि के क्षेत्र में वह यह था कि हम जितने वैरायटीज एरिया अपनायेंगे उतना ही ज्यादा इस योजना के अन्दर उत्पादन बढ़ेगा। 80-81 के मुकाबले में 72 प्रतिशत हमारा जो वेरायटीज एरिया था हमने उसको बढ़ाया और उसके मुकाबले

(श्रीमती कमला)

में जितनी आवश्यकता थी उसकी भी हमने पूर्ति की । हम यह चाहते थे हमारा जो पिछले 80-81 के अन्दर जो 27 लाख टन का उत्पादन था खाद्यान्न का, उसको हम बढ़ा सकें और 35 लाख टन कर सकें। लेकिन जैसी हालत राज्य के अन्दर पैदा हुई, बरसात हुई और अकाल पड़ा, हम यह समझते हैं कि हम यह नहीं कर पायेंगे। लेकिन फिर भी पिछले वर्ष के मुकाबले में हम काफी उत्पादन ले पायेंगे ऐसी हमारी आशा है ।

इसी तरह से आयल सीड्स, तिलहनों के अन्दर हमने एरिया को भी बढ़ाया है और उसके उत्पादन को भी बढ़ाया है । आने वाली रबी की फसल में कृषि विभाग ने इस प्रकार का प्रयोजन किया है कि हम एरिया के अन्दर भी और प्लान के अन्दर भी ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर सकें । उदाहरण के तौर पर दो ढाई वर्ष में हमने चने का क्षेत्र 27 प्रतिशत और ऑयल सीड्स हैं उनका क्षेत्र 27 प्रतिशत बढ़ाया है । हम चाह रहे हैं कि हमारा चने का 10 प्रतिशत और आयल सीड्स में 15 प्रतिशत प्रोडक्शन बढ़े जिससे कि देश की समस्या भी हल हो और हम आगे बढ़ सकें । इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले हमने इस बात की ओर प्रयत्न किया कि जो कार्य हम आज तक नहीं कर पाये, भारत सरकार की तरफ से बराबर पिछले 3-4 वर्ष से एक करोड़ रुपये स्माल और मॉर्जिनल फार्मर्स के लिये ड्राट - इफैक्टेड एरियाज के लिए मिलते रहे, लेकिन उसका बराबर कभी वितरण नहीं हुआ, न ही वह 20 से 25 प्रतिशत से ज्यादा वितरण हुआ । क्योंकि पैसा हमारे पास पड़ा है इस साल हमने सिर्फ एक करोड़ से इस प्रकार के पैसे का वितरण काश्तकारों को किया है बल्कि इसके अलावा 60 से 70 लाख और हमने मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से काश्तकारों को सीड और फर्टिलाइजर के लिये दिया है ; जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी उपलब्धि है ।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी निगाह में यह भी लाना चाहती हूं कि जो इस वक्त में भयंकर बाढ़ के कारण से काश्तकार का एरिया खराब हुआ है वो तो प्रकृति का प्रकोप था और प्रलय थी. उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ । हमारी काश्त वाली जमीन 2 लाख 48 हजार हैक्टेयर खराब हुई । उसके अलावा जो फारेस्ट की जमीन थी वोह एक लाख 37 हजार हैक्टेयर अलग से खराब हुई । लेकिन हमने तत्परता से स्टडी टीम के साथ, प्लानिंग कमीशन के साथ बात की । मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर के साथ भी बात की । उसके परिणाम स्वरूप 2 लाख 48 हजार हैक्टेयर के अन्दर किस प्रकार हम लैंड रिक्लेम कर सकते हैं, किस प्रकार जो हमारे साढ़े पन्द्रह हजार कुएं उसमें डूब गये उनका रिक्लेम कर सकते हैं । इसी प्रकार से मवेशियों का जो नुकसान हुआ, करीब 33-34 हजार मवेशी हमारे खत्म हो गये हैं उसको हम किस तरह से कम्पेनसेट कर सकते हैं । जो काश्तकार का हल, बैल और इम्पलीमेंट का नुकसान हुआ है इन सबको रिक्लेम करने के लिये हमने बहुत डिटेल्ड वर्क प्लान बना

(श्रीमती कमला)

कर प्लानिंग कमीशन को दिया है कि इस प्रकार से लगभग 73 करोड़ का जो हमारी खर्च होगा है, हमको मिलनी चाहिए। खासतौर से स्टडी टीम को मैंने प्रेस किया है अगर जमीन सही नहीं है तो कुएं डिस्रप्ट हो जायेंगे तो भी उपयोग नहीं है, और कुए डिस्रप्ट हो जायेंगे और जमीन सही है तो भी उपयोग नहीं है। दोनों सही हो जायें लेकिन उसके बाद अगर इम्प्लीमेंट और बुलक्स वगैरह नहीं हैं तो भी उसका उपयोग नहीं है, इसलिए चारों चीजों की एक साथ हमें नीड है और जरूरत के मुताबिक लोनिंग होना चाहिए। साथ में जो ओल्ड ड्यूज हैं उनको राइट आफ किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र और आन्ध्र के अन्दर साइक्लोन के समय किया गया था। हमने यह भी रिक्वेस्ट की है कि जो स्माल और मार्जिनल फार्म्स हैं उनको शत प्रतिशत और जो दूसरे किसान हैं उनको 50 प्रतिशत का प्रोविजन किया जाये। तो इस प्रकार से अगर भारत सरकार हमारी मदद कर सकेगी तो हमारा जो 2 लाख 48 हजार हैक्टेयर कल्टीवेशन खराब हुआ है और जो इस प्रकार से बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है उसको कुछ न कुछ मायने में रिक्लेम कर सकेंगे। इसके लिये हम काफी प्रयत्नशील हैं। जैसा कि अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वो भी इस मामले में आशान्वित हैं और भारत सरकार इस योजना पर सहानुभूति से हमारी मदद करेगी।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदया, मैं विशेष प्रोग्राम के लिये, हालांकि इस सदन में बहुत कम सदस्य हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस समय एक बड़ी मांग का मुद्दा है, हम इस पर 5000 बायोगैस प्लान्ट की योजना बनाई है उसके लिये 40 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है जिसके लिये अभी आपको मतदान करना है उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बायोगैस प्लान्ट की योजना जो है बहुत उपयोगी है। हमारे यहां बिजली कम आ रही है उसको हम जितना व्यापक बनायेंगे जितना प्रभावी बनायेंगे, उतना ही राज्य की प्रगति में योग मिलेगा।

अन्त में एक मुद्दा मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं कि हमने इस बार मार्केटिंग बोर्ड के जरिये से मण्डियों के जरिये से अच्छा काम किया है। उसके कारण से हमने करीब एक हजार रोड्स स्कीम की हैं इस साल के अन्दर सेंक्शन जारी किया है और काम शुरू हुआ है और हमको सफलता मिली है। हमारी 40 मण्डियां ऐसी हैं जिनके अन्दर अच्छा काम होना चाहिये था लेकिन मण्डी सचिव के कारण से या व्यापारियों की मिलीभगत से हमारी आमदनी ठीक नहीं हुई है। इसको हम ठीक कर रहे हैं। जो मण्डी सैक्रेटरी, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको बदलकर अच्छे निष्ठावान मण्डी सैक्रेटरी लगायेंगे। तो मुझे यह उम्मीद है कि हमारी अगले वर्ष मण्डी सचिवों के माध्यम से हमारी दुगनी प्रगति होगी और हम योजना के विकास में कार्य कर सकेंगे।

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम जो गोदाम की योजना बना रहे हैं उसमें काश्तकार का जो बाजार में शोषण

(श्रीमती कमला)

होता है उसको कम करने की उसका निराकरण करने की एक बड़ी भारी स्कीम है कि काश्तकार अपनी उपज लाकर गोदाम में रखें और वहां से पर्ची लेकर और उसका पैसा बैंक से भुगतान कर सकें। यह अपने आप में एक बड़ी आदर्श स्कीम होगी। जिसे राजस्थान सरकार कर सकेगी व जिसको शायद दूसरी सरकारें भी अपने हाथ में लेने का प्रयास करें। मैं सदन के सामने यह कहना चाहूंगी कि तमाम दिक्कतों और बरसात के बावजूद, गम्भीर अकाल की छाया को देखते हुए हम यह समझते हैं कि हमारे पास में जो बिजली है, जो भी पानी है, जो भी इनपुट्स हैं जितना भी मेनफोर्स है जितना भी उन सबका प्रयोग सम्भव होगा हम करेंगे। हम काश्तकारों को सजेस्ट करेंगे कि वह चना और सरसों दे और गेंहू लें इससे हम राज्य में अपना योगदान कर सकेंगे। इन बातों के लिये हम सतत प्रयत्नशील हैं। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों से कहूंगी कि वह इन मांगों को स्वीकार करें और इसके पक्ष में अपना मतदान करें।

श्री सभापति : चिकित्सा मंत्री जी।

श्री खेतसिंह राठोड़ : कोई हाजिर ही नहीं है, इसलिये इसको मान लीजिये।

मांग संख्या 37 व 26 का पारण

श्री सभापति : मान लिया जाये, कोई एतराज नहीं है। मुख बन्द का प्रयोग किया जाता है

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च 20,00,000 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को बीस लाख रुपये तक राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मुख बन्द कर दिया गया है। अब नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इस हाउस में नहीं थे। आपको कार्यवाही का पता नहीं है। उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं उपस्थित था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि ....

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : जवाब दिलवायें मंत्री महोदय से।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,45,00,000 रुपये (एक करोड़ पैंतालीस लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदया, सभापति महोदया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप गलत कह रहे हैं। मुख बन्द कर दिया गया है। आपको आपत्ति करनी थी तो उस समय करते।

(व्यवधान)

आप जरा परम्परा का ध्यान रखें।

प्रश्न यह है कि ...

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदया, आप अन-पार्लियामेंट्री बात कर रही हैं।

श्री सभापति : मेरी बात सुनें। मुख बन्द कर दिया गया है। अगर नियम के विरुद्ध होता है तो ...

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,14,30,000 (पांच करोड़ चौदह लाख तीस हजार रुपये) की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(व्यवधान)

(6.21-सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें। मुख बन्द का समय 7 बजे का था..

(व्यवधान)

लेकिन आप कृपया मेरा थोड़ा सा विनम्र निवेदन तो सुन लें...

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

व्यवस्था का प्रश्न

मुख बन्द प्रयोग एवं मांगों का पारण

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, निर्णय यह था कि 7-00 बजे मुख बन्द होगा।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। ऐसा है कि मुख बन्द का प्रयोग मैंने ऐसा अनाउन्स किया था, 7-00 बजे किया जायगा लेकिन मुख बन्द अगर चर्चा लम्बी हो जाय और उस वक्त तक चल जाय तो मुख बन्द कर यानि चर्चा सभी समाप्त करके मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत कर दी जाती हैं। मान लीजिये कोई चर्चा नहीं हो और किसी दिन 1-00 बजे ही चर्चा समाप्त हो जाय तो क्या फिर अपने को साढ़े चार बजे तक के लिये मुख बन्द के लिये ठहरना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : ठहरना पड़ेगा। मंत्री जी का जवाब तो आने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज। मैं मुख बन्द के बारे में .....

(व्यवधान)

मैं मुख बन्द के बारे में अपनी प्रक्रियाओं को देखूंगा कि क्या स्थिति बनती है। उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं उसके बाद में मंत्री जी के जवाब की भी बात करूंगा। आप तो सहमत है, विपक्ष के नेता महोदय भी सहमत हैं।

व्यवस्था का प्रश्न
कटौती प्रस्तावों पर मतदान

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सहमत नहीं हूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरी बात से सहमत हैं कि मुख बन्द की अपने आप में एक सेंक्टिटी होती है और मुख बन्द के बाद में हमेशा वोटिंग होता है। अपने यहां तो सिस्टम नहीं है

(व्यवधान)

लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में भी..

(व्यवधान)

मेरी सुन लीजिये, आपकी नालेज के के लिये बता रहा हूं। यह एक सिस्टम है। मेम्बर्स यदि हाउस से एबसेन्ट होते हैं और वोटिंग होता है तो उसके लिये समय निश्चित होता है। तीन-चार दिन में एक बार वोटिंग होता है और जिन मसलों पर वोटिंग होना है वे पहले से ही तय होते हैं, 7 दिन पहले प्रोग्राम में लिखे होते हैं कि अमुक दिन इतने बजे वोटिंग होगा। इसी प्रकार मुख बन्द के बाद अपनी पार्लियामेंट में...

(व्यवधान)

आपको नालेज नहीं है तो ...

एक माननीय सदस्य : आपको तो है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरो तो है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पार्लियामेंट में भी यह सिस्टम है। पार्लियामेंट में जो कहा जाता है कि इतने बजे वोटिंग होगा तो वे वोट के टाइम की सेंक्टिटी को मेन्टेन करते हैं। मुख बन्द के साथ वोटिंग है ..

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री): प्रश्न यह है कि यह वेक्यूम क्रियेट होगा क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वेक्यूम होगा।

(व्यवधान)

यह कोई शेरगढ़ का मामला नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : कृषि मंत्री जी ने अपना उत्तर समाप्त किया, उस समय नहीं थे आप...

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं यहां था।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय बोल रहे हैं ...

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां था।

श्री शिवचरण माथुर : चिकित्सा मंत्रीजी को पुकारा गया, इधर उधर देखा गया, किसी ने नहीं कहा...

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : खेत सिंह जी ने कहा ...

श्री शिवचरण माथुर : किसी ने नहीं कहा। आप नहीं थे। सही बात है, आप नहीं थे।

श्री दाऊ दयाल जोशी : कमला जी शपथ पूर्वक कह दें कि मैं यहां नहीं था। मैं रिजाइन कर जाऊंगा या वे रिजाइन कर जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठण्डे दिल से इस पर विचार करेंगे। सदन के नेता कुछ फर्मा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : विरोधी पक्ष के नेता महोदय की बात को स्वीकार करता हूं। उनके कहने में सेंक्टिटी है लेकिन यदि 6 बजकर 15 मिनट पर डिबेट खतम हो जाती है और उस समय के बाद में डिबेट की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं तो क्या वेक्यूम होगा? हाउस की ओपीनियन ले ली जाती है"।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वेक्यूम होगा। अध्यक्ष महोदय, जो वेक्यूम की बात कह रहे हैं, मैं नेता महोदय से पूछना चाहता हूं 6-00 बजे वोटिंग होगा। मैं आप से इजाजत लेकर जाता हूं और वोटिंग के टाइम पर यहां हाजिर होना चाहता हूं - 6-00 बजे हाजिर होना चाहता हूं और और 6-00 बजे वोट देना चाहता हूं तो साढ़े पांच बजे यदि आप वोट करा लें तो जो मुझे वोटिंग के राइट्स हैं उससे तो मैं महरूम रह गया। यह तय हो जाता है कि इतने बजे वोटिंग होगा फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है, विपक्ष के नेता महोदय, ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुर्भाग्य से यहां कोई समझता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं, अपने नियमों में तजवीज देखेंगे क्योंकि जिस वित्तीय मामले को तय करना होता है"।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निरंजन नाथ आचार्य और रामनिवास मिर्धा दोनों की रूलिंग निकलवा लें।

श्री अध्यक्ष : वह भी निकलवा लेंगे। इसमें ऐसा है, मैं निवेदन करता हूं वह समय ऐसा है कि मियाद मुकर्रर कर दी जाती है कि अमुक समय तक यदि चर्चा पूरी नहीं होती है तो सभी चर्चा समाप्त करके जितनी मांगें हैं वे मतदान के लिये रख दी जायंगी। लेकिन स्थिति ऐसी हो सकती है कि उस समय तक पंहुचे ही नहीं, क्योंकि माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि वोट इतने बजे होगा, यह कोई निश्चित नहीं है लेकिन उस दिन का काम उस दिन करवाना है इसलिये एक डेड लाइन दी हुई है कि साढ़े चार, साढ़े तीन बजे मुख बन्द का प्रयोग होगा लेकिन यह कोई बन्दिश नहीं है कि मुख बन्द का जो समय रखा गया है उससे पहले यदि कार्य सूची है, वह समाप्त हो जाय और सभी कार्य पूरे हो जायं तो मतदान के लिये इस मसले को नहीं रख सकते हैं। मैं समझता हूं ऐसा नियम, ऐसी परम्परा कभी हो नहीं सकती है। क्योंकि जो काम की जिस दिन आउटर लिमिट रखी हुई है---

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो इसी बात के ऊपर जिस पार्लियामेन्ट का आप चाहें, उसी पार्लियामेन्ट का रेफरेन्स निकाल कर देता हूं कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता है ।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : खैर, आज तो जो काम है, मुझे उसे कराने दीजिए । उसके बाद में हम देख लेंगे, कानूनी स्थिति क्या है, नियमों में स्थिति क्या है, दूसरे प्रश्न हैं (व्यवधान) उसके बाद आपके ही पॉइन्ट को डिस्पोज आफ कर देंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रश्न यह है कि 6 बजे जब डिबेट समाप्त हो गयी…

श्री यदुनाथ सिंह: 6 बजे नहीं सवा 6 बजे हुई है ।

श्री अध्यक्ष : सब कार्यवाही मुझे ध्यान में है, आप निवेदन करने दीजिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब पौने 6 बजे डिबेट समाप्त हो गयी, कोई बोलने वाला सामने नहीं, फिर 45 मिनट, यों ही बैठे रहे, हरि कीर्तन करते थे, उस वक्त में, आपसे कहा था बोलने के लिये और हम यहां बैठे रहे

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांति से फर्मायें आप, धीरे धीरे ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मुझे आपत्ति हो रही है, वह यह है, माननीय खेत सिंह, जैसे ही कमला जी ने अपना रिप्लाई दिया, माननीय खेतसिंह जी खड़े हुए और उन्होंने कहा मुखबन्द का प्रयोग कर लें और एकदम मुखबन्द का प्रयोग कर लिया । इसमें सदन की राय ली जानी चाहिए थी ।

श्री अध्यक्ष : मुझे याद पड़ता है कि नामांकवरिया जो उस वक्त

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : बिल्कुल नहीं हुआ ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : और उसके बाद में केवल कहा यहां पर उन्होंने कि--

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड की बात सोचेंगे…

श्री दाऊ दयाल जोशी : अब इसमें क्या आपत्ति है कि 5 मिनट बोल लें ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप चाहें तो दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने ये जो…

श्री हुना राम : आप यदुनाथ सिंह श्री दौड़ करके बाहर चले गये, हमसे मिल कर गये हैं आप । उसके बाद यहां पक्ष या ना पक्ष का कोई सदस्य ही नहीं था । उसके बाद जब…

श्री यदुनाथ सिंह : आपके पास आ गया । मैं बाहर एक मिनट के लिए नहीं गया ।

(164)

एक माननीय सदस्य : ज्यादा क्यों बोलते हो? आप मन्त्रिमण्डल में नहीं आयेंगे ।

श्री दुलाराम : ये हमारे पास थे ।

श्री यदुनाथ सिंह : हां मैं वहां पर बैठा था । तो सदन में बैठा था ।

श्री [illegible] लाल सैनी : आप ××× क्यों बोलते हो ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, मुझे सुन लीजिए । ऐसा है कि चूंकि मैंने कार्यवाही को सुना नहीं, चिकित्सा मंत्री का नाम पुकारा गया, उस के बाद में शायद कोई ऐसा प्रस्ताव आया कि अब मांगों को मतदान हेतु रख दिया जाय, उसके बाद में सदन की आम तौर से जैसे राय ली जाती है , राय ली, आप बोले नहीं, एक मांग जब पास हो गई, उसके बाद में आप बोले···

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि जो हमने पहले कहा उसको आपने स्वीकार नहीं किया, आपने यह कहा···

श्री अध्यक्ष : अब आप सुझाव दे दो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हमारी बात पर विश्वास ही नहीं करते, यहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि कंवरिया जी का नाम पुकारा, आपने मना कर दिया हमने यह कहा फिर आपको प्रोसीडिंग्स बतायी, आपने हां नहीं की ---

श्री अध्यक्ष : नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल यही बात है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हमारी बात का विश्वास नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष : नहीं बोला था मैंने सिर्फ इतना ही निवेदन किया···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह कहा कि कोई नाम नहीं लिया गया, मैंने सुना ।

श्री अध्यक्ष : मैंने ये कहा, कंवरिया जी का नाम लिया, वह तो मैंने कहा ।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : वस्तुस्थिति तो यह है, जोशी जी, विराजमान तो आप थे नहीं···

श्री अध्यक्ष : कंवरिया जी का नाम पुकारा गया····

श्री दाऊ दयाल जोशी×××

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप पधारो ।

भारतीय जनता पार्टी का बहिर्गमन

श्री राम रघुनाथ चौधरी : यह तो आपाधापी वाला मामला है । इन्होंने कहा कि मुख बन्द कर दिया जाय ।

×××शब्द एवं अभिव्यक्ति अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये जाने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : राम-राम जी।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों का पारण

श्री अध्यक्ष : कौन सी मांग से शुरू करें मांग तीन से शुरू करें दोबारा पूछ लेते हैं, जल्दी में हो रहा था काम।

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12000 (बारह हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,68,000 रुपये (इक्कीस लाख अड़सठ हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 6

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,39,30,000 (दो करोड़ उनचालीस लाख तीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के, लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8 राजस्व के संबंध में 81 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 70,000 रुपये (सत्तर हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,14,-30,000 रुपये (पांच करोड़ चौदह लाख तीस हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 आवास के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,35,00,000 रुपये (एक करोड़, पैंतीस लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 सड़कें और पुल के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 36,00,00,000 रुपये (छत्तीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-2 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 क्षेत्र विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,37,000 रुपये (एक लाख सैंतीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,08,00,000 रुपये (छः करोड़ आठ लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,14,87,000 रुपये (तीनकरोड़,चौदह लाख सित्यासी हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग सं. 27

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,10,70,000 रुपये सात करोड़ दश लाख सत्तर हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,,60,9000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,03,00,000 रुपये (दो करोड़ तीन लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है और ये अन्दर आ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: सदन में नियम इस तरह के हैं कि जब आसन पैरों पर हो तो माननीय सदस्यों को अन्दर नहीं आना चाहिए ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप तो रूल्स का पालन नहीं करते और हमको शिक्षा देते हैं ।

श्री हंसराज शर्मा : आप तो डोलते रहते हो और हमें शिक्षा देते हो ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,81,93,000 रुपये (पांच करोड़ इक्यासी लाख तिरानवें हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि 1981-82 वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,12,60,000 रुपये (चार करोड़ बारह लाख साठ हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,75,000 रुपये (तीन लाख पिचहत्तर हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध मे 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 47,80,000 रुपये (सैंतालीस लाख अस्सी हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 30,00,000 रुपये (तीस लाख रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,07,00,000 रुपये (एक करोड़ सात लाख रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,50,00,000 रुपये (छः करोड़ पचास लाख रुपयों) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 विद्युत के सम्बन्ध में 31, मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,00,00,000 रुपये (दस करोड़ रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

विधायी कार्य विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग विधेयक, 1981

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, श्री चन्दनमल बैद, प्रभारी मंत्री, राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग संख्या 3) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जब से माननीय शिवचरण जी माथुर नए मुख्य मंत्री आए हैं तभी से राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है, न तो योजनाओं के मामले में बहुत पिछड़ा है और पिछली सरकार तो बिलकुल ही अकर्मण्य थी और इनके आने के बाद, जब से माननीय मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, हाई कमान से सर्टिफिकेट पहाड़िया जी को दिला दिया कि अकर्मण्य सरकार थी, काम नहीं करती है, माथुर साहब को राज दिला दिया । नये मुख्य मंत्री माथुर साहब विराजे हैं, जब से आये हैं उन्होंने बातों में, अखबारों में, प्रेस में ...

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी हां ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह एप्रोप्रियेशन बिल पर है ? यह टूनिंग दी है तीन महीने में ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आप तो अनफन रहे हो । आप तो विराजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में चर्चा कर रहा हूं । राजस्थान की वित्तीय स्थिति के बारे में, राजस्थान की योजना के बारे में विचार करना जरूरी है । आज जगह जगह यह शुरू किया

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : ये क्यों खड़े हो गये ? क्या बात थी ? यह तो इन्ट्रोड्यूज ही नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : इंट्रोडक्शन की स्टेज पर आम तौर पर चर्चा होती है । प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1981 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मै राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1981 का पुर: स्थापित करता हूं ।

विधेयक पर विचार

अध्यक्ष महोदय ! मै प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन कर रहा था, जब से माननीय माथुर साहब मुख्य मंत्री बने इन्होंने निवेदन किया कि मैं योजना का बहुत बड़ा विशेषज्ञ हूं । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक-एक योजना देखें तो एक-एक एक घोषणा कोरी है और आंकड़ों पर आधारित नहीं है । योजना आयोग की किताब के अन्दर नहीं है । यह इस प्रकार यहां से गये अजमेर, अजमेर जाकर कह दिया बहुत बड़ा थर्मल प्लांट लगेगा । वहां से गये ब्यावर । ब्यावर जाकर कह दिया एडवर्ड मिल में पांच करोड़ का एक्सटेंशन होगा । वहां से गये भीलवाड़ा । भीलवाड़ा गये तो वहां कह दिया यहां स्पूनिलस प्लांट लगेगा । वहां से आगे पधारे बूंदी । विश्व का सबसे बड़ा सीमेन्ट कारखाना बून्दी में लगेगा । बून्दी से लेकर चित्तोड़ की लाइन पर आठ कारखाने लगेंगे । इसी वित्तीय वर्ष में घोषणा की है । इसके बाद पनाना के बारे में घोषणा की । 23 हाइडल प्लान्ट लगेंगे । 6 थर्मल प्लांट लगेंगे ।

(6–50 सायं)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की छठी पंचवर्षीय योजना कहीं में इसका प्रावधान मुख्य मंत्री बता दें । इनका एक ही उद्देश्य था, राजस्थान की जनता को यह बताने का कि पहाड़िया की सरकार निकम्मी थी, वह कुछ नहीं कर रही थी और मेरी सरकार के आने के बाद में काम देख रही है । इसी उद्देश्य से, इसी बात को ध्यान में रख कर इन्होंने प्रोपेगंडा प्रचार का तंत्र शुरू किया ।

सभापति महोदया, लेकिन सब जानते है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी के राज में हुआ है तो दो महीने के श्री माथुर साहब के राज में हुआ है । हमने इतना तो किया था, नाथपाझाकड़ी के लिये लड़ रहे थे । एडवोकेट जनरल की राय ले रहे थे । राय राजस्थान के पक्ष में थी । पहाड़िया जी ने थोड़ा कम किया । वह हिस्सेदारी भूल गये और 16 पर्सेन्ट बिजली पर आ गये । माथुर साहब के आने के बाद हिस्सेदारी गयी, 16 पर्सेन्ट बिजली गयी और दस पर्सेन्ट बिजली पर लाकर राजस्थान को खड़ा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर दिया। वह भी भिक्षा के रूप में, हिस्सेदारी के रूप में नहीं। माथुर साहब, दो महीने के काल में राजस्थान को पहली उपलब्धि आपने यह दी है। और आपके राज में क्या हुआ, आप मुझे बताने का कष्ट करें। सात करोड़ के 6 प्लान्ट लगेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना में कहां प्रावधान है। राजस्थान के खुद के सोर्सेज हैं उनको कैसे मोबलाइज करके लगा सकेंगे। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं। 23 हाइडल प्लांट की घोषणा की है, उनका छठी पंचवर्षीय योजना में कहां प्रावधान है? और राजस्थान के सोर्सेज मोबलाइज करके कहां से लगेंगे। मुझे बताने का कष्ट करें। विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य आपने कहा, भीलवाड़ा में न्यूक्लस प्लांट लगेगा। कहां से लायेंगे पानी इकट्ठा करने के लिये। मैं पूछना चाहता हूं आपने घोषणा की भीलवाड़ा में न्यूक्लस प्लांट लगेगा...

श्री शिवचरण माथुर : आप इतना समझ लीजिये, मैंने न्यूक्लस प्लांट नहीं कहा है। मैंने न्यूक्लिअर प्लांट की बात की कही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं सब समझता हूं।

(व्यवधान)

श्री नन्दनमल वैद : जमीन आसमान का अन्तर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन यह कर रहा था, "भीलवाड़ा में न्यूक्लिअर पावर प्लांट लगेगा।

श्री शिवचरण माथुर : न्यूक्लिस है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : न्यूक्लिअर यह दैनिक नवज्योति 3.9.81 में छपा है।

श्रीमती कमला : क्या करें हम?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : काटेंगे आप, हम नहीं काटेंगे। राजस्थान की जनता आप को काटेगी। आपके बनते ही घोटालों का राज शुरू हुआ है। मैं जानता हूं कि किन के समय में क्या क्या घोटाले हुए हैं और कल जब सदन की मेज पर आयेंगे, एक एक का स्पष्टीकरण किया जायेगा। आपने खण्डन नहीं किया। यह जो विभाग है जन सम्पर्क निदेशालय, इसका खण्डन करता। खण्डन नहीं किया। आज विधान सभा में आकर कह रहे हो न्यूक्लिअर प्लांट भीलवाड़ा में लगेगा। जिसकी आपने घोषणा की है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तीनों मिलकर 18 प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। 18 प्रोजेक्ट में राजस्थान को कोई हिस्सा देने की बात नहीं है। पार्वती और कौल की जो बात कह रहे हैं, बिलकुल की है, 2550 मेगावाट बिजली पैदा हुई है ऐसा प्रोजेक्ट वहां है पर यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान को 1200 ही मिलेगी। सभापति महोदया, सवाल यह नहीं है मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की थी, उसके पहले माननीय इंदिराजी ने यह प्रतिज्ञा करायी थी, हिमाचल और हरियाणा में आगामी चुनाव हो रहे हैं, वहां के प्रोजेक्ट पर आप नहीं बोलोगे इसलिये पहाड़िया जी ने घोषणा की थी कि नाथपाझाकड़ी पर हम सुप्रीम कोर्ट

(172)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

में जायेंगे । माननीय माथुर साहब उससे मुकर गये, यह नहीं करना चाहिये । राजस्थान की जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात दूसरा नहीं हो सकता । अगर नहीं है विश्वासघात मैं निवेदन करना चाहता हूं, जाइये सुप्रीम कोर्ट में नाथपा-झाकड़ी पर । सदन के अन्दर कहा था क्यों नहीं जाते । दस पर्सेन्ट हिस्से को मानकर चुप बैठे हैं । जाइये, इसके साथ आप राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, राजस्थान के हितों को देखने की बात कह करके बने हैं । जाइये नाथपाझाकड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जायेंगे क्योंकि हिमाचल और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के कारण से राजस्थान के हितों को बेचा जा रहा है इस प्रकार का काम करके...

एक माननीय सदस्य : आप किस पर बोल रहे हो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप पर बोल रहा हूं आपकी सरकार पर बोल रहा हूं जो राजस्थान के हितों को बेच रही है । उस सरकार पर बोल रहा हूं जिसने आपको मंत्री नहीं बनाया । जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, कोहराम मचा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : xxx

श्री छोगाराम बाकोलिया । आप क्या बात कर रहे हैं । आपने जनता पार्टी के राज में क्या किया था । राजस्थान को डुबो कर चले गये । अभी आप बोल रहे हो कि हमारी सरकार क्या कर रही है ।

एक माननीय सदस्य : xxx

एक माननीय सदस्य xxx

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरा जो सबसे बड़ा राजस्थान के साथ धोखा किया है, वह मध्य प्रदेश जाकर वहां के मुख्य मंत्री से बात की है । उस बात के आधार पर राजस्थान का सर्वनाश किया है । आज राजस्थान को पानी और बिजली के लिये तड़फना पड़ेगा । सतपुड़ा की बात करके आये । मध्य प्रदेश और गुजरात में समझौता हुआ है इनकी देख रेख में उस समझौते की प्रति सदन के पटल पर रखी जाये । स्वदेशी और वहां जो 12 महीने चलती है मध्य प्रदेश के ...

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सतपुड़ा के लिये जिम्मेदार तो आप लोग हो । आप लोगों ने तीन साल में सड़ा कर रख दिया । इस सतपुड़ा के मामले को निपटाया नहीं और हमारे हाथ में डालकर आप जिम्मेदार ठहराते हो ।

---

xxx अभिव्यक्तियां अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गईं ।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : तुम्हारे हाथ कब से आने लग गये । चोला बदलते ही ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं, तो आपके साथ कब था ? आप अपनी हेराफेरी दूसरों के जिम्मे डालते हो । सतपुड़ा की बिजली का जो.......

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : और कितनी बार बदलोगे ?

एक माननीय सदस्य : आप अपने संभलने संभल गये होंगे ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इनको काम करने दीजिये ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री हंसराज शर्मा : हम तो हैं । आप लोग नहीं बन सकते । और बनेंगी भी नहीं, भविष्य में भी नहीं बनेगी ।

श्री दाऊदयाल जोशी: आपकी और मेरी लाबी में बात हुई है शिवचरण जी के खिलाफ उस आधार पर ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी में हिमाचल प्रदेश और जो अगर दम होता, तो जो हिमाचल प्रदेश पोंग बांध पार्वती का है राजस्थान की विधान सभा"

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : श्री चतुर्वेदी जी ने ढाई साल में कितने समझौते किये हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण हुडी : क्या समाप्त करें। साहब ये तो भरे पड़े हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इतनी xxx क्यों बोलते हो । जिस बात के लिये जिम्मेदार हो उस बात के लिये चुप रहना चाहिये ।

श्री रामनारायण हुडी : इन्होंने एक मेगावाट बिजली भी एक्स्ट्रा पैदा नहीं की ।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान को बिजली के मामले में चतुर्वेदी जी ने 20 साल पीछे कर दिया और अबxxx नये माननीय सदस्य से भाषण करवा रहे हैं आप बोल नहीं रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ऊर्जा मंत्री जी बता दें कितनी आर.ए.सी.स्कीम""

(व्यवस्था सूचक घंटी)

---

xxx अभिव्यक्तियां अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

Page No 176

(174)

एक माननीय सदस्य : उसकी पूर्ति कर रहे हैं और बढ़ेंगे ही हम आगे...

श्री सूरजपाल सिंह : कितनी 132 के.वी. लाइन बनायीं और कितनी 30 के.वी. बनायीं, कौनसी...

एक माननीय सदस्य : आपके तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बिजली मंत्री को हैंड कफ लगा रखी थी जो चेयर मैन बने थे, हो क्या नाम उनकी मर्जी से कामकाज होता था...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर थोड़ी सी राजस्थान के हितों की बात होती तो माननीय मुख्य मंत्री जी जो रोज अखबारों में हवाई महल बनाते हैं पोंग बांध के विस्थापितों के संबंध में, राजस्थान के हितों की बात होती, राजस्थान विधान सभा में आतीं तो स्टेटमेंट देते लेकिन स्टेटमेंट देने की हिम्मत नहीं हुई। इस समझौते के आधार पर उन्होंने इतना ही कहा कि पोंग बांध के विस्थापितों को राजस्थान में जमीन मिलेगी और पार्वती योजना में 10 साल के अन्दर हमको हरियाणा सरकार 40 प्रतिशत बिजली देगी। उसमें जो हमारे राइट्स थे इंडस्ट्रियल सेंक्टिटी के आधार पर हमारे राइट्स थे वह राइट खत्म कर दिये। अब राइट के नाम पर हम बोल नहीं सकते। यह समझौता मैंने आपके सामने निवेदन किया है, सभापति महोदया, यही नहीं उसके अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से बात की और जो सारा का सारा बिल दिया उसमें राजस्थान का जो ओवर ड्राफ्ट का पैसा था उस ओवर ड्राफ्ट को चुकाने के लिये और यह दिखाने के लिये कि राजस्थान की सरकार ने अपना पानी का हिस्सा छोड़ा और दोनों जगह ओवर ड्राफ्ट कम कर दिया, राजस्थान के एश्वांस का पैसा वहां जमा करवाया गया और सारी योजना, सारी बात धरी रह गई। फिर चलाना की बात कर रहे हैं। चलाना के लिये कहां स्वीकृति हुई है? कौन सी धारा में यह योजना है, कितने रुपये का प्रावधान किया गया है यह बताइये। राजस्थान की नहर के लिये कितना कोयला मिलने वाला थी? इस सेशन में जवाब दिया गया कि जितनी रेट तय की गई थी उतने 6 रोज बाद में और भी कम हो गई और पिछले दो महीने में यह और भी कम हो गई है। इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि पिछले दो महीने में भाषणों के हवाई महल और हवाई किले बनाये गये हैं और राजस्थान के हितों को छोड़ दिया गया है, और इसलिये छोड़ दिया गया है कि हरियाणा और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं इसलिये उन चुनावों को ध्यान में रख कर इस अण्डर टेकिंग के साथ मुख्य मंत्री जी को भेजा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हितों की बली चढ़ा कर माथुर साहब ने यह पद ग्रहण किया जो ज्यादा नहीं चलने देंगे। आप में अगर थोड़ा बहुत साहस है तो पार्वती चोल और पोंग बांध पर जो कुछ किया, मध्य प्रदेश में जो कुछ आपने किया उनका विवरण सदन के पटल पर रखें और नाथपा आंकड़ों के बारे में जो कुछ किया है वह इस सदन के पटल पर रखें तब तो मानेंगे कि क्या किया नहीं तो यह बात बिल्कुल सही है कि आप इस अण्डरटेकिंग के साथ

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्री से मिल कर आये कि राजस्थान सुप्रीम कोर्ट में नहीं जायेगा। यह बात की गई है ...

श्री परसराम मदेरणा : कौन से सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? आज आपने प्रश्न पूछा था उसमें हमने उत्तर दिया है। नहीं, नहीं जवाब आया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे जवाब मिला नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : वही जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने पूछा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसका जवाब नहीं मिला है मुझे।

श्री परसराम मदेरणा : मेम्बर्स को भेजा है निश्चित तौर से उत्तर मिलेगा इनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह निवेदन कर रहा था ...

श्री परसराम मदेरणा : आपका जो एप्रीहेंशन है, मैं वहां बैठता था यहां बैठा हूं एक ही बात कहूंगा, आपका जो प्रश्न था उसका मैंने उत्तर दिया है। आपकी जो भी शंकाएं और आशंकाएं है उनका समाधान और निराकरण करने की कोशिश की है। जो आप सोचते हैं कि हमने इस प्रकार की कोई अण्डरटेकिंग दे दी कि हम जायेंगे ही नहीं। यह बात आपने पूछी है प्रश्न में और मैंने इसका उत्तर दिया है कि हमने इस प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : यह पहले ही नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह जो समझौता हुआ पार्वती कोल और नायपा खाकड़ी के मामले में और माननीय मुख्य मंत्री जो मध्य प्रदेश में जाकर आये और जो बातचीत हुई इन सारी बातों की यहां चर्चा कर ली जाय ताकि मामला क्लियर हो जाय।

श्री परसराम मदेरणा : अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, सहमति हुई है। It is an understanding. It is not an agreement.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अण्डरस्टेंडिंग के बारे में कहते तो क्या डिफिकल्टी थी।

श्री परसराम मदेरणा : आपका प्रश्न ही नहीं आया तो मेरी तो गलती नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरी मुद्दे की बात सुनिये। इन्होंने अनेकों बार कहा है कि, दाऊदयाल जी, नायपा-खाकड़ी के मामले में जब तक यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जायेगी तब तक राजस्थान के हित सुरक्षित नहीं होंगे। यह अनेकों बार अनौपचारिक रूप से भंवरलालजी के सामने और दाऊदयाल के सामने बात हुई है और मैं समझता हूं आज नहीं जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होगी।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नाथपा झाकड़ी में हमारे हित असुरक्षित है इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूं, आज मुख्य मंत्री पद पर आने के बाद वह जो स्टेटमेंट था नाथपा-झाकड़ी का आज अगर भूल गये तो बात दूसरी है वरना मुझे तो ध्यान है आपने ही कहा था"

श्री शिवचरण माथुर : जोशी जी, आपको तो प्रशंसा करनी चाहिये हमने जो कुछ किया, जो मेमोरेण्डम दिया है उसमें जो हमारे राइट्स हैं उनको कहीं प्रिजुडिस नहीं किया है, हमने क्लोज रखा है उसमें कि हमारे राइट कहीं प्रिजुडिस नहीं होंगे और हमारे जो अधिकार होंगे वे वापस लेंगे। एक बात तो यह है। इसके अलावा नाथपा-झाकड़ी के अलावा दो चीजें और हैं जो मेमोरेण्डम में कहीं भी नहीं थीं, किसी प्लान में नहीं थी और, माननीय तिवाड़ी जी, योजना का जब प्रारूप बनता है, प्लान बनता है तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि पार्वती की योजना पहली, दूसरी नहीं बल्कि तीसरी योजना में शामिल हो गई तो आज अगर मान लीजिये कोई अण्डरस्टेंडिंग कर लेते हैं या कोई समझौता करके कोई रास्ता क्लियर कर लेते हैं तो राजस्थान के हित कहां सरेण्डर किये। पहले तो यह कौन योजना के बारे में बताऊं कि नाथपा-झाकड़ी योजना का टेक्निकल स्वरूप आप देखें तो उसमें जो पानी चलता रहेगा, तो जब बहुत पानी चलेगा तो एक हजार मेगावाट बिजली पैदा होगी और जब पानी कम चलेगा तो 300 मेगावाट बिजली पैदा होगी। लेकिन आपको यह जान कर खुशी होगी कि कौन जिसमें 600 मेगावाट हमारा आधा हिस्सा तय किया है उसमें बराबर साल भर तक बिजली मिलेगी और पार्वती बड़ी यह योजना है आज हिमाचल की, कुल मिला कर 12,257 मेगावाट क्षमता है, पोटेंशियल है उसमें तीन साढ़े तीन हजार मेगावाट एक्सप्लाइटेड है बाकी सारे अनएक्स प्लाइटेड पोटेंशियल है। तो सबसे बड़ी योजना पार्वती है। जो 18,000 मेगावाट की है उसमें अगर समझौता कर लेते हैं और वह 10-12 साल में भी आये तो राजस्थान के हित बन जाते हैं तो इसमें कहां एतराज हो गया और कहां मैं नहीं समझता हूं हमने राजस्थान के हितों को छोड़ दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप बाहर तो प्रशंसा करते हैं लेकिन सदन में पता नहीं आपको क्या हो जाता है। बाहर तो आप कहते हैं कि अच्छी योजना बनाई है, दुनिया तारीफ कर रही है सब कह रहे हैं कि हमने कोई हवा में बात नहीं कही है। मुझे आश्चर्य होता है कि आप न्यूक्लियस में न्यूक्लियर में फर्क नहीं समझते। मेरी बात सुनिये। हमने कभी न्यूक्लियस प्लाण्ट की बात नहीं कही। न्यूक्लियस प्लाण्ट का मतलब यह होता है कि एक बड़ी इंडस्ट्री जिसको मदर इंडस्ट्री कहते हैं, एक बड़ा प्लाण्ट जिसको हेडक्वार्टर पर लगाया जायेगा उसको न्यूक्लियस प्लाण्ट कहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मैं समझता हूं, साहब।

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये, मेरी बात सुनिये। मेहरबानी करके सुनिये। मैं यह कह रहा हूं कि एक बड़ी इंडस्ट्री लगाई जायेगी जो केवल भीलवाड़ा में

(श्री शिवचरण माथुर)

हा नहीं बल्कि पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर, देहातों में लगाई जायेगी। और ऐसी एक नहीं चार जगह हमने चुनी हैं। पहले जोधपुर में न्यूक्लियस प्लाण्ट लगाने की बात है और तीन जगह और चुनी हैं भारत सरकार के उद्योग विभाग ने उसमें भीलवाड़ा, चूरू और नागौर हैं न तीन जगह और हैं जहां न्यूक्लियस प्लाण्ट लगने का मतलब है-एन.यू.सी.एल.ई.यू.एस।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: इसका खण्डन कहां आया ?

श्री शिवचरण माथुर : तो मैं क्या करूं। खण्डन आज यहां विधान सभा में कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिये एक बड़ा उद्योग इन जिलों के हैडक्वार्टर पर लगाया जायेगा और एंसीलियरी इंडस्ट्रीज साथ-साथ लगेगी। इसके लिये टास्क फोर्स बना दी गई है और जोधपुर की टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है और वहां कुछ आइडेंटिफाइड पाइन्ट आफ व्यू कर लिये जायेंगे। भीलवाड़ा, चूरू और नागौर के लिये जो इंडस्ट्रियली बैकवार्ड एरिया हैं और अलवर में इंडस्ट्रिलाइजेशन हो चुका था, जयपुर में भी हो चुका और उसके बाद चार जिले हैं। भारत सरकार ने अपनी योजना के आधार पर चार जिलों को चुना है जिसमें भीलवाड़ा जिला एक है जहां न्यूक्लिअर प्लाण्ट नहीं न्यूक्लियस प्लाण्ट यानी मदर इंडस्ट्री वर्ड है। मेहरबानी करके मेरी बात समझ लीजिये। और जगह छोटे छोटे 6-7 मेगावाट प्लाण्ट की बात कही वह भी भारत सरकार को हमने कहा है। • मेरी बात सुनिये। हम आपको बतायेंगे कि वे सारे प्लाण्ट कहां होंगे और इसमें क्या प्रोविजन होगा, इसमें जरूरी नहीं है। प्लान में प्रोविजन नहीं हो तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ा कर बीच में प्रोविजन कर सकते हैं। इसलिये यह योजना के, प्लान के तरीके को समझिये फिर इस सदन में आकर विद्वत्तापूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहिये। मुझे अफसोस है कि सही दृष्टिकोण से न समझ कर आपने तथ्यों को तो मरोड़ कर रखने की चेष्टा की है। मैंने जो कुछ कहा है बहुत गंभीरता से, सोच समझ कर भारत सरकार के सारे पहलुओं को इन्वाल्व करके बहुत जिम्मेदारी से कहा है। यह सरकार यह जिम्मेदारी निभाने के लिये कटिबद्ध है। आपको प्रशंसा करनी चाहिये। इसको आप मजाक कर रहे हैं-यह समझ में नहीं आता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने विरोधी दल के नेता महोदय से निवेदन किया है इस पर बहस में कोई सार नहीं है। आप आप कृपा कर दें। ज्यादा हठ नहीं पकड़े।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब तो सदन मूड में आया है। उस वक्त तो था नहीं। थोड़ी चर्चा करूंगा...

श्री चन्दनमल बैद : कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज नहीं था। आप नहीं खोल सके। हमने खोल दिया। उसके लिये एक

(श्री चन्दनमल वैद)

शब्द, जरा सा समझदारी का नहीं कह सके। दुःख तो इस बात का है। तीन साल में आप नहीं खोल पाये और हमने खोल दिया"

श्री भैरोसिंह शेखावत : मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे फैसले को आपने इम्पलीमेन्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ''''माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक (संख्या 3) सदन के सामने इस समय है। नये माननीय मुख्य मंत्री जी ने आने के पश्चात् काफी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं का मैं स्वागत करता हूं किन्तु क्रियान्वयन के बारे में, मन में, कई प्रकार की शंकाएं पैदा हो रही हैं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि बीस संकल्प की पुस्तिका मुख्य मंत्रीजी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बांटी गयी है। इस पर, जेनरेशन का सवाल आया। कई इस प्रकार की योजनाएं हैं, उनकी चर्चा सदन के नेता महोदय सदन में अभी कर रहे थे। एक ही बात कहना चाहता हूं कि कोटा का थर्मल प्रोजेक्ट प्लान आपके सामने है। 1980 मार्च था वह हट कर 1981 मार्च हुआ, फिर 1982 का मार्च आ गया। बड़ी प्रसन्नता थी कि एक बार डर लग गया। इसका भी बीस सूत्र में नाम दे दिया। कोई पत्रकार कम्पेन शुरू कर दे। फिर चर्चा चल जाये कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री के लिये कम्पेन शुरू हो गया। वह मनमत थी कि इन सूत्रों को बदल कर संकल्प कर दिया। इसमें एक संकल्प है पावर के जेनरेशन के लिये थर्मल प्रोजेक्ट के लिये 18 करोड़ रुपया इस वर्ष खर्च करने की सरकार की मंशा है। जो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट हमारे सामने आई है। मुझे डर इसलिये था, अभी थोड़ी देर पहले सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट हम पास कर चुके हैं, 48वीं जो मांग है उसमें केवल मांगा गया है 10 करोड़ रुपया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये। मैं कहना चाहता हूं कि मंशा क्या है? घोषणाएं, भाषण नित्य नये नये स्थान पर हो रहे हैं। 18 करोड़ रुपये देने की मन की इच्छा, इसका प्रकटीकरण इन सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट में आया है। कितना समय मार्च 1982 तक है? सितम्बर चल रहा है, चार-पांच महीने हैं? अगर इस समय ग्रान्ट नहीं करेंगे तो क्या बनेगा थर्मल प्रोजेक्ट का। जेनरेशन की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं आप इस चुनौती को स्वीकार करें। मार्च से जून चला गया। आप जोर लगा लीजिये, आप 18 करोड़ की व्यवस्था कर दीजिये, किन्तु इम्पलीमेन्टेशन मार्च तक नहीं कर सकते। जून तक पहुंच गया है। जब मार्च आयेगा तब मुख्य मंत्री जी मेरी बात को याद करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, वह जून आकर के अगला सितम्बर अक्टूबर, नवम्बर हो जायेगा। यह शब्द मैं आपके दोहराना चाहूंगा उस समय। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, जेनरेशन की बात कहो। कौन लाया थर्मल? यह कांग्रेस सरकार लाई? इस

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तरह लटका कर थर्मल बनाने का श्रेय आपने लिया है...

श्री खेत सिंह राठौड़ : क्या आपको सबोटेज करने की योजना है ? प्लान है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप घोषणाएं कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसे बैठे हैं सरकार में वे ही सेबोटेज करने के लिये बहुत हैं ।......

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, असली बात यह है कि कान्ट्रेक्ट दे दिया है आर. एस. एस. की फर्म को रामपुरा इन्जीनियरिंग वर्क्स को, जो लाला हंसराज की फर्म है । इसलिये काम पूरा होगा तो कैसे होगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप सरकार चला रहे हैं । राज्य मंत्री महोदय शायद मुख्य मंत्रीजी को ×××कर के केबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं । डेढ़ वर्ष से आप सरकार चला रहे हैं ..

श्री चन्दनमल बैद : वह तो बनेंगे ही।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ...आपको अगर ऐसा लगता है तो आप हटाइये इस फर्म को । किस ने रोका है । मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी तारीख दे रहे हैं । राज्य मंत्री महोदय को मैं निवेदन करूंगा कि मैं इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की चर्चा कर रहा हूं । Thermal Project is a must. जैसी संकल्प में घोषणा की है वह होनी चाहिए । मैं स्वागत करता हूं आपकी घोषणा का परन्तु इस संकल्प के पूरे होने में कठिनाइयां हैं । मैंने तिथियां दी हैं आपके सामने । आपका अनुभव है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट हो गई है कोई बात नहीं है । आपने 18 करोड़ की ग्रान्ट कर दी ताकि यह काम एक्सपिडाइट हो जाय । थर्मल का काम शुरू हो गया ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस जेनरेशन की बात करते समय बड़ी चर्चा की गई है, आपके तत्कालीन मंत्री ने क्या किया। इन्होंने यह जेनरेशन क्या एक दिन में लगा दिया । कौन आया थर्मल प्रोजेक्ट की योजना को ? कौन पीछे पड़ा इसके ? किस ने प्रारंभ की ? किसने सारा प्लान 15 दिन, एक महीने पीछे पड़ कर किया ? मैं यह पूछना चाहता हूं । इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि केवल मात्र शब्दों से बात करके जाते नहीं । कौन और पार्वती के समझौते की बड़ी चर्चा की गई है । मैं नहीं कहना चाहता हूं । फिर भी एक बात कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी ने जवाब देते समय बताया कि नाथपा झाकड़ी से बिजली थोड़ी-सी मिलेगी । हमने जो यह समझौता किया है उसमें बहुत ज्यादा मिलेगी । कब मिलेगी ? अभी दो स्टेट्स हैं । कौनसी स्टेट कब टपक पड़ेगी । कौनसी स्टेट पर दबाव पड़ेगा । कोई कोर्ट में जाने की बात है। अभी बहुत दिन बाकी है । अभी तो शुरूआत की है । बातचीत की है । आपको धन्यवाद है । मेरा आपने कहा, नाथपा-झाकड़ी से थोड़ी सी बिजली मिलेगी । नाथपा-झाकड़ी

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

को बिजली की क्वान्टिटी इतना इम्पार्टेन्ट नहीं है। इसके पाछे प्रयोजन इम्पोर्टेन्ट है। हम एक समझौते में बंधे हैं। हमने समझौता किया है। हम इस प्रकार के स्टेट्स में आते हैं जो सिन्ध की सारी बहने वाली नदियां हैं, उनमें हम पार्टनरशिप रखते हैं। अगर वह पार्टनरशिप फेल हो गई तो फेल हो गये। इसका जवाब देंगे कि आप पार्टनरशिप में फेल हो गये। थोड़ी-सी बिजली मिलेगी, इतनी-सी मिलती है, यह थोड़ी का प्रश्न नहीं है। यह मिलने का प्रश्न है। अगर पार्टनरशिप नहीं रही तो सिन्ध क्षेत्र से निकलने वाली सारी नदियों से बिजली मिलेगी, उस भागीदारी से हम अलग हो जायेंगे? इसलिये यह सवाल प्रिन्सीपल का है। यह सवाल उद्देश्य प्राप्ति का है। नाथपा-झाकड़ी से 300-400 मेगावाट ही मिले, यह विषय नहीं है। यह विषय इस प्रकार का है कि नदियों में बंटने वाले बंटवारे को"

श्री चन्दनमल बैद : आपने नाथपा-झाकड़ी पर क्या नोट लिखा था, यह आप बता दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप ही बता दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : आपने कहा था कि इसको सैन्टर ले ले क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। यह आपने कहा था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हमने यह मूव किया था, अगर केन्द्रीय सरकार के साथ बैठकर के चर्चा करने के पश्चात यह समझौता नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जायेंगे। तत्कालीन मुख्य मंत्री बैठे हैं। मैं गया था। बिजली मंत्री था। हम गए थे वहां। हमने चर्चा की थी। मैं आपसे इसलिये निवेदन करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने.....

श्री चन्दन मल बैद : आप तो हक छोड़ कर आये थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नाथपा झाकड़ी का इश्यू खड़ा कर दिया। नाथपा झाकड़ी का इश्यू......

श्री परसराम मदेरणा : आप यह कमिट करके आये थे कि हम भागीदारी छोड़ते हैं। सेन्ट्रल सैक्टर में इसका एक्जीक्यूशन होना चाहिये। यह कह कर आप आये हैं। मैं प्रोसिडिंग्स बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय जिन जिन प्रोसिडिंग्स की चर्चा कर रहे हैं वह प्रोसिडिंग्स भी मेरे पास है। राजस्थान के इरिगेशन और पावर मिनिस्टर थे, हिमाचल के थे, पंजाब के थे और सेंटर के आफिसर्स और मिनिस्टर थे। उस समय यह प्रश्न आया कि जितने इस प्रकार के डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स का किसी प्रकार काम शुरू हो जाये। इन सब पर विवाद हो रहा है। इसमें एक प्रश्न यह आया कि कन्सट्रक्शन का काम शुरू कराया जाय और उनकी मोडलिटी बाद में तय कर दी जाये। पुनः अगर मोडलिटी तय किये बिना कन्सट्रक्शन शुरू करते हे तो उसमें झगड़े होंगे। तो उसमें हमारी तरफ से सुझाव था कि कन्सट्रक्शन का काम केन्द्र सरकार चालू कर दे और उसकी मोडलिटी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बाद में तय हो जायेगी। उसको सारे मिनिस्टरों ने मान लिया था, एक नहीं सबने माना था इसको ...

श्री शिवचरण माथुर : अभी सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि हमारे लीगल राइट को फोर-गो करने वाली बात किसने की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी बता दूं। हमने अपने राईट नहीं खोये हैं ...

श्री शिवचरण माथुर : हमने भी नहीं खोये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो खो आये हैं। और मैं जानता हूं कि कैसे खो आये हैं ...

श्री शिवचरण माथुर : आप तो कह दें, बतायें with out prejudice to our rights...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात बता दूं कि आप बड़े जोश के साथ समझौता करके आये हैं और आप यह समझ रहे हैं कि आपने पार्वती का समझौता करके ढाई हजार मेगावाट बिजली में 50 प्रतिशत लेने की बात की है। इसके इम्पलीकेशन्स तो मैं इस समय बताना नहीं चाहूंगा। हमारी तरह से एडजोर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन दिया हुआ है उसके ऊपर आप भी पूरी तरह से जानकारी दें और हम भी बतायेंगे कि उसके इम्पलीकेशन्स क्या होंगे। इम्पलीकेशन्स में राजस्थान की तबाही होगी यह जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर दस्तखत करके आये हैं आप यह हिमाचल प्रदेश को हथियार देकर आये हैं। हिमाचल ने बात शुरू कर दी है, हरियाणा से कहेगा कि आप फिफ्टी पर्सेन्ट खर्चा देने को तैयार हैं और फिफ्टी पर्सेन्ट बिजली लेने को तैयार हैं और दूसरी स्टेट्स से कहेगा, 60 पर्सेन्ट खर्चा और 40 पर्सेन्ट बिजली लेने की बात करो तो हमसे बात करो। यह ट्रेन्ड रहा है उनका हमेशा से। उनका सीधा मतलब यह है कि राजस्थान के जो राइट हैं उस राइट को नाथपा-झाकड़ी पर खतम कर दें। इसके बाद इन नदियों में जहां जहां भी उत्पादन होगा राजस्थान की छुट्टी कर दे। लेकिन इसके संबंध में मैं आपसे, मुख्य मंत्री जी, निवेदन करना चाहूंगा कि आप जैसा कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है इस अचीवमेंट के बारे में आप सदन को जानकारी दें। हमें भी घंटा आधा घंटा कुछ कहने का मौका मिले तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री परसराम मदेरणा : कोल पार्वती ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सब है आप जो करके आये हैं उसकी भी कॉपी है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या करके आये हैं हम ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोधपुर हाउस में जो दस्तखत करके आये हैं उसकी भी कॉपी है मेरे पास।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें क्या है। मैं पहले ही उसकी कोपी आपको दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दीजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : उस कॉपी में क्या है, वह तो हम आपको वैसे ही दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर दे दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे पहले मालूम है कि आप कापी तो कहीं न कहीं से कबाड़ ही लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

मैं कोशिश नहीं करूंगा, आप दे दीजिये ।

श्री चन्दनमल बैद : इस काम में आप किसी से दो नम्बर नहीं है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति कोटा में महोदय, मैं कुछ लॉ एण्ड आर्डर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की क्या स्थिति है । लगातार सवाल स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से आते रहे हैं । मैं कोटा से विधायक हूं, मैं कोटा के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, कि आज का मसला क्या है. 5 केस हो गये हैं, पत्थर मार कर आदमियों को लूट लिया जाता है, पिस्तोल नहीं चलायी जाती है, गोलियां नहीं चलायी जाती है, बंदूक नहीं चलायी जाती है और पत्थर मार कर लोगों को लूट लिया गया, कोटा से सात किलोमीटर दूर, कोटा से आठ किलोमीटर दूर, रावत भाटा रोड पर, कोटा डेम रोड पर एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। इतना ही नहीं आज स्थिति यह बन गयी है जिसकी सारे कोटा में चर्चा हो रही है, पत्रकारों के साथ जो हो रहा है। राजस्थान पत्रिका कोटा के सम्पादक के साथ जिस प्रकार की घटना कोटा में हुई । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार चला रहे या क्या चला रहे हैं । क्या बलात्कार, क्या चोरी, क्या डकैती, क्या पत्थर मार कर लोगों को मारना हो, चाहे पुलिस कस्टडी में मारने की शिकायत हो, इतनी खराब है लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति, वह आज सब प्रकार से चकनाचूर हो गयी है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय बिजली मंत्रीजी, आपने भाषण में चर्चा की कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है, राजस्थान के अच्छे काम को दिया है पर य उसने 78-79 के इलेक्ट्रिफिकेशन को देखकर दिया है । मैंने विधान सभा में कोट किया था कि 78-79 में जो इस प्रकार का अच्छा काम हुआ है याने कि 2300 गांवों को बिजली दी गयी ।

श्री परसराम मदेरणा : 78-79 कुछ नहीं है । रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड ने रिपोर्ट दी है उसमें 75 से दिया है । हां मैं बताऊंगा कि से मैं कह रहा हूं तो बताऊंगा । 75 से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोग्रेस हुयी है उसमें राजस्थान की प्रोग्रेस अच्छी हुयी है दूसरे स्टेट के मुकाबले नार्दन इण्डिया के अन्दर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 78-79 की चर्चा कर रहा था मैंने 2300 गांवों के इलेक्ट्रिफाइड होने की बात कही। 29 हजार कुओं के इलेक्ट्रिफाइड होने की बात कही उस समय राजस्थान स्टेट फर्स्ट नम्बर पर थी नर्दन इण्डिया में नहीं सारे भारत वर्ष के राज्यों में ।

श्री केसरीसिंह राठौड़ : तभी तो उधर जाकर बैठे हो ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह दूसरी बात है। सुनने की हिम्मत करिये।

एक माननीय सदस्य : कभी लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं कभी बिजली की बात करते हैं··

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : लाइन लम्बी लम्बी कर दी, सब स्टेशन एक कर दिये। वह सब 19 हजार रो रहे हैं आपकी रोंग प्लानिंग के कारण।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रो तो आपको रहे हैं। आप उनको बिजली नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज :

एक माननीय सदस्य : यह समझना आपके बूते के बाहर है। आप बैठ जाये।

श्री सूरजपाल सिंह : रोंग प्लानिंग के कारण रो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: आप बैठ जाइये अपने स्थान पर।

श्री सूरजपालसिंह : 132 के.वी. की कितनी लाइन आपने डाली हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सूरजपालसिंह : खम्भे खड़े कर दिये, लम्बी लम्बी लाइनें डाल दी···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं बार बार निवेदन कर रही हूं, आपका ध्यान नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री सूरजपाल सिंह : इसका रिजल्ट यह निकला कि····

एक माननीय सदस्य : इनको बाहर निकलवाइये आप।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। आप जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं दोनों तरफ के सदस्यों से निवेदन करती हूं कि व्यवधान न डालें, विवाद चालू रहने दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बढ़ते भाव बढ़ती हुयी महंगाई जैसी स्थिति देश प्रदेश की बनी हुयी है, गेहूं के भाव लगातार चढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई वितरण की व्यवस्था दुरस्त तो करें ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य सीट से कमेंटस नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इससे अधिक परेशानी की बात क्या हो सकती है कि गरीब किसान अपने बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता है। कंट्रोल की दुकानों से गेहूं नहीं मिल रहा है। आता है तो दो दिन के लिये दर्शन देकर रह जाता है। और उस समय मंत्री जवाब देते हैं कि राशनिंग नहीं है। राशनिंग नहीं है तो सरकार गरीब लोगों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की व्यवस्था नहीं करेगी, यह कह कर इस चेप्टर को क्लोज करेगी। सरकार को उनको मुहय्या कराने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी वितरण व्यवस्था धीरे धीरे खराब बनती जा रही है और नुकसान हो रहा है किसानों को, परेशान हो रहा है मजदूर वर्ग विशेषकर शहर का जो यह हो रहा है इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वितरण व्यवस्था को ठीक करें। एक बात और कहूंगा कि नगरपालिका चुनावों ...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : गेहूं तो है ही नहीं वितरण कहां से करें।

श्री सभापति : आप जवाब दे देना।

श्री तेजपाल यादव : गेहूं तो आप डुबो गये।

श्री सभापति : बीच बीच में टोका टोकी करते हैं। आपको कहना है तो मैं आपको टाइम दे दूंगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पिछले दो-तीन चार महीनों में चुनी हुई नगर पालिकायें नहीं है, चुंगी सब जगह बढ़ा दी गई कई नगरपालिकाओं के क्षेत्र में। स्वायत्त शासन मंत्रीजी देख रहे हैं और कोटा में तो नगरपालिका का बड़ा बजट है, 5 करोड़ 88 लाख का। सब प्रकार का काम वहां पर ठीक चल रहा है। पैसा इतना कि खर्च कर सकती है फिर भी चुंगी अनाप-शनाप बढ़ा दी, प्रति परिवार 40 से 50 रुपये खर्च बढ़ चुकी है। कोई भी मजदूर, कोई भी सब्जी उगाने वाला व्यक्ति अपनी साइकिल पर सब्जी लेकर आता है, साइकिल पर चुंगी नाके पर आते ही कहते हैं आगे साइकिल मत ले जाओ, पहले ढाई रुपये की चुंगी देकर जाओ। एक बड़ा कानून बना दिया उसमें एक रुपया प्रति सैंकड़ा के हिसाब से, जो अनुसूची में नहीं है, उन पर चुंगी लगाई जायेगी। ऐसा काला कानून, ऐसा अन्धा कानून, क्या उपयोग करेंगे लोग इसका? गरीब मजदूर सिर पर लकड़ी लेकर बेचने आयेगा। चुंगी देकर जाओ। दूध देनेवाला आयेगा। चुंगी देकर जाओ। स्वायत्त शासन मन्त्रीजी वहां गये, आन्दोलन हुआ, प्रतिनिधि मण्डल आये. उनसे कह दिया, सारी चुंगी माफ कर दो। 15-16 दिन पहले चुंगी लग तो रही है, लगाई क्यों जा रही है? बिना चुनी हुई नगरपालिकाओं ने लगाई और आप घोषणा कर रहे हैं। दो-तीन दिन पहले मालूम पड़ा कि गजट में आ गया। हमने भी गजट में देखने की कोशिश की तो कहीं दिखा नहीं। मैं कहता हूं पिछले दरवाजे से जो इस प्रकार की प्रथा चल रही है, इसको बन्द कराया जाय। स्वागत है आपने घोषणा की, नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जायेंगे। किन्तु चुनाव के पहले इस प्रकार की पद्धति चल रही है- चांदी पर एक रुपया प्रति किलो। जाओ चांदी-सोने वालो मौज करो। जो चाहे सो लो, पता नहीं कौनसा प्रेम है उनसे स्वायत्त शासन मन्त्रीजी का। दूसरी ओर चुंगी का हिसाब लेंगे तो इस प्रकार के लोगों पर। इस प्रकार

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

की उपभोक्ता जनता, व्यापारी और छोटे व्यापारी सब परेशान है ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस सारी स्थिति में आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : आप उत्तर देना चाहेंगे या बिल पारित किया जाय ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : सभानेत्री महोदया, उत्तर तो देना ही चाहिये ।

श्री सभापति : जरूर दीजिये ।

श्री चन्दनमल बैद : सभानेत्री महोदया, जहां तक अप्रोप्रिएशन बिल का सवाल है जो दो, एक मुद्दे उठाये गये हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा । एक बात तो बड़ी भ्रान्ति, ओवर ड्राफ्ट का प्रश्न है, उसके बारे में उस दिन भी फैलाई गई और आज भी उस बात को दोहरा कर कहा गया । जैसे हमारे नये मुख्य मंत्रीजी ने जो निवर्तमान मुख्य मंत्रीजी हैं उनको नीचा दिखाने के लिये ओवर ड्राफ्ट में जानबूझ कर कोई कमी कर दी और वह कमी इस तरह से होगी कि प्लान का एडवान्स पैसा लेकर रिजर्व बैंक को उसको दिया जिससे कि वह ओवरड्राफ्ट कम दिखे और उनको मौका मिल जाय कि देखो भाई पहाड़िया जी के समय में ओवरड्राफ्ट जो था मेरे वक्त में ओवरड्राफ्ट कम हो गया । इस भ्रान्ति को दूर करना चाहता हूं । उस दिन भी मैंने यह कहा था कि सारे देश में सब स्टेट्स के साथ एक ही बाधा है और वह बाधा यह है कि 28-29 जून को एडवान्स प्लान का या वेज एण्ड मीन्स का पैसा देकर सारी स्टेट्स के ओवरड्राफ्ट्स जो हैं वह बराबर कर दिये गये । ओवरड्राफ्ट के बारे में यह भ्रान्ति फैलाई गई । 1 जुलाई को किसी भी स्टेट का ओवरड्राफ्ट देखा जाय तो दो-चार करोड़ से ज्यादा नहीं होगा और उसी ओवर ड्राफ्ट को अगर 28 जून या 27 जून को देखें तो सब स्टेट्स का ओवर ड्राफ्ट्स इससे ज्यादा मिलेगा । मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता जी हैं वह इस बात को समझ गये होंगे क्योंकि तीन साल तक राज में थे । तो यह कहना कि पहाड़ियाजी ने राज छोड़ा वह 14, 10 या 11 जून, 1 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दिया, शिवचरण जी माथुर ने 14 जुलाई को पद ग्रहण किया । 30 जून को पहाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे, उस समय ओवर ड्राफ्ट नहीं था बल्कि 60 लाख कैश बैलेन्स था । अब उसको वह जैसा कि कह रहे हैं हमने कम कर दिया । वह तो एक नियम बना हुआ है । उस नियम के अनुसार जैसे दूसरी स्टेट्स का बैलेन्स बराबर किया गया और एडवान्स प्लान का पैसा देकर या वेज एण्ड मीन्स देकर सेन्ट्रल टैक्सेज में देकर, उस तरीके से जो बढ़ा सकते हैं वह एडवान्स देकर हमारा कम किया गया, दूसरी स्टेट्स का कम किया गया, वैसे यहां भी कम कर दिया गया और 29-30 जून को जैसा मैंने कहा कि उस समय हमारे यहां ओवर ड्राफ्ट नहीं था, सरप्लस था । तो पहाड़ियाजी जब गये, जब मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया उस समय ओवर ड्राफ्ट, मैं समझता हूं, 15-30 करोड़ से ज्यादा नहीं था । आज तो ओवर ड्राफ्ट मैंने खुद ने कहा 65 करोड़ का है । तो हम

(श्री चन्दनमल बैद)

अपनी कांग्रेस सरकार को बुरा बताते हुए ऐसी बात को रखें, पहाड़ियाजी थे तो कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे, शिवचरण जी माथुर हैं तो कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैं। कांग्रेस की अपनी जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी से हमें अलग नहीं होना चाहिये। ठीक है है कोई काम धीरे चलता था तो तेजी से चलायेंगे। लेकिन यह मतलब नहीं है हर एक आदमी की एक पर्सनलिटी होती है, कोई विकास का ज्यादा काम करना चाहता है, कोई धीरे-धीरे काम करना चाहता है। शिवचरण जी की पर्सनलिटी यह है कि प्लानिंग के सिलसिले में ज्यादा काम करना चाहते हैं और तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं। ठीक हो सकते हैं। दूसरे मुख्य मंत्री अच्छे है यह बात नहीं हैं लेकिन बुरा कहने या दूसरे को बहुत अच्छा कहने की बात नहीं हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने यह नहीं कहा।

श्री चन्दनमल बैद : आपने नहीं कहा लेकिन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। एक बात मैं आपको ओवर-ड्राफ्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि ओवरड्राफ्ट जैसा मैंने कहा। जुलाई को सबसे कम होगा और ज्यों-ज्यों दिन बीतते जायेंगे जून 3 का दिन आयेगा उस दिन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण हैं, एक बात और समझनी चाहिये, वह यह है कि ओवर ड्राफ्ट होता है किसी भी स्टेट का जबकि फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आती है उस समय में हर स्टेट के सोर्सेज होते हैं, रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं दस करोड़ के और वह यह सोचते हैं अगले पांच सालों में रेवेन्यू का काम भी प्लस रहेगा लेकिन धीरे-धीरे पांच साल में क्या होता है कि डियरनेस अलाउन्स के कारण से, नेचुरल केलेमिटीज के कारण से, दूसरे कारणों से जो डिवोल्यूशन देता है सोचते हैं कि इतना प्लस स्टेट का रहेगा तो ज्यों ज्यों फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट में जाते हैं, त्यों त्यों एनामोलीज या विसंगतियां पैदा हो जाती हैं।

हर वर्ष, फाइनेन्स कमीशन ने सोचा था, राजस्थान को हम 220 करोड़ का रेवेन्यू प्लस पांच साल में दे रहे हैं लेकिन सभापति महोदय जी, 220 करोड़ का जो उन्होंने हमको डिवोल्यूशन दिया वह केवल इस बात से खर्च हो गया कि आज तक हम नौ डियर नेस अलाउन्स और एक इन्टेरिम रिलीफ दे चुके हैं और उसके साथ पेन्शन भी दे चुके हैं। डियरनेस अलाउन्स जो आज तक हम दे चुके हैं, दो साल में 79-80 और 80-81 में उनका कुल भार 317 करोड़ का है। तो 220 करोड़ का इन्होंने सरप्लस सोचा और हम आज 320 करोड़ डियरनेस अलाउन्स में दे चुके हैं उसके अलावा जो नेचरल केलेमिटीज आती हैं उसका 7.70 करोड़ डिवोल्यूशन मार्जिन मनी जिसको हम कहते हैं वह मार्जिन मनी और उसके अलावा जो टोम आती है, वह जो हमको पैसा देती है, माननीय विरोधी दल के नेता जो सदन के नेता रह चुके हैं। वह जानते हैं कभी काम नहीं चलता। उसके अलावा खर्चा करना पड़ा क्योंकि जन प्रति-निधियों की मांग आती हैं, क्योंकि हम

(श्री चन्दनमल बैद)

खुद चलकर स्थिति को देखते हैं। ये सारी बातें जो होती हैं इन सब विसंगतियों के कारण से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जो डिवोल्यूशन फाइनेन्स कमीशन करती है उससे विसंगतियां आती है, किसी स्टेट में जल्दी और किसी स्टेट में देरी से आती हैं। आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान के 13 स्टेट्स, जिनमें कांग्रेस द्वारा शासित भी हैं और दूसरी पार्टीज द्वारा शासित प्रदेश भी है, में आज ग्रोवर ड्राफ्ट हो चुका है। आज मैं कह सकता हूं थोड़ा बहुत उन्हें वित्तीय स्थिति की जानकारी है वह दिन दूर नहीं; अभी दो-तीन साल, ढाई साल बाकी है, फाइनेन्स कमीशन को रिपोर्ट है, तीन और चार साल से ग्रोवर ड्राफ्ट सारे हिन्दुस्तान के हर स्टेट में आयेगा, आना पड़ेगा क्योंकि ज्यों-ज्यों डियरनेन्स अलाउन्स सेन्टर देगी, त्यों-त्यों मंहगाई भत्ता स्टेट को देना पड़ेगा। और स्टेट को जब देना पड़ेगा आज 9 डीयरनेस अलाउंस हमनें दिये उसमें ही हमारी यह हालत है और इसी स्पीड से 2 साल में 9 दिये तो आप सोचिये, 5 साल में इसी स्पीड से चले तो कितने डी.ए. हमको देने पड़ेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पे कमीशन आ रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : पे कमीशन भी आ रहा है और दूसरी बात यह हैं, नेचुरल केलेमिटीज भी हैं। आज दो दिन से नेचुरल केलैमिटीज के बारे में, फेमिन के बारे में और दूसरी बातों के बारे में आपने गहन चर्चा की। आज हमारे राहत मंत्री ने बहुत सी बातें कही हैं, सारी बातें आगे जाकर फाइनेन्स डिपार्टमेंट पर बोझ बन कर आने वाली हैं। उन सारी बातों को देखने से आपको समझना चाहिये, यह जो ग्रोवर ड्राफ्ट की बात आप करते हैं ग्रोवर ड्राफ्ट दो ही तरीकों से कम किया जा सकता है, एक तो यह कि फाइनेन्स कमीशन की जब रिपोर्ट आवे उसके अगले साल आपका ग्रोवर ड्राफ्ट नहीं, एक तो यह होगा। दूसरा यह होगा कि विकास मत हो। दो ही बातों से ग्रोवर ड्राफ्ट कम हो सकता है अदरवाइज नहीं होगा।

मैं महसूस करता हूं कि इस ग्रोवर ड्राफ्ट के मामले को बहुत गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। चाहे कैसी स्टेट हो चाहे कांग्रेस द्वारा शासित हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित हों या डी.एम.के. या ए.डी.एम.के. या नेशनल कान्फ्रेंस द्वारा शासित हों, किसी भी पार्टी द्वारा शासित हो इस ग्रोवर ड्राफ्ट की समस्या के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा और करना चाहिये। मैं चाहता हूं, इस ग्रोवर ड्राफ्ट के मामले को बारबार क्वेश्चन्स के जरिये या दूसरी किसी बात के जरिये आप उठा लें, उसके बजाय आपको हमारे साथ मिलकर इस बात की कोशिश करनी चाहिये, चाहे लोक सभा में करें या राज्य सभा में करें चाहे और किसी तरीके से करें हम सब का मिलकर इस बात की कोशिश करनी चाहिये क्योंकि सारे राज्यों का इन्ट्रेस्ट एक ही है और जो विसंगतियां पैदा

Page No 190

(188)

(श्री चन्दनमल बैद)

होती हैं राजस्थान के प्रति ही नहीं, हो सकता है राजस्थान में ज्यादा हो गई हों किन कारणों से हो गई हों. मैं नहीं कहना चाहता चाहे हमारे अपोजिशन के मुख्य मंत्री हों उनके कारण हो गई या चाहे और किसी कारण से हो गई या रिसोर्स का मोबिलाइजेशन नहीं किया उस कारण से हो गई या कुछ भी कहें। रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं किया, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घुमाकर क्यों कह रहे हो ? सीधा नाम लो।

श्री चन्दनमल बैद : मैं घुमाकर नहीं कहता हूं। मैं किसी को दोष देने वाला नहीं हूं। मैं फाइनेन्सेज को समझता हूं और उसके कारण मैं कहता हूं कि यह चीज किसी को दोष देने से नहीं मिटती। आप समझते हैं, बढ़िया से बढ़िया फाइनेन्स मिनिस्टर बिठा दिया, होशियार से होशियार बिठा दिया और वह ओवर ड्राफ्ट को खतम कर देंगे। संभव नहीं है। क्योंकि ढाई साल में जो विसंगतियां पैदा हुई हैं उनको कोई ठीक नहीं कर सकता इसलिये यह जरूरी है कि इस बारे में एक साथ मिलकर गंभीरता से सोचें और राजस्थान और दूसरे स्टेट्स के हित में बात करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो अच्छा हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे डुबोइये मत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं। डांगीजी बोल रहे हैं। बड़ा दु:ख हुआ कि प्रधानमंत्री ने इनको मुख्य मंत्री नहीं बनाया नहीं तो सबका ही ओवर ड्राफ्टिंग हो जाता।

श्री चन्दनमल बैद : देखिये, आपको घबराने की बात नहीं थी। ये मुख्य मंत्री बनते तो भी शायद मुझे ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाते। सभापति महोदय, थाना-गाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने रिकवरीज के बारे में कुछ बात कही हैं। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जो एप्रोप्रिएशन बिल पर फाइनेन्सेज के संबंध में बातें कही हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिजली के बारे में मुख्य मंत्री सिंचाई मंत्री कुछ कह चुके हैं, ला एण्ड आर्डर के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें की हैं, उनमें जाने से कोई फायदा नहीं है। कोटा में उन्होंने कहा, 5 आदमियों को पत्थर फेंक फेंक कर मार दिया। मैं भी कह सकता हूं राम-निवास बाग में दिन दहाड़े राजस्थान की राजधानी में बलात्कार के किस्से हुये हैं, आपके राज में। कौन नहीं जानता ? सब जानते हैं इस बात को। तो सारी बातें कहने से कोई फायदा नहीं है। ये क्राइम्स तो होंगे, क्राइम्स को रोकने और पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये। यह कहना कि क्राइम हो गया, डकैती हो गई, चन्दनमल बैद के घर में सरदार शहर में चोरी हो गई। हो गई। तो इस तरह की बातें कहने से कोई फायदा नहीं है। अब कहने लग जायं कि प्रद्युम्नसिंह मेरे रिश्तेदार हैं आपने मेरे घर चोरी करवा दी तो उनका कुसूर क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भरोसा नहीं है प्रद्युम्नसिंह का ?

श्री चन्दनमल बैद : भरोसा तो मुझे, विरोधी दल के नेता, आपका नहीं है। सभापति महोदय, आपने जो बातें कही हैं जैसे सेल्स टैक्स के बारे में आपने कहा कम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 31 मार्च 1980 को 5.36 करोड़ रुपये की बकाया थी उसमें से 2.67 करोड़ की बकाया कोर्ट से स्टेंड है, बाकी करीब ढाई करोड़ की और रहती है। अब 165 करोड़ रुपयों की वसूली जो करते हो उसमें ढाई करोड़ की बकाया अगर रह जाती है तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। यह ऐसी खराब स्थिति नहीं है जिसके लिये हमें चर्चा करनी चाहिये। कम्पट्रोलर व आडिटर जनरल, चाहे 5 पैसे की बकाया भी रहती, की रिपोर्ट में आता है, उनका कर्तव्य है लेकिन ऐसे वक्त में जो स्टेट का फाइनेन्स मिनिस्टर रह गया हो, वह किसी बात का उलाहना दे तो जवाब देना जरूरी है।

इसी तरीके से एक्साइज के बारे में हमारी बकाया 3.40 करोड़ है लेकिन उसमें से 1.58 करोड़ स्टेंड है। अब उसमें से बाकी थोड़ी सी रकम रह गई है तो वसूल करने की कोशिश करेंगे ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे लेकिन आप जानते हैं कि एक्साइज कान्ट्रेक्टर कैसे होते हैं। कई कई तो ऐसे भाग जाते हैं तो पता नहीं चलता, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं।

इसी तरीके से राजस्व के बारे में आपने कहा, 21.75 करोड़ की हमारी बकाया है उसमें से 10.61 करोड़ सस्पेंडेड है क्योंकि अकाल था। हो सकता है कि कि रिवीजन भी हो जाय। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर अकाल हो हम राहत कार्य चला रहे हैं दूसरी तरफ हम किसान से कहें राजस्व लाओ। तो बकाया के बारे में मैंने अध्ययन किया है और भी अध्ययन करूंगा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेंगे। मैं समझता हूं माननीय सदस्य दोनों तरफ से बैठने वाले मेरी बात से बहुत कुछ सहमत हैं, इस बात से भी सहमत हूं कि विनियोग विधेयक जल्दी से जल्दी पास किया जाय, इसलिये प्रार्थना करूंगा कि इसे पारित करने की कार्यवाही करें।

श्री सभापति : बोलना तो नहीं है ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक 1981 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : मैं आपत्ति नहीं करूंगी, नियम के अनुसार कोई बोलना चाहें तो बोलें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3 विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1981 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 7.49 सायं सोमवार दिनांक 21 सितम्बर, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची)

प्रपत्र-क

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटित भट्टों की सूची।

क्र.सं.	नाम व्यक्ति/संस्था जिसके नाम भट्टा आवंटित है	आवंटित भूमि का विवरण			
		चक/ग्राम		मु.नं./म.नं.	रकबा
1.	श्री रमजान पुत्र अहूरदीन पंजाबगिर, बीकानेर।	शरद मझानिया		7	10-00 बीघा
2	श्री आनन्द ब्रिक्स मैकेनाइज्ड, बीकानेर	मैनी का बास		23-24	10-00 "
3.	श्री मदनी पत्नि हेमसिंह राजपूत, बीकानेर	शिवबाड़ी		47मे.	6-11 "
4.	श्री करणी ईंट उद्योग बीकानेर	उदासर		318	3-00 "
5.	श्री रामलाल पुत्र बाबूलाल ईंट उद्योग, खाजूवाला।	7 केजेडी		82/54	10-00 "
6	श्री बजरंग ब्रिक्स कम्पनी	"		82/32	10-00 "
7.	श्री रामलाल पुत्र भीमराम विश्नोई, मानकसर	मानकसर		230 231	5-15 " 2-16 "
8.	श्री रामलाल पुत्र गणेशाराम विश्नोई, हरलाल/रामबक्स विश्नोई, मानकसर	" "		253	9-00 "
9.	श्री मिठनलाल-सोहनलाल वि. किशोरचंद अरोड़ा, सूरतगढ़	सूरतगढ़		325/2 327	6-10 " 14-00 "

नाजायज ईंट भट्टा जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है उनका विवरण

क्र.सं. नाम एवं पता व्यक्ति	कार्यवाही का विवरण
1- श्रीमती कमला देवी पत्नि सीताराम माली साकिन पावड़िया बास	भट्टे की लीज नियमानुसार नहीं होने से निरस्त कर दी गई। प्रार्थी द्वारा, राजस्व मंडल से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। निगरानी में अगली तारीख पेशी 14-10-81 है।
2-श्री तनुराम पुत्र हीराराम कोम मेघवाल साकिन कल्याणसर	भट्टा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाने से अवैध है। निरस्तीकरण के मामले में अगली पेशी दि. 16.10-81 है।
3- श्री बंशीधर नंदकिशोर पिता सेवाराम माली निवासी सुजानदेसर	लीज की अवधि समाप्त होने से बेदखली की कार्यवाही हुई। राजस्व अपील अधिकारी ने, अपील होने पर इसे रिमाण्ड कर दिया। अगली तारीख पेशी 24-9-81 है।
4- श्री उदाराम पुत्र हीराराम मेघवाल साकिन पाबूभारी	लीज की मयाद समाप्त होने के बाद नवीनीकरण नहीं हुआ। भट्टा बन्द पड़ा है।
5- श्री इब्राहिम खां पुत्र समदे खां पंजाब गिरी साकिन बीकानेर	मामला राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है। अगली पेशी 12-10-81 है। उच्च न्यायालय में भी स्थगन आदेश दे रखा है।
6- श्री मूलचंद पुत्र छगनलाल माली निवासी शिवबाड़ी	मामला राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है।
7-8 श्री नसीर खां असीर खां पुत्र हाजी पीरू खां पंजाब गिरी बीकानेर एवं श्री सम्पतलाल पुत्र श्री सेवा राम जाति माली निवासी सुजानदेसर	इनको पूर्व में निलामी कर रकम जमा करवा ली गई है। दोनों ही मामलों में पुनः निलाम की तिथि 16-3-81 निश्चित की गई। परन्तु प्रार्थी ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। मामले राजस्व अपील अधिकारी के यहां भी विचाराधीन हैं। अगली तारीख 30-9-81 है।
9- श्री जगमाल सिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत निवासी शिवबाड़ी	अवैध भट्टा चलाने की सूचना मिलने पर उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही दरकार है। आगामी तारीख पेशी 24-9-81 है।

(192)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची)
सड़क खाटूवास से प्रतापपुर जिला अलवर (परिशिष्ट -"अ")

क्र. सं.	ग्राम का नाम	काश्तकार का नाम
1	2	3
1.	खाटूवास	मोहन लाल मुखराम हिस्सेदार सा. देह
2.		हीरा पुत्र गोरधन अहीर सा. देह
3.		देवकरण पुत्र सेड कोम अहीर
4.		रामदेव, रामेस्वरूप,. रामेश्वर, भीमसिंह 1/ 2 नारायण 1 /2 मोहन लाल
5.		गंगाधर तुलसा सम्भाग
6.		मुलिया हिस्सेदार वाया हरिनारायण हीरा पिता गोरधन संभाग
7.		हरिनारायण पुत्र गोरधन कोम अहीर
8.		शिवलाल पुत्र गिरधारी कोम अहीर
9.		मुसदी छोटेलाल गुरुदयाल मुरली संभाग हिस्सेदारान
10.		मोहन लाल पुत्र त्रिलोका, कोम अहीर
11.		रामलाल, शिवलाल
12.		मल्लू पुत्र हुकम चन्द कोम ब्राह्मण
13.		देवीसहाय पुत्र सेवा कोम अहीर
14.		नत्थू मातादीन, लीवा हिस्से-हि.ब.अहीर
15.		छोटेलाल, भूरु पि.हरदेव ब्राह्मण 1/3 सोहनराम पुत्र धर्नसिह अहीर 1/3 गणेश पुत्र शंकर 1/3 कोम ब्राह्मण
16.		मुलिया कोम अहीर
17.		
	योग खाटूवास खातेदारान-17	
18.	चकरामवास	महन्त कान्हरदास चेला द्वारिकादास बैरागी रामावत सा. हंडिया कलां माफीदार
	योगः-	चकरामवास

Page No 195

(193)

1	2	3
19.	हुंडियाकलां	प्रभुदयाल गडसा, देवाराम दातांराव इत्यादि अहीर
20.		कन्हैया ईश्वर चेताराम अहीर
21.		सुखदेव इत्यादि अहीर
22.		देवी सहाय अहीर
23.		प्रेमा पुत्र उदा 2/3 मुलतान मेहर सिंह पी. फुला 1/3 अहीर
24.		मंगल सुखराम उमराव पी. धान्धू
	योग:- हुंडिया	
25.	भैतपुरा	मोहर सिंह डूगां अहीर
26.		बहादुर पुत्र डडा अहीर
27.		हीरा पुत्र जीवन अहीर
28.		भंवर पुत्र डेडा अहीर
29.		रामजीलाल इत्यादि 1/2 बुध्दा इत्यादि 1/2 अहीर
30.		फूलचन्द पुत्र रामजीलाल अहीर
31.		भैरू पुत्र बलदेव व मातादीन पुत्र देवीसहाय अहीर
32.		बुद्धा प्रेहलाद हि.ब. 1/2 तोता इत्यादि अहीर 1/2
33.		मांडिया 1/4 काल 1/4 बन्दी 1/4 स्योनारायण 1/4 अहीर
34.		गणपति मंगल पि. हरदेव अहीर
35.		कलियाँ मर्दनिया पि. हरदेव अहीर
36.		रामसिंह पुत्र गोविन्दा अहीर
37.		बुद्धा पुत्र गोविन्दा अहीर
38.		भोलू बालू पि. नन्दा अहीर
39.		भभू पुत्र बालू अहीर 1/2 फूता पुत्र स्योदान 1/2
40.		प्रहलाद पुत्र रामप्रसाद अहीर
41.		मंगला पुत्र जागा श्री किशन पुत्र जोरा अहीर
42.		रतन पुत्र जयगोपाल ब्राह्मण
43.		श्री किशन पुत्र गोरा अहीर

Page No 196

(196)

1	2	3
44.	जैतपुर	भैरू इत्यादि 1/2 गोविन्दराम मुरारीलाल 1/4 हीरा गोपाल 1/4
45.		प्रभातीलाल फुसाराम अहीर
46.		कन्हरदास चेला द्वारकादास बैरागी
योग:- जैतपुरा खाता संख्या 23		
47.	विजयपुर	ग्यारसीलाल बन्सीधर पिता मंगलराम 1/2 सांवलराम रामचन्द्र रामविलास, रामनिवास रामजीलाल पिता भवानीशंकर महाजन 1/2
48.		माना हिस्सेदार
49.		छाजूराम हिस्सेदार
50.		लहरी 1/3 असरफीलाल, फूलचन्द गुलजारी लाल संभाग 1/3 महचन्द बाबूलाल संभाग 1/3
51.		मु.ताजली वाल्दा प्रहलाद अहीर
52.		रामजीलाल किशोरी पि. पुरन नाई
योग:- विजयपुर खातेदारान 6		
53.	परतापुर	रामनारायण व लच्छीया पि. सोवन अहीर
54.		रामनारायण रामचन्द्र पि. पुरन सुनार रामकुवार शिम्भू पादु प्रभु पि. सूबा सुनार हीरा पुत्र प्रहलाद अहीर
55.		म. मुगोरा बेवा हीरा अहीर
56.		डालू चिन्जीराम
57.		जयनारायण, रामदयाल, उमराव 2/3 रामजीवन चिरन्जी 1/3
58.		जयनारायण रामजीलाल पुत्र पुरन नाई
59.		कास्त गोपी पुत्र रामलाल अहीर प्रभाती सबला अहीर
60.		जयनारायण रामसहाय 2 बैल उमराव 2 बैल रामदयाल 2 बैल जयनारायण 1 बैल रामजीवन 1 बैल
61.		प्रभाती पुत्र रामदयाल
62.		उमराम, सांवला 1 बैल गणेश 1 बैल रिछपाल 1 बैल गणेशो 2 बैल दर 1/2
63.		बिहारी पुत्र उदा उमराव पुत्र रामरतन लिला पुत्र रामराम अहीर
64.		समस्त मालतान
योग:-खातेदारान खाता सं. 12		

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची)

प्रश्न क भाग एक की तालिका

कोटा जिले की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ की सूची

क्र०सं० 1	नाम पद 2	प्रा०स्वा० केन्द्र: पीपल्दा 1		अटरू 2		केलवाड़ा 3		कंपून 4		जंफला 5		बामला 6		बमोरीकला 7		भांका 8		मोडक 9		सारथ 10		मन्डावरा 11	
		स्वीकृत/ 1	कार्यरत 2	स्वी./ 1	कार्य. 2	स्वी./ 1	कार्य. 2	स्वी./ 1	कार्य. 2	स्वी./ 1	कार्य. 2	स्वी./ 1	कार्य. 2	स्वी./ 1	कार्य. 2	स्वी./ 1	कार्य. 2	स्वी./ 1	कार्य. 2	स्वी./ 1	कार्य. 2	स्वी./ 1	कार्य. 2
1	सी०ए०एस०	2	1	2	2	5	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	
2	मेलनर्स प्रथम श्रेणी					1	1																
3	मेलनर्स ग्रेड II	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
4	स्टाफ नर्स					1	–			1	–												
5	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2	–	2	2	2	2	2	2	4	4	2	–	2	2	2	1	2	1	2	2	2	–
6	प्रसाविका	11	10	9	8	14	13	9	8	13	12	9	7	11	9	9	8	9	9	9	9	9	7
7	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	1	1
8	रेडियोग्राफर					1	1																
9	लेब टेकनीशियन					1	1																
10	वरिष्ठ लिपिक					1	1																
11	कनिष्ठ लिपिक					1	–			1	–											1	–
12	वाहन चालक	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	–	2	2	2	1	2	1	1	1
13	बी०ई०ई०	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	संगणक	1	1	1	1	1	1	1	–	1	–	1	–	1	–	1	1	1	1	1	–	1	–
15	प०क०स्वास्थ्यकर्त्ता	4	2	4	2	4	3	4	4	4	2	4	2	4	2	4	1	4	2	4	3	4	2
16	च०श्रे० कर्म० (हरिजन सहित)	4	4	4	4	10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

196

प्रश्न संख्या 11 के भाग 2 की तालिका

कोटा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों का विवरण

क्र०सं०	नाम पद जो रिक्त हैं		पीपल्दा	अटरू	कैथून	बामला	बामोरीकलां	आवा	मोडक	सारथ	मन्डावरा	जेपला	केलवाडा (उच्चीकृत)
1-	सी०ए०एस०	10	1 (मार्च81से)	–	–	–	1 (जुलाई81से)	–	–	–	2 वर्ष 79 से मार्च 81 से	2 वर्ष 79 व मार्च 81	4 वर्ष 79 1.12.80 मार्च 81 से वर्ष 78 से
2-	मेल नर्स श्रेणी II	1	–	–	–	–	–	–	–	1 अगस्त81 से	–	–	–
3-	स्टाफ नर्स	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	गत एक वर्ष से	गत एक वर्ष से
4-	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	8	1 गत एक वर्ष से 1 1.12.77 से	–	–	1 गत वर्ष से 1 1.4.80	–	1 1.8.79 से	1.8.79	1 1.8.79	1 गत एक वर्ष से 1 1.11.78		--
5-	प्रसाविका	12	1 1.2.81 से	1 1.8.81	–	1 1.4.80	2 1.3.81 1.5.81	1 फरवरी 78	–	–	1 गत एक वर्ष से 1 1.9.80	1 गत एक वर्ष से	1 दो माह से अनुपस्थित
6-	वाहन चालक	6	1 गत एक वर्ष से	–	–	–	1 निलम्बित	–	1	1	–	1 गत एक वर्ष से	–
7-	बी०ई०ई०	2	–	–	–	1 1.9.81	–	--	–	–	–	1	1 1.7.81
8-	संगणक	6	–	–	1 1.7.78	1 1.11.76	1 1.9.81	–	–	1 अप्रेल 74	1 अप्रेल 74	1 1.11.74	–
9-	प०क०स्वा०सहा०	19	2 1.11.75 1.6.76	2 1.11.74 3.8.79	– –	2 1.6.78 1.8.79	2 1.10.78 1.8.79 8.1.81	3 1.12.72 1 6.10.74	1.11.71 1.9.79	1 1.9.70 1.10.78	1 1.1.81	1	1.5.71 से
10-	स्वा० निरीक्षक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1 1.4.80	–
11-	क० लिपिक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

197

प्रश्न के भाग 2 की सूचना—-रिक्त पदों के नहीं भरे जाने का विवरण।

1–	सी.ए.एस.	10	तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण
2–	मेलनर्स श्रेणी-2	1	प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण
3 ·	स्टाफ नर्स	2	,, ,,
4 -	महिला स्वा. दर्शिका	8	,, ,,
5–	प्रसाविका	12	,, ,,
6–	वाहन चालक	6	वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण
7–	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण
8–	कनिष्ट लिपिक	1	राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से उत्तीर्ण व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण
9–	बी.ई.ई.	2	परिवार कल्याण के रिक्त पदों को भरने पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाने के कारण
10–	परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता	19	,, ,,
11–	संगणक	6	,, ,,

Page No 200

(198)

प्रश्न सं० 11 के भाग 4 की तालिका

कोटा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवंटित वाहनों का विवरण

क्र०सं०	प्रा० स्वा० का केन्द्र	वाहन संख्या	गतिशील है या अवरुद्ध	वर्ष 1980-81 में आवंटित राशि पैट्रोल 1	वर्ष 1980-81 में आवंटित राशि मरम्मत 2	वर्ष 1980-81 में आवंटित राशि योग 3	वर्ष 1981-82 में किया गया व्यय पट्रोल 4	वर्ष 1981-82 में किया गया व्यय मरम्मत 5	वर्ष 1981-82 में किया गया व्यय योग 6	विवरण
1.	पीपलदा	आर एस एल 830 जीप (प.क.)	गतिशील	5,000	2,000	7,000	4,970	2,780	7,750	
2.	अटरू	आर एस आर 6305 (चिकि.)	,,	4,000	2,500	6,000	4,150	2,850	7.000	
3.	कंयून	आर एस आर 6306 (चिकि.)	,,	5,000	2,000	7,000	6.000	1,150	7,150	
4.	बालोतरा	आर एस आर 1276 (चिकि.)	,,	4,000	2,000	6,000	4.500	2,000	6.500	
5.	वाचरोय कला	आर आर एल 4853 (प.क.)	अवरुद्ध	5,000	2,000	7,000	2.378	0,950	3,328	वाहन चालक निलम्बित है। वाहन में मरम्मत कार्य होना है। अनुमानित लागत राशि 3,000.
6.	आबा	आर जे ई 1540 (प.क.)	गतिशील	5,000	2,000	7,000	3,784	2,148	5 932	
7.	इमोफ	आर जे आर 9178 (प.क.)	,,	5,000	2,000	7,000	3,880	2,057	5,937	
8.	सारथ	आर जे आर 9179 (प.क.)	,,	5,000	2,000	7 000	3,497	2,468	5,965	
9.	मण्डावरा	आर एस आर 9667 (चिकि.)	,,	4,000	2,000	6,000	4,200	2,400	6 600	
10.	जंपला	आर जे आर 9175 (प.क.)	,,	5,000	2,000	7,000	2 001	1.608	3,609	
11.	केलवाड़ा	आर आर एल 4763 (प.क.)	खराब	5,000	2,000	7,000	4,648	2 985	7,633	वाहन में इन्जन गेअर आदि की मरम्मत होना है। अनुमानित लागत 3,500

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

लालकोठी एवं इमली वाले फाटक (जयपुर) के आसपास काबिज व्यक्तियों का पुनर्वास

122. श्री रामकंवार बैरवा (फागी): क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लालकोठी एवं इमली वाले फाटक जयपुर के आस-पास बाढ़ग्रस्त स्थानों के कुछ व्यक्तियों ने सिरकियों की झोंपड़ी बनाकर रहना प्रारम्भ कर दिया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास के कर्मचारियों द्वारा उक्त लोगों की झोंपड़ियां तोड़ दी गयी थीं ?

(3) क्या सरकार इन लोगों को जीवनयापन के लिए इस स्थान पर बसने देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लालकोठी इमली वाले फाटक के आसपास लगभग 250 सिरकियां लगाकर नये अतिक्रमण किये गये थे जिन्हें नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा हटा दिये गये। यह लोग बाढ़ग्रस्त नहीं थे।

(2) इसका उत्तर भाग (1) में दिया जा चुका है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिलाय व निवाई में चिकित्सा सुविधा

123. श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिलाय व निवाई में औषधालय गत कई वर्षों से खुलने के पश्चात भी वहां रोगी शय्या व औषधालय में और अधिक सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिलाय में रोगी शय्याएं बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रोगी संख्या को देखते हुए व्यवस्था पर्याप्त है।

निवाई में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है। निवाई में राजकीय डिस्पेन्सरी एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में 12 शय्याएं उपलब्ध हैं। भर्ती रोगियों की संख्या व वित्तीय साधन देखते हुए अभी वहां भी शय्याएं बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निवाई कस्बे में पेयजल की समुचित व्यवस्था

124. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निवाई कस्बे की आबादी को दिए गए कनेक्शन के अनुपात में पेयजल की दृष्टि से कितने गैलन पानी की प्रतिदिन आवश्यकता है ? वर्तमान में कितना पानी दिया जा रहा है ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में आवश्यकता का आधा पानी भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार के पास शेष पानी की पूर्ति के लिये क्या योजना है ? यह योजना कब तक पूर्ण हो जाएगी एवं इसमें कितनी राशि व्यय की जाएगी ?

उत्तर

(1) निवाई कस्बे को वर्तमान पेय-जल की आवश्यकता 3.80 लाख गैलन प्रतिदिन है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 1.00 लाख गैलन पानी प्रतिदिन वितरित किया जाता है ।

(2) जी हां, यह सही है । कस्बे की पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जूमा-वत क्षेत्र एवं कृषि उपज मण्डी क्षेत्र की तरफ दो नलकूप खोदे जाने व अन्य कार्यों के लिए एक योजना बनाई गई है जिसकी अनुमानित लागत 4.19 लाख रु. है । यह योजना वर्ष 1981-82 में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है व धन उपलब्धि के अनु-सार इसे शीघ्र पूरा करवाया जायेगा ।

सिंचाई एवं विद्युत विषयक अन्तर्राज्यीय विवाद

125. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश सरकारें रावी, व्यास एवं सतलज नदियों पर विभिन्न जल एवं विद्युत परियोजनायें निर्माण करने का विचार कर रही हैं तथा इनमें राजस्थान सरकार से स्वीकृति नहीं ली है ?

(2) यदि हां, तो ये कौन-कौन सी परियोजनायें हैं तथा इनकी कितनी-कितनी लागत है तथा कितना-कितना विद्युत उत्पादन होगा ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई पंच फैसला मानने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कृपया इस सम्बन्ध में किया गया पत्राचार सदन के पटल पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को इस सम्बन्ध में राजस्थान की ओर से उच्चतम न्यायालय में न जाने का आश्वासन दिया है ?

उत्तर

(1) संजय विद्युत परियोजना (भाबा) जो कि हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्माणाधीन है एवं कोल और पार्वती योजनायें जिनको कि निर्माण करने का हिमाचल प्रदेश विचार कर रहा है के अलावा अन्य किसी योजना के लिये किसी भी राज्य ने अभी तक सहमति या स्वीकृति नहीं ली है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) केवल थीन परियोजना के बारे में पंच फैसला मानने का निर्णय प्रधानमंत्री जी की बैठक दिनांक 14-2-79 में लिया गया ।

(4) जी, नहीं ।

201

हिमाचल प्रदेश के विचाराधीन पन विद्युत परियोजना का विवरण

क्र०स०	श्रेणी	वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)	अनुमानित विद्युत शक्ति उत्पादन प्रति-वर्ष (दस लाख यूनिट)	अनुमानित लागत (करोड़ों मे)
1	2	3	4	5	6
अ०	सतलज संचित क्षेत्र				
1.	नाथपा झाखड़ी, पन विद्युत परियोजना	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना	1020	5000	533.88
2.	कोल पन विद्युत परियोजना	प्रतिवेदन भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया दोबारा से कुछ सर्वेक्षण कार्य करने की सलाह दी गई, जो किया जा रहा है	600	2400	39.00
3.	बासपा पन विद्युत परियोजना	सर्वेक्षण कार्य चालू	400	2420	375.00
ब०	व्यास संचित क्षेत्र				
1.	पार्वती पन विद्युत परियोजना	सर्वेक्षण कार्य चालू	1900	7057	1000.00
2.	मालना पन विद्युत परियोजना	परियोजना प्रतिवेदन विचाराधीन	50	259	35.00

1	2	3	4	5	6
3.	लारजी पन विद्युत परियोजना	परियोजना प्रतिवेदन विचाराधीन	140	711	80.00
4.	ऐलियन पन विद्युत परियोजना	सर्वेक्षण कार्य चालू	25	150	30.00
5.	बैनर पन विद्युत परियोजना	भारत सरकार के सम्मुख परियोजना प्रतिवेदन पेश	6	30	7.1
6.	होगल पन विद्युत परियोजना	भारत सरकार के सम्मुख परियोजना प्रतिवेदन पेश	6	32.2	7.3
7.	बस्सी स्टेज III	सर्वेक्षण कार्य चालू	60	326	25.00
स०	रावी संचित क्षेत्र				
1.	चमेरा	सर्वेक्षण कार्य चालू है	640	2610	300.00
		इसके अलावा निम्न परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहा है			
	सतलज संचित क्षेत्र				
1.	संजय विद्युत परियोजना				
	1. (भाभा) पन विद्युत परियोजना	निर्माण कार्य चालू	120	435.33	68.6
	2. रांगटांग पन विद्युत परियोजना	,,	2	7.63	
	व्यास संचित क्षेत्र				
1.	बीनवा	,,	6	29.2	8.59
2.	बस्सी परियोजना	,,	15	132	4.74

पंजाब सरकार के विचाराधीन, निर्माणाधीन पन विद्युत परियोजनायें

1	2	3	4	5	6
	सतलज संचित क्षेत्र				
1.	आनन्दपुर साहिब	निर्माण कार्य प्रगति	134	1042	80.73
	ब्यास संचित क्षेत्र				
2.	मुकेरिन	„	207	1178	75.57
	रावी संचित क्षेत्र				
3.	थीन	जानकारी नहीं ।	480		242.32
4.	यू०बी०डी०सी०	जानकारी नहीं है ।	45	1639	20.84

हरियाणा सरकार के विचाराधीन पन विद्युत योजनायें

हमारी जानकारी में हरियाणा सरकार द्वारा रावी, ब्यास तथा सतलज नदी पर कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

कामां क्षेत्र की गुलपाडा-अमरूका-जुरहेडा सड़क का निर्माण

126. श्री चाव खां (कामां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 1979-80 में कामां क्षेत्र में कोई सड़क निर्माण नहीं कराया गया है और न ही किसी सार्वजनिक सड़क को कोई मंजूरी दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि 1980-81 में कामां क्षेत्र में दी गई दरख्वास्तों पर कोई सार्वजनिक सड़क के अधूरे कार्यों को पूरा करवाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि गुलपाड़ा से वाया अमरूका से कस्बा जुरहेडा के लिये सड़क की 1970 में मंजूरी हुई थी जो गुलपाड़ा से अमरूका तक बनाई गई है तथा वह भी लगभग 2 किलोमीटर कच्ची है और ग्राम अमरूका से कस्बा जुरहेडा पर तो आज तक काम ही शुरू नहीं हुआ ? क्या सरकार इस अधूरे कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कामां क्षेत्र में सम्पर्क सड़क बिलांग के निर्माण हेतु पांच लाख की स्वीकृति दिनांक 27-7-79 को दी गई थी। सड़क का कार्य वर्ष 1979-80 में ही शुरू कर दिया गया था व उक्त वर्ष 1,06,680 रुपये व्यय किये गये थे।

(2) दरख्वास्तों पर तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् ही कार्य किये जाते है।

(3) जी हां। स्वीकृति प्राप्त हुई थी। गुलपाडा से जुरहेड़ा वाया अमरूका सड़क की कुल लम्बाई 30 कि.मी. है जिसमें गुलपाड़ा से 9 कि.मी. पक्की सड़क है। धनाभाव के कारण अधूरे सड़क कार्य को पूरा करना अभी संभव नहीं है।

'मेवाड़ काम्पलेक्स' योजना

127. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि 'मेवाड़ काम्पलेक्स' की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब से प्रारम्भ होगी और इस पर कितनी राशि व्यय होगी ? कृपया योजना की रूपरेखा की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां, मेवाड़ काम्पलेक्स की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है। इस योजना पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा भारत सरकार का पर्यटन विभाग, ग्राम्य एवं नगर विकास संगठन तथा महानिदेशक, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार से विचार-विमर्श कर अन्तिम रूप देने में कार्यरत है। इस विचार विमर्श के पश्चात ही इस पर व्यय किये जाने वाली धन राशि का अनुमान लगाया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित 100 लाख रुपये की योजना का प्रारूप सदन के पटल पर रख दिया गया है।

205

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित योजना का प्रारूप

	प्रस्तावित धन-राशि (लाख रुपयों में)
1-हल्दी घाटी:	
क- पर्यटकों की सुविधा हेतु अल्पहार गृह (केन्टीन) व आठ कमरों का निर्माण कार्य। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये चार स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण कार्य।	10.00
ख- वर्तमान अजायबघर (म्युजियम) का सुधार एवं विस्तार कार्य।	10.00
ग- चेतक स्मारक एवं उसके आस-पास की जगह का विकास।	2.50
घ- हल्दी घाटी का प्रत्यावर्तन तथा उस क्षेत्र का विकास व हल्दी घाटी की युद्ध नीति का दिग्दर्शन।	10.00
2- रक्त तलाई:	
रक्त तलाई के फेन्सिग एवं विकास कार्यों पर व्यय।	5.00
3-गोगुन्दा:	
क- राज्याभिषेक स्थल एवं स्मारकों आदि का विकास कार्य।	5.00
ख- स्मारकों व उसकी आस-पास की जगहों का सुधार एवं विकास कार्य।	2.50
ग- छतरियों का सुधार कार्य।	2.50
4- चांवण्ड:	
चांवड़ के स्मारकों, आस-पास की जगहों एवं पहुंच मार्ग का सुधार कार्य।	25.00
5- कुम्भलगढ़:	
किले एवं महलों आदि के खुर्दों का पुनः स्थापन आस-पास की जगहों एवं पहुँच मार्ग का विकास तथा पीने के पानी की व्यवस्था	20.00
6- यातायात:	
क- दो लक्जरी कोच (आरामदेह बसें) की व्यवस्था जो मेवाड़ काम्पलेक्स के पैकेज टूर हेतु उदयपुर चालू की जावेगी।	5.00
ख- उदयपुर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण हेतु एक आरामदेह बस की व्यवस्था।	2.50
योग..	100.00

परिवहन राष्ट्रीयकरण की उपादेयता

128. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में प्राइवेट बसेज को बन्द कर राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाने के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य रहे है ?

(2) राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य आम जनता को सुविधाएं देना था या इससे आर्थिक लाभ कमाना था ?

(3) क्या इन दोनों में से एक भी उद्देश्य की पूर्ति में सफलता मिली है ? यदि हां, तो कैसे ?

(4) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में यात्री परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीकरण करने के उद्देश्य यात्रियों को मितव्ययी, दक्ष, समुचित एवं समन्वित परिवहन सेवायें उपलब्ध कराना रहा है।

(2) राष्ट्रीकरण के उद्देश्य प्रश्न 1 के उत्तर में दर्शाये हुए हैं, स्पष्ट हैं इसमें आम जनता को सुविधा देना ही हैं।

(3) जी हां।

राष्ट्रीकरण के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा लम्बे एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर द्रुतगामी सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य के जिला मुख्यालयों, उपजिला, तहसीलों तथा मुख्य-मुख्य मण्डियों को एक दूसरे से जोड़ते हुए पर्याप्त, समन्वित सेवायें संचालित की जा रही हैं। साथ ही मुख्य-मुख्य शहरों के आसपास वाले कस्बों से आने वाले यात्री भार को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न मार्गों पर शटल सेवाओं की वृद्धि की जाती रही है। मुख्य-मुख्य मेलों तथा त्यौहारों/धार्मिक उत्सवों पर भी अतिरिक्त सेवायें संचालित की जाती हैं। राजस्थान स्थित कई स्थानों पर निगम द्वारा मुख्य बस स्टेण्ड निर्माण करवायें गये हैं जो यात्री सुविधाएं तथा विश्रामालय शेड पीने के पानी तथा शौचालयों/मुत्रालयों की सुविधा युक्त हैं। परिवहन निगम द्वारा यात्री भाड़े की दरें भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है जो संचालन की बढ़ी हुई लागत के संदर्भ में निर्धारित की जाती हैं। वाहनों के समय पर संचालन एवं यंत्र दोनों को अविलम्ब दूर करने के दृष्टिकोण से आगार एवं संभाग कार्यशालायें स्थापित की हुई हैं। मार्ग पर वाहनों के यंत्र दोष हो जाने की स्थिति में पिछली आने वाली वाहन द्वारा यात्रियों को स्थान देकर उन्हें गन्तव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है और यह सब प्रयास प्रश्न 1 के उत्तर में राष्ट्रीयकरण उद्देश्यों की पूर्ति की सार्थकता दर्शाते हैं।

(4) जी नहीं।

राम कटोरी नेत्र चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन्स में गड़बड़ी

129. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री यदुनाथ सिंह)

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर के रामकटोरी नेत्र चिकित्सालय में डाक्टर्स की लापरवाही के कारण एक दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखें खराब हो गयी हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनकी आंखों की ज्योति चली गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकारी अस्पताल के औजारों से डाक्टर्स ने मरीजों का अपने निवास पर नियम विरुद्ध आपरेशन किया ? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन पीड़ित व्यक्तियों के समर्थन और डाक्टरों के इस अमानवीय कृत्य के विरोध में भरतपुर, जयपुर तथा दिल्ली में आन्दोलन, अनशन और भूख हड़ताल की गयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जून, 1981 के प्रथम सप्ताह में प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री को आंखफोड़ कांड के पीड़ितों की सहायतार्थ तथा डाक्टरों की गुटबन्दी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो कृपया उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(5) सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं डाक्टरों की लापरवाही के कारण किसी की भी आंखें खराब नहीं हुई । परन्तु यह सत्य है कि रामकटोरी अस्पताल, भरतपुर में माह फरवरी एवं मार्च, 81 में 7 रोगियों की आंखों में आपरेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ । जांच करने के बाद डाक्टरों की लापरवाही होना नहीं पाया गया । 7 व्यक्तियों की सूची संलग्न हैं ।

(2) जी नहीं, नियम के विरुद्ध आपरेशन नहीं किए गए । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(3) भरतपुर तथा दिल्ली की हड़ताल के विषय में तो विभाग को कोई सूचना नहीं है परन्तु जयपुर में कुछ घण्टों के लिए श्री अरुणसिंह हड़ताल पर बैठे थे जो वस्तुतः स्थिति जानने के पश्चात् स्वयं ही उठ कर चले गये । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(4) प्रधान मंत्री का कोई पत्र मुख्य मंत्री के नाम इस सम्बन्ध में नहीं आया था, अलबत्ता प्रधान मंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव का एक पत्र इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव के नाम आया था ।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

भरतपुर में रामकटोरी चिकित्सालय में आंखों से इनफेक्टेड बीमारों की सूची:—

(1) श्रीमती कोकली
(2) श्री हुकम सिंह
(3) श्री भगवत
(4) श्रीमती सिंगारी
(5) श्री नाथूलाल
(6) श्रीमती चमेली देवी
(7) श्री रेवती

(208)

बाढ़ पीड़ितों को सहायता

130. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष राज्य के कौन-कौन से जिलों में बाढ़ आई ? बाढ़ पीड़ित लोगों को क्या-क्या राहत पहुंचाई गई ? कृपया जिलों के ग्राम, कस्बों एवं शहरों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) कितनी-कितनी जन हानि, पशु हानि, मकान हानि, धन हानि हुई है? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य में जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, भरतपुर जिले अतिवृष्टि से गम्भीर रूप से प्रभावित हुए। राहत पहुंचाने हेतु तत्काल कदम उठाये गये। बेघर लोगों को तुरन्त स्कूलों व अन्य सरकारी भवनों में ठहराया गया तथा उन्हें 7 से 15 दिन तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया गया। राहत कार्यों को देखने के लिये वरिष्ठ आयुक्त अलग-अलग स्थान के लिये प्रभारी बनाये गये। जयपुर शहर में पानी का वितरण पीने के लिए पानी टैंकरों से तथा दमकल वाहनों से पहुंचाया गया । आवश्यक संचार लाइनों को पुनः चालू किया गया। महामारी की रोकथाम के लिये चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई एवं एक लाख अठाइस हजार सात सौ व्यक्तियों को रोग निरोधक टीके लगाये गये। मृत पशुओं के अवशेषों को जमीन में गाड़ने के प्रबन्ध किये गये। बाढ़ग्रस्त घोषित गांवों व कस्बों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त घोषित करके राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेशन आफ प्रोसिडिंग्स एक्ट, 1952) धारा 5 से 10 तक प्रावधान लागू कर कर्जों की वसूली के लिये डिक्रियों व अदालती कार्यवाही स्थगित की गई। भू-राजस्व वसूली दिनांक 30-9-81 तक स्थगित कर दी गई। इसके अतिरिक्त अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदला जा चुका है।

(2) जन हानि, पशु हानि, मकान हानि, धन हानि की सूची सदन के पटल पर प्रेषित है ।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वन विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति

131. श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वन विभाग के तहत वनपालों एवं वन रक्षकों के कितने पद रिक्त हैं एवं इनके भरने की क्या कोई संभावना है ?

(2) वन विभाग के तहत गार्ड एवं केटल गार्ड के पदों पर भर्ती हेतु क्या योग्यता रखी गई है ?

(3) गार्ड व केटल गार्ड की भर्ती में आरक्षण की क्या नीति है ?

२०९

(वन मंत्री)

उत्तर

(1) राज्य में वन विभाग में वनपालों के 126 पद तथा वन रक्षकों के 53 पद रिक्त हैं। इनमें से राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत 46 वनपालों के पदों में सीधी भर्ती हेतु ली गई परीक्षा एवं साक्षात्कार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा रोक लगाई जाने के फलस्वरूप नियुक्ति हेतु कार्यवाही नहीं की जा सकी है। शेष वनपाल एवं वन रक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(2) वन रक्षकों की नियुक्ति हेतु कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु राजस्थान फोरेस्ट सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1963 के प्रावधानान्तर्गत उनके पदोन्नति के मार्ग अवरुद्ध नहीं हो जावें इसलिए मिडल उत्तीर्ण व्यक्तियों को ही भर्ती करने की प्रथा विभाग में प्रचलित है। केटल गार्ड के पद नियमित संवर्ग में सम्मिलित नहीं है एवं इन पदों पर भर्ती हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है।

(3) गार्ड के पद पर भर्ती में आरक्षण की 40 पाइंट रोस्टर प्रणाली लागू है, परन्तु केटल गार्ड (वर्क चार्ज) के पद पर भर्ती में आरक्षण लागू नहीं है।

पंचायत समिति जमवारामगढ़ के दोषी सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही

133. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जमवारामगढ़ पंचायत समिति के अन्तर्गत किन-किन सरपंचों के विरुद्ध गेंहू की लूट में सम्मिलित होने की जनता ने शिकायतें की हैं ?

(2) इनमें किन-किन सरपंचों के खिलाफ जांच की जा चुकी है और उन पर क्या कार्यवाही इस समय चल रही है ?

(3) क्या जांच के दौरान झूठे हिसाब पेशकर गेहूं का गबन करने की बात स्पष्ट हो जाने पर भी कतिपय सरपंचों को जिला स्तर के अधिकारियों का नाजायज संरक्षण प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) यदि नहीं, तो पंचायत रामपुर सामपुरा—बीरासना—मेहंगी व जमुवारामगढ़ के सरपंचों की अनेक गलत बातें छोड़ कर अधिकारी को बता दिये जाने पर भी इन पर इतने दिन से कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हुई है ?

(5) क्या सरकार पंचायत राज के शुद्धिकरण की दृष्टि से इस प्रकार के अपराधी सरपंचों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही शीघ्र करेगी ?

उत्तर

(1) यह मामला राज्य स्तर पर पर विचाराधीन है। अत्यन्त शीघ्र सुनाव कराये जावेंगे।

(2) जमवारामगढ़ पंचायत समिति के सरपंच ग्राम पंचायत, जमवारामगढ़, फूटोलाव, धूलारावजी, डांगरवाड़ा, बीरासना, रायपुर, मंहगी, सायपुरा, ताला, भानोत, धौला के विरुद्ध अनियमितताओं के बावत शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(पंचायत मंत्री)

(3) उक्त सरपंचों में से सरपंच फुटोलाव डांगरवाड़ा व धूलारावजी को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोप गम्भीर पाये जाने की सूरत में निलम्बित किया जा चुका है।

सरपंच जमवारामगढ़ के विरुद्ध जांच रिपोर्ट विभाग में दिनांक 17-9-81 को प्राप्त हो चुकी हैं जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

सरपंच मंहगी, रायपुर, विरासना व सायपुरा की प्रारम्भ जांचें जिला स्तर पर लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जिलाधीश ने इन जांच रिपोर्टों को शीघ्र ही भेजने का आश्वासन दिया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सरपंच धौला के विरुद्ध जिला स्तर पर शिकायत की जांच पूर्ण की जा चुकी हैं। इनके विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही हैं। जिलाधीश के अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराने के पश्चात पत्रावली मय जांच रिपोर्ट के उचित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी जावेगी। सरपंच ताला व भानो की जांच जिला स्तर पर की जा रही है।

जी नहीं। यह गलत है।

(4) कार्यवाही निरन्तर की जा रही हैं जैसा कि उत्तर के भाग (3) में वर्णित है।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

नगरपालिका, रामगंज मंडी द्वारा परगना अधिकारी के निवास स्थान पर किया गया खर्च

134 श्री हरीश शर्मा रामगंज मण्डी : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रामगंज मन्डी नगरपालिका के प्रशासक जब से प्रशासक नियुक्त हुए हैं तब से इन्होंने एवं परगना अधिकारी ने अपने निवास की मरम्मत एवं सुन्दरता पर कितनी धनराशि अब तक व्यय करवायी है?

(2) क्या इनका आवासीय भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आता है? यदि हां, तो इस भवन पर नगरपालिका का धन व्यय करवाना क्या अपने पद का दुरुपयोग नहीं है?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रशासक नगरपालिका कोष से अपने अतिथियों की सेवा हेतु धन लेते रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) रामगंज मण्डी नगरपालिका के प्रशासक व परगना अधिकारी के निवास व कार्यालय की मरम्मत आदि पर रु. 9,036=17 पैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग से व्यय किए गए हैं।

नगरपालिका से कोई राशि व्यय नहीं करवाई गई है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां । प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(3) जी नहीं ।

किसान रली हेतु अनुबंधित बसों के किराये का भुगतान

135. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान रैली के लिये राज्य पथ परिवहन निगम की अनुबन्धित बसेज का निगम को कितना किराया कांग्रेस पार्टी द्वारा जमा करवाया जाना है ?

(2) इस किराये की राशि की वसूली के सम्बन्ध में राज्य पथ परिवहन निगम ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान रैली के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अनुबंधित बसों का कुल 43,37,761.22 रुपये कांग्रेस पार्टी को जमा करवाना है ।

(2) निगम द्वारा इस राशि की वसूली के लिये वेयक बनाकर दि.13-5-81 को अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भुगतान हेतु प्रेषित किये गये और तत्पश्चात् समय समय पर रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा स्मरण पत्र भेजे गये, अन्तिम स्मरण पत्र दि. 1-9.81 को भेजा गया ।

सवाई मानसिंह अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज जयपुर की स्टाफ कार

136. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ को लाने ले जाने के लिए कितनी कारें हैं ?

(2) इन कारों का क्या उपयोग है ?

(3) क्या कारें पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या इनकी संख्या में वृद्धि करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल एवं मेडिकल कालेज के स्टाफ को लाने ले जाने के लिए एक कार उपलब्ध है ।

(2) इस कार का उपयोग प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजकार्यों के लिए किया जाता है ।

(3) कार पर्याप्त तो नहीं है लेकिन वर्तमान में वित्तीय प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ कार उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है ।

नागौर क्षेत्र की पंचायतों को प्रदत्त अनुदान राशि

137. श्री मङाराम चौधरी (नागौर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

निर्वाचन क्षेत्र नागौर में वर्ष 1980-81 में पंचायतों को किस किस माह में

(श्री महाराम चौधरी)

कितनी-कितनी राशि देय अनुदान में से भुगतान की गई ? क्या यह सही है कि इस राशि में से मजदूरों की बकाया का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो इस रूप में कितनी राशि की कटौती हुई है ?

उत्तर

निर्वाचन क्षेत्र नागौर को वर्ष 1980-81 में पंचायतों के अनुदान स्वरूप रुपये 5,32,200) स्वीकृत किये गये जिसमें से माह अक्टूबर, 80 में रुपये 1,69,-320) एवं माह नवम्बर, 80 में रुपये 13,305) कुल रुपये 1,82,625) का पंचायतों को अनुदान के रूप में भुगतान किया गया ।

यह सही है कि अनुदान राशि में से मजदूरों की बकाया का भुगतान किया गया है इस अनुदान राशि में से कुल रुपये 3,00,000) मजदूरी पेटे कटौती की गई है ।

उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा अधिगृहीत भवन

138. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा सड़कें चौड़ी करने हेतु किन-किन लोगों के कितने मकान किन नियमों के तहत अधिगृहीत किये हैं व उनको किन नियमों के तहत कितना-कितना मुआवजा दिया गया है ?

(2) उदयपुर नगर विकास न्यास द्वारा मकान अधिग्रहण कर मुआवजा देने के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

(3) क्या इनमें भूतपूर्व मंत्रिमण्डल के एक सदस्य या उसके परिवार के किसी सदस्य का मकान या दुकान भी अधिग्रहण किया है ? उन्हें किन नियमों के तहत कितना मुआवजा दिया गया है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान नगर विकास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अधीन जिन व्यक्तियों के सड़कें चौड़ी करने हेतु मकान भूमि आदि नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा अधिग्रहण किये गये हैं एवं जो मुआवजा दिया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) राजस्थान नगर विकास अधिनियम, 1959 की धारा 51 के अधीन नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा मकान अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जाता है।

(3) न्यास द्वारा भूतपूर्व राज्य मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य का मकान अभी तक अधिग्रहण नहीं किया गया है, लेकिन भूतपूर्व मंत्रिमण्डल के सदस्य की सड़क में आने वाली दुकान व ऊपर बने हुए दुकान मकान को अधिग्रहण करने की कार्यवाही नगर विकास न्यास के विचाराधीन है । इन्हें अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है ।

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज०)

जिन व्यक्तियों के मकान/ भूमि सड़क में आने से अवाप्त किये गये उनकी सूची

क्र० सं०	नाम व्यक्ति जिनका मकान/ भूमि अधिग्रहण की गई	योजना का नाम	मुआवजा जो दिया — राशि जो दी गई	भू-खण्ड मय क्षेत्रफल	देने की दि०	भू-खण्ड जहां दिये गये	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री प्यारेलाल-किसना मेघवाल	विश्वविद्यालय एप्रोच रोड	543)	51-रु, 1000 वर्गफीट	2-5-1979	पारड़ा यो०	इस प्रकार से इस योजना में लगभग 15 व्यक्तियों को नकद मुआवजा व भू-खण्ड दिये गये।
2.	श्री किसन गिरी भोलागिरी	,, ,,	3383)	102,1250,,	2-5-1979	पारड़ा योजना	
3.	श्री हेमराज सालवी	,, ,,	2025)	94, 1000,,	2-5-1979	पारड़ा यो०	
4.	श्री राधाकिसन	,, ,,	13066)	100,101,2500,,	10-7-1979	पारड़ा योजना	
5.	श्री जगन्नाथ जोशी,आत्मज श्री दयाशंकर जोशी	हाथीपोल यो० में 22208 वर्ग फीट व मकान अधिग्रहण	130000)	8197 वर्ग फीट.. का प्लाट	31-12-70	प्लाट नं० 18 पोलो ग्राउन्ड निवास	8000 वर्ग फीट से अधिक 197 वर्ग फीट की राशि 180 प्रति वर्ग फीट से 354-60 पैसे लिये गये।
6	श्री मोतीसिंह पिता नन्दाणी	पाठों की मगरीमें 661 वर्ग फीट मय मकान के ली गई।	1544)	96,2749,	1977	पाठों की मगरी	661 फीट का एक्सचेंज, शेष 2088 वर्ग फीट की राशि 22-50 प्रति वर्ग गज से 5757)मय कोनंर के ली। इसमें 1544) रु० कम करके शेष 4213-37पैसे दिये।
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	तोरन बावड़ी के पास 487 वर्ग फीट भूमि ली गई।	निल	प्लाट नं० 1 ए सूरज पोल उदिया पोल रकबा 1400 शोप-कम-1664 वर्ग फीट	1971	सूरजपोल उदियापोल योजना	487 वर्ग फीट एक्सचेंज में 913 वर्ग फीट के 16) फीट से 14608) लिये गये।
	श्रीमती शोभना पोरवाल	पंचवटी झरने के पास 1664 फीट शोप-कम-फ्लेट की ली गई।			1[illegible]-[illegible]0-80	57-के पास शोप-कम फ्लेट की दी।	राज्यादेश सं० दि० के अनुसार ली गई।

नोट: उपरोक्त सभी मामलों में भूमि, मकान का अधिग्रहण आपसी समझौते द्वारा न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

Page No 216

(217)

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में विद्यालयों में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था

139. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर की लगभग सभी पंचायत समितियों में कम से कम 8 या 10 स्वीकृत प्राइमरी पाठशालायें ऐसी हैं जहां कोई भी अध्यापक नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थिति इसलिये पैदा हुई है कि राज्य सरकार 49 विद्यार्थियों के औसत पर एक अध्यापक स्वीकृत करती है और इन शालाओं में औसतन 15-20 छात्र ही होते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार एक स्वीकृत प्राथमिक शाला और उसके लिये कम से कम एक अध्यापक के सिद्धान्त को मान्यता देने को तैयार है ?

(4) यदि हां, तो सरकार इस विसंगति को अधिक से अधिक कितने समय में मिटा सकेगी ?

(5) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास इस विसंगति को दूर करने की कोई योजना है ?

उत्तर

(1) यह पूर्णतया सही नहीं है ।

(2) जी नहीं । इन जिलों में अध्यापकों की कमी की वजह से सभी पाठशालाओं में अध्यापक उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है ।

(3) जी हां । जब भी कोई प्राथमिक विद्यालय खोला जाता है तो उसके लिए कम से कम एक अध्यापक का पद अवश्य स्वीकृत किया जाता है ।

(4) इस संबंध में कोई विसंगति नहीं है । अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की चेष्टा की जा रही है ।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

नगर परिषद जोधपुर के सफाई निरीक्षक के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पेश करना

140. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि दिनांक 18-2-1978 को अपर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जोधपुर द्वारा नगर परिषद, जोधपुर के सफाई निरीक्षक श्री दीन दयाल सांखला को भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार कर अपराध संख्या 10/78 रजिस्टर किया गया था ? यदि हां, तो इस अभियोग को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । कानूनी दृष्टि से अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत योग्य नहीं पाया गया । इस प्रकरण में विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है ।

जयपुर में क्रियाशील सी.टी.एस. बसेज

141. श्री भैंरूलाल मीणा (उदयपुर, ग्रामीण) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर की सी.टी.एस. की कितनी बसेज राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित रूट्स पर चलने वाली बसों को बिना किसी सूचना के जब चाहे तब निरस्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से और क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में औसतन 86 वाहनें नगरीय सेवा के विभिन्न मार्गों पर चलाई जा रही हैं ।

(2) जी हां । प्रतिदिन रात्रि को उपलब्ध मार्ग योग्य वाहनों में से अगले दिन विभिन्न मार्गों पर चलाने के लिए वाहनों का निर्धारण किया जाता है तथा माग वंचित वाहनें अधिक होने पर सभी मार्गों पर समान रूप से यथानुसार सेवाओं का निरस्तीकरण करना पड़ता है अतः पूर्व सूचना प्रसारित नहीं की जा सकती है ।

गडरा रोड-जेसीधर जलप्रदाय योजना

142. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर की तहसील शिव में गडरा रोड -जेसीधर जल प्रदाय योजना कौन से वर्ष में स्वीकृत हुई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि गडरा रोड-जेसीधर जल प्रदाय योजना से अभी तक ग्राम मखनकापार-लोलमी और जेसीधर में एक दिन भी पानी नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो क्यों और अब जेसीधर गांव में कब तक पानी पहुंचेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा गडरा रोड-जेसीधर जल प्रदाय योजना वर्ष 1977-78 में स्वीकृत की गई थी ।

(2) जी हां, स्वीकृत योजना के अनुसार ग्राम मक्कन का पार, लोलमा एवं जेसीधर में अभी तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका है, चूंकि गडरा रोड में स्थित दो नलकूपों की जल उत्पत्ति योजना की कुल मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है । जल उत्पादन बढ़ाने हेतु अब एक और नलकूप खोदा जा चुका है, जिससे ग्राम जेसीधर में वर्ष 1981-82 में पेयजल उपलब्ध करवा दिये जाने की सम्भावना है ।

लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के पदो को प्रभावी बनाना

143. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का पद कब से स्थापित किया गया है ? लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त द्वारा कितने मामलों की दिनांक 31-8-1981 तक जांच अथवा सुनवाई की गयी है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) जब से लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का पद स्थापित हुआ है, तब से कितना बजट स्वीकृत किया गया एवं कितना खर्चा हुआ ? कृपया वर्ष वार दिनांक 31-8-1981 तक का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त के सीमित काम एवं कार्य प्रक्रिया व्यवस्था को प्रभावी बनाने व पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार इस कानून में संशोधन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त के पद की स्थापना राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत हुई है। यह अधिनियम 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत्त हुआ माना गया है।

वर्णित अवधि में कुल 7055 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें 2000 शिकायतों में जांच अथवा सुनवाई की कार्यवाही हुई, शेष शिकायतें लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में न होने अथवा अन्य खामियां होने से फाइल कर दी गईं।

वर्ष वार विवरण जो परिशिष्ट 'क' में अंकित है सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विवरण जो परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) कानून में संशोधन का प्रश्न अभी राज्य के विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

प्राप्त शिकायतें तथा उनकी जांच/सुनवाई इत्यादि का वर्ष वार विवरण

अवधि	प्राप्त शिकायतें	प्रारम्भिक स्तर पर फाइल की गई	जांच या सुनवाई की गई
1973-74	1982	1473	14
1974-75	1183	995	523
1975-76	1246	792	200
1976-77	822	492	304
1977-78	777	470	264
1978-79	302	149	187
1979-80	327	135	209
1980-81	318	177	185
1-4-81 से 31-8-81	98	61	114
कुल संख्या	7055	4744	2000

परिशिष्ट 'ख'

लोकायुक्त सचिवालय के लिए स्वीकृत अनुदान एवं वास्तविक खर्च का विवरण

वर्ष	मूल अनुदान	वास्तविक खर्च
1973-74	2,23,000	2,49,308
1974-75	3,06,000	3,04,883
1975-76	3,43,000	3,09703
1976-77	3,43,000	3,34,170
1977-78	4,24,000	3,36,467
1978-79	4,37,000	3,34,152
1979-80	4,45,000	3,64,053
1980-81	4,75 000	4,31,087
1981-82	5,20,000	1,94,823(31-8-81 तक)
महायोग :	35,16,000	28,58,646

तहसील प्रतापगढ़ में सड़क निर्माण में भूमि कृषकों की अवाप्त

144. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विभिन्न मार्गों पर सड़क निर्माण में कितने खातेदार कृषकों की कितनी भूमि अवाप्त की ? कृपया विभिन्न सड़कवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) खातेदार कृषकों की अवाप्त की गयी कृषि भूमि के मुआवजे का भुगतान कितने कृषकों का किस सड़क का अब तक बकाया है ?

(3) प्रतापगढ़-नीमच मार्ग पर वर्ष 1980-81 में कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी ? इसमें से कितनी राशि अवशेष रही ? सड़क निर्माण किस रूप में कहां तक पूरा हो चुका है ?

उत्तर

(1 एवं 2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट "क")

(3) प्रतापगढ़ से नीमच मार्ग के लिये 1980-81 में 19.20 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई है । इसमें से 17,385 लाख की राशि अभी अवशेष है । स्वीकृति के अनुसार 12 कि.मी. सड़क का निर्माण होना है । जिसमें से 3/0 कि. मी. तक डामर सड़क है व 3/0 कि. मी. से 12/0 कि.मी. में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

परिशिष्ट 'क'

क्र० सं०	नाम सड़क	कृषक खातेदार	भूमि रकबा	कृषक संख्या जिनको भुगतान किया गया
1.	प्रतापगढ़-बांसवाड़ा सड़क	2	2 बीघा 17 बिस्वा	2
2.	प्रतापगढ़-छोटी सादड़ी सड़क	87	47 बीघा 5 बिस्वा	85
3	दालोट-सालमगढ़ सड़क	88	32 बीघा 18 बिस्वा	—
4.	अरनोद-पिपलोदा-गोतमेश्वर सड़क	232	187 बीघा 6 बिस्वा	179
		409	270 बीघा 6 बिस्वा	266

ग्राम पंचायत सिकन्दरा के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

145. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार के पास ग्राम पंचायत सिकन्दरा तहसील सिकराय के वर्तमान सरपंच के विरुद्ध गबन, पद का दुरुपयोग व अन्य अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) इन शिकायतों पर कब तक कार्यवाही पूरी करके निर्णय ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । जिला स्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत सिकन्दरा तहसील सिकराय के विरुद्ध ग्राम जनता सिकन्दरा द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच जिला स्तर पर की जा रही है । राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

(2) जिला स्तर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न की जावेगी ।

सी. टी. एस. बसेज के मासिक पास

147. श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जयपुर शहर में चलाई जा रही सी.टी.एस. बसेज के यात्रियों की सुविधा हेतु मासिक पास जारी करती है ? यदि हां, तो बिना पूर्व सूचना के सामान्य पास बनाने हेतु सम्बन्धित बुकिंग बूथ पर पास बनाने क्यों बन्द कर दिये जाते हैं ?

(श्री शिवराम शर्मा)

(2) मासिक पास बनाने की सुविधा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध है? मासिक पास किस तिथि से किस तिथि तक सम्बन्धित बूथ्स पर बनाये जाते हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पास बनाने हेतु निगम के कर्मचारियों को समय पर सम्बन्धित बूथ्स पर नहीं भेजा जाता है? यदि हां, तो इस प्रकार परिवर्तन करने के लिये कौन-सा अधिकारी जिम्मेदार है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) विद्यार्थियों के मासिक पास बनाने हेतु कौन-कौन से बूथ्स पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है?

(5) सामान्य नागरिकों के लिये पास बनाने की सुविधा किन-किन बूथ्स पर है? क्या यह व्यवस्था प्रति माह बिना पूर्व सूचना प्रसारित किये बदल दी जाती है? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? सम्बन्धित सक्षम उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मासिक पास जारी किये जाते हैं। बिना पूर्व सूचना के सामान्य पास बनाना किसी भी स्थान पर बन्द नहीं किया जाता है।

(2) वांछित सूचना सदन की मेज पर रखवी गई हैं।

(3) जी नहीं।

(4) विद्यार्थियों के मासिक पास बनाने की सुविधा निम्न स्थानों पर उपलब्ध कराई हुई है :-

(क) कमला नेहरू मार्केट, अजमेरी गेट
(ख रेलवे स्टेशन
(ग) शास्त्री नगर
(घ) बड़ी चौपड़
(ङ) आमेर
(च) जवाहर नगर
(छ) बजाज नगर
(ज) सांगानेर

शिक्षा सत्र के दौरान मुख्य-मुख्य विद्यालयों/महाविद्यालयों में विशेष कर्मचारी लगाकर प्रति माह आवश्यकतानुसार पास बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(5) सामान्य नागरिकों के लिये मासिक पास बनाने की सुविधा निम्न स्थानों पर उपलब्ध कराई हुई हैं :-

(क) कमला नेहरू मार्केट, अजमेरी गेट
(ख) रेलवे स्टेशन
(ग) शास्त्री नगर
(घ) बड़ी चौपड़
(ङ) आमेर
(च) जवाहर नगर
(छ) सांगानेर

जी नहीं।

उन स्थानों की सूची जहां पर सामान्य जनता तथा विद्यार्थियों के मासिक पास बनाने की व्यवस्था की हुई है :–

क.सं.	स्थान	मासिक पास बनाने का समय	अन्य विवरण
1–	कमला नेहरू (पूर्व) मार्केट, अजमेरी गेट	पूरे माह	यहां उपनगरीय मार्गों के मासिक पास भी बनाये जाते है ।
2–	रेलवे स्टेशन	28 से 5 तारीख प्रतिमाह	रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाले मार्गों के मासिक पास बनाये जाते हैं ।
3–	शास्त्री नगर	——,,——	शास्त्रीनगर से संचालित होने वाले मार्गों के मासिक पास बनाये जाते हैं ।
4–	बड़ी चोपड़	——,,——	बड़ी चोपड़ से संचालित होने वाले मार्गों के मासिक पास बनाये जाते हैं ।
5	आमेर	——,,——	आमेर से संचालित होने वाले मार्गों के मासिक पास बनाये जाते हैं ।
6–	जवाहर नगर	——,,——	जवाहर नगर से संचालित होने वाले मार्गों के मासिक पास बनाये जाते हैं ।
7–	बजाज नगर	——,,——	बजाज नगर से संचालित होने वाले मार्गों के मासिक पास बनाये जाते हैं ।
8–	सांगानेर	——,,——	सांगानेर से संचालित मार्गों के मासिक पास बनाये जाते हैं ।

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 79 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

उत्पादन विवरण

माह	उत्पादन वर्ग फीट में (वर्ष)	
	1980-81	1981-82
अप्रेल	35,592	89,863
मई	29,553	63,712
जून	8,371	77,259
जुलाई	5,353	1,05,760
अगस्त	10,246	80,367
सितम्बर	15,660	
अक्टूबर	26,774	
नवम्बर	44,219	
दिसम्बर	46,787	
जनवरी	49,940	
फरवरी	1,05,229	
मार्च	81,564	

परिशिष्ट "ब"

विक्रय का विवरण

क्र.सं.	दिनांक	किसे व कहां बेचा	मात्रा (वर्ग फीट)		दर (वर्ग फीट)
1	2	3	4	5	6
1	13-4-80	मै. राजस्थान चर्म कला केन्द्र, आगरा	गोट अपर	3357	14/-
2	23-4-80	मै. राजस्थान चर्म कला केन्द्र, आगरा	" "	3418	14/-

1	2	3	4	5	6
3.	24-,-80	जिला जेल, भरतपुर	बफकाफ	898.3	8/-
4.	5-5-80	पोपूल्स फूटवियर, आगरा	गोट लाईनिंग	1988.1	8/-
			गोट लाईनिंग	942.2	6.75
5.	8-5-80	मै. हर्षा एक्सपोर्ट्स जयपुर	बफकाफ	23.2	6.50
6.	13-5-80	मै. हर्षा एक्सपोर्ट्स; जयपुर	बफकाफ	135.2	8.50
			बफकाफ	78.3	10/-
7.	13-5-80	मै. हर्षा एक्सपोर्ट्स; जयपुर	बफकाफ	201.0	10/-
			बफकाफ	402.3	7.50
			बफकाफ	61.1	8.50
8.	13-5-80	मै. हर्षा एक्सपोर्ट्स, जयपुर	बफकाफ	333 2	8 50
			बफकाफ	202.1	7.50
			बफकाफ	341 1	10/-
			बफकाफ	367.3	5 90
9.	14-5-80	मै. हर्षा एक्सपोर्ट्स, जयपुर	बफकाफ	1496 2	10/-
			बफकाफ	107.3	8.50
10.	15-5-80	मै. राजस्थान चर्मकला केन्द्र, आगरा	गोट अपर	8412.3	14/-
11.	16-5-80	मै. प्रेसीडेन्सी किडलेदर, मद्रास	गोट अपर	8370.0	14-20
12.	16-5-80	मै. प्रेसीडेन्सी किडलेदर मद्रास	गोट लाईनिंग	4187.1	5.85
13.	20-5-80	मेजर एस.एस. बगलाल	गोट अपर	4.3	13/-
14.	20-5-80	तारलोक चन्द्र नरेन्द्रसिंह	बफकाफ	12.1	9/-
			बफकाफ	6.2	11/-
15	21-5-80	मै. स्टेपवेल इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली	गोट अपर	3210.2	14 5
			गोट लाईनिंग	2697.0	8.25
			गोट अपर	879 0	13/-
16.	25-5-80	मै. हिट्स एक्सपोर्ट आगरा	बफकाफ	24.0	0/-
17.	25-5-80	मै. पोपूल्स फूटवीयर, आगरा	गोट लाईनिंग	3961.3	8/-
					9/-
			गोट लाईनिंग	959.3	7.00
18.	25-5-80	मै. न्यू डौलर, आगरा	गोट अपर	1244.2	13.95
			गोट लाईनिंग	7.2	8.50

1	2	3	4	5	6
19.	30-5-80	मे. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	522.1	5.90
			बफकाफ	36.3	7.50
			बफकाफ	113.2	10.00
			शीपनापा	4.3	9.00
			गोट स्वेड	7.0	10.00
			गोट अपर	14.0	13.00
			गोट लाइनिंग	6.1	8.25
20	1-6-80	मे. न्यू डॉलर शू फैक्ट्री आगरा	गोट अपर	2653.0	11.00
			गोट अपर	1888.1	13.95
			गोट लाइनिंग	474.0	8.50
21	2-6-80	मे. राजस्थान चर्म कला केन्द्र, आगरा	गोट अपर	346.0	14.00
22.	4-6-80	मे. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	16.61	8.50
23.	6-6-80	मे. स्टेपवेल इन्डस्ट्रीज, दिल्ली	"	23.0	9.50
			बफकाफ	47.3	7.50
24.	20-6-80	मे. स्टेपवेल इन्डस्ट्रीज	गोट लाइनिंग	556.1	8.25
			गोट अपर	711.0	14.50
25.	21-6-80	मे. न्यू डॉलर, आगरा	गोट अपर	346.1	13.95
26.	23-6-80	मे. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	12.1	9.50
			गोट अपर	11.3	14.00
			गोट लाइनिंग	9.1	8.25
27.	24-6-80	मे. श्री बजाज, जयपुर	बफकाफ	10.1	7.50
28.	24-6-80	मे. श्री गांधी, जयपुर	बफकाफ	6.3	7.50
29.	24-6-80	श्रीमती प्रवीन खान, जयपुर	गोट अपर	4.0	1.00
30.	26-6-80	मे. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	काउकाफ	27.2	7.00
			बफकाफ	46.3	5.50
			गोट लाइनिंग	13.3	8.00
			बफकाफ स्पिलिट	19.3	2.25
31.	26-6-80	मे. पीपूल्स फूटवीयर, आगरा	गोट रिवर्स लाइनिंग	561.2	6.75
			गोट लाइनिंग	1963.1	8.00
			गोट अपर	55.0	12.50

224

1	2	3	4	5	6
32	1-7-80	मै. पीपल्स फुटवीयर, आगरा	गोट लाइनिंग	270.1	8 00
33	1-7-80	मै. स्टेपवेल इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली	गोट अपर	1421.0	14.50
			गोट लाइनिंग	815.1	8.25
34	2-7-80	मै. डा. आर.एस. राठौड़, टोंक	शीप लाइनिंग	33.3	7/-
35	8-7-80	मै. तार लोकचन्द्र नरेन्द्रसिंह, नई-दिल्ली	बफकाफ	11.0	9/-
36	10-7-80	मै. ए.के.गुप्ता, जयपुर	बफकाफ	7.2	7/-
37	10-7-80	मि. ब[illegible] प्रसाद, जयपुर	बफकाफ	7.3	7/-
38	11-7-80	मै. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कलकत्ता	गोट लाइनिंग	28.0	7.75
			गोट अपर	10.0	14.20
			गोट अपर	10.2	12-50
			शीप ग्लोविंग	14.0	6-50
			शीप नापा	4.1	8/-
			शीप नापा	3.3	7-50
			गोट नापा	5.1	12-50
			गोट स्वेड	12.3	12-50
39	14-7-80	मै. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	डाइड स्पिलट किलो	1.400	10/-
40	14-7-80	मि. एस. एस. जैन, जयपुर	बफकाफ	6.0	8/-
41	18-8-80	मै. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	10.2	6/-
			बफकाफ	61.3	6/-
			बफकाफ	11.2	6/-
			बफकाफ	25.1	8-50
			बफकाफ	7.3	6/-
			बफकाफ	17.0	6/-
			बफकाफ	14 1	7.50
			बफकाफ	7.3	7.50
			बफकाफ	15.0	7.50
42	30-7-80	मै. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	शीप नापा	52.0	7/-
			शीप नापा	26.0	7/-

1	2	3	4	5	6
43.	1-8-80	मं. न्यू डॉलर शू फैक्ट्री, आगरा.	गोट अपर	4.2	13/-
			गोट अपर	3.1	13/-
			गोट अपर	3.2	13/-
			गोट अपर	3.1	13/-
44.	12-8-80	मं. मि. एस. एम. दुरानी, अजमेर	बफकाफ (स्पिलिट)	14.0	2.50
			..	13.1	2.50
45.	28-7-80	मं. विजय इन्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	रॉ मुन्डेला	679 किलो.	1/-
			रॉ ट्रमिंग्स	3194 ,,	0.35/-
46.	3-9-80	मं. जेल अधीक्षक, भरतपुर	बफकाफ	900.3	8/-
			शीप ई आई	45 किलो	70/-
47.	5-9-80	एस. एम. एस. जयपुर	बफकाफ	111.1	7.75
			बफकाफ	76.2	7.75
			बफकाफ	200.2	7.75
			बफकाफ	198.1	7.75
			बफकाफ	78.3	7.75
			बफकाफ	79.0	7.75
			बफकाफ	179.2	7.75
			बफकाफ	1144.4	7.75
			बफकाफ	203.3	7.25
			काउकाफ	276.0	7.25
			शीप ग्लो-विंग	818.3	7.50
			शीप रिवर्स	558.2	7/-
			गोट रिवर्स	627.3	7.50
48.	9-9-80	मं. प्रभुदयाल शिवलाल, नई दिल्ली	वेटबिल्यू	155.93	5.25
49.	10-9-80	मं. ए. के. बिनाई, हरियाणा	बफकाफ	803.1	4.75
50.	10-9-80	मं. स्टेपवेल इन्डस्ट्रीज, दिल्ली	बफकाफ	27.3	6/-
51.	10-9-80	मं. स्टेपवेल इन्डस्ट्रीज, "	गोटलाइनिंग	6.2	7.50
52.	15-9-80	मं टाटा एक्सपोर्ट, देवास	गोट वेट-बिल्य	30.2	5.25
			गोट फस्ट	22.3	12/-

1	2	3	4	5	6
53.	10-9-80	मं. स्टेपवेल इन्डस्ट्रीज, देवास	बफकाफ	1962.9	7.25
54	23-9-80	मं. स्टेपवेल इन्डस्ट्रीज, देवास	बफकाफ	4337.6	7.25
55.	29-9-80	मं. स्टेपवेल इन्डस्ट्रीज देवास	बफकाफ	4618.4	7.25
56.	30-9-81	मं. न्यू डॉलर, आगरा	बफकाफ	96.6	9.50
57.	5-10-80	मं. प्रभुदयाल शिवलाल, दिल्ली	बफकाफ	23.1	9.50
58.	7-10-80	मं. प्लास्टिक्स इन्ड., दिल्ली	बफकाफ	1408.6	9.50
59.	5-10-80	मं. न्यू डॉलर, आगरा	बफकाफ	39.10	7/-
60.	9-10-80	मं. इजीप्शीयन शू. आगरा	गोट लाइनिंग	2057.3	7.50
61.	7-10-80	मं. स्टेपवेल, दिल्ली	बफकाफ	334.2	7.25
62.	12-10-80	मं. शू फेबरीकेटिंग, हरियाणा	काउकाफ	308.0	4.75
			बफकाफ	1069.1	4.75
63.	13-10-80	मं. पीपूल्स, आगरा	गोट अपर	34.3	12.75
			गोट लाइनिंग	73.0	7.50
64.	15-10-80	मं. स्टेपवेल, दिल्ली	बफकाफ	744.4	7.25
65.	15-10-80	मं. स्टेपवेल, दिल्ली	बफकाफ	664.1	7.25
66.	15-10-80	मं. स्टेपवेल, दिल्ली	बफकाफ	1391.4	7.25
67.	17-10-80	मं. स्टेपवेल, दिल्ली	गोट अपर	251.0	12.75
68.	22-10-80	मं. इजीप्शीयन, आगरा	गोट लाइनिंग	5180.3	7.50
			गोट नापा	48.3	13/-
69.	24-10-80	मं. पीपूल्स, आगरा	गोट लाइनिंग	2959.0	7.50
70.	24-10-80	मं. स्टेट ट्रेडिंग, आगरा	बफकाफ	20.1	9.25
71.	25-10-80	मं. पीपूल्स, आगरा	गोट अपर	2890.0	12.75
			गोट अपर	771.0	11.15
72.	27-10-80	मं. प्रभुदयाल शिवलाल, दिल्ली	गोट लाइनिंग	19100.3	5.25
73.	29-10-80	मं. न्यू डॉलर शू, आगरा	बफकाफ	429.3	9.50
74.	31-10-80	मं. शीला इन्टरनेशनल, दिल्ली	बफकाफ	113.0	12.00
75.	,,	मं. इजीप्शीयन शू फैक्ट्री, आगरा	गोट लाइनिंग	3204.2	7.50
			गोट अपर	253.0	13.00

Page No 229

(227)

1	2	3	4	5	6
76	31-10-80	मं. टी-टैक्स, कलकत्ता	शीप ग्लोविंग	6.2	7.00
			शीप "	3.0	8.00
77.	,,	मं. टी-टैक्स, कलकत्ता	शीप नामा	9.2	8.50
78.	5-11-80	मं. पोपूल्स, आगरा	गोट लाइनिंग	703.8	7.50
79.	,,	मं. भारत लेदर स्टोर्स, जयपुर	ट्रमिंग्स	102.5	15.00
			बफकाफ (स्पिलर)	287.0	8.00
80.	14-11-80	मं. पोपूल्स, आगरा	गोट लाइनिंग	849.0	7.50
81.	14-11-80	मं. इजीप्शीयन शू फैक्ट्री, आगरा	गोट लाइनिंग	5230.3	7.50
82.	18-11-80	मं. पोपूल्स, आगरा	गोट अपर	2633.7	12.75
			गोट अपर	363.2	11.75
			गोट लाइनिंग	1347.1	7.50
83.	19-11-80	मं. पोपूल्स, आगरा	गोट अपर	20.0	12.75
84.	22-11-80	मं. न्यू डॉलर, आगरा	गोट अपर	2144.3	13.00
			बफकाफ	2388.3	9.25
85.	26-11-80	मं. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	4881.2	13.00
			गोट लाइनिंग	2141.1	7.50
86.	27-11-85	श्री आर. डी. सिंह, टोंक	बफकाफ	7.2	6.00
87.	,,	श्री यादव, कोटा	गोट स्वेड	70.3	8.00
			गोट लाइनिंग	15.3	8.50
			गोट हेयरप्रोन	5.1	12.00
			शीप नापा	4.2	8.50
88.	29-11-80	मं. राजस्थान चर्मकला,आगरा	बफकाफ	337.1	9.00
89.	30-11-80	मं. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	25.1	5.75
90.	,,	मं. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	108.1	8.00
			काउकाफ	72.1	7.50
			गोट अपर	12.1	13.00
			शीप साफ्टी	8.3	8.50
91.	,,	मं. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	गोट अपर	22.0	13.00
			शीप साफटी	39.3	8.50
			बफकाफ	39.1	8.00

1	2	3	4	5	6
92.	30-11-80	मै. हर्ष एक्सपोर्ट, जयपुर	काउकाफ	13.3	7.50
93.	,,	,,	बफकाफ	211.0	8.00
94.	,,	,,	बफकाफ	36.0	8.00
95.	,,	,,	काउकाफ	38.2	7.50
96.	,,	,,	बफकाफ	169.1	9.00
97.	,,	,,	बफकाफ	208.0	9/-
			,,	370.3	8/-
			काउकाफ	65.1	7.50
98.	,,	,,	बफकाफ	195.1	8/-
99.	,,	,,	,,	166.3	9/-
100.	,,	,,	काउकाफ	114.1	7.50
			बफकाफ	77.0	8/-
101.	,,	,,	,,	384.3	5.75
102.	,,	,,	,,	847.3	5.75
			,,	296.2	8/-
103.	,,	,,	,,	638.3	8/-
104.	,,	,,	,,	175.2	5.75
106.	,,	,,	,,	224.0	5.75
107.	,,	मै. पीपूल्स, आगरा	गोटअपर	3144.2	12.75
			,,	808.1	11.75
			गोट लाइनिंग	2826.2	7.50
108.	,,	मै. भारत लेदर स्टोर्स, जयपुर	बफकाफ (मुन्डेला)	470.0	6/-
109.	,,	मै. स्टेपवेल इन्ड०, दिल्ली	गोट अपर	28.2	13/-
110.	,,	मै. न्यू डीलर, आगरा	बफकाफ	21.0	9-50
111.	,,	मै. पीपूल्स, आगरा	गोट अपर	11.0	14/-
112.	,,	मै. स्टेपवेल इन्ड., दिल्ली	,,	14.1	14.50
113.	,,	मै. कोल्टस इन्टरनेशनल, दिल्ली	शीप नापा	53.0	10/-
			बफकाफ	5.3	8.50
			,,	6.0	9.50
114.	,,	मै. टोपर्स टोप, दिल्ली	शीप लाइनिंग	5.1	7/-

1	2	3	4	5	6
115	30-11-80	मै. टोपर्स टोप, दिल्ली	गोट ग्लोविंग	8.0	7.50
			गोट स्वेड	17.3	10/-
			शीप नापा	19.2	10/-
			गोट लाइनिंग	65.3	8.50
116	,,	मै. जुनी इन्टरनेशनल, दिल्ली	बफकाफ	6.0	9.50
				5.3	8.50
117	,,	मै स्टेपवेल, दिल्ली	गोट लाइनिंग	14.1	8.25
118	1-12-80	मै श्री लालचन्द, दिल्ली	गोट अपर	7.3	10/-
			गोट लाइनिंग	5.3	6/-
			,,	6.3	5.25
			गोट अपर	6.1	11/-
			गोट लाइनिंग	4.1	7.50
119	..	मै. जेनेक्स इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, बम्बई	बफकाफ	7.3	8.50
			,,	14.2	7.50
			गोट अपर	4.1	13/-
			गोट लाइनिंग	3.2	8.50
120.	12-12-80	मै. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	5144.3	13/-
			गोट लाइनिंग	7608.2	7.5
121.	..	मै. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	146.2	13/-
122.	18-12-80	मै. स्टेपवेल इन्ड., दिल्ली	गोट अपर	1[illegible]8.3	13/-
123.	.	मै. पीपल्स, आगरा	गोट अपर	274.0	13/-
124	20-12-80	मै. पीपल्स, आगरा	गोट अपर	250.2	13/-
125.	21-12-80	मै. न्यू डॉलर, आगरा	बफकाफ	1466.0	9.50
126.	23-12-80	मै. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	2710.2	13/-
			गोट लाइनिंग	194.3	7.50
127.	24-12-80	मै. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट लाइनिंग	4785.1	7.50
128.	27-12-80	मै. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	4460.3	13/-
129.	29-12-80	मै. स्टेप्पवेल इन्ड., दिल्ली	गोट अपर	115.3	13/-
			गोट लाइनिंग	149.1	7.50
130.	31-12-80	मै. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट लाइनिंग	8282.3	70.5
131.	3-1-81	मै. राजस्थान लेदर क्राफ्ट, जयपुर	गोट लाइनिंग	62.2	8-50

1	2	3	4	5	6
132.	7-1-81	मै. फूटकेयर, आगरा	गोट अपर	118.2	13.25
			गोट लाइनिंग	89.3	7.50
133.	9-1-81	मै. महेश शू, आगरा	गोट लाइनिंग	102.0	7.50
			गोट अपर	99.1	13.25
134	10-1-81	मै. न्यू डौलर, आगरा	गोट अपर	2696.1	13/-
			गोट लाइनिंग	219.0	7.50
135	17-1-81	मै. न्यू डौलर, आगरा	गोट अपर	1000.1	13/-
136.	19-1-81	मै. पीपूल्स फूटवीयर, आगरा	गोट अपर	2822.0	13/-
			गोट लाइनिंग	1479.2	7.50
137.	23-1-81	मै. शील जैन, जयपुर	शीप नापा	110.1	7.50
138.	24-1-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	2697.0	13/-
			गोट लाइनिंग	1224.2	7.50
138	24-1-81	मै. पीपूल्स, आगरा	गोट लाइनिंग	2794.1	7.50
139	28-1-81	मै. भारत लैदर स्टोर्स, जयपुर	बफकाफ	1508.3	6/-
140	31-1-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट लाइनिंग	1970.2	7.50
141.	31-1-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	1937.1	13.00
142.	6-2-81	मै. पीपूल्स, आगरा	गोट लाइनिंग	7578.2	7.50
			गोट अपर	4360.2	13/-
143.	12-2-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	6393.3	13/-
			गोट लाइनिंग	2893.1	7.50
1 4.	1:-2-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	441.1	13/-
			गोट लाइनिंग	1871.2	7.50
145.	15-2-81	मै. भारत लैदर, जयपुर	बफकाफ	5987.0	6/-
146.	15-2-81	मै. भारत लैदर, जयपुर	बफकाफ	2353.0	6/-
147.	18 2-81	मै. भारत लैदर, जयपुर	बफकाफ	3715.2	6/-
148.	18-2-81	मै. भारत लैदर, जयपुर	बफकाफ	735.3	5/-
149.	18-2-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट लाइनिंग	4965.1	7.50
150.	20-2-81	मै. पीपूल्स, आगरा	गोट अपर	909.2	13/-
			गोट लाइनिंग	4273.3	7.50
151.	20-2-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट लाइनिंग	3039.2	7.50
152.	22-2-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट लाइनिंग	9549.1	7.50

Page No 233

(231)

1	2	3	4	5	6
153.	24-2-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	2149.2	13/-
			गोट लाईनिंग	5385.0	7.50
154.	24-2-81	मे. पोपूल्स, आगरा	गोट अपर	1405.2	13/-
155.	27-2-81	मे. इजोप्शीयन, आगरा	गोट लाईनिंग	5857.1	7.50
156.	10-3-81	मे. पोपूल्स फुटवीयर, आगरा	गोट अपर	3856.3	13/-
157.	10-3-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट लाईनिंग	8514.0	7.50
158.	14-3-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	6886.1	13/-
			गोट लाईनिंग	3841.0	7.50
169	16-3-81	मे. प्लाटिक्स एन्ड सिन्थेटिक्स, दिल्ली	गोट अपर	1178.3	13/-
160.	24-3-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	4022.1	13/-
			गोट लाइनिंग	5427.0	7.50
161.	26-3-81	मे. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	4240.0	4.50
162.	31-3-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट लाइनिंग	9391.2	7.50

परिशिष्ट "ब"

विक्रय का विवरण, 1981-82

क्रम सं.	दिनांक	किसे व कहां बेचा गया	माल किस्म	मात्रा (व.फिट)	दर (प्र.व.फिट.)
1	2	3	4	5	6
1.	10-4-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट लाईनिंग	2857.2	7.50
2.	22-4-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	" "	1468.3	7.50
			गोट अपर	7506.1	13/-
3.	23-4-81	मे. स्टेपवेल इन्ड. दिल्ली	बफकाफ	2833.1	8.50
4.	24-4-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट लाईनिंग	2429.2	7.50
5.	28-4-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	5280.0	13-/
6.	29-4-81	मे. इजोप्शीयन शू., आगरा	गोट लाईनिंग	1629.3	7.50
7.	30 4-81	मे. इजोप्शीयन शू, आगरा	गोट लाईनिंग	8260.3	7.50
			गोट अपर	4163.2	13-/.
8.	28-4-81	मे. विस्ट एन्टरप्राईजेज, जयपुर	शीप नापा	1155.0	7.50

1	2	3	3	5	6
9	12-5-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट लाईनिंग	8950.0	7.50
10.	19-5-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट लाईनिंग	7186.0	7.50
11.	23-5-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट लाईनिंग	4765.0	7.50
12.	26-5-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	2504.1	13/-
			लाईनिंग	772.0	7.50
13.	27-5-81	मै. राजस्थान चर्म कला केन्द्र आगरा	लाईनिंग	1847.3	7.50
			बफकाफ	270.3	9/-
14.	29-5-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोटअपर	2858.1	13/-
15.	31-5-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	लाईनिंग	4946.3	7.50
16.	30-5-81	मै. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	638.2	4.50
17.	6-6-81	मै. राजस्थान चर्म कला केन्द्र, आगरा	गोट लाईनिंग	1111.0	7.50
18.	17-6-81	मै. जूलियन मर्शियर, फ्रांस	शीपनापा	3318.3	7.92
19.	23-6-81	मै. शूलों; फ्रांस	शीप ग्लोविंग	2014.2	7.84
			शीप "	2032.0	6.56
20.	30-6-81	मै. ओरयन ग्लोव्ज, हॉगकॉंग	शीप लैदर	7203.0	6.60
21.	3-7-81	मै. क्योर सेन्टर, बेलजियम	" "	8000.0	6.34
22.	11-7-81	मै. बोलेरो ओपारटो, पुर्तगाल	शीप ग्लोविंग	5000.0	7.04
			" "	4000.0	8.80
23.	13-7-81	मै. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	847.2	4.50
24.	14-7-81	मै. न्यू डॉलर, आगरा	बफकाफ	2223.0	8.50
25.	15-7-81	मै. तेज शू फैक्ट्री, आगरा	बफकाफ	429.3	9/
26.	15-7-81	मै. जी को शू, आगरा	गोट अपर	1717.0	12.50
27.	15-7-81	मै. डाईवा ट्रेडिंग कम्पनी, जापान	शीप लैदर	8809.0	7.94
			" "	7412.2	8.28
28.	16-7-81	मै. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	बफकाफ	1753.0	4.50
29.	18-7-81	मै. इजीप्शीयन शू, आगरा	गोट अपर	4276.1	12.50
			लाईनिंग	5876.0	7/-
30.	29-7-81	मै. क्योर सेन्टर बेलजियम	शीप लैदर	10386.3	6.34
31	29-7-81	मै. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कार्पो. दिल्ली	शीप नापा	7173.1	6.25

233

1	2	3	4	5	6
32	31-7-81	मं. एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कार्पो. दिल्ली	शीप नापा	1209.3	6.25
33.	31-7-81	मं. डाईवा ट्रेडिंग कम्पनी, जापान	शीप लैदर	7025.0	8.28
34	4-8-81	मं. बिस्ट एन्टर प्राइजेज जयपुर	शीप नापा	446.0	11/-
35.	11-8-81	म. बिस्ट एन्टरप्राईजेज, जयपुर	शीप नापा	436.0	11/-
			वफकाफ	515.1	7/-
36.	15-8-81	मं. जीको शू, आगरा	गोट अपर	2067.0	12.25
			गोट स्वेड	501.2	10 50
			लाइ निंग	4512.2	6.50
37.	15-8-81	मं. न्यू डॉलर, आगरा	वफकाफ	309.2	8.50
38.	25-8-81	मं. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	वफकाफ	378.1	6.75
39.	26-8-81	मं. क्योर सेन्टर बेलजियम	शीप लैदर	30615.1	6.34
40.	27-8-81	मं. बिस्ट एन्टरप्राईजेज, जयपुर	शीप नापा	540.0	11/-
41.	29-8-81	मं. बिस्ट एन्टरप्राईजेज, जयपुर	वफकाफ	1746.2	8.50
42.	15-8-81	मं. हर्षा एक्सपोर्ट, जयपुर	शीप नापा	499.03	6.25

परिशिष्ट "स"

वर्ष 1980-81 में कच्चे माल के क्रय का विवरण

क्र.सं.	दिनांक	कहां से खरीद किया	माल किस्म	संख्या	दर प्रति नग
1	2	3	4	5	6
1.	4-4-80	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	बकरी की खालें	768	3[illegible].00 (3[illegible].00)
2.	4-4-80	मं. जमजम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	518	35.50
3.	11 4-80	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	952	36.00
4.	11-4-80	मं. जमील अहमद, नसीराबाद	"	210	35.00
5.	17-4-80	मं. मर्कन्टाईल एन्टर प्राईजेज, जयपुर	"	228	34.25 (34 25)

1	2	3	4	5	6
6.	17-4-80	मं. जमजम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	बकरीकी खालें	616	35.00
7.	19-4-80	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	1755	35.00
8.	18-4-80	मं.जोधपुर गोट स्किन्स कं.जोधपुर	"	3225	34.00
9.	,,	मं. मोहम्मद सिद्दीक, जोधपुर	"	2183	34.00
10.	,,	मं. रा-स्किन ट्रेडर्स, जोधपुर	"	5525	33.75
11.	25-4-80	मं. अब्दुल अफीज, ब्यावर	"	463	32.00
				6	15.00
12.	26-4-80	मं. लेखाराम खटीक, टोंक	"	42	30.50
13.	20-8-80	मं. जयपुर खालेमन, जयपुर	"	340	30.25
14	26-9-80	मं. भारत लेदर स्टोर, जयपुर	पाडे की खालें	1000	23.00
15.	13-10-80	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	बकरे की खालें	585	32.50
16.	14-10-80	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	1000	3[illegible].00
17.	,,	मं. भारत लेदर स्टोर, जयपुर	पाडे की खालें	1000	23.00
18.	27-10-80	मं. ए. अजीज एण्ड ए. रसीद कं., जोधपुर	बकरे की खालें	2900	43.00
19.	,,	मं. " " "	"	1820	30.00
20.	,,	मं. जोधपुर गोट स्किन कं., जोधपुर	"	300	43.00
21.	,,	मं. " " " "	"	1000	30.00
22.	27-10-80	मं. ए. अजीज एण्ड ए. रसीद कं., जोधपुर	"	700	43.00
23.	,,	मं. " " " "	,,	1000	30.00
24	31-10-80	मं. मोहम्मद हनीफ हाजी लाल मो., बीकानेर	,,	421	41.00
25	,,	मं. अमरूदीन रमजानी, बासनी	"	617	41.00
26.	31-10-80	मं. मोहम्मद हनीफ हाजीलाल मो. बीकानेर	बकरे की खालें	108	31.00
27.	,,	मं. मो. सईद, टोंक	पाडे की खालें	104	35.00
28.	,,	,,	,,	45	28.00
29.	10-11-80	मं. जयपुर खालेमन, जयपुर	,,	140	25.50
30.	,,	,, ,,	,,	140	19.00
				15	

1	2	3	4	5	6
31.	13-11-80	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	बकरे की खालें	1000	33.00
32.	24-11-80	मं. मोडल स्किन, जयपुर	,,	250	32.00
33.	,,	मं. जमजम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	286	32.00
34.	,,	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	530	32.25
35.	,,	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	276	32.25
36.	,,	मं. ए.जो. जमाल एण्ड सन्स, जयपुर	,,	147	31.75
37.	14-11-80	मं. जमील अहमद, जयपुर	,,	181	31.00
38.	25-11-80	मं. बिन्दू, काले, टोंक	पाडे की खालें	401	28.00
39.	,,	मं. बिन्दू, काले, टोंक	,,	112	24.00
40.	30-11-80	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	बकरे की खालें	200	35.00
41.	,,	मं. ,, ,,	,,	300	32.5[illegible]
42.	,,	मं. जमजम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	1000	32 25
43.	,,	मं. कालेमन, जयपुर	पाडे की खालें (भारी)	400	35.00
44.	,,	,, ,,	(हल्की) ,,	300	25.00
45.	,,	,, ,,	(बच्चा) ,,	200	17.00
46.	,,	मं. भारत लेदर स्टोर्स, जयपुर	(हल्की) ,,	1000	24 50
47.	,,	,, ,,	(बच्चा) ,,	500	15.00
48.	10-12-80	मं. मोडल स्किन कं. जयपुर	बकरे की खालें	300	33.50
49.	22-12-80	मं. ए. अजीज. ए. रसीद एण्ड कं., जोधपुर	,,	1750	33.50
50.	,,	,, ,,	,,	3000	33.00
51.	,,	मं. जोधपुर गोट स्किन, जोधपुर	,,	401	33 00
52.	26-12-80	मं. ए.जो. जमाली एण्ड सं, जयपुर	पाडे की खालें	162	26 00
53.	27-12-80	मं. जोधपुर गोट स्किन कम्पनी, जोधपुर	बकरे की खालें	2000	33 00
54.	30-12-80	मं. मोडल स्किन कं., जयपुर	,,	464	33 00
55.	31-12-80	मं. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	बकरे की खालें	627	35.50
56.	15-1-81	मं. ए. अजीज ए. रसीद एण्ड कं., जोधपुर	"	3000	32.75
57.	27-1-81	मं. जमजम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	500	32 75

1	2	3	4	5	6
58.	27-1-81	मै. ए. जी. जमाली एण्ड सन्स, जयपुर	बकरे की खालें	210	32.75
59.	30-1-81	मै. जमजम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	150	36.50
60.	30-1-81	मै.	"	130	32.75
61.	2-2-81	मै. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	1000	38.50 36.50
62.	6-2-81	मै. रा-स्किन ट्रेडर्स, जोधपुर	"	3000	32.50
63.	25-2-81	मै. रा-स्किन ट्रेडस, जोधपुर	"	4000	30.50
64.	3-3-81	मै. जमजम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	1000	31.00
65.	12-3-81	मै. नेशनल स्किन कार्पोरेशन नई दिल्ली	"	3500	35.00
66.	12-3-81	मै. " "	"	1500	20.00
67.	12-3-81	मै. इण्डिया स्किन एजेन्सी, दिल्ली	बुचेरो	890	17.00
68.	12-3-81	" " "	"	2000	35.00
69.	12-3-81	मै. जमील स्किन कार्पोरेशन, दिल्ली	"	2000	33.00
70.	18-3-81	मै. रा-स्किन ट्रेडर्स, जोधपुर	"	300	13.00
71.	18-3-81	मै. जोधपुर गोटन स्किन कं., जोधपुर।	"	1474	30.25
72.	19-3-81	मै. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	1000	34.50
73.	19-3-81	मै. " "	"	2000	32.50
74.	30-3-81	मै. महबूब स्किन ट्रेडिंग कं., जयपुर।	"	500	31.50

वर्ष 1981-82

1	2	3	4	5	6
1.	2-4-81	मै. इण्डिया स्किन एजेन्सी, दिल्ली	बकरे की खालें	6000	32.50
2.	3-4-81	मै. परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	2000	30.75
3.	3-4-81	मै. जमजम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	"	500	30.75
4.	3-4-81	मै. महबूब स्किन ट्रेडिंग कं. जयपुर	"	500	30.50

Page No 239

232

1	2	3	4	5	6
5.	15/4/81	मै रा स्किन ट्रेडर्स, जोधपुर	बकरे की खालें	4000	26.50
6.	15/4/81	,, अजीज ब्यावर	,,	52	27.00
7.	23/4/81	,, परवाज स्किन ट्रेडर्स	,,	2000	29.50
8.	27/4/81	,, जमजम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	1000	28.50
9.	27/4/81	,, रहमत मुनवर एण्ड कं. जयपुर	,,	1000	28.50
10.	1/5/81	,, रा-स्किन ट्रेडर्स, जोधपुर	भेड़ ऊन सहित	206	12.00
			308 पीस	102	11.00
11.	12/5/81	,, मोहम्मद सिधकी मूसा, जोधपुर	बकरे की खालें	3000	26.00
12.	13/5/81	,, आबेदा स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	भेड़ ऊन सहित	2000	12.25
13.	13/5/81	,, परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	बकरे की खालें	2000	29.00
14.	13/5/81	,, महबूब स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	500	29.00
15.	13/5/81	,, रहमत मुनवर एण्ड कं. जयपुर	,,	500	29.00
16.	24/5/81	,, परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	3000	29.00
17.	24/5/81	,, ,,	भेड़ पापरा	2000	13.00
18.	25/5/81	,, रहमत मुनवर एण्ड कं. जयपुर	बकरे की खालें	1000	29.00
19.	25/5/81	,, महबूब स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	500	29.00
20.	25/5/81	,, भारत लेदर स्टोर्स, जयपुर	पाडे की खालें	1000	21.50
21.	28/5/81	,, भारत लेदर स्टोर्स, जयपुर	भेड़ ऊन सहित	500	14.00
22.	30/5/81	,, एच, ए. लतीफ स्किन ट्रेडर्स	भेड़ पापरा	2000	13.00
23.	4/6/81	,, भारत लेदर स्टोर्स जयपुर	भेड़ ऊन सहित	2000	14.25
24.	3/6/81	,, आबेदा स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	भेड़ ऊन पापरा	1000	13.50
25.	8/6/81	,, महबूब स्किन ट्रेडिंग कं.	बकरे की खालें	1000	29.00
26.	8/6/81	,, ,,	भेड़ ऊन सहित	100	15.00
27.	8/6/81	,, ,,	भेड़ पापरा	2000	14.00
28.	8/6/81	,, रहमत मुनवर एण्ड कं. जयपुर	भेड़ ऊन पापरा	2000	14.00
29.	8/6/81	,, भारत लेदर स्टोर्स, जयपुर	भेड़ ऊन सहित	3000	16.25
30.	13/6/81	,, इण्डिया स्किन कार्पोरेशन, दिल्ली	भेड़ ऊन पापरा	5000	15.25
31.	13/6/81	,, जबीन स्किन कार्पोरेशन, दिल्ली	,,	3000	15.00
32.	19/6/81	,, महबूब स्किन ट्रेडिंग कं. जयपुर	बकरे की खालें	1000	27.00
33.	22/6/81	,, इस्लामुद्दीन एण्ड कं. जयपुर	भेड़ ऊन पापरा	1000	14.00
34.	25/6/81	,, चौधरी स्किन ट्रेडिंग कं. दिल्ली	भेड़ ऊन सहित	2000	25.00
35.	25/6/81	,, ,,	भेड़ ऊन पापरा	2000	16.50
36.	25/6/81	,, इण्डिया स्किन एजेन्सी, दिल्ली	भेड़ ऊन सहित	3000	25.25

1	2	3	4	5	6
37.	25/6/81	मै. नेशनल स्किन ट्रेडिंग कं, दिल्ली	भेड़ ऊन पापरा	3000	16 50
38.	2[illegible]/6/81	,, ,,	भेड़ ऊन सहित	4000	25.00
39.	30/6/81	,, परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	भेड़ ऊन सहित	3000	21.00
40.	30/6/81	,, महबूब स्किन ट्रेडिंग कं.	भेड़ ऊन पापरा	3000	14.75
41.	13/7/81	,, ,,	भेड़ ऊन सहित	2000	22.00
42.	27/7/81	,, परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	भेड़ ऊन पापरा	242	13.00
43.	6/8/81	,, भारत लेदर स्टोर्स, जयपुर	भेड़ ऊन सहित	3000	19.00
44.	5/8/81	,, सैन्ट्रल लेदर इन्डस्ट्रीज, जयपुर	,,	8000	23.00
45.	6/8/81	,, जम जम स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	1500	21.00
46.	13/8/81	,, परवाज स्किन ट्रेडर्स, जयपुर	,,	3000	21:00
47	14/8/81	,, राजधानी स्किन कं, जयपुर	,,	1000	20 50
48.	17/8/81	,, महबूब स्किन ट्रेडिंग कं. जयपुर	,,	2000	21.00
49.	24/8/81	, सैन्ट्रल लेदर इन्डस्ट्रीज, जयपुर	,	8000	23.50
50.	10/9/81	,, भारत लेदर स्टोर्स, जयपुर	पाडे की खालें	1000	27·00
51.	4/8/81	, रामलाल रेगर, टोंक	बकरे की खालें	53	17.00
52.	4/8/81	,, रामलाल रेगर, टोंक	भेड़ ऊन सहित	15	11.00

टिप्पणी :—दरें कच्चे माल के माप एवं किस्म पर आधारित हैं।

239

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूचना)

हत्या :   हरिजनों पर अत्याचार 1-7-80 से 30-6-81 तक

क्रम सं०	नाम जिला	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति			
		पंजि० अप०	चालान	अंतिम रिपोर्ट	जेर तफ०	पंजि० अप०	चालान	अन्तिम रिपोर्ट	जेर तफ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	1	1	-	-	-	-	-	-
2	भीलवाड़ा	1	1	-	-	-	-	-	-
3	नागौर	3	1	-	2	-	-	-	-
4	भरतपुर	2	2	-	-	-	-	-	-
5	अलवर	3	2	-	1	-	-	-	-
6	स०माधोपुर	1	1	-	-	3	3	-	-
7	बीकानेर	-	-	-	-	-	-	-	-
8	चूरू	-	-	-	-	-	-	-	-
9	गंगानगर	9	7	-	2	-	-	-	-
10	जोधपुर	2	2	-	-	-	-	-	-
11	जालोर	2	2	-	-	-	-	-	-
12	जैसलमेर	-	-	-	-	-	-	-	-
13	पाली	3	3	-	-	1	1	-	-
14	सिरोही	-	-	-	-	1	-	-	1
15	बाडमेर	-	-	-	-	-	-	-	-
16	जयपुर	4	3	1	-	-	-	-	-
17	झुंझुनूं	-	-	-	-	-	-	-	-
18	सीकर	-	-	-	-	-	-	-	-
19	टोंक	-	-	-	-	-	-	-	-
20	कोटा	2	2	-	-	3	2	-	1
21	झालावाड़	-	-	-	-	1	1	-	-
22	बूंदी	2	2	-	-	1	1	1	-
23	उदयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
24	बांसवाड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-
25	डूंगरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
26	चित्तौड़	2	1	-	1	2	1	-	1
27	जी. आर. पी.	-	-	-	-	-	-	-	-
	राजस्थान :	37	30	1	6	12	9	-	3

Page No 242

(240)

हरिजनों पर अत्याचार 1-7-80 से 30-6-81 तक

बलात्कार-

क्रम सं०	नाम जिला	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति			
		पंजि० अप०	चालान	अन्तिम रिपोर्ट	जेर तफ०	पंजि० अप०	चालान	अन्तिम रिपोर्ट	जेर तफ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	4	3	1	-	-	-	-	-
2	भीलवाड़ा	2	2	-	-	3	2	1	-
3	नागौर	6	3	1	2	-	-	-	-
4	भरतपुर	4	3	-	1	1	-	-	1
5	अलवर	3	1	2	-	-	-	-	-
6	सवाई माधोपुर	4	3	-	1	1	-	-	1
7	बीकानेर	2	2	-	-	-	-	-	-
8	चूरू	5	3	1	1	-	-	-	-
9	गंगानगर	13	9	2	2	-	-	-	-
10	जोधपुर	4	3	1	-	-	-	-	-
11	जालोर	2	-	2	-	2	2	-	-
12	जैसलमेर	2	1	-	1	-	-	-	-
13	पाली	2	1	1	-	-	-	-	-
14	सिरोही	-	-	-	-	-	-	-	-
15	बाड़मेर	2	2	-	-	-	-	-	-
16	जयपुर	2	2	-	-	1	1	-	-
17	झुंझनू	2	2	-	-	1	1	-	-
18	सीकर	3	2	-	1	-	-	-	-
19	टोंक	-	-	-	-	-	-	-	-
20	कोटा	4	4	-	-	3	3	-	-
21	झालावाड़	6	4	1	1	1	1	-	-
22	बूंदी	-	-	-	-	-	-	-	-
23	उदयपुर	2	1	1	-	2	2	-	-
24	बांसवाड़ा	-	-	-	-	2	2	-	-
25	डूंगरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
26	चित्तौड़	-	-	-	-	-	-	-	-
27	जी.आर.पी.	1	-	1	-	-	-	-	-
	राजस्थान	75	51	14	10	17	14	1	2

(241)

हरिजनों पर अत्याचार 1-7-80 से 30-6-81 तक

गम्भीर चोट :

क्र.सं.	नाम जिला	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति			
		पंजि. अप.	चालान	अंतिम रिपोर्ट	जेर तप.	पंजि. अप.	चालान	अन्तिम रिपोर्ट	जेर तप.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	13	12	–	1	1	1	–	–
2	भीलवाड़ा	5	4	–	1	8	8	–	–
3	नागौर	8	8	–	–	–	–	–	–
4	भरतपुर	6	6	–	–	1	1	–	–
5	अलवर	15	13	–	2	2	2	–	–
6	स. माधोपुर	4	3	–	1	–	–	–	–
7	बीकानेर	4	4	–	–	–	–	–	–
8	चूरू	4	4	–	–	–	–	–	–
9	गंगानगर	23	15	5	3	–	–	–	–
10	जोधपुर	7	5	–	2	–	–	–	–
11	जालोर	3	3	–	–	1	1	–	–
12	जैसलमेर	–	–	–	–	–	–	–	–
13	पाली	6	6	–	–	5	4	–	1
14	सिरोही	5	5	–	–	2	1	–	1
15	बाड़मेर	4	3	–	1	5	4	1	–
16	जयपुर	10	7	–	3	4	3	–	1
17	झुंझुनू	3	3	–	–	3	3	–	–
18	सीकर	2	1	–	1	3	5	–	–
19	टोंक	8	8	–	–	2	2	–	–
20	कोटा	20	18	–	2	4	3	–	1
21	झालावाड़	7	6	–	1	1	1	–	–
22	बूंदी	1	1	–	–	2	2	–	–
23	उदयपुर	7	6	–	1	5	4	1	–
24	बांसवाड़ा	–	–	–	–	1	1	–	–
25	डूंगरपुर	1	1	–	–	–	–	–	–
26	चित्तौड़	5	4	–	1	1	1	–	–
27	जी.आर.पी.	–	–	–	–	–	–	–	–
राजस्थान :		171	146	5	20	51	45	2	4

हरिजनों पर अत्याचार 1-7-80 से 30-6-81 तक

गंभीर क्षति/ आगजनी:—

क्र.सं.	जिला नाम	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जन जाति			
		पंजि. अप.	चालान	अन्तिम रिपोर्ट	जेर तफ.	पंजि. अप.	चालान	अन्तिम रिपोर्ट	जेर तफ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	1	—	1	—	—	—	—	—
2	भीलवाड़ा	4	3	—	1	—	—	—	—
3	नागौर	6	2	4	—	—	—	—	—
4	भरतपुर	2	1	—	1	—	—	—	—
5	अलवर	8	3	3	2	2	—	2	—
6	सवाई माधोपुर	1	1	—	—	—	—	—	—
7	बीकानेर	2	1	1	—	—	—	—	—
8	चूरू	1	—	1	—	—	—	—	—
9	गंगानगर	6	4	1	1	—	—	—	—
10	जोधपुर	4	2	2	—	—	—	—	—
11	जालोर	5	4	1	—	1	1	—	—
12	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—
13	पाली	1	—	—	1	—	—	—	—
14	सिरोही	1	1	—	—	—	—	—	—
15	बाड़मेर	2	2	—	—	2	1	1	—
16	जयपुर	10	4	5	1	—	—	—	—
17	झुंझुनू	1	—	—	1	—	—	—	—
18	सीकर	—	—	—	—	2	1	—	1
19	टोंक	5	3	2	—	1	1	—	—
20	कोटा	3	3	—	—	1	1	—	—
21	झालावाड़	4	4	—	—	—	—	—	—
22	बूंदी	1	1	—	—	—	—	—	—
23	उदयपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
24	बांसवाड़ा	—	—	—	—	2	2	—	—
25	डूंगरपुर	1	1	—	—	—	—	—	—
26	चित्तौड़	—	—	—	—	—	—	—	—
27	जी.आर.पी.	—	—	—	—	—	—	—	—
राजस्थान		69	40	21	8	11	7	3	1

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 86 का विवरण)

वर्ष 1980 व 81 को नगरपालिकाओं को दिये गये अनुदान

क्र.सं. 1	नाम नगरपालिका 2	कब दिया गया 3	राशि 4
1	सांगानेर	23-10-80	50,000/-
2	भुसावर	23-10-80	2,50,000/-
3	फुलेरा	23-10-80	50,000/-
4	भरतपुर	23-10-80	50,000/-
5	सांगरिया	23-10-80	50,000/-
6	आमेर	23-10-80	50,000/-
7	फतेहनगर	23-10-80	1,00,000/-
8	वैर	23-10-80	2,50,000/-
9	पुष्कर	14-11-80	50,000/-
10	केकड़ी	16-1-81	20,000/-
11	भीनासर	16-1-81	50,000/-
12	देशनोक	16-1-81	20,000/-
13	नोखा	16-1-81	20,000/-
14	शाहपुरा	16-1-81	20,000/-
15	आसिंद	16-1-81	40,000/-
16	बयाना	16-1-81	1,00,000/-
17	नगर	16-1-81	20,000/-
18	नैनवां	16-1-81	10,000/-
19	बड़ी सादड़ी	16-1-81	10,000/-
20	छोटी सादड़ी	16-1-81	10,000/-
21	कपासन	16-1-81	20,000/-
22	रतनगढ़	16-1-81	50,000/-
23	छापर	16-1-81	20,000/-
24	रतननगर	16-1-81	25,000/-
25	तारानगर	16-1-81	25,000/-
26	सादुलशहर	16-1-81	25,000/-
27	केसरीसिंहपुर	16-1-81	10,000/-
28	पीलीबंगा	16-1-81	25,000/-
29	सांभर	16-1-81	40,000/-
30	चाकसू	16-1-81	20,000/-
31	कोटपूतली	16-1-81	50,000/-
32	लालसोट	16-1-81	25,000/-
33	बस्सी	16-1-81	10,000/-

Page No 246

(244)

1	2	3	4
34	शाहपुरा (जयपुर)	16-1-81	20,000/-
35	मनोहरपुर	16-1-81	20,000/-
36	पोकरन	16-1-81	25,000/-
37	भवानी मंडी	16-1-81	20,000/-
38	सुनेल	16-1-81	10,000/-
39	मण्डावा	16-1-81	30,000/-
40	पिलानी	16-1-81	25,000/-
41	मण्डेला	16-1-81	25,000/-
42	फलौदी	16-1-81	30,000/-
43	पीपाड़	16-1-81	25,000/-
44	अन्ता	16-1-81	20,000/-
45	इन्द्रगढ़	16-1-81	20,000/-
46	सांगोद	16-1-81	20,000/-
47	डीडवाना	16-1-81	20,000/-
48	कुचामन सिटी	16-1-81	30,000/-
49	नांवा	16-1-81	20,000/-
50	मूंडवा	16-1-81	20,000/-
51	रायपुर	16-1-81	20,000/-
52	निमाज	16-1-81	20,000/-
53	जैतारन	16-1-81	20,000/-
54	टोडाभीम	16-1-81	25,000/-
55	लक्ष्मनगढ़	16-1-81	50,000/-
56	रामगढ़	16-1-81	50,000/-
57	पिण्डवाड़ा	16-1-81	20,000/-
58	मालपुरा	16-1-81	20,000/-
59	टोडारायसिंह	16-1-81	20,000/-
60	निवाई	16-1-81	10,000/-
61	राजसमन्द	16-1-81	20,000/-
62	सलूम्बर	16-1-81	20,000/-
63	सागवाड़ा	16-1-81	30,000/-
64	धौलपुर	19-2-81	1,00,000/-
65	कुम्हेर	3-3-81	40,000/-
66	मकराना	3-3-81	40,000/-
67	भादरा	3-3-81	30,000/-
68	राजगढ़	16-1-81	20,000/-

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का विवरण)

वार्डों की तालिका :-

1	पोस्ट नेटल वार्ड	–	3
2	सैप्टिक मैटरनिटी वार्ड	–	1
3	एकलम्सीया वार्ड	–	1
4	लेबर रूम	–	2
5	वेटिंग लेबर रूम	–	2
6	स्टरलाईजेशन वार्ड	–	1
7	एम. टी.पी. वार्ड	–	1
8	गाईनिक वार्ड	–	4
9	एनटीनेटल वार्ड	–	3
10	पोस्ट आपरेटिव वार्ड	–	1
11	कोटेज वार्ड	–	9
12	प्राइवेट वार्ड	–	6
13	नर्सेज लिंक रूम	–	1
		कुल वार्ड	35
	आपरेशन थियेटर	–	2
			37

शय्याओं की तालिका :-

1	स्त्री एवं प्रसूति शय्याएं	–	286
2	स्टरलाइजेशन शय्याएं	–	20
3	विशेष नियोनेटल केयर यूनिट	–	10
4	नियोनेटल शय्याएं	–	100
		कुल शय्याएं	416

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 94 का विवरण)

31-3-81 गोशवारा साल 80-81 ग्राम पंचायत इटावा (कोटा)

क्र. सं. 1	नाम मद प्राप्ति 2	रकम 3	नाम मद व्यय 4	रकम 5
1–	नाका चुंगी	91,627-05	1– वेतन	22,077–45
			2– स्टेशनरी	3,167–90
			3– स्थाई सामान	3,736–02
			4– पोस्टिग व्यय	105–00
			5– पुस्तकालय	462–10
2–	सफाई टैक्स	1,877–40	6– रोशनी	12,607–54
			7– दशहरा	1,395–00
			8– आकस्मिक व्यय	209–50
			9– प्याऊ	114–00
			10– मुकदमात	155–00
3–	वाहन कर	1,170–00	11– टेलीफोन	600–00
			12– यात्रा व्यय	566–35
			13– चारा	790–50
			14– एडवांस	231–00
			15– विविध	242–40
4–	काईन हाउस	7,635–20	16– नल योजना	5,000–00
			17– राष्ट्रीय पर्व	2,128–80
			18– प्राइमरी स्कूल	750–00
5–	सफाई टैक्स दुकानात	510–00	19– प्रापर्टी	30,784–30
6–	बैठक टैक्स	1,161–00	20– नियमित	135–00
7–	चन्दा विकास का	305–00	21– देवता पूजन	134–85
8–	ठेका मुर्दा मवेशी	1,625–00	22– हैन्ड पम्प	10–00
9–	चन्दा कन्या शाला	1,430–00	23– वापसी नजराना	9,375–00
10–	परिचय-पत्र	354–00	24– साण्ड	65–00
11–	फार्म	70–80	25– वापसी फाइन हाउस	18–00

(247)

1	2	3	4	5
12-	कोर्ट फीस	13-50	26- निर्माण कार्य	55,953-39
13-	तलवाना	4-75		
14-	विविध	3,161-62		
15-	नकल फीस	8-75		
16-	तलाशी फीस	0-25		
17-	किराया दूकानात	3,413-55		
18-	अनुदान	3,600-00		
19-	टैक्स चक्की	96-00		
20-	सूद	243-33		
21-	जंगल	33-00		
22-	डुप्लीकेट राशन	2-75		
23-	नजराना भूमि	57,830-00		
24-	परिवहन व्यय	87-50		
25-	आयात	160-00		
26-	बकाया चुंगी	340-29		
27-	किराया भूमि	146-00		
	योग···	1,76,636-74		1,50,854-10

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 99 की सूची)

सूची अतिवृष्टि से प्रभावित मकानों के परिवार ग्राम देलेलोड़ा पंचायत समिति पाटन जिला बूंदी माह जुलाई 81

1 श्री मथुरा आ. श्री राम मीणा
2 श्री मदन सिंह आ. कजोड़ सिंह राजपूत
3 श्री गणेश आ. मोती मीणा
4 भंवरलाल आ. देवलाल गुजर
5 श्री दानमल आ. खटीक
6 श्री जगन्नाथ बैरवा
7 श्री राधेश्याम रेगर
8 श्री नाथू आ. माधो
9 श्री आगडी लाल आ. नानगा कलाल
10 श्री रामकिशन आ. भागीरथ तेली
11 श्री सीताराम आ. दुर्गा मीणा
12 श्री रामचन्द्र आ. मोती माली
13 श्री बंजरग लाल आ.
14 श्री मथुरा आ. गोपी मीणा
15 श्री केदार आ. गोपी
16 श्री मोड़ आ. लोंगा मीणा
17 श्री गोबरी लाल आ. परशा मीणा
18 श्री मादू आ. हरबक्स मीणा
19 श्री भंवरलाल आ. धूला मीणा
20 श्री हजारीलाल आ. गोपी मीणा
21 श्री गोबरीलाल आ. गोपी मीणा
22 श्री रामचन्द्र आ. जगन्नाथ मीणा
23 श्री रामकुवार आ. सुंदरा मीणा
24 श्री सूरजमल आ. गोपाल मीणा
25 श्री भागीरथ आ. मोती मीणा
26 श्री माधो आ. मन्दा मीणा
27 श्री मदना आ. लाला मीणा
28 श्री काशीनाथ आ. गजानंद मीणा
29 श्री सुवालाल आ. भज्जा मीणा

249

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 103 का मानचित्र)

वन्य जीवों की गणना वर्ष 1980-81

क्र०सं०	सेन्चूरीका का नाम	टाईगर	बघेरा	रीछ	सांभर	चीतल	नीलगाय	सूअर	चौसींगा	चिंकारा	काले हिरण	लंगूर	जरख	सियार	लोमड़ी	ज. बि.	खरगोश	कि	नेवला
1.	बाघ परियोजना रणथम्भोर	33	27	61	1247	1732	636	815	—	303	—	2624	8	120	52	42	—	—	—
2.	बाघ परियोजना सरिस्का.	20	13	—	7064	2886	4710	3076	342	36	—	4045	79	467	—	123	—	—	—
3.	घना पक्षी विहार, भरतपुर	—	—	—	33	388	357	180	—	—	69	—	4	27	—	16	—	—	—
4.	दरा गेम सेन्चूरी	5	18	24	313	1480	237	668	212	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	कुम्भलगढ़ सेन्चूरी	—	23	59	44	—	75	146	145	8	—	1957	49	84	—	—	—	—	—
6.	माउन्ट आबू सेन्चूरी	गणना नहीं की गई																	
7.	जयसमन्द सेन्चूरी	—	6	2	19	17	—	129	—	128	—	—	15	—	—	—	—	—	—
8.	सीतामाता सेन्चूरी	—	9	—	3	—	6	88	175	—	—	975	4	21	10	आंशिक	—	—	—
9.	वनविहार धोलपुर	—	3	8	28	90	115	122	—	77	—	—	4	—	—	—	—	—	—
10.	तालछापर सेन्चूरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—	1205	—	—	—	—	40	1	12	7	11
12.	गजनेर सेन्चूरी	—	—	—	4	—	146	328	—	550	771	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग :—	58	99	154	8755	6593	6282	5542	874	2437	1740	9601	213	719	102	183	12	7	11

झाउमुसां	सेही	गोडावन	चिड़िया	तीतर	शिका	ईगल	मोर	अन्य पक्षी
36	2	21	152	195	72	33	268	241

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 104 की सूचना)

अजमेर जिले में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों की सूची
(विभाग द्वारा संचालित)

क्र.सं.	नाम प्रवृत्ति	स्थान	योजना	स्वीकृत आवासीय संख्या	जब से चलाये जा रहे हैं वह वर्ष	वर्ष 1980-81 के लिये बजट प्रावधान
1.	छात्रावास	अजमेर	अनुसू. जाति	60	1957–58)	
2.	,,	गगवाना	,, ,,	40	1960–61)	1,83,700
3.	,,	पुष्कर	,, ,,	30	1968-69)	
4.	,,	मसूदा	अनु०जन ,,	35	1959–60)	1,26,000
5.	,	विजय नगर	,, ,,	40	1967–68)	
6.	,,	केकड़ी	विमुक्त जाति	40	1958 59)	
7.	,,	ब्यावर	,, ,,	40	1966–67)	1,35,000
8.	सिलाई केन्द्र	अजमेर	,, ,,	15	1980–81	15,000
9.	,, ,,	ब्यावर	अनुसू०जाति	15	1978–79	29,000
10.	महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	अजमेर	सामान्य	15	1980–81	26,000
11.	विरुपशोधीय पुनर्वास केन्द्र	,,	,,	40	1968–69	1,22,450
12.	सेवा सदन तथा उत्पादन केन्द्र (भिक्षुकगृह)	,,	,,	150	1966-67	2,42,400
13.	पालना गृह	,,	,	25	1980–81	31,000
14.	उत्तर रक्षा गृह	,,	,,	50	1957-58	1,35,000
15.	वृद्ध एवं अशक्त गृह	पुष्कर	,,	50	1964–65	71,400
16.	पोषाहार केन्द्र	अजमेर	,,	40 केन्द्र 4000 लाभान्वित	1971)	

क्र.सं.	नाम प्रवृत्ति	स्थान	योजना	स्वीकृत आवासीय संख्या	जब से चलाये जा रहे हैं वह वर्ष	वर्ष 1980-81 के लिए बजट प्रावधान
17.	पोषाहार केन्द्र	ब्यावर	सामान्य	15 केन्द्र 1500 लाभान्वित	1979)	
18.	,, ,,	विजयनगर	,,	5 केन्द्र 500 लाभान्वित	1979)	
19.	,, ,,	केकड़ी	,,	,, ,,	1979) (अभी बन्द))	
20.	,, ,,	सरवाड़	,,	,, ,,	1979) (अभी बन्द))	1,71,000
21.	,, ,,	नसीराबाद	,,	,, ,,	1979) (अभी बन्द))	
22.	,, ,,	पुष्कर	,,	,, ,,	1979) (अभी बन्द))	
23.	,, ,,	किशनगढ	,,	10 केन्द्र 1000 लाभान्वित	1979) (अभी बन्द))	
24.	सम्प्रेक्षण गृह	अजमेर	,	25	1971	66,000

इसके अतिरिक्त बंदी कल्याण एवं परिवीक्षा सेवाओं के लिए 11,850 रुपये जिला बालक अधिकारी कार्यालय के लिये 57,950 रुपये का प्रावधान उपलब्ध है।

Page No 254

252

परिशिष्ट "ब"

अजमेर जिले में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थायें उनके द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम तथा वर्ष 1980-81 में दिये गये अनुदान की सूचना

क्र० सं०	नाम स्वंयसेवी संस्था	प्रवृत्ति एवं कार्यक्रम	स्वीकृत आवासी संख्या	स्थान	कब से चलाई जा रही है	वर्ष 1980-81 में दिये गये अनुदान की राशि
1.	दयानन्द बाल सदन, अजमेर	निराश्रित बाल गृह	50	अजमेर	1974-75	45,810
2.	नूतन बाल भारती समिति, अजमेर	निराश्रित बाल गृह	25	अजमेर	1977-78	33,582
3.	राजस्थान महिला बाल विकास समिति, अजमेर	निराश्रित बाल गृह	25	अजमेर	1977-78	28,090
4.	सीवनकला विद्यालय, अजमेर	निराश्रित बाल गृह	25	अजमेर	1977-78	25,695
5.	महिला विकास परिषद, अजमेर	निराश्रित बाल गृह	50	अजमेर-खरवा	1978-79	62,899
6.	सनातन धर्म शिक्षा समिति, केकड़ी (अजमेर)	निराश्रित बाल गृह	25	केकड़ी	1979-80	1,450
7.	गांधी जनता सेवा समिति, अजमेर	निराश्रित बाल गृह	25	अजमेर	1979-80	28,215
8.	टैगोर बाल निकेतन समिति, केकड़ी	निराश्रित बाल गृह	25	केकड़ी	1979-80	28,215
9.	महात्मा गांधी छात्रावास, पीसांगन	अनुसूचित जाति छात्रावास	30	पीसांगन	1967-68	
10.	दलित वर्ग संघ, भिनाय	अनसूचित जाति छात्रावास	35	भिनाय	1966-67	1,12,040
11.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास	75	हटूण्डी	1957-58	
12.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिये आश्रम स्कूल	25	हटूण्डी	1962-63	36,700
13.	नेत्रहीन सेवा संघ, अजमेर	अंध विद्यालय तथा छात्रावास	15	अजमेर	1966	6,310

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची) परिशिष्ट"अ"

राजस्थान वित्त निगम

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सूची जिन्ह बसें हेतु ऋण के आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये हैं।

क्र.सं.	हिस्सेदारों के नाम	पता
1	2	3
1	श्री किशनलाल	रामदेव बाबा यात्री सेवा, पोस्ट परबतसर,
2	श्री भंवरलाल	जिला नागौर
3	श्री जगन्नाथ	श्री जगन्नाथ एवं बजरंगलाल बस सर्विस,
4	श्री बजरंगलाल	268 शोपिंग सेन्टर, कोटा
5	श्री रामेश्वर प्रसाद	मैसर्स रामेश्वर प्रसाद हनुमान प्रसाद पोस्ट
6	श्री हनुमान प्रसाद	स्वामीवाली ढाणी मण्डावा जिला सीकर
7	श्री भोमाराम	आगरा रोड, कोटा वालों की बगेची, जयपुर
8	श्री शंकर राम	" "
9	श्री भागीरथमल	मैसर्स आसवाल ट्रेवल्स, मार्फत श्री रामधन
10	श्री मूलचन्द	आसवाल मनोहरपुरा, जयपुर
11	श्री ओमप्रकाश	जाटव बस्ती, हिण्डोन, जिला सवाईमाधोपुर
12	श्री हरिकिशन	" "
13	श्री गिरधारी	मैसर्स गिरधारी लाल महादेव प्रसाद, बुनकर
14	श्री माधोप्रसाद	मोहल्ला शाहपुरा, जिला जयपुर
15	श्री भंवर सिंह	मैसर्स गजेन्द्र बस सर्विस, मकान न. 2413
16	श्री सत्यनारायण	मोती भवन, बापू बाजार, पटवों की बगेची के पास, लिंक रोड, जयपुर
17	श्री बनवारीलाल	पोस्ट बिरमी पुरा जिला झुन्झुनू
18	श्री बीरबल	" "
19	श्री नन्दकिशोर	मैसर्स जय जोग माया ट्रेवल्स, नागौरी गेट
20	श्री हजारीलाल	के अन्दर, सिन्धुनगर, जोधपुर
21	श्री श्यामलाल	लोहिया लांक अस्पताल के पास पिलानी
22	श्री मदनलाल	" "
23	श्री बन्सीलाल	मैसर्स बन्सीलाल एवं भंवरलाल ट्रान्सपोर्ट

254

1	2	3
24	श्री भंवरलाल	कम्पनी खातीनधान का मोहल्ला, ब्यावर,
		जिला अजमेर।
25	श्री कृष्ण गोपाल	मैसर्स छालियां बस सर्विस, वार्ड नं. 9
26	श्री भगवान सहाय	मकान नं. 148 श्रीमाधोपुर—सीकर
27	श्री रामखिलाड़ी	मार्फत विश्वदेव स्टोन कम्पनी, स्टेशन रोड,
28	श्री भरोसीलाल	हिण्डोन, जिला सवाई माधोपुर
29	श्री नन्दकिशोर	मैसर्स माया ट्रेवल्स राजमहल देवली,
30	श्री सूरजमल	जिला टोंक
31	श्री मोहनलाल	श्री मोहन लाल एवं हजारी गोपाल जी
32	श्री हरजी	मोहल्ला, ब्यावर, जिला अजमेर
33	श्री रोशनलाल	22, शिवहरे सदन, आदर्शनगर अजमेर,
34	श्री प्रहलाद	,, ,,
35	श्री रामदेव	मैसर्स जगदम्बा यात्री सेवा, मकान नं. 43
36	श्री आशाराम	छाबड़ा कालोनी, बस स्टेण्ड के सामने, मदन
		गंज, किशनगढ़ (अजमेर)
37	श्री सुरेशकुमार	मैसर्स तंवर ट्रैवल्स, बी-106 उदय मार्ग
38	श्री हनुमान प्रसाद	तिलक नगर, जयपुर-4
39	श्री सोहनलाल	मैसर्स सतवाल ट्रेवल्स, 4- बी-1 हाउसिंग
40	श्री पानस्वरूप	बोर्ड नाहरी का नाका, जयपुर
41	श्री रामेश्वर लाल	मैसर्स रामेश्वर लाल हरलाल नायक, पोस्ट
42	श्री हरलाल	लाडसर, जिला झुन्झुनूं
43	श्री बन्सीलाल	श्री बन्सीलाल एवं चुन्नीलाल नया, नयापुरा
44	श्री चुन्नीलाल	सोजत गेट, जिला बाली
45	श्री नन्दलल	मैसर्स नन्दलाल एवं रामेश्वरलाल,
46	श्री रामेश्वरलाल	हासभसर, जिला झुन्झुनूं
47	श्री धाकलाल	रेथरान गोपाल जी मोहल्ला, ब्यावर,
48	श्री गोपीचन्द	जिला अजमेर
49	श्री प्यार चन्द	मैसर्स प्यारचन्द एवं उदयलाल, पोटला,
50	श्री उदयलाल	जिला भीलवाड़ा
51	श्री गनपतलाल	भगवानपुरा, निमकाथाना, जिला सीकर
52	श्री बाबूलाल	,, ,, ,,
53	श्री मूलचन्द	मैसर्स मूलचन्द नाथूलाल बलाई, देहली

1	2	3
54	श्री नाथूलाल	दरवाजा विराट नगर, जिला जयपुर
55	श्री रामजीलाल	श्री रामजीलाल करणसिंह बस सर्विस,
56	श्री करणसिंह	गिलोय, तहसील बहरोड़, जिला अलवर
57	श्री प्रहलाद बरवा	मैसर्स जगदम्बा मागी सेवा, परबतसर,
58	श्री राधाकिशन	जिला नागोर
59	श्री बनवारीलाल	मैसर्स सिंगला ट्रैवल्स, सवरपुरा पोस्ट
60	श्री बन्सीधर	गोरधनपुरा, कोटपूतली, जिला जयपुर
61	श्री हीरालाल	मैसर्स हीरालाल खटीक, खटीकों का
62	श्री भगवान दास	मोहल्ला, चौमू, जिला जयपुर
63	श्री भीमराज	मैसर्स भीमराज एवं श्रवणकुमार, डूडलोद, जिला झुन्झुनू
64	श्री श्रवणकुमार	,, ,,
65	श्री रामचन्द्र	महरोली ट्रैवल्स, महरोली, जिला सीकर
66	श्री सुरेशचन्द्र	,, ,,
67	श्री किशोर लाल	मैसर्स मोनू बस सर्विस, मकान नं. 1 सूरज नगर, सिविल लाइन, अजमेर रोड, जयपुर
68	श्री पानाचन्द	,, ,,
69	कुमारी सुमनलता	मैसर्स सुमनलता पहाड़िया एवं नागचन्द पारेवा वी पी ओ, भुसावर जिला भरतपुर
70	श्री नानगचन्द	12, विधायकपुरी, जयपुर
71	श्रीमती लीला बकोलिया	,, ,,
72	श्री बस्तीराम	,, ,,
73	श्री प्रभुलाल	साहू नगर, सिमेन्ट फैक्ट्री, पोस्ट साहूनगर, हनुमानजी मन्दिर के पास, सवाईमाधोपुर
74	श्री भागोता	,, ,,
75	श्री पन्नालाल	मैसर्स पन्नालाल पूरणमल खटीक, पोस्ट महू, इब्राहीमपुरा, तहसील हिण्डोन, जिला सवाईमाधोपुर
76	श्री पूरणलाल	,, ,,

1	2	3
77	श्री श्यामलाल	मैसर्स श्यामलाल रामसहाय एण्ड कं., मकान नं. एस- 211, एन.बी.सी. के सामने, शान्तिनगर, खातीपुरा रोड, जयपुर
78	श्री रामसहाय	,, ,,
79	श्री डूंगरमल	383-ए, सिविल लाइन्स, जयपुर
80	श्री सोहनलाल	,, ,,
81	श्री ख्यालीराम	मैसर्स ख्यालीराम चमार एवं कन्हैयालाल मेहतर, अकरमपुरा लालखान, अलवर ?
82	श्री कन्हैयालाल	,, ,,
83	श्री भंवरदास	मैसर्स नवदुर्गा ट्रैवल्स, महामंदिर के अन्दर, जोधपुर
84	श्री पारसराम	,, ,,
85	श्री मांगीलाल	मैसर्स मांगीलाल पंवार एण्ड कं., मकान नं. 1,
86	श्री उदाराम	प्लास, रोड, जोधपुर
87	श्री लालचन्द	,, ,,
88	श्री मनोहर	मैसर्स समारिया बस सर्विस कलाल कोलोनी, नागोरी गेट के अन्दर, जोधपुर
89	श्री रमेशचन्द	खिची ट्रैवल्स, ग्राम उनियारा, जिला टोंक
90	श्री रामगोपाल	,, ,,
91	श्री हेमराज	मैसर्स खिची ट्रैवल्स, ग्राम मांगरोल, जिला कोटा
92	श्री भवानी शंकर	,, ,,
93	श्री फूलचन्द	मकान नं. 1250, खटीक मोहल्ला, धान मण्डी, नसीराबाद
94	श्री गिरधारीलाल	,, ,,
95	श्री देवनारायण	शिवराती देवराज, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा
96	श्री कस्तूरचन्द	,, ,,
97	श्री रामलाल	मैसर्स गोठिया बस सर्विस, ग्राम एवं पोस्ट नयोदा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर
98	श्री बाबूलाल	,, ,,
99	श्री किशनलाल	मैसर्स गंगवाल एवं सालोदिया ट्रैवल्स, रेगरों का मोहल्ला, झोटवाड़ा, जयपुर

257

1	2	3
100	श्री परमानन्द	मोहल्ला भोटवाड़ा, जयपुर
101	श्री लालचन्द	भिण्डों का रास्ता, जयपुर
102	श्री बाबूलाल	,, ,,
103	श्री भंवरलाल	मैसर्स श्री भंवरलाल बजरंगलाल खटीक, मकान नं. 1237, खटीक मोहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर
104	श्री बजरंगलाल	,, ,,
105	श्री जगदीश प्रसाद	मैसर्स पाल ट्रैवल्स, 3/212, जवाहरनगर, जयपुर
106	श्री मुन्शीलाल	,, ,,
107	श्री रामेश्वर प्रसाद	मार्फत श्री कजोड़मल बुनकर, बुनकर मोहल्ला, शाहपुरा, जयपुर
108	श्री गणपतराम	,, ,,
109	श्री रामप्रसाद	मैसर्स रामप्रसाद एण्ड रामअवतार, स्कीम नं. 2 प्लाट नं. 37, अलवर
110	श्री रामअवतार	,, ,,
111	श्री पानाराम	मैसर्स पानाराम एण्ड रामूराम मार्फत सरपंच, ग्राम पंचायत, श्री कोलायत जी, बीकानेर
112	श्री रामूराम	,, ,,
113	श्री ईश्वरसिंह	मैसर्स ईश्वरचन्द व मंगलसिंह हायर सैकण्डरी स्कूल के पास, तहसील बयाना, जिला भरतपुर
114	श्री मंगलसिंह	,, ,,
115	श्री सुन्दर लाल	मैसर्स सुन्दरलाल व चौथमल यादव, यादव मोहल्ला, देलवाडा, जिला उदयपुर
116	श्री चौथमल	,, ,,
117	श्री नन्दराम	मैसर्स नन्दराम मदनलाल रेगर, दांतारामगढ़ जिला सीकर
118	श्री मदनलाल	,, ,,
119	श्री ईशर	कालकटारी की पिछ, कच्ची बस्ती, एस. बी. बी. जे. के पास, जयपुर
120	श्री ओमप्रकाश	,, ,,

121 श्री चुन्नीलाल	मनोहरपुरा (जगतपुरा), सांगानेर, जिला जयपुर
122 श्रीमती पांची देवी	,, ,,
123 श्री सुवालाल	पोस्ट पचा, दातारामगढ़ जिला सीकर
124 श्री गोपीलाल	,, ,,
125 श्री बीसाराम	मसर्स उदयकुमार बस सर्विस, मंगलामण्डी बाग, जिला भरतपुर
126 श्री अरणसिंह	,, ,,
127 श्री प्यार चन्द	मैसर्स श्री प्यारचन्द व सोहन लाल हरिजन, जाकडबांद सूरजपोल बाजार, उदयपुर
128 श्री सोहन लाल	,, ,,
129 श्री परताप	मार्फत श्री चिरंजीलाल, खटीक मोहल्ला, वार्ड नं. 5 गंगापुर सीटी जिला सवाईमाधोपुर
130 श्री रामचन्द्र	,, ,,
131 श्री गोरखाराम	मैसस गोरखाराम व धरमपाल धानक मार्फत, दीपनिवास, सादुलपुर, जिला चूरू
132 श्री धरमपाल	,, ,,
133 श्री तुलसीराम	मैसर्स तुलसाराम व मोहन लाल, सेन्दरा रोड मुरगा फैक्ट्री, ब्यावर जिला अजमेर
134 श्री मोहनलाल	
135 श्री करोड़ीलाल	मैसर्स जयपुर बस सर्विस, श्री नारायण का मकान बरवा हिदा की मोरी डाक्टर कल्याण का रास्ता, जयपुर
136 श्री जमनालाल	,, ,,
137 श्री जगराम	बी-106 ए, उदयपथ, तिलकनगर, जयपुर
138 श्रीमती बिमला वासु	,, ,,
139 श्री धनपतराज	चारदरवाजा बाहर मण्डी खटोकान, जयपुर
140 श्री रामकुमार	,,
141 श्री मालचन्द	पोस्ट बाबी, जिला झुन्झुनूं
142 श्री जुगल किशोर	,, ,,
143 श्री अवतार सिंह	मैसर्स एक्स सोलजर सिन्धु ट्रान्सपोर्ट कं. मार्फत 605, विनोबा बस्ती, जिला श्रीगंगानगर
144 श्री जोगेन्द्र सिंह	,, ,,

2-59

1	2	3
145	श्री रामचन्द्र	मकान नं. 22, सेन्ट्रल जेल के पीछे, घन्नादास की बगेची, आदर्श नगर, जयपुर
146	श्री मदनलाल	,, ,,
147	श्री गोविन्दराम	मैसर्स गोविन्दराम व केदार राम यादव ग्राम व पोस्ट सेगापुरा, तहसील करोली, जिला सवाईमाधोपुर
148	श्री केदार	,, ,,
149	श्री रमेशकुमार	मैसर्स श्री जयप्रकाश खटीक व रमेशकुमार प्लाट नं. 1224, बरकतनगर, टोंक फाटक, जयपुर
150	श्री जयप्रकाश	,, ,,
151	श्री रामस्वरूप	मैसर्स बंसवाल ट्रैवल्स, ग्राम व पोस्ट टोडा-भीम, जिला सवाईमाधोपुर
152	श्री चेतराम	,, ,,
153	श्री रामनारायण	सामोद, जिला जयपुर
154	श्री देवेन्द्र कुमार	,, ,,
155	श्री सम्पतराम	ज्वाली भवन स्टेशन रोड, अलवर
156	श्री अशोक कुमार	,, ,,
157	श्री सुभाषचन्द्र	पोस्ट परतापपुरा, जिला झुन्झुनू
158	श्री बनवारीलाल	,, ,,
159	श्री गिरधरप्रसाद	मैसर्स सागर बस सर्विस, वार्ड नं. 3, नदबई, जिला भरतपुर
160	श्री टीकमसिंह	,, ,,
161	श्री नत्थीलाल	मैसर्स नत्थीलाल व अमरसिंह बस सर्विस, लाल दरवाजा, बयाना, जिला भरतपुर
162	श्री अमरसिंह	,, ,,
163	श्री हरिचरणलाल	मांगीलाल जाटव, ग्राम व पोस्ट गुढा तहसील, करोली जिला सवाईमाधोपुर
164	श्री मांगीलाल	,, ,,
165	श्री चमनलाल	प्लाट न. 241, एन.बी.सी. के सामने न्यू कालोनी, जयपुर
166	श्री दीपक कुमार	,, ,,

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूचना

अनुसूचित जन जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये केवल 25 हजार रुपये में बस

1. अनुसूचित जन जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार दिलाने हेतु राजस्थान रोडवेज में बस चलाने हेतु दिनांक 22 फरवरी, 1981 तक प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

2. प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर अनुसूचित जन जातियों के दो बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से दिया जावेगा। ये दोनों व्यक्ति अनुसूचित जन जाति के अलग-अलग परिवारों के होने चाहिये। जिनमें से एक के पास बस चलाने का वैध लाईसेंस होना चाहिये।

3. राजस्थान वित्त निगम बस की कीमत (करीब 2.50 लाख रुपये) का 90 प्रतिशत कम देना और बाकी धन राशि प्रार्थियों को लगानी होगी।

4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इन बसों को राजस्थान वित्त निगम के मार्फत करीब 4 वर्ष के लिये अनुबन्ध पर लेगा। चेसिस परिवहन निगम कोटा में से उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. वित्त निगम द्वारा दी गई ऋण राशि पर ब्याज नियमानुसार जो वर्तमान में 13.5 प्रतिशत वार्षिक है देय होगा।

6. अनुसूचित जन जातियों के इच्छुक व्यक्ति संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में 5,000 रुपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ राजस्थान वित्त निगम के मुख्यालय अथवा निगम के अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर कोटा, नागौर, पाली, श्री गंगानगर, सीकर, टौंक, उदयपुर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर तथा जयपुर शाखा कार्यालयों में से किसी भी एक पर आवेदन करें।

उपरोक्त राशि किन्हीं कारण से यहां उपलब्ध न होने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटायी जावेगी।